मध्यप्रदेश
राज्य खाद्य आयोग
भोपाल

वार्षिक प्रतिवेदन
2019-2020

वार्षिक प्रतिवेदन 2019-2020

vuqØef.kdk

	fo"k;	i`-Ø-
1-	vk;kx dk xBu] mnn'; vkj dk;ii.kkyh	1
2-	vk;kx ds v/;{k ,o lnL;k dh fu;fDr	5
3-	Lohd`r inka dh lph	7
4-	o"k 2018&19 es ikIr ctV vkoVu vkj 0;;	8
5-	o"k 2019&20 es ikIr ctV vkoVu vkj 0;;	10
6-	ikIr f'kdk;rs ,o mudk fujkdj.k dh fLFkfr	13
7-	ipkj&ilkj	46
8-	e-i-jkT; [kk| vk;kx dh leh{kk cBd	50
9-	vk;kx dh ftyk & Lrjh; cBds ,o fujh{k.k	66
10-	ftyk & e.Myk	68
11-	ftyk & fM.Mkjh	72
12-	ftyk & fofn'kk	76
13-	ftyk & xuk	80
14-	ftyk & ';kijdyk	83
15-	ftyk & ckyk?kkV	88
16-	ftyk & f'koijh	91
17-	ftyk & Nrjij	96
18-	ftyk & nokl	98
19-	ftyk & cjgkuij	103
20-	ftyk & [k.Mok	106
21-	ftyk & [kjxku	110
22-	ftyk & nfr;k	114
23-	ftyk & fHk.M	117
24-	ftyk & Vhdex<	119
25-	ftyk & ujflgij	121
26-	ftyk & jktx<	124
27-	ftyk & jk;lu	127
28-	ftyk & uhep	129
29-	ftyk & enlkj	134
30-	ftyk & fuokMh	138
31-	ftyk & fNUnokMk	141
32-	ftyk & flouh	147
33-	ftyk & cry	152
34-	jkT; 'kklu dks if"kr vu'klk,s ¼o"k 2019&20½	157
35-	ifjf'k"V ^^d^^ ¼o"k 2017&18½	171
36-	ifjf'k"V ^^[k^^ ¼o"k 2018&19½	192
37-	vk;kx ds le{k fopkjk/khu idj.k	202

1. आयोग का गठन, उद्देश्य और कार्यप्रणाली

vk;ksx dk xBu

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 16 के अंतर्गत राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मानीटर करने और उसका पुनर्विलोकन करने के प्रयोजन से राज्य खाद्य आयोग के गठन का प्रावधान है। मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ–7–35–2013–उन्तीस–1, दिनांक 11 अप्रैल, 2017 द्वारा मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) की धारा 40 की उपधारा (1) तथा (2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्य प्रदेश शासन ने अधिसूचना क्रमांक एफ 7–12/2016/उन्तीस–1, दिनांक 17 मई, 2017 द्वारा ''मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2017'' जारी किया गया है। इस नियम के खण्ड 2 (च) में ''मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग'' को परिभाषित किया गया है। आयोग ने दिनांक 22 जुलाई, 2017 से भोपाल में कार्य करना प्रारम्भ किया।

dk;ky; & आयोग का कार्यालय ''बी''–विंग, अपर बेसमेंट, सतपुड़ा भवन, भोपाल में स्थित है। आयोग के कार्यालयीन दूरभाष क्रमांक 0755–2556761 तथा 2556762 है। आयोग का e-mail पता foodcommission@mp.gov.in है। आयोग की वेबसाइट www.mpsfc.mp.gov.in पर प्रदर्शित है। खाद्य आयोग के कार्य दिवस एवं कार्यालय की समयावधि राज्य सरकार के कार्य दिवस एवं कार्यालयों की समयावधि के अनुरुप ही है।

vk;ksx ds xBu dk mnns';

राज्य खाद्य आयोग को प्रदेश में संचालित चार मुख्य योजनाओं यथा– 1. लक्षित सार्वज. निक वितरण प्रणाली, 2. पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, 3. मध्यान्ह भोजन एवं 4. मातृत्व कल्याण योजना (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) के मूल्यांकन एवं समीक्षा का दायित्व सौंपा गया है। आयोग इन योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित जन सामान्य से प्राप्त शिकायतों और स्व–प्रेरणा से भी शिकायत की जांच कर सकता है। इन योजनाओं को और बेहतरीन ढंग से संचालन के लिये राज्य शासन एवं स्थानीय निकायों को सलाह देना भी आयोग के कार्यक्षेत्र में शामिल है। योजनाओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निराकरण करने के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर को जिला शिकायत निवारण प्राधिकारी घोषित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति या हितग्राही जिला शिकायत निवारण प्राधिकारी के आदेश से व्यथित होता है, तो वह आयोग को अपील कर सकता है।

jk"Vªh; [kk| lqj{kk vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 3] 4] 5] 6 ds vrxZr fgrxzkfg;ksa dks [kk| lqj{kk ds fy;s fuEukuqlkj vf/kdkj fn;s x;s gSa %–

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र परिवारों के व्यक्तियों द्वारा सहायता प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार,

- गर्भवती स्त्रियों, स्तनपान कराने वाली माताओं एवं 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों तथा कुपोषित बच्चों को पोषाहार सहायता,
- 14 वर्ष से कम उम्र के विद्यालय जाने वाले बालकों को पोषणीय सहायता–मध्यान्ह भोजन,
- गर्भवती स्त्री को मातृत्व कल्याण योजना (प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विहित प्रसूति लाभ के रूप में रुपये 6000/– दिये जाने का प्रावधान।
- इन योजनाओं के अन्तर्गत बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं तथा विद्यार्थियों को निम्नानुसार लाभांवित किया जा रहा है:–

yf{kr lkoZtfud forj.k iz.kkyh

- अन्त्योदय अन्न योजना के प्रत्येक सात सदस्य तक के परिवार को 35 किलो खाद्यान्न, सात सदस्य से अधिक प्रत्येक सदस्य को 5 किलो खाद्यान्न प्रति सदस्य के मान से अतिरिक्त रूप से दिये जाने की व्यवस्था है।
- प्रत्येक प्राथमिकता श्रेणी के परिवार जिसमें बीपीएल श्रेणी भी सम्मिलित है, को प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न दिये जाने की व्यवस्था है।
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक पात्रताधारी सदस्य को गेहूँ, चावल, मोटा अनाज एवं नमक एक रुपये प्रति किलो दिया जा रहा है।

e/;kUg Hkkstu dk;Øe

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के तहत प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के छात्र/छात्राओं को निम्नानुसार गर्म भोजन देने का प्रावधान है %&

Ø-	'kkyk dk Lrj	[kk|kUé dh ek=k izfr Nk=	ÅtkZ ¼dSyksjh esa½	Hkkstu idkus dh ykxr jkf'k izfr fnol ¼#i;s esa½		dqy ¼24-6-19 ls ykxw½
				dsUnzka'k	jkT;ka'k	
1	प्राथमिक	100 ग्राम	450	2.69	1.79	4.48
2	माध्यमिक	150 ग्राम	700	4.03	2.68	6.71

ijd iks"k.k vkgkj dk;Øe

- 01 अप्रैल 2018 से आंगनवाड़ी केन्द्रों में 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती, धात्री माताओं एवं किशोरी बालिका योजनांतर्गत किशोरी बालिकाओं को प्रदायित पूरक पोषण आहार की मात्रा एवं दर निम्नानुसार निर्धारित की गयी है :–

Ø-	iox	iujhf{kr nj	Hkkstu dk idkj	ikVhu ¼xke e½	dyksjh ¼fd-dyksjh e½
1.	बच्चे (06 माह से 03 वर्ष तक)	रु. 8.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन	टेक होम राशन	12–15 ग्राम	500 कैलोरी
2	बच्चे (03 वर्ष से 06 वर्ष तक)	रु. 8.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन	आंगनवाड़ी केन्द्र पर नाश्ता व गर्म भोजन	12–15 ग्राम	500 कैलोरी
3	गंभीर कुपोषित बच्चे (06 माह से 06 वर्ष तक)	रु. 12.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन	टेक होम राशन (थर्ड मील के साथ)	20–25 ग्राम	800 कैलोरी
4	गर्भवती/धात्री माताएं	रु. 9.50 प्रति महिला प्रतिदिन	टेक होम राशन	20–25 ग्राम	600 कैलोरी
5	किशोरीबालिका योजनान्तर्गत	रु. 9.50 प्रति महिला प्रतिदिन	आं. केन्द्र पर नाश्ता व गर्म भोजन	15–20 ग्राम	500 कैलोरी

ekr`Ro dY;k.k ¼iz/kkuea=h ekr` oanuk ;kstuk½

सम्पूर्ण प्रदेश में 01.01.2017 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू की गयी है। योजना अतर्गत परिवार में प्रथम प्रसव के लिये गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को मजदूरी हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति, गर्भावस्था के दौरान अच्छे खान–पान एवं सुरक्षित प्रसव के लिये योजनांतर्गत रुपये 5000/– तीन किश्तों में दिये जाने का प्रावधान है। आंगनवाड़ी केन्द्र में गर्भवस्था के पंजीयन के तत्काल बाद फार्म 1A में आवेदन करने पर प्रथम किश्त के रुप में रुपये 1000/–, प्रथम प्रसव पूर्व जांच होने एवं गर्भावस्था के 6 माह पश्चात फार्म 1B में आवेदन करने पर द्वितीय किश्त के रुप में रुपये 2000/– तथा प्रसव के पश्चात शिशु के जन्म का पंजीकरण होने एवं प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने पर रुपये 2000/– तृतीय किश्त के रुप में दिये जाने का प्रावधान है। यह राशि महिलाओं के बैंक/पोस्टआफिस के खाते में जमा कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त संस्थागत प्रसव कराने पर जननी सुरक्षा का लाभ रु.1000 पृथक से देय होता है।

vk;ksx dh dk;Zi.kkyh

खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 16 (6) के अंतर्गत राज्य खाद्य आयोग अग्रलिखित कृत्यों को अपने हाथ में लेगा, अर्थात्

(क) राज्य के सबंध में, इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मानीटर करना और उसका मूल्यांकन करना,

(ख) अध्याय 2 के अधीन उपबन्धित हकदारियों के उल्लंघनों की, स्व–प्रेरणा से या शिकायत के प्राप्त होने पर जांच करना,

(ग) इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये राज्य सरकार को सलाह देना,

(घ) व्यक्तियों को इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट उनकी हकदारियों तक पूर्ण पहुंच बनाने के लिये समर्थ बनाने के संबंध में खाद्य और पोषण संबंधी स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये राज्य सरकार, सुसंगत सेवाओं के परिदान में अंतर्वलित उसके अभिकरणों, स्वायत्त निकायों और गैर–सरकारी संगठनों को सलाह देना,

(ड.) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना,

(च) वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, जो राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान–मण्डल के समक्ष रखी जायेगी।

2. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति

राज्य शासन द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 20) की धारा 16 की उपधारा (1) एवं (2) सह पठित मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2017 के अध्याय 5 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों को राज्य खाद्य आयोग में अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य–सचिव एवं प्रशासकीय अधिकारी के रुप में नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक की अवधि के लिये नियुक्त किया गया है :–

Ø-	inkf/kdkjh dk uke ,o irk	inuke	'kklu }kjk tkjh fu;qfDr vkns'k Ø- ,o fnukd	inxg.k fnukd
1	श्री राजकिशोर स्वाई, बंगला नं. 04, बुलमदर फार्म के सामने, केरवा डेम रोड, ग्राम मेंडोरी, भोपाल	अध्यक्ष	एफ 7–35–2013 –29–1, दिनांक 20 जुलाई, 2017	22 जुलाई, 2017 से निरंतर
2.	श्री किशोर खण्डेलवाल, म.नं. ए–108 शंकराचार्य फ्लॉवर सिटी, कटारा हिल्स, भोपाल	सदस्य	एफ 7–35–2013 –29–1, दिनांक 20 जुलाई, 2017	25 जुलाई, 2017 से निरंतर
3.	श्री गोरेलाल अहिरवार, बी–5, लक्ष्मी परिसर, नियर बेस्ट प्राइज, मेन रोड, करोंद, भोपाल	सदस्य	एफ 7–35–2013–29–1, दिनांक 31.07.2017	03 अगस्त, 2017 से निरंतर
4.	श्री बीरसिंह चौहान, म.नं. ए–121 शंकराचार्य फ्लॉवर सिटी, कटारा हिल्स, भोपाल	सदस्य	एफ7–35–2013–29–1, दिनांक 29.07.2017	03 अगस्त, 2017 से निरंतर
5.	श्रीमती स्नेहलता उपाध्याय, म.नं. ए–107 शंकराचार्य फ्लॉवर सिटी, कटारा हिल्स, भोपाल	सदस्य	एफ7–35–2013–29–1, दिनांक 29.07.2017	09 अगस्त, 2017 से निरंतर
6.	श्रीमती दुर्गा डावर, एचआईजी 1/9, कनुप्रिया नगर, राऊ, इंदौर	सदस्य	एफ 7–35–2013 –29–1, दिनांक 20 जुलाई, 2017	25 सितंबर, 2017 से निरंतर
7.	श्री कवीन्द्र कियावत ,भा.प्र..से. ई–2/287, अरेरा कालोनी, भोपाल	सदस्य सचिव	ई–1/322/2019/5/एक दि. 23.07.2019	01 अगस्त, 2019 से 02 मई, 2020 तक

[kk| vk;kx d lnL;k dk dk;{k= dk vkoVu

मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का कार्य प्रदेश में संचालित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम एवं मातृत्व कल्याण योजना (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) की सतत् समीक्षा एवं मूल्यांकन करना है। इन कार्यक्रमों से संबंधी शिकायतों का निराकरण कराना एवं जिला शिकायत निवारण प्राधिकारी के आदेश से व्यथित हितग्राही की अपील सुनना एवं उसका निराकरण कराना भी आयोग के प्रमुख कर्तव्यों में शामिल हैं। योजना के सफल संचालन में राज्य शासन के अलावा जन प्रतिनिधि, जिला प्रशासन के अधिकारी एवं स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पात्र हितग्राही की पहचान तथा उन्हें अधिनियम द्वारा दिए गए कानूनी हक दिलाने के लिए उपरोक्त सभी स्टेक होल्डर्स का सकारात्मक दृष्टिकोण होना आवश्यक है। ग्रामों एवं शहरी बस्तियों में सेवा प्रदाय करने वाले शासकीय अधिकारी की समझ एवं उनकी तत्परता पर भी कार्यक्रम की सफलता निर्भर करती है। योजना के मूल्यांकन के समय हितग्राहियों की संतुष्टि के बारे में जानकारी प्राप्त करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। चूंकि ये सभी कार्यक्रम व्यापक स्तर के हैं और प्रदेश के सभी ग्रामों एवं शहरी बस्तियों में संचालित हो रहे हैं, इसलिये योजनाओं का निरीक्षण किए बिना, हितग्राहियों तथा अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा किए बिना योजनाओं का मूल्यांकन होना संभव नहीं है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोग द्वारा कार्यालयीन आदेश क्र 288/खाद्य आयोग/2017, दिनांक 16.11.2017 के द्वारा राज्य खाद्य आयोग में पदस्थ पांच सदस्यों के मध्य संभाग एवं जिलों का आवंटन अग्रानुसार किया गया है :–

Ø-	lnL; dk uke	vkofVr lHkkx	vkofVr ftys dk uke
1.	श्रीमती दुर्गा डावर	जबलपुर, होशंगाबाद	जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मण्डला, डिंडोरी तथा होशंगाबाद, बैतूल एवं हरदा।
2.	श्री किशोर खण्डेलवाल	उज्जैन, चम्बल	उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच तथा मुरैना, भिण्ड एवं श्योपुरकलां
3.	श्रीमती स्नेहलता उपाध्याय	इंदौर, ग्वालियर	इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खण्डवा, बुरहानपुर, तथा ग्वालियर, गुना, अशोक नगर, शिवपुरी एवं दतिया
4.	श्री गोरेलाल अहिरवार	सागर, शहडोल	सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना तथा शहडोल, उमरिया एवं अनूपपुर
5.	श्री बीरसिंह चौहान	भोपाल, रीवा	भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा तथा रीवा, सतना, सीधी, एवं सिंगरौली

3. राज्य खाद्य आयोग के स्वीकृत एवं भरे पदों की जानकारी

Ø-	inuke	Lohd'r ink dh l[;k	Hkjs ink dh l[;k	fjekØ
1.	अध्यक्ष	1	1	अपर मुख्य सचिव स्तर के सेवा निवृत्त अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी।
2.	सदस्य	5	5	एक–से.नि. सत्र न्यायाधीश, एक पूर्व विधायक तथा तीन–अन्य सामाजिक कार्यकर्ता।
3.	सदस्य सचिव	1	1	म.प्र. सामान्य प्रशाासन विभाग से पदस्थ सचिव स्तर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी।
4.	प्रशासकीय अधिकारी	1	1	म.प्र.शासन, खाद्य विभाग से सहायक संचालक स्तर के अधिकारी।
5	निज सचिव	6	1	आउटसोर्स से अनुबंध आधार पर नियुक्त से.नि. कर्मचारी।
6	निज सहायक	6	0	–
7	स्टेनोग्राफर	4	1	आउटसोर्स से अनुबंध आधार पर नियुक्त से.नि. कर्मचारी।
8	लेखापाल	1	1	आउटसोर्स से अनुबंध आधार पर नियुक्त से.नि. कर्मचारी।
9	असिस्टेन्ट	2	0	–
10	स्टेनोटायपिस्ट	1	0	–
11	रीडर	2	0	–
12	रिकार्ड कीपर	1	1	आउटसोर्स से अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारी
13	सहायक ग्रेड 3	10	3	आउटसोर्स से अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारी
14	वाहन चालक	05	0	–
15	भृत्य	15	3	आउटसोर्स से अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारी

–

ukV %& jkT; 'kklu d vkn'k Øekd ,Q 7&35¼3&2½@2013@29&1] fnukd 14 fnlcj] 2018 }kjk iol l Lohd'r v/;{k ,o lnL;k dk NkMdj mDr in lftr fd; x; g A

वर्ष 2018–19 में 31 मार्च, 2019 तक प्राप्त बजट आवंटन एवं व्यय की जानकारी

[kk| vk;kx dk ikIr ctV fLFkfr i=d foRrh; o"kZ 18&19¼ch-lh-vk- dkM 2904½

ekx l[;k 39& eq[; 'kh"kZ gM&2408] lce[; 'kh"kZ gM&01] y?kq 'kh"kZ gM&001] Ldhe ¼;kstuk½ 1921] flxeV 0101] pkyw okVM] vkcVu dkM&11]12]21]22]31]63 ,oa flxeV 9999 ds vkcVu dkM 16

(39—2408—01—001—0101—1921—000)(39—2408—01—001—9999&1921&000½

¼;kstuk Ø- 1921&e-iz- jkT; [kk| vk;kx dk xBu½

ctV en ,oa ;kstuk dk uke 11 osru HkRrs		vkoVu	foRrh; o"kZ esa fd, x, iqufoZfu;kstu	foRrh; o"kZ esa ch-lh-vks- dks miyC/k dqy ctV	foRrh; o"kZ esa dqy 0;; 31-03-2019
1	2	3	4	5	6
001	वेतन	7000000	–5255000	1745000	0
003	मंहगाई भत्ता	700000	0	700000	0
004	वाहन भत्ता	20000	0	20000	0
006	मकान किराया भत्ता	150000	0	150000	0
007	नगर क्षतिपूर्ति भत्ता	0	0	0	0
008	अन्य भत्ते	260000	0	260000	0
009	चिकित्सा व्यय	110000	0	110000	84459
010	अवकाश यात्रा सुविधा	0	0	0	0
011	त्यौहार अग्रिम	0	0	0	0
016	अनाज अग्रिम	0	0	0	0
018	चिकित्सा अग्रिम	0	0	0	0
028	मंहगाई वेतन (ग्रेड पे)	1000	0	1000	0
;ksx	mnns'; 11	8241000	&5255000	2986000	84459
	12– मजदूरी	25000	0	0	0
	16 वेतन भत्ते				
001	वेतन	100	2000000 –22000	1978100	1844400
003	मंहगाई भत्ता	100	140000 22000	162100	162004
006	मकान किराया भत्ता	100	315000	315100	280200
009	चिकित्सा व्यय	100	100000	100100	17157
	;ksx mnns'; &16	400	2555000	2555400	2303761

ctV en ,o ;ktuk dk uke					
11 oru HkRr		vkoVu	foRrh; o"k e fd, x, iufofu;ktu	foRrh; o"k e ch- lh-vk- dk miyC/k dy ctV	foRrh; o"k e dy 0;; 31-03-2019
	21 यात्रा भत्ता				
001	यात्रा भत्ता	120000	0	120000	114461
002	स्थानांतरण यात्रा हेतु	100	200000	200100	173865
	;kx mnn'; &21	120100	200000	320100	288326
	22 कार्यालय व्यय				0
001	डाक एवं तार व्यय	120000	0	120000	0
002	दूरभाष व्यय	175000	0	175000	85649
003	फर्नीचर एवं उपकरण	3597000	0	3597000	405200
004	पुस्तकें एवं नियतकालीन पत्रिकाएं	25000	0	25000	3810
005	बिजली एवं जल प्रभार	250000	0	250000	0
006	वर्दियां	7000	0	7000	0
007	लेखन सामग्री एवं फार्म	250000	0	250000	211306
008	अन्य आकस्मिक व्यय	250000	0	250000	37506
009	पेट्रोल, तेल आदि	250000	0	250000	101747
010	आतिथ्य व्यय	250000	0	250000	6391
013	कार्यालय उपकरणों का क्रय	400000	0	400000	13500
	;kx mnn'; &22	5574000	0	5574000	865109
	31 व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगी				0
002	परामर्श सेवाएं	25000	0	25000	0
003	अभिभाषकों की फीस	25000	0	25000	0
004	विशेष सेवाओं के लिये मानदेय	4640000	2500000	7140000	6311005
006	सफाई व्यवस्था	125000	0	125000	19000
007	परिवहन व्यवस्था	900000	0	900000	655305
010	अन्य	225000	0	225000	78000
	;kx mnn'; &31	5940000	2500000	8440000	7063310
	63 –मशीने और संयंत्र				
001	मशीने और संयंत्र	100000	0	100000	0
	;kx ;ktuk &1921	2]00]00]500	0	2]00]00]500	1]06]04]965

वर्ष 2019-20 में प्राप्त बजट - आवंटन एवं 29.02.2020 तक व्यय की जानकारी-

खाद्य आयोग को प्राप्त बजट स्थिति पत्रक वित्तीय वर्ष 19—20 ¼ch-lh-vk- dkM 2904½

मांग संख्या 39— मेजर हेड—2408, सबमेजर हेड—01, माइनर हेड—001, स्कीम (योजना) 1921, सिगमेंट 0101, चार्ज वोटेड, आब्जेक्ट कोड—11,12,21,22,31,63 एवं सेगमेंट 9999 के आब्जेक्ट कोड 16

¼;kstuk Ø- 1921&e-i- jkT; [kk| vk;ksx dk xBu½

ctn en ,oa ;kstuk dk uke			foRrh; o"kZ esa fd, x, iqufoZfu;kstu	foRrh; o"kZ esa ch-lh-vk- dk miyC/k dqy ctV	foRrh; o"kZ esa dqy 0;; 29-02-2020
11 osru HkRrs		vkoaVu			
1	2	3	4	5	6
001	वेतन	6807000	0	6807000	1307500
003	मंहगाई भत्ता	1018000	0	1018000	62400
004	वाहन भत्ता	45000	0	45000	0
006	मकान किराया भत्ता	680000	0	680000	252000
007	नगर क्षतिपूर्ति भत्ता	0	0	0	0
008	अन्य भत्ते	2000	0	2000	0
009	चिकित्सा व्यय	150000	0	150000	4815
010	अवकाश यात्रा सुविधा	0	0	0	0
011	त्यौहार अग्रिम	0	0	0	0
016	अनाज अग्रिम	0	0	0	0
018	चिकित्सा अग्रिम	150000	0	150000	0
028	मंहगाई वेतन (ग्रेड पे)	1000	0	1000	0
;ksx	mn~ns'; 11	8853000	0	8853000	1626715
	12& etnwjh	25000	0	0	0
	16 osru HkRrs				
001	वेतन	1242000	241200	1483200	1270800
003	मंहगाई भत्ता	186000	88000	275000	238962
006	मकान किराया भत्ता	189000	119000	70000	0
009	चिकित्सा व्यय	60000		60000	0
	;ksx mn~ns'; &16	1677000	211200	1888200	1509762
	21 ;k=k HkRrk				
001	यात्रा भत्ता	109000	90000	199000	154848

ctn en ,o ;kstuk dk uke			foRrh; o"kZ esa fd, x, iqufoZfu;kstu	foRrh; o"kZ esa ch-lh-vks- dks miyC/k dqy ctV	foRrh; o"kZ esa dqy O;; 29-02-2020
11 osru HkRrs		vkoaVu			
002	स्थानांतरण यात्रा हेतु	102000		102000	0
	;ksx mi’kh"kZ &21	211000	90000	301000	154848
	22 dk;kZy; O;;				
001	डाक एवं तार व्यय	10000	0	10000	2600
002	दूरभाष व्यय	175000	0	175000	91697
003	फर्नीचर एवं उपकरण	3597000	0	3597000	2713159
004	पुस्तकें एवं नियतकालीन पत्रिकाएं	20000	0	20000	210
005	बिजली एवं जल प्रभार	250000	0	250000	168960
006	वर्दियां	7000	0	7000	0
007	लेखन सामग्री एवं फार्म	270000	0	270000	30716
008	अन्य आकस्मिक व्यय	250000	0	250000	100949
009	पेट्रोल, तेल आदि	250000	–90000	160000	67387
010	आतिथ्य व्यय	250000	0	250000	10517
013	कार्यालय उपकरणों का क्रय	400000	0	320000	25000
	;ksx mi’kh"kZ &22	5479000	&90000	5309000	3211195
	23–वाहन क्रय	1000	0	800	0
	31 व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगी				
002	परामर्श सेवाएं	23000	0	18400	0
003	अभिभाषकों की फीस	23000	0	18400	0
004	विशेष सेवाओं के लिये मानदेय	6500000	0	5200000	4042709
006	सफाई व्यवस्था	125000	0	100000	16500
007	परिवहन व्यवस्था	900000	0	720000	502885
010	अन्य	205000	0	164000	112867
	;ksx mi’kh"kZ &31	7776000	0	6220800	4674961
	63 &e’khusa vkSj l;a=k				
001	मशीने और संयंत्र	1000	0	800	0

ctn en ,oa ;kstuk dk uke			foRrh; o"kZ esa fd, x, iqufoZfu;kstu	foRrh; o"kZ esa ch-lh-vk- dks miyC/k dqy ctV	foRrh; o"kZ esa dqy O;; 29-02-2020
11 osru HkRrs		vkoaVu			
9999	16 osru HkRrs				
001	वेतन	828000	–211200	616800	616800
003	मंहगाई भत्ता	124000		124000	86352
006	मकान किराया भत्ता	126000		126000	98688
009	चिकित्सा व्यय	40000		40000	7674
	;ksx mnn~'; &16	1118000	–211200	906800	809514
	21 ;k=k HkRrk				
001	यात्रा भत्ता		0	0	0
002	स्थानांतरण यात्रा हेतु	80000		80000	0
	;ksx mnn~'; &21	80000	0	80000	0
	;ksx ;kstuk &1921	2]52]21]000	0	2]35]85]400	1]19]86]995

वर्ष 2019-20 में आयोग को प्राप्त शिकायतें एवं उनके निराकरण की स्थिति

Ø	f'kdk;r dh fnukad	f'kdk;r drk dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdl dk tkp d fy, Hkstk	ikyu dh fLFkfr
1	2	3	4	5	6
1	11.01.2019	म.प्र. लोक सहभागी साझा मंच, भोपाल।	रतलाम जिले में भूख सहन न होने पर बच्चे द्वारा जहर पीने के संबंध में।	कलेक्टर रतलाम को	कलेक्टर रतलाम के पत्र क्र. 1 खाद्य 2019, दि.1.1.2019 से शिकायत का निराकरण होने का उल्लेख किया गया है। पत्र में जिसमें बताया गया है कि बच्चे की मृत्यु भूख से नही हुई है।
2	25.02.2019	अशोक सम्राट राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति, जिला गुना	गुना जिले कि 09 पंचायतो को एक ही दुकान से खाद्यान्न वितरण होने के संबंध में।	कलेक्टर गुना को पत्र क्र. 189.25.02.2019 को प्रेषित।	जि.आ.अधि. गुना के पत्र क्र. 714 दि. 29.04.2019 के अनुसार प्रकरण मान. उच्च न्यायलय में विचाराधीन है। निर्णय आने के बाद तद्‌नुसार कार्यवाही की जा सकती है।
3	13.02.2019	चन्दकंला पटेल पिता कल्लूलाल पटेल, ग्राम पोस्ट मुनु, थाना मोहगांव जिला – मण्डला।	म.प्र. राज्य खाद्य आयोग की जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायत के संबंध में।	कलेक्टर मण्डला को	मु. का. अधि. जि.प. मण्डला के पत्र क्र. 4144 दि.19.03.2019 से लेख किया है कि शिकायत की जांच कराई गई, शिकायत निराधार एवं असत्य पाई गयी।
4	02.05.2019	श्रीमती विमला देवी पति स्व. छोटे सिंह, विक्रमपुरा, जिला – भिण्ड	शिकायतकर्ता को निराश्रित कार्डधारी होने से उसे वर्ष 1996 तक 5 किलो प्रति माह खाद्यान्न प्राप्त होता था किन्तु हितग्राही को अगस्त 1996 से फरवरी 2018 तक का खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो रहा हैं।	कलेक्टर भिण्ड को पत्र क्र. 336 दिनांक 05.05.2019 द्वारा।	कलेक्टर भिण्ड से प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार हितग्राही वर्ष 1996 के पूर्व निराश्रित पेंशनधारी थी, जिसे शासन से पात्रतानुसार प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न दिया जाता था। बाद में शासन द्वारा योजना बंद कर देने के बाद मार्च, 2018 से बीपीएल योजनांतर्गत कार्ड जारी किया गया जिसके अनुसार अब खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है।

Ø	f'kdk;r dh fnukd	f'kdk;r drkZ dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdl dk tkap ds fy, Hkstk	ikyu dh fLFkfr
5	04.07. 2019	दिनांक 04. 07.2019 के दैनिक भास्कर में प्रकाशित, बुरहानपुर की खबर।	नेटवर्क न मिलने के कारण पीओएस मशीन का न चलना एवं झिरपांजरिया गांव की राशन की दुकान में पिछले एक साल से पीओएस से राशन वितरण परन्तु नेटवर्क नहीं मिलने से सेल्समैन को घण्टों छत पर बै. ठना पड़ता है। जिले में 130 में से 40 से ज्यादा दुकानें दुर्गम क्षेत्र में है।	कलेक्टर बुरहानपुर को पत्र क्र. 598 दिनांक 04.07. 2019 द्वारा।	झिरपांजरिया शा उ.मु.दुकान पर नेटवर्क की समस्या के कारण राशन सामग्री का वितरण प्रति माह ऑफलाईन मोड में समग्र के माध्यम से दुकान से ही किया जा रहा है। नेटवर्क की समस्या होने से 40 दुकानों से आफ लाईन मोड में खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था की गई है।
6	30.07 .2019	श्रीमती वैजन्ती शाक्य, वार्ड पार्षद 30, शिवपुरी	शिवपुरी नगर पालिका वार्ड क्र. 30 के कन्हैयालाल शाक्य तथा संजय खटीक को कूपन पर्ची नहीं मिलने की शिकायत के साथ संलग्न परिशिष्ट में दिनेश खटीक के दस्तावेज दिये गये हैं, संजय के दस्तावेज संलग्न नहीं थे।	कलेक्टर शिवपुरी को पत्र क्र. 948 दिनांक 24.09. 2019 द्वारा।	संचालक, खाद्य का पत्र क्रमांक 770 दिनांक 2.02.2020 के अनुसार कन्हैयालाल शाक्य को पात्रता पर्ची जारी करने हेतु डीएसओ लॉग–इन से स्वीकृत किया गया। दिनेश खटीक का नाम एनएफएसए पोर्टल पर प्रदर्शित होना शेष है। संचालनालय स्तर से पात्रता पर्ची जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
7	01.10. 2019	डा. अरविंद सिंह भदौरिया, विधायक अटेर, भिण्ड	श्रीराम स्व सहायता समूह परियाया के सेल्समैन के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही करने के संबंध में।	कलेक्टर भिण्ड को पत्र क्र. 1007 दिनांक 05.10. 2019 द्वारा।	जिला आ. अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि श्री राम स्व. सहायता समूह को आवंटित दुकान निलंबित कर दी गयी है। आदेश से व्यथित होकर संस्था द्वारा न्यायालय कलेक्टर, कोर्ट में अपील की गयी जो कि लंबित है।

Ø	f'kdk;r dh fnukd	f'kdk;r drk dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdldk tkp d fy, Hkstk	ikyu dh fLFkfr
8	01.10. 2019	डा. अरविंद सिंह भदौरिया, विधायक अटेर, भिण्ड	सेवा सहकारी संस्था नावली वृन्दावन के विक्रेता शिवकुमार शर्मा से नावली, खैराट एवं कनेरा की पीओएस मशीन वापिस लेने के निर्देश का पालन न करते हुए एसडीएम अटेर द्वारा उक्त आरोपी संस्था को खरिका एवं अहरोलीघाट दुकान सौंपने की शिकायत।	कलेक्टर भिण्ड को पत्र क्र. 1007 दिनांक 05.10. 2019 द्वारा।	जि. आ. अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार दोषी विक्रेता शिवकुमार शर्मा को आदेश क्रमांक 19 दिनांक 29.08.2019 को निलंबित किया गया। एसडीएम ने यह माना की दोषी विक्रेता है न कि संस्था अतः इस संस्था पर अन्य दो दुकान खरिका एवं अहरौली घाट संलग्न की गई। वर्तमान में संस्था द्वारा 7 दुकानें दोषी विक्रेता के स्थान पर अन्य विक्रेताओं द्वारा संचालित की जा रही है।
9	01.10. 2019	डा. अरविंद सिंह भदौरिया, विधायक अटेर, भिण्ड	श्रीकृष्ण स्व सहायता समूह जलुआपुरा को तीन माह का खाद्यान्न वितरण नहीं करने की जांच के संबंध में।	कलेक्टर भिण्ड को पत्र क्र. 1007 दिनांक 05.10. 2019 द्वारा।	जांच में शिकायत सही पाई गई, विक्रेता द्वारा दो माह का राशन वितरित नहीं किया गया था, इस कारण समूह को आवंटित उ.मू.दुकान निलंबित की गई। इस आदेश से व्यथित होकर विक्रेता द्वारा मान. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर में WP/24443/ 2019 याचिका दायर की है, जो प्रचलन में है।
10	01.10. 2019	डा. अरविंद सिंह भदौरिया, विधायक अटेर, भिण्ड	विधायक, अटेर द्वारा गांव हमीरपुरा पंचायत परियाया के 13 बीपीएल कार्ड धारियों को 2 वर्ष से पात्रता पर्ची जारी नहीं करने के संबंध में।	कलेक्टर भिण्ड को पत्र क्र. 1007 दिनांक 05.10. 2019 द्वारा।	जि. आपूर्ति अधिकारी के अनुसार 12 बीपीएल कार्डधारी परिवारों का सत्यापन माह फरवरी 2020 में करा दिया गया है। पात्रता–अपात्रता की जांच का कार्य प्रचलन में होने के कारण डाटा एनआईसी भोपाल द्वारा फ्रीज कर दिया गया है, इस कारण वर्तमान में पात्रता पर्ची जारी नहीं हो रही है।
11	03.10. 2019	न्यूज हिन्दी में प्रकाशित खबर दिनांक 01.10. 2019, जि. बड़वानी	समाचार पत्र में छपी खबर ''कई दिनों से भूखा था, परिवार परिजन बोले बड़वानी में आठ साल के बच्चे की मौत''।	कलेक्टर बड़वानी को पत्र क्र. 997 दिनांक 03.10. 2019 द्वारा।	प्रकरण में बड़वानी सीएमएचओ ने डिहाईड्रेशन से शरीर में पानी की अधिक कमी होने के कारण मृत्यु होना प्रतिवेदित किया है। अनुवि. अधि. सेंधवा द्वारा जारी आदेश दि. 30.11.19 के पालन में श्री रतन/वेरसिंह के परिवार को शा. योजनाओं का लाभ दिलाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

Ø	f'kdk;r dh fnukd	f'kdk;r drk dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdl dk tkp d fy, Hkstk	ikyu dh fLFkfr
12	20.09. 2019	मंगलमू पवार, प्रदेश उपाध्यक्ष म.प्र. विमुक्त एवं घुमक्कड प्रकोष्ठ।	झिरन्या में पदस्थ खाद्य निरीक्षक, झिरन्या में नहीं रहते है जिससे सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का उचित प्रकार क्रियान्वयन नहीं हो रहा है।	कलेक्टर खरगोन को पत्र क्र. 935 दिनांक 20.09. 2019 द्वारा।	जि. आ. अधि. खरगोन के आदेश क्र. 1624 दि. 26.09.19 द्वारा क. आपूर्ति. अधि. श्री अमिताभ शुक्ला का मुख्यालय झिरन्या कर उन्हें मुख्यालय पर निवास करने हेतु आदेशित किया है।
13	04.11. 2019	म.प्र.लोक सहभागी साझा मंच, भोपाल	श्रीमती हंसलीबाई कनाड़े ने शिकायत की कि उनके पुत्र श्री सुखदेव कनाडे निवासी भोपाल के नाम जारी बीपीएल कार्ड दो सदस्यों का है उन्हें मार्च 2019 से राशन नहीं मिला है।	कलेक्टर भोपाल को पत्र क्र. 1191 दिनांक 04.11. 2019 द्वारा।	जिला आ. नियंत्रक भोपाल ने जानकारी दी कि श्री कनाड़े को माह जून, 2019 तक खाद्यान्न दिया गया है। इसके पश्चात श्री कनाडे की आईडी सायलेंट परिवार की सूची में आ जाने से खाद्यान्न आवंटन दिखाई नहीं देने से हितग्राही को राशन प्रदाय नहीं हो पाया है। आईडी क्र. 35909551 को आवंटन जारी करने की कार्यवाही संचालक, खाद्य स्तर पर प्रक्रियाधीन है।
14	04.11. 2019	म.प्र.लोक सहभागी साझा मंच, भोपाल	जिला शिवपुरी में गरीबी रेखा का कार्ड होने के बाद भी सहरिया आदिवासी परिवारों को खाद्यान्न न मिलना।	कलेक्टर शिवुपरी को पत्र क्र. 1189 दिनांक 04.11. 2019 द्वारा।	दि. 11.04.2020 के जिला आपूर्ति अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार शिकायत में उल्लेखित 46 में से 39 को खाद्यान्ना प्राप्त हो चुका है। 7 परिवार अपात्र है।
15	04.11. 2019	म.प्र.लोक सहभागी साझा मंच, भोपाल	श्रीमती मधुदेवी कौल जवा ब्लाक, जिला रीवा, को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत सहायता राशि का प्राप्त न होना।	कलेक्टर रीवा को पत्र क्र. 1187 दिनांक 04.11. 2019 द्वारा।	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, रीवा के प्रतिवेदन अनुसार श्रीमती मधुदेवी कौल को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनान्तर्गत आवेदन प्राप्त कर दिनांक 14.02.2020 को पोर्टल में दर्ज कराते हुए दिनांक 17.02.2020 को हितग्राही को डीबीटी के तहत बैंक खाते में भुगतान किया जा चुका है।

Ø	f'kdk;r dh fnukad	f'kdk;r drkZ dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdl dks tkap ds fy, Hkstk	ikyu dh fLFkfr
16	04.11. 2019	म.प्र.लोक सहभागी साझा मंच, भोपाल	श्री बाबू मवासी, ग्राम पडो, मझगवां, जिला सतना की 35 किलो खाद्यान्न की पात्रता पर्ची होने के बाद भी पिछले 2 वर्षों से खाद्यान्न प्राप्त नहीं होना।	कलेक्टर सतना को पत्र क्र. 1195 दिनांक 04.11. 2019 द्वारा ।	संचालक खाद्य के पत्र क्रमांक 770 दिनांक 29.02.2020 के अनुसार समग्र आईडी क्र. 40106575 का सत्यापन उपरांत पात्रता पर्ची जारी किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
17	04.11. 2019	म.प्र.लोक सहभागी साझा मंच, भोपाल	श्रीमती संतोबाई, ग्राम इमलीडोला, तह. तेन्दूखेड़ा, जिला दमोह अनु. जनजाति के आधार पर पात्रता पर्ची जारी करने की मांग की है।	कलेक्टर दमोह को पत्र क्र. 1197 दिनांक 04.11. 2019 द्वारा ।	श्री विष्णू गौड़ (संतोबाई का पिता) की परिवार समग्र आईडी 22115332 में संतोबाई का नाम दर्ज है जिसे उ.मू. दु. क्र. 1107017 से खाद्यान्न प्रदाय हो रहा है।
18	04.11. 2019	म.प्र.लोक सहभागी साझा मंच, भोपाल	श्री छोटेलाल कोल, ब्लाक जवा, जिला रीवा को जून 2017 में राशन कार्ड जारी किया गया है किन्तु पात्रता पर्ची अभी तक जारी नहीं की गयी।	कलेक्टर रीवा को पत्र क्र. 1187 दिनांक 04.11. 2019 द्वारा ।	संचालक, खाद्य के पत्र क्रमांक 770 दिनांक 29.02.2020 के अनुसार समग्र आईडी क्र. 44826793 का सत्यापन उपरांत पात्रता पर्ची जारी किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
19	04.11. 2019	म.प्र.लोक सहभागी साझा मंच, भोपाल	श्रीमती सावित्री बैगा, सोहागपुर, जिला शहडोल को बीपीएल श्रेणी का कार्ड जारी करने पर भी पात्रता पर्ची जारी नहीं होना।	कलेक्टर शहडोल को पत्र क्र. 1193 दिनांक 04.11. 2019 द्वारा ।	संचालक, खाद्य के पत्र क्रमांक 770 दिनांक 29.02.2020 के अनुसार समग्र आईडी क्र. 47295810 का सत्यापन उपरांत पात्रता पर्ची जारी किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
20	04.11. 2019	म.प्र.लोक सहभागी साझा मंच, भोपाल	श्री भूरे सिंह गौंड, ग्राम इमलीडोला, तह. तेन्दूखेड़ा, जिला दमोह के पास गरीबी रेखा कार्ड धारक होने पर भी पात्रता पर्ची प्राप्त नहीं होना।	कलेक्टर दमोह को पत्र क्र. 1197 दिनांक 04.11. 2019 द्वारा।	संचालक, खाद्य के पत्र क्रमांक 770 दिनांक 29.02.2020 के अनुसार समग्र आईडी का सत्यापन उपरांत पात्रता पर्ची जारी किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
21	04.11. 2019	म.प्र.लोक सहभागी साझा मंच, भोपाल	श्रीमती मुन्नी बैगा, सोहागपुर, जिला शहडोल अन्त्योदय श्रेणी की कार्ड धारक हैं किन्तु इन्हें जुलाई 2019 से खाद्यान्न नहीं मिल रहा है।	कलेक्टर शहडोल को पत्र क्र. 1193 दिनांक 04.11. 2019 द्वारा ।	आधार सत्यापन उपरांत हितग्राही के नामिनी को माह अक्टूबर 19 से खाद्यान्न दिया जा रहा है।

Ø	f'kdk;r dh fnukad	f'kdk;r drkZ dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdl dks tkap ds fy, Hkstk	ikyu dh fLFkfr
22	04.11. 2019	म.प्र.लोक सहभागी साझा मंच, भोपाल	श्री दुर्गा बैगा, सोहागपुर, जिला शहडोल को गरीबी रेखा के कार्ड से 35 किलो खाद्यान्न की पात्रता पर्ची होने के बाद भी अप्रैल 2018 से राशन नहीं मिल रहा है।	कलेक्टर शहडोल को पत्र क्र. 1193 दिनांक 04.11. 2019 द्वारा ।	सम्रग आई डी क्रमांक 37041410 में तकनीकी त्रुटि से पीओएस मशीन में नाम अपडेट नहीं होने से खाद्यान्न नहीं मिला। अब नवंबर 2019 से रजिस्टर से खाद्यान्न दिया जा रहा है।
23	20.11. 2019	श्रीमती चंदा बाई पति स्व. कैलाशदास ग्राम पंचायत सरोदा तहसील जावद जिला नीमच	हितग्राही के पति की मृत्यु के बाद से लगभग 1 वर्ष से राशन नहीं मिल रहा है।	संचालक, खाद्य को प्रत्र क्र 1160 दिनांक 20.11.2019 द्वारा।	संचालक, खाद्य के पत्र क्रमांक 770 दिनांक 29.02.2020 के अनुसार समग्र आईडी क्र. 25248524 का सत्यापन उपरांत पात्रता पर्ची जारी किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
24	05.02. 2020	आयोग की बैठक, जिला अलीराजपुर	ग्राम तीती में पारिवारिक एवं आपसी विवाद के कारण समूह द्वारा भोजन नहीं बनाए जाने के कारण स्व सहायता समूह का अनुबंध निरस्त कर 1,62,354 रु. की वसूली बाबत्।	कलेक्टर, अलीराजपुर पत्र क्रमांक 88 दिनांक 05.02. 2020	मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पत्र क्रमांक 2329 दिनांक 06.03.2020 के अनुसार वसूले गये रु. 1,62,354 की राशि कुल 1433 बच्चों के खाते में जमा में डी.डी/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही की गई है।
25	05.02. 2019	आयोग की बैठक, जिला मण्डला में प्राप्त शिकायत।	सुश्री मालती मेश्राम, सरपंच, ग्राम पंचायत लाठो ने बताया कि गांव की आंगनवाड़ी के लिए नाश्ता और भोजन चार किलोमीटर की दूरी से सांझा चूल्हा से लाना पड़ता है। नाश्ता/ भोजन ठण्डा हो जाता है और बच्चों के लिए रूचिकर नहीं रहता।	कलेक्टर, जिला मण्डला को पत्र क्र. 297 दिनांक 9.4.19 द्वारा।	विकासखण्ड घुघरी के ग्राम पंचायत लाठो में नाश्ता एवं भोजन उसी गांव में तैयार कर सरस्वती स्व. सहायता समूह द्वारा प्रदाय किया जा रहा है।

Ø	f'kdk;r dh fnukad	f'kdk;r drk dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdl dk tkp d fy, Hkstk	ikyu dh fLFkfr
26	05.02. 2019	आयोग की बैठक जिला मण्डला में प्राप्त शिकायत।	श्रीमती जीरा मरावी, अध्यक्ष, जनपद पंचायत, नारायणगंज क्षेत्र में एक विद्यालय में जनवरी, 2019 में लगातार तीन दिन तक मध्यान्ह भोजन नहीं देने की शिकायत की गई है। स्व सहायता समूह द्वारा भोजन बनाने के समय साफ–सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।	कलेक्टर, जिला मण्डला को पत्र क्र. 297 दिनांक 9.4.19 द्वारा।	जिले से प्राप्त पालन प्रतिवेदन अनुसार विकासखण्ड नारायणगंज अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला सलैया जहां जनवरी 2019 में लगातार 03 दिवस तक मध्यान्ह भोजन नहीं देने की शिकायत प्राप्त हुई थी। बंद दिवसों की राशि सरपंच.सचिव, ग्राम पंचायत सलैया से 12.01.2019 को प्राप्त कर विद्यार्थियों को 03 दिवस की उपस्थिति के हिसाब से प्राथमिक शाला हेतु 408.87 रुपये मा.शा. हेतु 1237.70 कुल राशि 1646.57 विद्यार्थियों को भुगतान की गई है।
27	05.02. 2019	आयोग की बैठक जिला मण्डला में प्राप्त शिकायत	सुश्री राजेश्वरी मनोठिया, अध्यक्ष, जनपद पंचायत, मवई क्षेत्र के स्व सहायता समूहों द्वारा तुअर की दाल की जगह कम दाम पर मिलने वाली बटरा दाल मध्यान्ह भोजन में दी जा रही है। इसकी जांच कराई जावे और बटरा दाल ना देते हुए, तुअर, मूंग की दाल देने के लिए समूह को पाबंद किया जावे।	कलेक्टर, जिला मण्डला को पत्र क्र. 297 दिनांक 9.4.19 द्वारा।	जनपद पंचायत मवई क्षेत्रान्तर्गत बटरा दाल के स्थान पर तुअर एवं मूंग दाल का वितरण सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किए गऐ हैं।
28	08.02. 2019	जिला डिण्डोरी में श्री रामलाल रठूरिया सरपंच, ग्राम पंचायत जलदा बोना	श्री रामलाल रठूरिया, सरपंच, ग्राम पंचायत जलदा बोना (बैगा चक) द्वारा शिकायत की गई कि बैगा चक में उचित मूल्य दुकान नियमित रूप से नहीं खुल रही है। हितग्राही को माह के किसी भी दिन राशन प्राप्त करने की सुविधा होनी चाहिए।	कलेक्टर, जिला डिण्डोरी को पत्र क्र. 288 दिनांक 5.4. 19 द्वारा।	दुकान की जांच कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी समनापुर से कराई गई जिसमें पाया गया है कि पीओएस मशीन की खराबी के चलते कभी–कभी विलम्ब हो रहा है, किन्तु उपभोक्ताओं को प्रतिमाह पात्रतानुसार राशन सामग्री प्राप्त हो रही हैं।

Ø	f'kdk;r dh fnukad	f'kdk;r drkZ dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdl dk tkp d fy, Hkstk	ikyu dh fLFkfr
29	19.02. 2020	म.प्र लोक सहभागी साझा मंच भोपाल।	सतना जिले के मझगंवा विकासखण्ड में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के हितग्रहियों को लाभ दिलाये जाने के संबंध में।	अ.शा. पत्र क्र. 137 दि. 19.02. 2020	जिला कार्यक्रम अधिकारी के पत्र दिनांक 26.03.2020 से 49 में से 45 आवेदकों को योजना का लाभ दिलाया गया। 04 आवेदकों द्वारा वांछित रिकार्ड प्रस्तुत करने पर लाभ दिलाया जावेगा।
30	24.02. 2020	श्री दिलीप सिंह, प्रतिनिधि जनपद पंचायत, सीतामउ, जिला – मंदसौर	तरूणोदय के सेल्समेन श्री रमेश नाग के विरूद्ध हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी करने की कई शिकायतें होने के बाद भी उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।	कलेक्टर, मंदसौर को पत्र क्र 1178 दिन. ांक 25.11.2019 से कार्यवाही विवरण भेजा गया।	जिला आपूर्ति अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार विक्रेता के विरूद्ध लोगों द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई थी। विक्रेता को उक्त शिकायत के आधार पर जांच उपरांत विक्रेता के कार्य से पृथक कर दिया गया है।
31	24.02. 2020	श्री भगवान सिंह चन्द्र. ावत, जनपद अध्यक्ष, गरोठ, जिला–मंदसौर	बीईओ श्री राकेश विश्वकर्मा ने लाकाखेड़ी स्कूल का पैसा निकाल लिया है परन्तु उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है। लाकाखेड़ी में मध्यान्ह भोजन 17 माह से बंद है।	कलेक्टर, मंदसौर को पत्र क्र 1178 दिनांक 25. 11.2019 से कार्यवाही विवरण भेजा गया।	जिला आपूर्ति अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार इस संबंध में अनुविभागीय अधि ाकारी राजस्व के द्वारा संबंधितों से राशि रु. 43944.67/– की वसूली की जाकर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गई। प्रभारी अधिकारी मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम जि.प. मंदसौर के पत्र क्र 1288/ मध्यान्ह भोजन /2020 दिनांक 25.02.2020 अनुसार प्राथमिक शाला लाकाखेड़ी में मध्यान्ह भोजन योजना का नियमित रूप से प्रचलन किया जा रहा है।
32	24.02. 2020	समीक्षा बैठक जिला–मंदसौर	भानपुरा विकासखण्ड में 99 समूहों द्वारा बिना अनुबंध के पोषण आहार प्रदाय किया जा रहा है।	कलेक्टर, मंदसौर को पत्र क्र 1178 दिनांक 25. 11.2019 से कार्यवाही विवरण भेजा गया।	जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला मंदसौर के पत्र क्र. मबापि/पोआ/ 2019–20 /748 दि. 25.02.2020 के अनुसार जो समूह सांझा चूल्हा अंतर्गत कार्यरत हैं, वह पूर्व से ही मध्यान्ह भोजन अंतर्गत अनुबंधित हैं।

Ø	f'kdk;r dh fnukad	f'kdk;r drkZ dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdl dks tkap ds fy, Hkstk	ikyu dh fLFkfr
33	24.02.2020	सरपंच, ग्राम पंचायत , गुजयाला, जिला –मंदसौर	ग्राम पंचायत गुजयाला (गुजरदा) में हम्मालों की पात्रता पर्ची होने के बाद भी खाद्यान्न नहीं मिल रहा है।	कलेक्टर, मंदसौर को पत्र क्र 1178 दिनांक 25.11.2019 से कार्यवाही विवरण भेजा गया।	जिला आपूर्ति अधिकारी के पत्र क्र. 176 दिनांक 25.02.2020 के अनुसार शिकायत की जांच में पाया गया कि संबंधित परिवारों की पात्रता पर्ची जनरेट नहीं हुई है वर्तमान में सत्यापन कार्य उपरांत नवीन पात्रता पर्ची जारी करने की कार्यवाही विचाराधीन है। अभी खाद्यान्न दिया जाना संभव नहीं है।
34	24.02.2020	समीक्षा, जिला बुरहानपुर, स्व–विवेक जिला बुरहानपुर	जिले में 2852 परिवार पिछले 4 माहों से राशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इन परिवारों की जांच में यदि अपात्र पाये जाते तो ऐसे अपात्र परिवार को सुनवाई का एक अवसर देकर उनका नाम सूची से विलोपित किया जायें।	कलेक्टर, बुरहानपुर को पत्र क्र.865 दिनांक 07.09.2019 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	जिला आपूर्ति अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि जिले में 79% सत्यापन हो गया है। सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण उपरांत अपात्र परिवारों को पृथक करने एवं पात्र को जोड़ने की कार्यवाही विचाराधीन है।
35	24.02.2020	निरीक्षण, जिला–बुरहानपुर, स्व–विवेक	वृह. सेवा सहकारी मर्या., उचित मूल्य दुकान, बोरसल का निरीक्षण दिनांक 17.07.2019 को, हितग्रहियों से चर्चा के दौरान श्री नसीर सांडो तड़वी का राशन कार्ड मे चार भाई के नाम सम्मिलित है, परंतु उसकी माँ का कार्ड अलग हैं। इस पर आयोग ने राशन कार्ड की जाँच करने के निर्देश दिए।	कलेक्टर, बुरहानपुर को पत्र क्र.865 दिनांक 07.09.2019 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	श्री नसीर सांडो तड़वी की समग्र परिवार आईडी 24734763 की पात्रता पर्ची 30 किग्रा अनाज की जारी हैं जिसमें उनकी माताजी का नाम शामिल नहीं है। माताजी का पृथक से अन्त्योदय राशन कार्ड समग्र आई डी 24746840 पर 35 किग्रा की पात्रता पर्ची जारी है, जो पात्रतानुसार है।
36	24.02.2020	श्री गणेश. सुभाष सांवले, जिला–बुरहानपुर	श्री गणेश/सुभाष सांवले, हितग्राही ने बताया कि उसके पास आधार कार्ड हैं परंतु उसे अंगूठा निशानी से दो माह से राशन प्राप्त नहीं हो रहा हैं।	कलेक्टर, बुरहानपुर को पत्र क्र.865 दिनांक 07.09.2019 कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	संबधित हितग्राही का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण न होने से हितग्राही की पत्नी को वितरण रजिस्टर से राशन सामग्री पात्रतानुसार उपलब्ध करवाई गई है।

Ø	f'kdk;r dh fnukd	f'kdk;r drkZ dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdl dks tkap ds fy, Hkstk	ikyu dh fLFkfr
37	24.02. 2020	श्री भागवत दगडू, जिला–बुरहानपुर।	निरीक्षण के दौरान शिकायतकर्ता, श्री भागवत दगडू महाले, ग्रामीण ने बताया कि रात के समय शा.उ.मू. दुकान से अनाज अन्यत्र ले जाया गया था।	कलेक्टर, बुरहानपुर को पत्र क्र. 865 दिनांक 07. 09.2019 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रदायकर्ता द्वारा दोनो दुकान बोरसर एवं बारोली का खाद्यान्न एक ही स्थान पर दिया गया था। उनके द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान बारोली का खाद्यान्न दिनांक 14.07.2019 को गाड़ी नंबर एम्.पी. जी 0430 द्वारा समय 7.00 बजे के लगभग भरकर शासकीय उचित मूल्य दुकान बारोली पर ले जाकर पंचो के समक्ष खाली करवाया गया। कोई अनियमितता नहीं पाई गई।
38	24.02. 2020	सुश्री कमलबाई भागवत, जिला–बुरहानपुर	सुश्री कमलबाई भागवत ने कहा कि दुकानों में समय पर राशन नहीं आ रहा हैं, जिससे हितग्राहियों को समय पर राशन नहीं मिलता है।	कलेक्टर बुरहानपुर को पत्र क्र.865 दिनांक 07. 09.2019 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर समय पर आवंटन उठाव एवं वितरण हो रहा है। जिले में ऐसी कोई परेशानी नहीं हैं।
39	24.02. 2020	सुश्री सुमित्रा संतोष, जिला–बुरहानपुर	सुश्री सुमित्रा/संतोष ने कहा कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसका नाम उसकी सास के राशन कार्ड में जुड़ा है। अतः उसका राशन कार्ड अलग से बनाया जाए।	कलेक्टर बुरहानपुर को पत्र क्र.865 दिनांक 07. 09.2019 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	जिला आपूर्ति अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार पति की मृत्यु हो चुकी है। शिकायतकर्ता बच्चों सहित सास के साथ सम्मिलित रूप से निवासरत है। उन्हें पात्रतानुसार प्रतिमाह राशन सामग्री प्राप्त हो रही हैं। राशन कार्ड पृथक से बनाया जाना संभव नही हैं।
40	24.02. 2020	सरपंच पिपलझोपा, जिला–खरगोन	पिपलझोपा समेत जिले के अन्य 66 उ.मू.दु. को जून माह का राशन प्राप्त नहीं होने से हितग्रहियों में अंसतोष हैं।	कलेक्टर खरगोन को पत्र क्र.896 दिनांक 13. 09.2019 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	जिला आपूर्ति अधिकारी जिला–खरगोन द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जिले की 66 उ.मू.दु. को माह जून का राशन प्राप्त हो गया है तथा 66 दुकानों के हितग्राहियों को प्राप्त/वितरित हो गया है।

Ø	f'kdk;r dh fnukd	f'kdk;r drkZ dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdl dk tkp d fy, Hkstk	ikyu dh fLFkfr
41	24.02. 2020	श्री कमल. सिंह बास्कले, भगवानपुरा जिला–खरगोन	दामखेड़ा पंचायत की दुकान माह में केवल तीन दिन खुलने की शिकायत की गई हैं। दोषी विक्रेता के विरूद्व कार्यवाही की जावे।	कलेक्टर, खरगोन को पत्र क्र.896 दिनांक 13. 09.2019 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	जिला आपूर्ति अधिकारी जिला–खरगोन के पत्र क्रमांक 367 दिनांक 25.02.2020 अनुसार दामखेड़ा पंचायत की उ.मू. दु. प्रति सप्ताह मंगल से शुक्र कुल–4 दिवस निर्धारित संचालित हो रही है।
42	24.02. 2020	सरपंच, भगियापुर, जिला – खरगोन	सरपंच, भगियापुर ने शिकायत की है कि बागदारी का आंगनवाड़ी केन्द्र अधिक क्षतिग्रस्त होने के कारण बच्चों के लिए असुरक्षित है। तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था कर अवगत कराया जावें।	कलेक्टर, खरगोन को पत्र क्र.896 दिनांक 13. 09.2019 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला–खरगोन का पत्र क्रमांक 435 दिनांक 04.03. 2020 अनुसार सिर्फ वर्षा काल में केन्द्र में पानी रिसता था। वर्तमान में संचालन उसी भवन में किया जा रहा है। मरम्मत हेतु आर.ई.एस. खरगोन को भवन मरम्मत हेतु पत्र लिखा गया है।
43	24.02. 2020	जिला पंचायत सदस्य, जिला –खरगोन	सदस्य, जिला पंचायत ने कहा है कि महेश्वर की तीन पंचायतों में मीनू के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा हैं। स्वसहायता समूह के विरूद्व शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही करें।	कलेक्टर, खरगोन को पत्र क्र.896 दिनांक 13. 09.2019 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला–खरगोन का पत्र क्रमांक 435 दिनांक 04.03. 2020 अनुसार महेश्वर की पंचायतों में मीनू अनुसार भोजन प्रदाय किया जा रहा है।
44	24.02. 2020	आयोग द्वारा निरीक्षण में पाया। (स्वतः संज्ञान) जिला–खरगोन।	उचित मूल्य दुकान, आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था, घुघरियाखेड़ी में निरीक्षण में पाया कि दर्ज 1563 हितग्रहियों में से लगभग 300 हितग्राही तीन माह से अधिक अवधि से राशन लेने नहीं आ रहे है। दुकान भी प्रतिदिन न खुलकर सप्ताह में केवल दो दिन खुलती है।	कलेक्टर, खरगोन को पत्र क्र.896 दिनांक 13. 09.2019 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला–खरगोन द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि 03 माह की अवधि से नहीं आ रहे 300 परिवारों को जे.एस.ओ. द्वारा जांच कराई गई तथा हटाने के पूर्व पुनः सूची सत्यापन दलों को उपलब्ध कराई गई। सत्यापन अनुसार अपात्रों को हटाने की आगामी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

Ø	f'kdk;r dh fnukd	f'kdk;r drk dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdl dk tkp d fy, Hkstk	ikyu dh fLFkfr
45	24.02. 2020	श्री अरूण पवार, सरपंच, खेड़ी जिला–खण्डवा	खेड़ी पंचायत के विक्रेता द्वारा राशन दुकान नियमित नहीं खोली जा रही है और हितग्राही को समय पर राशन नहीं दिया जा रहा है।	कलेक्टर, खण्डवा, पत्र क्रमांक 825 दिनांक 31. 08.2019 से कार्यवाही हेतु भेजा	क. आपूर्ति अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार खेड़ी दुकान के विक्रेता के पास तीन राशन दुकानों का प्रभार है। विक्रेता द्वारा सप्ताह में निर्धारित दिवसों में दुकान खोलकर वितरण किया जा रहा है। शिकायतकर्ता, सरपंच, खेड़ी को अवगत कराया गया है।
46	24.02. 2020	श्री बलीराम साठे, सरपंच, जामुनिया पंचायत, जिला–खण्डवा	उपभोक्ताओं के अंगूठा निशानी घिस जाने के कारण जामुनिया राशन दुकान से राशन नहीं मिल पा रहा है।	कलेक्टर, खण्डवा, पत्र क्रमांक 825 दिनांक 31. 08.2019 से कार्यवाही हेतु भेजा	क. आपूर्ति अधिकारी का पत्र क्रमांक 25 दिनांक 29.02.2020 अनुसार नवीन आधार आधारित राशन वितरण व्यवस्था लागू होने से सत्यापन कार्य होने से संचालनालय से नवीन पात्रता पर्ची जारी नहीं हो रही है। जिन हितग्राहियों के अंगूठे नहीं लग रहे हैं उनके परिवार के अन्य सदस्यों को बुलाकर राशन दिया जा रहा है, तथा नॉमिनी बनाए जाकर भी राशन दिया जाना प्रारंभ किया गया है।
47	24.02. 2020	श्री अरूण पवार, सरपंच, खेड़ी जिला–खण्डवा	खेड़ी क्षेत्र की आंगनवाड़ियों की स्थिति जर्जर है और यहां तक कि बच्चों के बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है।	कलेक्टर, खण्डवा, पत्र क्रमांक 825 दिनांक 31. 08.2019 से कार्यवाही हेतु भेजा	परियोजना अधिकारी, महिला, बाल विकास, खालवा खण्डवा के प्रतिवेदन अनुसार, केन्द्र क्रमांक 01 खेड़ी जो कि पूर्व विभागीय भवन में संचालित था, जर्जर स्थिति में होने के कारण वर्तमान में किराये के भवन में संचालित किया गया है। बच्चों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है।
48	24.02. 2020	श्री मोहन चम्पालाल,_ जिला–खण्डवा	दो साल से राशन नहीं मिल रहा है। पूर्व में उसे नियमित रूप से राशन मिल रहा था। विक्रेता द्वारा उसे कोई जानकारी नहीं दी जा रही है।	कलेक्टर, खण्डवा, पत्र क्रमांक 825 दिनांक 31. 08.2019 से कार्यवाही हेतु भेजा	क. आपूर्ति अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार शिकायतकर्ता की दो पात्रता पर्ची होने के कारण एक पात्रता पर्ची को पंचायत स्तर से विलोपित कर दिया गया है। दूसरी पर्ची पर बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन दिया जा रहा है।
49	24.02. 2020	जनप्रतिनिधि पोहरी पंचायत जिला–शिवपुरी	ikgjh iapk;r ds pdjkuk xkao es मातृ वंदना योजना की राशि नहीं मिलने की शिकायत की गई है।	कलेक्टर, शिवपुरी, पत्र क्रमांक 338 दिनांक 06. 05.2019 से कार्यवाही हेतु भेजा	जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला–शिवपुरी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि चकराना में प्रारंभ से वर्तमान तक 35 महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत राशि का प्रदाय किया गया है। शिकायत शेष नहीं है।

Ø	f'kdk;r dh fnukad	f'kdk;r drk dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdl dk tkap dks fy, Hkstk	ikyu dh fLFkfr
50	24.02.2020	श्री सिराज खौड़, बकसनपुर जिला–शिवपुरी	नावली एवं पुनावली गांव में स्व सहायता समूह द्वारा आंगनवाड़ी में लगातार कई दिनों तक भोजन उपलब्ध नहीं करने की शिकायत मिली है।	कलेक्टर, शिवपुरी, पत्र क्रमांक 338 दिनांक 06.05.2019 से कार्यवाही हेतु भेजा	अनियमितता करने के कारण नावली एवं पुनावली गांव के वर्तमान स्व सहायता समूह को हटाया जाकर उनके स्थान पर अन्य स्थानीय समूह को कार्य दिया जाकर सांझा चूल्हा कार्यक्रम अंतर्गत नाश्ता एवं भोजन का प्रदाय नियमित रूप से किया जा रहा है।
51	24.02.2020	श्री हरि सिंह यादव, जिला–शिवपुरी	अनीता पत्नी सुनील, ग्राम सेवाखेड़ी गांव ने बताया कि, उन्हें आज तक मातृ वंदना योजना का लाभ नहीं मिला है।	कलेक्टर, शिवपुरी, पत्र क्रमांक 338 दिनांक 06.05.2019 से कार्यवाही हेतु भेजा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला–शिवपुरी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि हितग्राही को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत दि. 01.03.2019 को रुपये 1000/– एवं दि. 24.05.2019 को रुपये 2000/– का भुगतान किया जा चुका है। टीकाकरण पूर्ण होने के उपरांत तृतीय किश्त का भुगतान किया जावेगा।
52	24.02.2020	श्रीमती नारायणी देवी, पो. हरी जिला–शिवपुरी	श्रीमती नारायणी देवी, पोहरी को राशन नहीं मिल रहा है। अधिकारियों ने बिना जांच के राशन कार्ड को निरस्त कर दिया गया है। बार–बार बोलने के बाद भी नया राशन कार्ड नहीं बनाया जा रहा है।	कलेक्टर, शिवपुरी, पत्र क्रमांक 338 दिनांक 06.05.2019 से कार्यवाही हेतु भेजा	जिला आपूर्ति अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी पोहरी को कार्यलयीन पत्र क्रमांक/खाद्य /2020/96 शिवपुरी दिनांक 26.02.2020 को भेजा गया है जिसमें सत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है।
53	24.02.2020	श्री करन सिंह सोनी, पोहरी जिला–शिवपुरी	श्री करन सिंह सोनी, पोहरी के परिवार में ना तो खेती की जमीन है और ना ही इनकम का कोई साधन है। उसके एक लड़के द्वारा छोटी–मोटी दुकान चलाई जा रही है। इसी को आधार मानकर पूरे परिवार को बी.पी.एल. सूची से हटा दिया गया है।	कलेक्टर, शिवपुरी, पत्र क्रमांक 338 दिनांक 06.05.2019 से कार्यवाही हेतु भेजा	जिला आपूर्ति अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी पोहरी को कार्यलयीन पत्र क्रमांक/खाद्य /2020/96 शिवपुरी दिनांक 26.02.2020 को भेजा गया है जिसमें सत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

Ø	f'kdk;r dh fnukad	f'kdk;r drkZ dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdl dks tkap dks fy, Hkstk	ikyu dh fLFkfr
54	24.02. 2020	जिला– शिवपुरी	अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 2018 एवं जनवरी, 2019 के महिनों में क्रमशः 2,3,2 एवं 2 विद्यालयों में लगातार तीन दिन तक मध्यान्ह भोजन बंद रहा है। इसके कारणों की जांच की जाये।	कलेक्टर, शिवपुरी, पत्र क्रमांक 338 दिनांक 06. 05.2019 से कार्यवाही हेतु भेजा	संबंधित विद्यालयों में कार्यरत स्व सहायता समूहों की उक्त अवधि की राशि कटोत्रा की कार्यवाही की जाकर भविष्य में नियमित एवं मीनू अनुसार खाना बनाने हेतु चेतावनी दी गई।
55	28.02. 2019 एवं 01.03. 2019	मान. विधायक श्री वीरसिंह रघुवंशी जिला शिवपुरी	खाद्य अधिकारी शिवपुरी अपनी मर्जी से दुकान आंवटन करते हैं। बड़ोखरा गांव में पिछले तीन माह से अनाज नहीं बंट रहा है, शिकायत करने पर भी खाद्य अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।	आयोग का पत्र क्रमांक 338 दिनांक 06.05. 2019 से प्रेषित	कलेक्टर, शिवपुरी के पत्र दिनांक 04. 02.2020 एवं जिला आपूर्ति अधिकारी, शिवपुरी का पत्र क्रमांक 49 दिनांक 29.01.2020 के अनुसार दुकानों का आवंटन अनुविभाग में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया जाता है खाद्य अधिकारी द्वारा नहीं। उचित मूल्य दुकान बड़ोखरा की जांच तत्समय ही जे.एस.ओ. द्वारा की गई एवं दुकान के विरूद्ध प्रक्ररण निर्मित किया गया है।
56	25.02. 2020	सरपंच, ग्राम पंचायत, गिरदौडा, जिला नीमच	गिरदौडा पंचायत में समूह द्वारा गुणवत्ताविहीन भोजन एवं नाश्ता दिया जा रहा है।	कलेक्टर, नीमच को पत्र क्र 1151 दिनांक 18. 11.2019 से कार्यवाही विवरण भेजा गया।	जिला आपूर्ति अधिकारी के पत्र क्र. 648 दिनांक 05.03.2020 के अनुसार, जिला कार्यक्रम अधिकारी नीमच द्वारा जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
57	25.02. 2020	सरपंच, ग्राम पंचायत रेवली देवली, जिला– नीमच	सरपंच की शिकायत थी कि उनके द्वारा 28 अपात्रों के नाम काटने के लिए तहसीलदार को सूची भेजी गई थी, परन्तु केवल 3 नाम ही काटे गये है शेष अपात्र व्यक्ति अभी भी सामग्री प्राप्त कर रहे हैं। इसकी जांच कराई जावे एवं आयोग को अवगत कराया जावे।	कलेक्टर, नीमच को पत्र क्र 1151 दिनांक 18. 11.2019 से कार्यवाही विवरण प्रेषित कर कार्यवाही हेतु लेख किया।	जिला आपूर्ति अधिकारी के पत्र क्र. 648 दिनांक 05.03.2020 के अनुसार, तहसीलदार नीमच द्वारा जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं जिले में एम मित्र ऐप से प्रत्येक परिवार का सत्यापन कार्य जारी है। सत्यापन उपरांत अपात्रों को हटाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

Ø	f'kdk;r dh fnukad	f'kdk;r drkZ dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdl dks tkap ds fy, Hkstk	ikyu dh fLFkfr
58	25.02. 2020	सरपंच, ग्राम पंचायत चिताखेडा, जिला– नीमच	सरपंच द्वारा शिकायत की गई है कि चौकीदार घनश्याम जोशी द्वारा बीपीएल राशन कार्ड स्वेच्छा से सरेन्डर किया गया और बाद में अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर दोबारा राशन कार्ड बनाकर राशन लिया जा रहा है।	कलेक्टर, नीमच को पत्र क्र 1151 दिन. ांक 18.11.2019 से कार्यवाही विवरण भेजा गया।	जिला आपूर्ति अधिकारी के पत्र क्र. 648 दिनांक 05.03.2020 के अनुसार, तहसीलदार जीरन द्वारा जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं जिले में एम मित्र ऐप से प्रत्येक परिवार का सत्यापन कार्य जारी है। सत्यापन उपरांत अपात्रों को हटाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
59	25.02. 2020	श्री सुमित अहीर, पार्षद, नगरपालिका जिला– नीमच	पार्षद श्री सुमित अहीर ने बताया कि वार्ड के जिन परिवारों के कार्ड बिना कारण से बन्द हो गये हैं उनकी सूची प्राप्त कर जांच की जाए।	कलेक्टर, नीमच को पत्र क्र 1151 दिनांक 18. 11.2019 से कार्यवाही विवरण भेजा गया।	जिला आपूर्ति अधिकारी के पत्र क्र. 648 दिनांक 05.03.2020 के अनुसार, मु.न.पा. अधिकारी, नीमच द्वारा जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।
60	25.02. 2020	श्री चन्दन, ग्राम सुआखेड़ा, जिला– नीमच	शिकायतकर्ता के भाई के बीपीएल राशन कार्ड में 4 सदस्य हैं परन्तु खाद्यान्न केवल 02 सदस्य का ही मिल रहा है। हितग्राही एस.सी. श्रेणी में आता है।	कलेक्टर, नीमच को पत्र क्र 1151 दिन. ांक 18.11.2019 से कार्यवाही विवरण भेजा गया।	जिला आपूर्ति अधिकारी के पत्र क्र. 648 दिनांक 05.03.2020 के अनुसार, शेष दो सदस्यों के नाम जोड़ने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं जिले में एम मित्र ऐप से प्रत्येक परिवार का सत्यापन कार्य जारी है। सत्यापन उपरांत अपात्रों को हटाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है
61	25.02. 2020	श्रीमती भागवन्ती बाई, जिला– नीमच	श्रीमती भागवन्ती बाई के नाम से 06 सदस्य का राशन कार्ड है, उसके पति की मृत्यु हो गई है उसे खाद्यान्न नहीं मिल रहा है।	कलेक्टर, नीमच को पत्र क्र 1151 दिनांक 18. 11.2019 से कार्यवाही विवरण भेजा गया।	जिला आपूर्ति अधिकारी के पत्र क्र. 648 दिनांक 05.03.2020 के अनुसार, परिवार की पात्रता पर्ची जारी नहीं है। जे.एस. ओ लॉगिन में पात्रता पर्ची जारी करने हेतु प्रस्तावित किया गया है, एन.आई. सी. स्तर से पात्रता पर्ची जारी करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

Ø	f'kdk;r dh fnukad	f'kdk;r drk dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdl dks tkp ds fy, Hkstk	ikyu dh fLFkfr
62	25.02. 2020	श्री घनश्याम बंजारा, ग्राम पंचायत सुठोली, जिला– नीमच	ग्राम पंचायत बंजारा में 617 लोगों को खाद्यान्न मिल रहा है, जबकि पात्र केवल 100–150 ही हैं, शेष सभी अपात्र हैं। अपात्र को हटाने एवं पात्र एससी.एसटी परिवारों को जोड़ने की मांग की गई।	कलेक्टर, नीमच को पत्र क्र 1151 दिनांक 18. 11.2019 से कार्यवाही विवरण भेजा गया।	जिला आपूर्ति अधिकारी के पत्र क्र. 648 दिनांक 05.03.2020 के अनुसार, तहसीलदार जावद द्वारा जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं जिले में एम मित्र ऐप से प्रत्येक परिवार का सत्यापन कार्य जारी है। सत्यापन उपरांत अपात्रों को हटाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है
63	25.02. 2020	श्री मोहनलाल, ग्राम सुआखेडा, जिला– नीमच	श्री मोहनलाल का बीपीएल राशन कार्ड क्रमांक 178 है, उन्हें 5 माह से राशन नहीं मिल रहा है।	कलेक्टर, नीमच को पत्र क्र 1151 दिनांक 18. 11.2019 से कार्यवाही विवरण भेजा गया।	जिला आपूर्ति अधिकारी के पत्र क्र. 648 दिनांक 05.03.2020 के अनुसार हितग्राही की चार सदस्यों की पात्रता पर्ची जारी है एवं सामग्री प्राप्त हो रही है। एक सदस्य का नाम जोड़ने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, नाम जोड़ने के उपरांत सामग्री प्रदाय किया जाना संभव होगा।
64	25.02. 2020	श्री अनिल पवार, ग्राम खोर, जिला– नीमच	शिकायतकर्ता ने कहा कि उनका बीपीएल राशन कार्ड बने हुए 3 माह हो गये है परन्तु पर्ची नहीं आ रही है।	कलेक्टर, नीमच को पत्र क्र 1151 दिनांक 18. 11.2019 से कार्यवाही विवरण भेजा गया।	जिला आपूर्ति अधिकारी के पत्र क्र. 648 दिनांक 05.03.2020 के अनुसार, परिवार की पात्रता पर्ची जारी नहीं है। जे.एस. ओ लॉगिन में पात्रता पर्ची जारी करने हेतु प्रस्तावित किया गया है, एन.आई. सी स्तर से पात्रता पर्ची जारी करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
65	25.02. 2020	श्री घनश्याम शंकरलाल मीणा, जिला– नीमच	शिकायतकर्ता ने कहा कि उनका बीपीएल राशन कार्ड बना है, परन्तु उसकी पात्रता पर्ची नहीं आ रही है।	कलेक्टर, नीमच को पत्र क्र 1151 दिनांक 18. 11.2019 से कार्यवाही विवरण भेजा गया।	जिला आपूर्ति अधिकारी के पत्र क्र. 648 दिनांक 05.03.2020 के अनुसार, परिवार की पात्रता पर्ची जारी नहीं है। जे.एस. ओ लॉगिन में पात्रता पर्ची जारी करने हेतु प्रस्तावित किया गया है, एन.आई. सी स्तर से पात्रता पर्ची जारी करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

Ø	f'kdk;r dh fnukd	f'kdk;r drk dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdl dk tkp d fy, Hkstk	ikyu dh fLFkfr
66	25.02. 2020	निकोड़ी बाई, अध्यक्ष स्व सहायता समूह, जिला –श्योपुर	ग्राम गडला में दो राशन दुकाने हैं, परन्तु उनके द्वारा समूह को समय पर राशन प्रदाय नहीं किया जाता है। इसके कारण मध्यान्ह भोजन और सांझा चूल्हा कार्यक्रम में उधारी लाकर भोजन बनाना पड़ रहा है।	कलेक्टर, श्योपुर को पत्र क्र 324 दिनांक 24.04.2019 से कार्यवाही विवरण भेजा गया।	अपर कलेक्टर श्योपुर के प्रतिवेदन अनुसार अनियमितता पाये जाने पर दुकान संचालन का आदेश निरस्त करते हुये न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कराहल द्वारा अन्य संस्था पर दुकान संलग्न की गई।
67	25.02. 2020	अध्यक्ष जिला पंचायत एवं सरपंच ग्राम कलारना, जिला–श्योपुर	सरपंच ग्रम कलारना ने भी शिकायत की है कि क्षेत्र की गर्भवती माताओं को अभी तक प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना की राशि नहीं मिली है। अति कुपोषित बच्चों को इलाज के लिए एनआरसी में भर्ती किया गया था उन बच्चों की माताओं को मजदूरी की राशि भी आज तक प्राप्त नहीं हुई है।	कलेक्टर, श्योपुर को पत्र क्र 324 दिनांक 24.04.2019 से कार्यवाही विवरण भेजा गया।	अपर कलेक्टर श्योपुर के पत्र क्रमांक 123 दिनां क02.02.2020 के अनुसार, कलारना ग्राम अंतर्गत 04 आंगनवाडी केन्द्र संचालित हैं, जिनमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के आरंभ से वर्तमान तक कुल 43 प्रथम गर्भवती महिलाओं के आवेदन भरे गये इनमें से 33 महिलाओं को तीनों किश्त राशि 5000 का भुगतान किया गया है तथा 10 महिलाओं को प्रथम व द्वितीय किश्त के 3000 रू का भुगतान किया जा चुका है व शेष तृतीय किश्त का भुगतान टीकाकरण पूर्ण होने के उपरांत किया जावेगा। इस प्रकार ग्राम में सभी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ दिया गया है। महिला एवं बाल विकास के क्षेत्रीय कर्मियों द्वारा बच्चों को चिन्हित व समझाईश उपरांत उपचार हेतु एनआरसी में भर्ती कराया जाता है। एनआरसी स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचा. लित है व भर्ती बच्चों की माताओं को मजदूरी की राशि का भुगतान स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय अमले से प्राप्त जानकारी अनुसार 26/27 फरवरी के पूर्व में कलारना ग्राम से भर्ती सभी बच्चों की माताओं को मजदूरी का भुगतान किया जा चुका है।

Ø	f'kdk;r dh fnukad	f'kdk;r drkZ dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdl dks tkap ds fy, Hkstk	ikyu dh fLFkfr
68	25.02. 2020	आयोग की समीक्षा बैठक जिला श्योपुर में प्राप्त शिकायत जिला – श्योपुर	वनवाड़ा गांव में शिक्षकों के द्वारा पढाई छोड़कर मध्यान्ह भोजन बनाने का कार्य करना एवं स्व सहायता समूह द्वारा बच्चों से बर्तन साफ करने की शिकायत सरपंच द्वारा की गई है।	कलेक्टर, श्योपुर को पत्र क्र 324 दिनांक 24.04.2019 से कार्यवाही विवरण भेजा गया।	अपर कलेक्टर, श्योपुर के प्रतिवेदन अनुसार शिकायत के संबंध में जांच कराई गई, जिसमें पाया गया कि शिक्षकों द्वारा पढ़ाई छोड़कर मध्यान्ह भोजन नहीं बनाया जाता है। बच्चों से बर्तन साफ करवाने की शिकायत निराधार है।
69	25.02. 2020	शांति एवं स्वाती स्व सहायता समूह, पतउआपुरा जिला – बैतूल	शांति स्व सहायता समूह, आंगनवाड़ी एवं स्वाती महिला स्व सहायता समूह, पत. उआपुरा द्वारा खराब गुणवत्ता का गेंहू उ.मू. दुकान मे प्राप्त होने की शिकायत की गई।	कलेक्टर बैतूल को पत्र क्र.57 दिनांक 23.01.2020 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि शांति एवं स्वाती महिला स्व–सहायता समूह व आंगनवाड़ी को अच्छी गुणवत्ता का ही खाद्यान्ना प्रदाय किया गया है।
70	25.02. 2020	गरिमा स्व सहायता समूह, नसीराबाद जिला – बैतूल	गरिमा स्व सहायता समूह, नसीराबाद ने शिकायत की है कि तीन गाँव के विद्यालयों के लिये अगस्त 2018 का गेंहू उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही समूह के साथ धोखाधड़ी कर एक वर्ष से अधिक समय तक अनाज नहीं देने के लिये दोषी व्यक्ति के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावे।	कलेक्टर बैतूल को पत्र क्र.57 दिनांक 23.01.2020 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जि.पंचायत, जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 2322 दिनांक 04.03.2020 अनुसार समूह को जून एवं जुलाई 2018 का खाद्यान्न माह जनवरी 2020 में प्रदाय किया जा चुका है। धोखाधड़ी के संबंध में विक्रेता के विरूद्ध जिला आपूर्ति अधिकारी स्तर पर जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
71	25.02. 2020	fujh{k.k ftyk] cSrwy	जिले में प्रति माह औसतन 9000 परिवार राशन लेने नहीं आ रहे हैं। परिवारों की सूची दुकानवार प्राप्त कर पात्रता/अपात्रता की जांच एक माह के भीतर कराई जावे।	कलेक्टर बैतूल को पत्र क्र.57 दिनांक 23.01.2020 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	सत्यापन अभियान जारी है, सत्यापन का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अपात्र परिवारों का नाम विलोपित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

Ø	f'kdk;r dh fnukd	f'kdk;r drk dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fd l dk tkp d fy, Hktk	ikyu dh fLFkfr
72	25.02.2020	मातृशक्ति स्व सहायता समूह, जिला – बैतूल	मातृशक्ति स्व सहायता समूह की शिकायत है कि उसके प्रभार के दोनों विद्यालयों में उपस्थिति के मान से कम अनाज प्राप्त हो रहा है।	कलेक्टर बैतूल को पत्र क्र.57 दिनांक 23.01.2020 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जि.पंचायत, जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 2322 दिनांक 04.03.2020 अनुसार समूह की दोनो शालाओं को खाद्यान्न उपस्थिति के आधार पर प्राप्त हो रहा है।
73	25.02.2020	त्रिवेणी स्व सहायता समूह, सदर क्षेत्र बैतूल शहर, जिला – बैतूल	त्रिवेणी स्व सहायता समूह, सदर क्षेत्र बैतूल शहर को पिछले 5 माह से ईंधन, मसाला एवं तेल की राशि नहीं मिलने की शिकायत है। इसकी जांच मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा किया जावे और दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।	कलेक्टर बैतूल को पत्र क्र.57 दिनांक 23.01.2020 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जि.पंचायत, जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 2322 दिनांक 04.03.2020 अनुसार, महिला बाल विकास अधिकारी द्वारा जांच कार्य प्रक्रियाधीन है।
74	25.02.2020	हितग्राही आशा देवी, जिला – बैतूल	हितग्राही आशा देवी की समग्र आई.डी. क्रमांक–26452909 हैं। उनका पति का देहान्त हो चुका है। राशन कार्ड से अपने पति का नाम काटकर पुत्र अक्षत का नाम जुडवाया गया था। लेकिन पुत्र की पात्रता पर्ची नहीं मिलने से कम अनाज प्राप्त हो रहा है। 2. हितग्राही श्रीमती नीलू हर्णे का समग्र आई.डी. क्रमाक–26059159 हैं। राशनकार्ड में पुत्र कृष्णा हर्णे का नाम नगरपालिका द्वारा जोड़ा गया, पंरतु पुत्र का पात्रता पर्ची नहीं निकल रही है। इसके कारण परिवार को पूरा अनाज नहीं मिल रहा है।	कलेक्टर बैतूल को पत्र क्र.57 दिनांक 23.01.2020 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	जि.आ. अधिकारी के पत्र क्रमांक 409 दिनांक 03.03.2020 के अनुसार, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, बैतूल द्वारा प्रतिवेदित किया है कि अक्षत का नाम जोड़ने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 2. हितग्राही श्रीमती नीलू हर्णे की समग्र आई.डी. 26059159 में पुत्र कृष्णा का नाम समग्र पोर्टल पर जोड दिया गया है। नवीन संशोधित पात्रता पर्ची शासन स्तर से जारी करने हेतु प्रक्रियाधीन है।

Ø	f'kdk;r dh fnukd	f'kdk;r drk dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdldk tkp d fy, Hktk	ikyu dh fLFkfr
75	25.02. 2020	श्रीमती पूजा रजने, ग्राम सोहागपुर जिला – बैतूल	श्रीमती पूजा रजने, ग्राम सोहागपुर ढाना ने कहा कि उनका राशन कार्ड बने हुए 3 वर्ष हो गये हैं परन्तु पर्ची नहीं आ रही है। आयोग ने क्षेत्रीय क.आ. अधिकारी को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिये।	कलेक्टर बैतूल को पत्र क्र.57 दिनांक 23.01.2020 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	जि.आ. अधिकारी के पत्र क्रमांक 409 दिनांक 03.03.2020 के अनुसार, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी शाहपुर के द्वारा प्रतिवेदित किया कि समग्र आई. डी. क्रमांक 46539576 को बीपीएल श्रेणी में सत्यापित कर दिया गया है। नवीन संशोधित पात्रता पर्ची शासन स्तर से जारी करने हेतु प्रक्रियाधीन है।
76	25.02. 2020	श्री शिवराम बेठे, सरपंच जिला – बैतूल	श्री शिवराम बेठे, सरपंच, जामखोदर ने कहा कि उनकी पंचायत में 11 परिवार हैं जिनकी आईडी बनी हुई है, पात्रता पर्ची बनी हुई है परन्तु मशीन में उनके नाम नही आ रहे हैं। दुकानदार रजिस्टर से वितरण नहीं कर रहा हैं।	कलेक्टर बैतूल को पत्र क्र.57 दिनांक 23.01.2020 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	जि.आ. अधिकारी के पत्र क्रमांक 409 दिनांक 03.03.2020 के अनुसार, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, घोड़ाडोंगरी के द्वारा जॉच करने पर पाया गया कि जामखोदर के पात्र 11 परिवारों को समग्र पोर्टल पर संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सत्यापित कर दिया गया है। नवीन संशोधित पात्रता पर्ची शासन स्तर से जारी करने हेतु प्रक्रियाधीन है।
77	25.02. 2020	वंसत पाठक, जिला–छतरपुर	जिला–छतरपुर वार्ड नं. 11 के वंसत पाठक द्वारा बताया कि पात्र परिवारों की नवीन पात्रता पर्ची प्राप्त नहीं हो रही है जिससे कि गरीब परिवार राशन से वंचित हैं।	कलेक्टर छतरपुर को पत्र क्र.15 दिनांक 02. 01.2020 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया कि जिले में पात्र/अपात्र का सत्यापन कार्य जारी है। शासन द्वारा नवीन पात्रता पर्ची सत्यापन उपरांत जारी करने का कार्य प्रस्तावित है।
78	25.02. 2020	निरीक्षण ग्राम– औरिया, जि. छतरपुर।	छतरपुर के ग्राम–औरिया की स्कूल की छात्रा पूनम राजपूत द्वारा बताया गया कि नाश्ता प्राप्त नहीं होता है।	कलेक्टर छतरपुर को पत्र क्र.15 दिनांक 02. 01.2020 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	परियोजना अधिकारी, महिला बाल विकास, बिजावर द्वारा पत्र क्रमांक 1006 दिनांक 29.02.20 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि जो रसोईया नाश्ता बनाती थी उसका 3–4 दिन से स्वास्थ्य खराब होने के कारण कार्य नहीं हो पाया, अब नाश्ते का वितरण नियमित रूप से समय पर किया जा रहा है।

Ø	f'kdk;r dh fnukd	f'kdk;r drk dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdldk tkp dk fy, Hkstk	ikyu dh fLFkfr
79	25.02. 2020	आयोग द्वारा समीक्षा में पाया, जि.छिन्दवाड़ा।	21 गांवों में आंगनवाड़ी नहीं होने की समस्या है।	कलेक्टर छिन्दवाड़ा को पत्र क्र. 22 दिनांक 03. 01.2020 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	संचालनालय का पत्र क्रमांक / मबावि/07/4078 भोपाल दिनांक 25. 04.2007 में दिये गये निर्देशानुसार कम जनसंख्या होने के कारण 21 ग्रामों में आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खोला जाना संभव नहीं है।
80	25.02. 2020	आयोग द्वारा समीक्षा में पाया। जि.छिन्दवाड़ा।	जिले में प्रतिमाह औसतन 3500 परिवार राशन नहीं ले रहे हैं। इन परिवारों की जांच की जानी चाहिए।	कलेक्टर छिन्दवाड़ा को पत्र क्र.22 दिनांक 03. 01.2020 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	जिला आपूर्ति अधिकारी, छिन्दवाड़ा के अनुसार पात्र परिवारों के सत्यापन का अभियान प्रारम्भ किया गया है, सत्यापन अभियान के दौरान एम राशन मित्र मोबाईल एप का उपयोग कर प्रत्येक परिवार का स्थल निरीक्षण किया जा रहा है। सत्यापन उपरांत अपात्र परिवारों का पोर्टल से हटाने का कार्य प्रक्रियाधीन हैं।
81	25.02. 2020	आयोग द्वारा निरीक्षण में पाया, जि.छिन्दवाड़ा।	आंगनवाड़ी केन्द्र क्रंमाक 01 अतरवाड़ा का निरीक्षण दि. 27.11. 2019 किया गया, केन्द्र में 13 बच्चे उपस्थित हैं। 2. केन्द्र का भवन जर्जर अवस्था में हैं, खिड़किया क्षतिग्रस्त हैं। फिल्टर के कैंडिल खराब है।	कलेक्टर छिन्दवाड़ा को पत्र क्र.22 दिनांक 03. 01.2020 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	जिला कार्यक्रम अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार आंगनवाडी केन्द्र में पूर्णतः दर्ज बच्चे उपस्थिति हो रहे है। 2. केन्द्र के भवन की मरम्मत की गई है एवं खिडकियों के नये पल्ले लगा दिये गये है। वर्तमान में भवन अच्छी स्थिति में है। फिल्टर के कैन्डिल बदल कर नये कैन्डिल लगा दिये गये हैं।
82	25.02. 2020	श्री गजमोहन शर्मा जनपद सदस्य चौरई,जि. छिन्दवाड़ा।	खिरकिरी का आंगनवाड़ी केन्द्र क्रंमाक 06 नियमित रूप से नहीं खुल रही है।	कलेक्टर छिन्दवाड़ा को पत्र क्र.22 दिनांक 03. 01.2020 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	जिला कार्यक्रम अधिकारी के जांच प्रतिवेदन अनुसार आंगनवाडी केन्द्र, खिरकिरी, प्रतिदिन संचालित किया जा रहा है। बच्चों को नाश्ता व भोजन समय पर नियमित दिया जा रहा है।

Ø	f'kdk;r dh fnukd	f'kdk;r drkZ dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdlds tkap ds fy, Hkstk	ikyu dh fLFkfr
83	25.02. 2020	श्री लंकेश साहू, उप सरपंच, माचागोर,जि. छिन्दवाड़ा	श्री लंकेश साहू, उप सरपंच, माचागोरा ने कहा कि उनके क्षेत्र के 29 अपात्र लोगों के नाम सूची से हटाने के लिए तहसीलदार को दिये गये लेकिन आज तक इन लोगों का नाम नहीं हटाये गये।	कलेक्टर छिन्दवाड़ा को पत्र क्र.22 दिनांक 03. 01.2020 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जिलें में पात्र/अपात्र का सत्यापन कार्य जारी है। सत्यापन उपरांत अपात्र लोगों के नाम हटाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।
84	25.02. 2020	श्री विनोद श्रीवास, सरपंच, ग्रा.पं. कपूर्धा, जि. छिन्दवाड़ा	श्री विनोद श्रीवास, सरपंच, ग्रा.पं. कपूर्धा ने बताया कि गांव की आंगनवाड़ी केन्द्र, नवम्बर माह की 1 तारीख से लेकर 16 तारीख तक बन्द रही। वहां बच्चों को नाश्ता. भोजन नही मिला।	कलेक्टर, छिन्दवाड़ा को पत्र क्र.22 दिनांक 03. 01.2020 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	जिला कार्यक्रम अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार आदर्श स्व सहायता समूह को प्रदायित गेंहू / चावल का अवंटन समय पर प्राप्त हो गया था किन्तु सोसायटी कपूर्धा द्वारा गेंहू/ चावल आदर्श स्व सहायता समूह को प्रदाय नहीं किया गया। दिनांक 12.11.2019 को सोसायटी द्वारा गेंहू व चावल समूह को दिया गया। उसके पश्चात दिन. ांक 14.11.2019 से आंगनवाडी केन्द्र में नाश्ता व भोजन समय पर नियमित वितरण किया जाने लगा।
85	25.02. 2020	श्री बाल गोविन्द वर्मा, सरपंच, ग्रा.प. लोहारा, जि.छिन्दवाड़ा	श्री बाल गोविन्द वर्मा, सरपंच, ग्रा.प. लोहारा ने बताया कि ग्रम नेवराकला में मध्यान्ह भोजन नियमित रूप से नहीं दिया जा रहा हैं। आंगनवाड़ी में भी नाश्ता और भोजन समय पर नहीं मिल रहा है।	कलेक्टर छिन्दवाड़ा को पत्र क्र.22 दिनांक 03. 01.2020 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	जिला कार्यक्रम अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत लोहारा अंतर्गत आंगनवाडी केन्द्र हिवराकला में समूह द्वारा नाश्ता व भोजन सुचारू रूप से समय पर नियमित दिया जा रहा है। सरपंच एवं ग्राम पंचायत द्वारा भी पत्र में स्पष्ट लेख किया गया है कि समूह द्वारा नियमित भोजन दिया जा रहा है।

Ø	f'kdk;r dh fnukad	f'kdk;r drk dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdl dk tkp d fy, Hkstk	ikyu dh fLFkfr
86	25.02. 2020	श्री परसराम, सरपंच, ग्रा.पं. धनोरा, जि.छिन्दवाड़ा	श्री परसराम, सरपंच, ग्रा.पं. धनोरा ने कहा कि उनके क्षेत्र के 1.डूब प्रभावित क्षेत्र में राशन की दुकान नहीं हैं। 2. धनोरा की नवीन माध्यमिक शाला में मध्यान्ह भोजन नहीं मिल रहा हैं।यहां तक कि विस्थापितों के बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, उक्त स्कूल में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था नहीं की गई हैं। सरपंच ने स्वंय अपनी ओर से मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था की थी। जितने दिन उनके द्वारा मध्यान्ह भोजन दिया गया, उसका गेंहू भी उन्हें नहीं मिला है।	कलेक्टर छिन्दवाड़ा को पत्र क्र. 22 दिनांक 03.01.2020 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा बताया गया है कि, ग्राम पंचायत धनोरा में शासकीय उचित मूल्य दुकान खोलना प्रक्रियाधीन है, परंतु ग्राम पंचायत धनौरा से उप दुकान संचालित कर राशन वितरण किया जा रहा है। 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी छिन्दवाड़ा के प्रतिवेदन अनुसार उक्त शाला नवीन प्रारंभ हुई थी, पोर्टल पर उक्त शाला दर्शित होने के उपरांत शाला को खाद्यान्न राशि एवं रसोइयों को मानदेय नियमित रूप से प्राप्त हो रहा है।
87	25.02. 2020	श्री पहाड़सिंह, विधायक कन्नौद, जि. देवास।	चन्दूखेड़ा सहकारी समिति एक दुकान चला रही है जिसमें 8—10 पंचायते संलग्न है।	कलेक्टर देवास को पत्र क्र. 774 दिनांक 14.09.2019 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	जिला आपूर्ति अधिकारी, देवास ने अवगत कराया है कि वर्तमान में ऐसी कोई दुकान कार्यरत नहीं है जिसमें 8 से 10 पंचायते संलग्न है।
88	25.02. 2020	श्री ओम पटेल, जनपद अध्यक्ष कन्नोद,जि. देवास।	कन्नोद क्षेत्र में कई हितग्राहियों का राशन बंद हो गया हैं। इन लोगों को पूर्व में राशन मिलता था। दुकानदार द्वारा कहा जाता है कि उनकी पात्रता पर्ची अभी नहीं आई हैं अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग ज्यादा प्रभावित है जिन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा हैं।	कलेक्टर देवास को पत्र क्र. 774 दिनांक 14.09.2019 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	जिला आपूर्ति अधि. द्वारा प्रतिवेदित किया है कि वर्तमान में कन्नोद क्षेत्र में अ.जा./ अ.ज.जा. या अन्य कोई भी सत्यापित पात्रता पर्चीधारी परिवार राशन प्राप्त करने से वंचित नहीं है।

Ø	f'kdk;r dh fnukd	f'kdk;r drk dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdl dk tkp d fy, Hkstk	ikyu dh fLFkfr
89	25.02. 2020	अध्यक्ष जनपद पंचायत बा. गली, जि.देवास।	अध्यक्ष जनपद पंचायत बागली ने कहा कि पानकुँआ ग्राम उदयनगर की दुकान 5 माह से नहीं खुल रही है, उस दुकान में ताला लगा हुआ है।	कलेक्टर देवास को पत्र क्र. 774 दिनांक 14.09.2019 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	जिला आपूर्ति अधिकारी, देवास द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, विक्रेता द्वारा अनियमितता किये जाने से उसे पृथक किया गया है। नवीन विक्रेता ललित डावर द्वारा नियमित दुकान का संचालन किया जा रहा है।
90	25.02. 2020	श्रीमती मनीषा बाथम, जिला –देवास।	श्रीमती मनीषा बाथम, ने कहा कि कई परिवार ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड में 5 लोगों के नाम हैं परन्तु पर्ची केवल 3 लोगों की प्राप्त हुई हैं, उन्हें केवल 3 लोगों का ही राशन मिल रहा हैं। ऐसे परिवार के सभी व्यक्तियों की पर्ची दिलायी जावे एवं खाद्यान्न दिलाया जावे।	कलेक्टर, देवास को पत्र क्र. 774 दिनांक 14.09.2019 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	जिला आपूर्ति अधिकारी, देवास द्वारा प्रतिवेदित किया है कि ऐसे परिवार जिनकी पर्ची में नाम अधिक है तथा संख्या कम दर्ज होने के कारण कम खाद्यान्न मिल रहा हैं, की जानकारी संचालनालय भेजी गई है। संचालनालय द्वारा सत्यापन कार्य पूर्ण होने तक पात्रता पर्चियों में अपडेशन का कार्य स्थगित किया गया है।
91	25.02. 2020	समीक्षा में जिला– देवास	जिले में औसतन 15000 परिवार पिछले 4 माहों से राशन प्राप्त नहीं कर रहें है। जांच की जावे।	कलेक्टर देवास को पत्र क्र. 774 दिनांक 14.09.2019 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	जि.आ.अधि. के प्रतिवेदन अनुसार जिले में सभी पात्रता पर्चीधारी परिवारों के सत्यापन की कार्यवाही प्रचलित है। सत्यापन कार्य उपरांत अपात्रों को हटाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
92	25.02. 2020	समीक्षा में जिला– देवास	जिले में किसी भी आंगनवाडी केन्द्र या परियोजना में सूखा एवं पौष्टिक नाश्ता नहीं दिया जा रहा है।	कलेक्टर देवास को पत्र क्र. 774 दिनांक 14.09.2019 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	जि.आ.अधि. के प्रतिवेदन अनुसार सूखा नाश्ता प्रदाय हेतु प्रदायकर्ताओं से रैसिपी के नमूने चाहे गये हैं। कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।

Ø	f'kdk;r dh fnukd	f'kdk;r drk dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdl dk tkp ds fy, Hkstk	ikyu dh fLFkfr
93	25.02. 2020	टोंकखुर्द, जिला– देवास	1.एक बच्चे को एनआरसी भेजा था परन्तु वह वापिस आ गया है। दूसरा बच्चा एनआरसी नहीं गया क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं हैं। अति कुपोषित बच्चा जो अभी तक एनआरसी में भरती नहीं हो पाया है, उसे शीघ्र एनआरसी में भरती कराने के लिये कार्यवाही करें।	कलेक्टर, देवास को पत्र क्र.774 दिनांक 14.09.2019 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	जि.आ.अधि. के प्रतिवेदन अनुसार परियोजना टोंकखुर्द द्वारा बताया गया कि आंगनवाडी कार्यकर्ता श्रीमती सीमा वर्मा बच्चे को एन.आर.सी. में भर्ती करवाने हेतु लेकर गई थी किन्तु एन. आर.सी प्रभारी द्वारा बतया गया कि बच्चा क्राईटेरिया में नहीं आने से भर्ती नहीं किया जा सकता। दो अतिकम वजन के बच्चों की वृद्धि की निगरानी की जा रही है बच्चों के वजन में सुधार हो रहा है।
94	25.02. 2020	श्रद्धा समूह देवली, जिला – देवास।	श्रद्धा स्व सहायता समूह द्वारा देवली में भोजन बनाया जाता हैं। उचित मूल्य दुकानदार गेंहू एवं चावल कटटा में दे देता है। तौल कर नहीं देता हैं बोरे में कम गेंहू व चावल निकलता है, जांच कराये।	कलेक्टर, देवास को पत्र क्र. 774 दिनांक 14.09.2019 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	जि.आ.अधि. के प्रतिवेदन अनुसार दुकानदार द्वारा तौलकर खाद्यान्न दिया जा रहा है इस संबंध में पुनः कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
95	25.02. 2020	श्रीमती इन्द्रबाला नागर, दखनीपुर, अलरी पंचायत, जिला– देवास।	श्रीमती इन्द्रबाला नागर, लक्ष्मी स्व सहायता समूह दखनीपुर, अलरी पंचायत– ने बताया कि उसके समूह को माह फरवरी, 19 से गेंहू चावल नहीं मिला हैं, वह अपने पास से गेंहू चावल लेकर बच्चों को खाना खिला रही हैं।	कलेक्टर, देवास को पत्र क्र. 774 दिनांक 14.09.2019 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	जि.आ.अधि. के प्रतिवेदन अनुसार लक्ष्मी स्व सहायता समूह को माह फरवरी 19 का खाद्यान्न प्राप्त हो चुका है तथा आगामी माह से खाद्यान्न प्रतिमाह दुकान द्वारा नियमित रूप से दिया जा रहा है।
96	25.02. 2020	दौलता जागीर, जिला– देवास।	दौलत जागीर, मेघा स्व सहायता समूह के सचिव द्वारा बताया गया कि उसे गेंहू चावल माह फरवरी 19 से नहीं दिया गया है।	कलेक्टर, देवास को पत्र क्र. 774 दिनांक 14.09.2019 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	जि.आ.अधि. के प्रतिवेदन अनुसार मेघा स्व सहायता समूह को माह फरवरी 19 का खाद्यान्न प्राप्त हो चुका है, तथा आगामी माह से खाद्यान्न प्रतिमाह दुकान द्वारा नियमित रूप से दिया जा रहा है।

Ø	f'kdk;r dh fnukad	f'kdk;r drk dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdl dks tkap ds fy, Hkstk	ikyu dh fLFkfr
97	25.02. 2020	जिला– निवाड़ी, श्री इमरान खान, ग्राम पंचायत– कुडार। जिला – निवाड़ी	जिला–निवाड़ी में आयोजित बैठक में श्री इमरान खान सरपंच ग्राम पंचायत कुडार द्वारा बताया गया कि बीपीएल सूची में गलत व्यक्तियों के नाम जुडे हुये हैं उनके नाम काटे जावे जिससे पात्र व्यक्तियों के नाम जुड सके।	कलेक्टर निवाड़ी को पत्र क्र.1294 दिनांक 24.12.2019 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	जिला आपूर्ति अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार शासन द्वारा पात्रता पर्ची के सत्यापन का अभियान चलाया जा रहा है। सत्यापन उपरांत अपात्रों को हटाने एवं पात्रों को जोड़ने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
98	25.02. 2020	जिला– निवाड़ी, के गौरी शंकर एवं बीरसिंह। जिला – निवाड़ी	शासकीय उचित मूल्य दूकान चन्द्रपुरा, वि.ख.–पृथ्वीपुर, जिला– निवाड़ी के गौरी शंकर एवं बीरसिंह द्वारा बताया गया कि दुकान नियमित नहीं खुलती हैं जिससे राशन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। 2. शासकीय उचित मूल्य दुकान चंदपुर में इलेक्ट्रानिक कांटा दुकान में रखा पाया गया परन्तु उपभोक्ताओं की मांग पर खाद्यान्न सामग्री तराजू से ही तौलकर दिया जाता है।	कलेक्टर निवाड़ी को पत्र क्र.1294 दिनांक 24. 12.2019 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	जिला आपूर्ति अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार शिकायत में जांच सही पाये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी पृथ्वीपुर के आदेश दिनांक 29.01.2020 द्वारा दुकान को निलंबित कर मेडिया बाबा स्व सहायता समूह गैल्वारा पर अस्थाई रूप से संलग्न किया गया।
99	25.02. 2020	निरीक्षण, जिला– निवाड़ी।	जिला–निवाड़ी के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला बारहोबुजुर्ग में निरीक्षण दिनांक को भोजन की गुणवत्ता ठीक नहीं पाई गई, समूह द्वारा ठीक से कार्य नहीं किया जाता है।	कलेक्टर निवाड़ी को पत्र क्र.1294 दिनांक 24.12.2019 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	जिला आपूर्ति अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार उक्त के संबंध में बी.आर.सी. पृथ्वीपुर द्वारा संबंधित समूह को नोटिस जारी कर कार्यवाही की गई तथा प्रकरण के निराकरण तक अन्य समूह से कार्य कराया जा रहा है।

Ø	f'kdk;r dh fnukd	f'kdk;r drk dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdl dk tkp d fy, Hktk	ikyu dh fLFkfr
100	25.02. 2020	निरीक्षण आंगनवाडी चंदपुरा, जिला– निवाड़ी।	आंगनवाडी केन्द्र चंदपुरा में 8 दिन से नाश्ता प्रदाय नहीं किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जावें।	कलेक्टर, निवाड़ी को पत्र क्र.1294 दिनांक 24.12.2019 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	जिला आपूर्ति अधिकारी के पत्र क्रमांक 78 दिनांक 27.02.2020 अनुसार परियोजना अधिकारी पृथ्वीपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में निरीक्षण दिनांक को रसोइया बीमार थी इसलिए नाश्ता समय से नहीं बन पाया। आंगनवाड़ी पर टीएचआर 3 माह से प्राप्त नहीं हुआ। पहले प्लांट भोपाल में था फिर सागर में परिवर्तित हुआ इसलिए किसी भी आंगनवाडी पर टीएचआर नहीं भेजा गया था, जो पहुँचा दिया गया है। नाश्ता नियमित प्रदाय किया जा रहा है।
101	25.02. 2020	निरीक्षण में ग्राम– चारपुरा, जिला– राजगढ़	एकीकृत माध्यमिक विद्यालय ग्राम–चारपुरा तहसील–नरसिंहगढ़, जिला– राजगढ़ में बच्चे खाना खाने के पहले हाथ साबुन से नहीं धुलते हैं, जिससे बीमारी का खतरा बना रहता है। 2. साथ ही विद्यालय में माह का अग्रिम खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो रहा हैं।	कलेक्टर, राजगढ़ को पत्र क्र.1166 दिनांक 21. 11.2019 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	जिला आपूर्ति अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार बच्चों को भोजन करने से पहले हाथ धुलाये जाने की कमी में सुधार कर लिया गया है एवं खाद्यान्न भी अग्रिम प्राप्त हो रहा है।
102	25.02. 2020	निरीक्षण में ग्रम– चारपुरा, जिला– राजगढ़	एकीकृत माध्यमिक विद्यालय ग्राम–चारपुरा तहसील–नरसिंहगढ़, जिला– राजगढ़ विद्यालय में स्वच्छ शौचालय की उपलब्धता नहीं है, जिससे बीमारी का खतरा बना रहता हैं।	कलेक्टर, राजगढ़ को पत्र क्र.1166 दिनांक 21. 11.2019 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	जिला आपूर्ति अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार एकीकृत माध्यमिक विद्यालय ग्राम चारपुरा में चार शौचालय निर्मित हैं, जिसकी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। किसी भी छात्र के बीमार होने की कोई शिकायत नहीं है।
103	25.02. 2020	निरीक्षण में ग्राम– चारपुरा, जिला– राजगढ़	आंगनवाड़ी केन्द्र किशोरपुरा , तहसील–नरसिंहगढ, जिला– राजगढ़ केन्द्र में पानी का फिल्टर उपलब्ध नहीं है। दूषित पानी पीने से बीमारी का खतरा बना रहता हैं।	कलेक्टर, राजगढ़ को पत्र क्र.1166 दिनांक 21. 11.2019 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	जि.कार्यक्रम अधि. के प्रतिवेदन अनुसार, जांच में पाया गया कि आंगनवाड़ी केन्द्र पर ट्यूब वेल के द्वारा पानी प्राप्ति की व्यवस्था की जा रही है एवं किशोरपुरा आंगनवाड़ी केन्द्र पर विभाग द्वारा प्रदाय पानी का फिल्टर नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है।

Ø	f'kdk;r dh fnukd	f'kdk;r drk dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdl dk tkp d fy, Hkstk	ikyu dh fLFkfr
104	25.02. 2020	लक्ष्मी स्व सहायता समूह, सिरोंज, जिला– विदिशा	लक्ष्मी स्व सहायता समूह की अध्यक्ष सिरोंज द्वारा यह बताया गया कि आंगनवाड़ी का खाद्यान्न समय पर नहीं मिलता है। जांच की जावे।	कलेक्टर, विदिशा को पत्र क्र.241 दिनांक 13. 03.2019 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	परियोजना अधिकारी, सिरोंज के प्रतिवेदन अनुसार, वर्तमान में आंगनवाडी केन्द्र पर समय पर बीपीएल गेहूँ / चावल का प्रदाय किया जा रहा है।
105	25.02. 2020	श्री रणधीर सिंह, प्रतिनिधि, जनपद पंचायत विदिशा, जिला – विदिशा	हासुआ की आंगनवाड़ीयों में राशि/ खाद्यान्ना कम दिया जा रहा है।	कलेक्टर, विदिशा को पत्र क्र.241 दिनांक 13. 03.2019 से कार्यवाही विवरण पालन हेतु भेजा।	परियोजना अधिकारी, विदिशा ग्रामीण के प्रतिवेदन अनुसार, वर्तमान में लाभान्वित हितग्राहियों के आधार पर आंगनवाडियों में बी.पी.एल गेहूँ/ चावल पर्याप्त मात्रा में प्रदाय किया जा रहा है।
106	25.02. 2020	श्री जीवनलाल यादव, हितग्र. ाही, शास्त्री वार्ड, जिला– सिवनी	विक्रेता सुमित चौरसिया द्वारा घोर मनमानी की जा रही है। चार माह का राशन नहीं दिया गया है, दिलाया जाए। विक्रेता के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।	कलेक्टर, सिवनी, पत्र क्रमांक 45 दिनांक 13. 01.2020 से कार्यवाही हेतु भेजा	जिला आपूर्ति अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार श्री जीवनलाल की समग्र परिवार आई डी 3006981 है। उनके पास ओला पाला की पात्रता पर्ची थी जो कि 06 माह तक वैद्य थी, जो समयावधि पश्चात बंद हो गई है। शिकायतकर्ता के परिवार में वर्तमान में पात्रता पर्ची न होने से विक्रेता द्वारा राशन नहीं दिया गया है।
107	25.02. 2020	श्री दिलीप गोस्वामी, पार्षद वार्ड क्र.18 तिलक वार्ड जिला– सिवनी	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का लगातार अनुपस्थित रहना एवं सहायिका के भरोसे आंगनवाड़ी चलाये जाने की शिकायत की जांच की जाए।	कलेक्टर, सिवनी, पत्र क्रमांक 45 दिनांक 13. 01.2020 से कार्यवाही हेतु भेजा	जिला आपूर्ति अधिकारी के अनुसार, परियोजना सिवनी शहरी अंतर्गत तिलक वार्ड में आंगनवाडी केन्द्र समय पर खोला जा रहा है। केन्द्र में कार्यरत आंगनवाडी कार्यकर्ता को सख्त हिदायत दी गई है कि निर्धारित समय पर केन्द्र में उपस्थित नहीं होने पर एवं विभागीय योजनाओं के संचालन में लापरवाही बरते जाने पर उनके खिलाफ शासन के निर्देशानुसार सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जावेगी।

Ø	f'kdk;r dh fnukd	f'kdk;r drk dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdldk tkp d fy, Hkstk	ikyu dh fLFkfr
108	25.02. 2020	श्री निरोत्तम भलावी, सरपंच, ग्रा.पं. बगनेरी, जिला–सिवनी	क्षेत्र में 12–13 किलोमीटर दूरी पर राशन दुकान है, पास में राशन दुकान खोली जाए।	कलेक्टर, सिवनी, पत्र क्रमांक 45 दिनांक 13. 01.2020 से कार्यवाही हेतु भेजा	जिला आपूर्ति अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत बगनेरी में शासकीय उचित मूल्य दुकान आंवटित की गई है, जो कि माह मार्च 2020 से ग्राम बगनेरी में ही क्रियाशील हो जावेगी।
109	25.02. 2020	श्री अर्जुन उईके, ग्राम–मडदेवी, ग्रा.पं. धनोरा, जिला–सिवनी	एक विक्रेता द्वारा चार दुकानों का संचालन किया जा रहा है। दुकान 10–12 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः पंचायत में राशन दुकान खोली जाए।	कलेक्टर, सिवनी, पत्र क्रमांक 45 दिनांक 13. 01.2020 से कार्यवाही हेतु भेजा	जिला आपूर्ति अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत मठदेवरी में तुआघोघरा की उप शासकीय उचित मूल्य दुकान खोली गई है, जो कि माह मार्च 2020 से ग्राम में ही क्रियाशील हो जावेगी।
110	25.02. 2020	श्री सुनीत सनोठिया, ज्वाला स्व सहायता समूह, कलबोड़ी, जिला–सिवनी	कलबोड़ी पंचायत की ज्वाला स्व सहायता समूह की आंगनवाड़ी के रसोइया को उनका पारिश्रमिक रु. 500.00 कई महिनों से नहीं मिला है।	कलेक्टर, सिवनी, पत्र क्रमांक 45 दिनांक 13. 01.2020 से कार्यवाही हेतु भेजा	जिला आपूर्ति अधिकारी सिवनी के प्रतिवेदन अनुसार कलबोड़ी पंचायत की ज्वाला स्व सहायता समूह की रसोइया, श्रीमती सुनीता को निर्धारित पारिश्रमिक रुपये 500/– का भुगतान प्रतिमाह का किया जा चुका है।
111	25.02. 2020	श्रीमती ग्यासवती भारती, सरपंच,ग्रा.पं. लुघरवाड़ा, जिला–सिवनी	पंचायत लुघरवाड़ा में आंगनवाड़ी केन्द्र का भवन क्षतिग्रस्त हैं, दुर्घटना हो सकती है।	कलेक्टर, सिवनी, पत्र क्रमांक 45 दिनांक 13. 01.2020 से कार्यवाही हेतु भेजा	जिला आपूर्ति अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार ग्राम लूघरवाड़ा में स्थित आंगनवाड़ी भवन की मरम्मत की स्वीकृति एंव बजट/आवंटन प्रस्ताव संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल से प्राप्त हो गया है। मरम्मत की राशि संबंधित निर्माण एजेन्सी को प्रदाय करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

Ø	f'kdk;r dh fnukad	f'kdk;r drkZ dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdl dks tkap ds fy, Hkstk	ikyu dh fLFkfr
112	25.02. 2020	श्री देवेन्द्र राहांगडाले, जनपद अध्यक्ष, जनपद कुरई, जिला–सिवनी	tulquokbZ tuin iapk;r] dqjbZ esa कहा कि बेलगांव में मध्यान्ह भोजन पांच दिन नहीं बना है। इसकी शिकायत सी.एम. हेल्प लाईन में भी की गई है। जांच कर दोषी व्यक्ति से खाद्य सुरक्षा भत्ता वसूल करें।	कलेक्टर, सिवनी, पत्र क्रमांक 45 दिनांक 13. 01.2020 से कार्यवाही हेतु भेजा	जिला आपूर्ति अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक कुरई द्वारा दिनांक 01.12.2019 को शिकायत की जांच की गई। प्रतिवेदन अनुसार समूह के पास खाद्यान्न उपलब्ध न होने के कारण शाला बेलगांव में पोहा, मिठाई एवं मुर्रे का वितरण किया गया। जिला पंचायत के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 32773 दिनांक 15.01.2020 के द्वारा संबंधित सेल्समेन को 01 माह के लिए अवैतनिक करने हेतु सहका. रिता विभाग सिवनी को आदेशित किया गया एवं पत्र क्रमांक 32772 द्वारा संबंधित समूह का 05 दिवस का खाद्यान्न एवं राशि की कटौती की गई।
113	25.02. 2020	श्री बेनीप्रसाद धुर्वे, सरपंच, सेटिबानी, जिला–सिवनी	tulquokbZ tuin iapk;r] dqjbZ ds nkSjku ग्राम चिकलपानी, रामपुरी एवं करजमारा के रहने वाले 15 से 20 परिवार को राशन लेने हेतु बहुत दूर जाने की शिकायत प्राप्त हुई। पूरा दिन राशन लेने में चला जाता है। उनकी कठिनाई को देखते हुए उनके नाम पास की राशन दुकान पहाड़गंज से जोड़ दिया जाए।	कलेक्टर, सिवनी, पत्र क्रमांक 45 दिनांक 13. 01.2020 से कार्यवाही हेतु भेजा	जिला आपूर्ति अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार ग्राम चिलपानी, रामपुरी एवं करजागारा को समीप की राशन दुकान पहाड़गंज, दुकान कोड क्र. 3704051 में जोड़ दिया गया है। सतर्कता समिति के सभी सदस्यों को वर्तमान में शासन द्वारा पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था से अवगत कराया गया है।
114	25.02. 2020	श्रीमती ऊषा हिवारे, आशाराम स्व सहायता समूह, पाटन, जिला–सिवनी	tulquokbZ tuin iapk;r] dqjbZ ds nkSjku आशाराम स्व सहायता समूह, पाटन ने बताया कि समूह को अक्टूबर 19 से राशन नहीं मिल रहा है।	कलेक्टर, सिवनी, पत्र क्रमांक 45 दिनांक 13. 01.2020 से कार्यवाही हेतु भेजा।	जिला आपूर्ति अधिकारी के पत्र क्रमांक 417 दिनांक 03.03.2020 के अनुसार समूह को माह अक्टूबर एवं नवम्बर 2019 का राशन दुकान पाटन से प्राप्त हो चुका है।

Ø	f'kdk;r dh fnukad	f'kdk;r drk dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdl dk tkp d fy, Hktk	ikyu dh fLFkfr
115	25.02. 2020	श्री भावसिंह चौधरी, सरपंच ग्राम पंचायत खापा, जिला – नरसिंहपुर	श्री भावसिंह चौधरी, सरपंच ग्राम पंचायत खापा द्वारा प्रसूताओं की डिलीवरी के समय प्रसूति सहायता राशि नहीं प्राप्त होने की शिकायत की गई।	कलेक्टर, जिला–नरसिंहपुर, म.प्र. को पत्र क्रमांक 41.दिनांक 08.01.2020 से कार्यवाही हेतु भेजा।	जिला आ. अधि. के प्रतिवेदन अनुसार ग्राम खापा की प्रसूताओं को डिलेवरी के समय प्रसूति की सहायता राशि प्रदाय की जा चुकी है।
116	25.02. 2020	ग्राम पंचायत जरजोला का निरीक्षण, जिला – नरसिंहपुर	ग्राम पंचायत जरजोला, के निरीक्षण में पाया गया कि शा.उ.मू. दुकान नियमित न खुलकर माह में 4–5 दिन ही खुलती है।	कलेक्टर जिला–नरसिंहपुर, म.प्र. को पत्र क्रमांक 41.दिनांक 08.01.2020 से कार्यवाही हेतु भेजा।	जिला आ. अधि. के प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत जरजोला की शा.उ.मू. दुकान नियमित रूप से खुल रही है तथा हितग्राहियों को खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है।
117	25.02. 2020	ग्राम पंचायत जरजोला का निरीक्षण, जिला – नरसिंहपुर	ग्राम पंचायत जरजोला, के निरीक्षण में पाया गया कि माध्यमिक शाला के किचिन शेड की छत से पानी टपकता है।	कलेक्टर जिला–नरसिंहपुर, म.प्र. को पत्र क्रमांक 41.दिनांक 08.01.2020 से कार्यवाही हेतु भेजा।	जिला आ. अधि. के प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत जरजोला के किचिन शेड की छत से पानी टपकने संबंधी मरम्मत कार्य पूर्ण करा लिया गया है।
118	25.02. 2020	श्री प्रशांत ढेंगुला, पार्षद वार्ड क्रमांक 25, जिला दतिया	श्री प्रशांत ढेंगुला, पार्षद वार्ड क्रमांक 25 द्वारा बताया गया कि शहर की उचित मूल्य दुकानों में मिट्टी का तेल हितग्राहियों को न दिया जाकर बाजार में सैल्समेन द्वारा ब्लेक किया जाता है।	कलेक्टर, जिला–दतिया म.प्र. को पत्र क्रमांक 1030. 1031 दिनांक 09.10.2020 से कार्यवाही हेतु भेजा।	जिला आपूर्ति अधिकारी दतिया के पत्र क्रमांक 176 दिनांक 05.02.2020 अनुसार शहर की उचित मूल्य दुकानों से उपभोक्ताओं को पात्रतानुसार मिट्टी का तेल वितरण किया जा रहा है। मिट्टी के तेल की कालाबाजारी नहीं की गयी है।

Ø	f'kdk;r dh fnukd	f'kdk;r drk dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdl dks tkap ds fy, Hkstk	ikyu dh fLFkfr
119	25.02. 2020	श्री प्रशांत ढेंगुला, पार्षद वार्ड क्रमांक 25, जिला –दतिया	श्री प्रशांत ढेंगुला, पार्षद वार्ड क्रमांक 25 द्वारा उपभोक्ताओं को 50 कि.ग्रा. की पात्रता पर्ची पर मात्र 25 कि.ग्रा. खाद्यान्न दिये जाने की शिकायत की गई।	कलेक्टर, जिला–दतिया म.प्र. को पत्र क्रमांक 1030. 1031 दिनांक 09.10.2020 से कार्यवाही हेतु भेजा।	जिला आपूर्ति अधिकारी दतिया के पत्र क्रमांक 176 दिनांक 05.02.2020 अनुसार उपभोक्ताओं को उनकी पात्रतानुसार खाद्यान्न सामग्री दुकानों से प्रदाय की जा रही है। किसी भी उपभोक्ता को पात्रता से कम सामग्री प्रदाय नहीं की जा रही है।
120	25.02. 2020	श्री प्रशांत ढेंगुला, पार्षद वार्ड क्रमांक 25, जिला – दतिया	श्री प्रशांत ढेंगुला, पार्षद वार्ड क्रमांक 25 द्वारा बताया गया कि आंगनवाड़ियों पर मध्यान्ह भोजन की सामग्री काली पॉलीथिन में रखकर केन्द्रों पर वितरित की जाती है, जिससे बच्चों को गंभीर बीमारी होने की संभावना है। पोलीथीन की जगह स्टील या पीतल के बर्तन से मध्यान्ह भोजन का खाना वितरण कराया जावे।	कलेक्टर, जिला–दतिया म.प्र. को पत्र क्रमांक 1030. 1031 दिनांक 09.10.2020 से कार्यवाही हेतु भेजा।	जिला आपूर्ति अधिकारी दतिया के पत्र क्रमांक 176 दिनांक 05.02.2020 अनुसार परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास, दतिया के अनुसार समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों में म.प्र. शासन के निर्देशानुसार स्व सहायता समूहों के द्वारा स्टील की स्वच्छ टंकियों में नाश्ता एवं भोजन रखकर वितरित किया जाता है।
121	25.02. 2020	श्री अनूप तिवारी, पार्षद वार्ड क्रमांक 18, जिला – दतिया	श्री अनूप तिवारी, पार्षद वार्ड क्रमांक 18 द्वारा बताया गया कि बजरंग उपभोक्ता भण्डार के संचालक द्वारा उचित मूल्य दुकान माह में 04 दिन ही खोली जाती है।	कलेक्टर, जिला–दतिया म.प्र. को पत्र क्रमांक 1030. 1031 दिनांक 09.10.2020 से कार्यवाही हेतु भेजा।	जिला आपूर्ति अधिकारी दतिया के पत्र क्रमांक 176 दिनांक 05.02.2020 अनुसार वार्ड क्रमांक 18 की उचित मूल्य दुकान बजरंग उपभोक्ता भण्डार को निर्धारित दिन एवं समय पर दुकान खोलने के निर्देश दिये गए हैं।

Ø	f'kdk;r dh fnukd	f'kdk;r drk dk uke o irk	f'kdk;r dk fooj.k	fdldk tkp ds fy, Hkstk	ikyu dh fLFkfr
122	25.02. 2020	श्रीमती नेहा सहारिया, सरपंच बसई जिला – दतिया	श्रीमती नेहा सहारिया, सरपंच बसई द्वारा शिकायत की गई कि ग्राम देवगढ़ में आंगनवाड़ी केन्द्र कार्यकर्ता 04 माह या इससे भी अधिक समय बाद आंगनवाड़ी केन्द्र को सिर्फ 01 दिन ही खोलती है।	कलेक्टर, जिला–दतिया म.प्र. को पत्र क्रमांक 1030. 1031 दिनांक 09.10.2020 से कार्यवाही हेतु भेजा।	जिला आपूर्ति अधिकारी दतिया के पत्र क्रमांक 176 दिनांक 05.02.2020 अनुसार परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विकास, परियोजना दतिया ग्रामीण–1 द्वारा जांच की गई, जांच उपरान्त शिकायत सत्य पाई गई। श्रीमती वंदना यादव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, देवगढ़ को पद से पृथक किया गया है।
123	29.02. 2020	श्री सचिन पुरोहित, वार्ड पार्षद 16 बड़वानी समीक्षा बैठक के दौरान प्राप्त शिकायत	श्री सचिन पुरोहित, वार्ड पार्षद 16 जिला बड़वानी द्वारा शासकीय योजनाओं में हो रही अनियमितताओं के संबंध में।	कलेक्टर बड़वानी को पत्र क्रमांक 215, दिनांक 29.02.2020	जिला स्तर पर विस्तृत जांच कार्य प्रक्रियाधीन है।
124	29.02. 2020	दिनांक 20. 02.2020 को दैनिक भास्कर, खण्डवा में प्रकाशित खबर	आंगनवाडी में तीन साल से नहीं मिला भोजन, नए समूह को दी जिम्मेदारी, इसने भी 3 बार ही दिया।	कलेक्टर खण्डवा को अ. शा. प्रत्र क्रमांक 214 दिनांक 29.02.2020	जिला स्तर पर विस्तृत जांच कार्य प्रक्रियाधीन है।

प्रचार–प्रसार

- आयोग द्वारा प्रदेश में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गयी जिसका समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराया गया । आयोग द्वारा जिले में तीनों विभागों– (खाद्य, महिला एवं बाल विकास तथा ग्रामीण विकास की पी.डी.एस, आंगनवाड़ी में पोषण आहार, मध्यान्ह भोजन एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) – की योजनाओं को धरातल पर जाकर समीक्षा एवं निगरानी की गयी जिसका प्रचार–प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से कराया गया।

- वर्ष 2019–20 में आयोग द्वारा भ्रमण किए गए 26 जिलों के एक–एक विकासखण्ड में जनसुनवाई शिविर आयोजित किया गया । इन शिविरों में हितग्राहियों की शिकायत सुनने के साथ–साथ जन प्रतिनिधि एवं सभी स्टेक होल्डर्स को खाद्य सुरक्षा योजनाओं के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई।

- दिनांक 28.09.2018 को अशासकीय संस्था साझा मंच के द्वारा भोपाल में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से भी अधिनियम एवं नियमों का प्रचार किया गया।

- उ.मू.दु./पंचायत/वार्ड स्तरीय निगरानी एवं सतर्कता समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में तीनों संबंधित विभागों से चर्चा कर, प्रशिक्षण सामग्री का प्रारूप तैयार किया गया । उक्त प्रशिक्षण सामग्री के मुद्रण करने एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के निर्धारण के लिए खाद्य विभाग को अनुरोध किया गया है।

&&&&&&&&

enlkj fnukd 17-10-2019

स्वास्थ्य : राज्य खाद्य आयोग अध्यक्ष स्वाई ने अलग-अलग जगह किया निरीक्षण

कुपोषित की देखी सेहत, लिए चावल के सैंपल

पूड़ी नहीं, रोटी पसंद

'मध्याह्न भोजन और सब्जियों पर बैठती हैं मक्खियां' सुनकर आयोग के अध्यक्ष ने दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश

खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने ली जिले की बैठक, हितग्राहियों को मिलने वाले लाभ की समीक्षा की

आयोग ने दिए शालाओं में विद्यार्थियों से बर्तन धुलवाने पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश

विधायक ने दिए यह सुझाव

मो.9977883830

खाद्य सामग्री की जांच कर दुरूस्तय करें

राज्य खाद्य आयोग ने विभागीय समीक्षा की

[kjxkSu]20-08-2019

उपभोक्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार करें कंट्रोल दुकानदार

खाद्य आयोग आज करेगा निरीक्षण

cjgkuiqj fnukd 17-07-2019

नईदुनिया 15

बड़वानी

माह में पांच दिन या लगातार तीन दिन तक मध्याह्न भोजन नहीं दिया तो जुर्माना

36 हजार राशन कार्डधारियों ने छह माह से नहीं लिया राशन

cMokuh] 26-02-2020

भरभडिया में किया शासकीय उचित मूल्य दुकान व आंगनवाड़ी का निरीक्षण

हितग्राहियों को सस्ता अनाज समय पर मिले- श्री स्वाई

उचित मूल्य की दुकानों के लिए बनाएं निगरानी समिति
क्षेत्र में पार्षद तो गांव के लिए सरपंच को बनाएं अध्यक्ष

f’koiqjh]30-02-2019

आयोग ने किया निरीक्षण

राज्य खाद्य आयोग अध्यक्ष एवं सदस्य 28 को आएंगे

सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना व अन्य योजनाओं की करेंगे समीक्षा

राशन वितरण की व्यवस्था 1 माह में सुधारने की चेतावनी

- राज्य खाद्य आयोग अध्यक्ष ने की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा
- जनप्रतिनिधि एवं संस्थाओं से प्राप्त किए सुझाव

एनआरएलएम की सामग्री का किया अवलोकन

[k.Mok fnukad 19-07-2019

मप्र राज्य खाद्य आयोग की बैठक हुई

जनप्रतिनिधि भी खाद्यान्न, पोषण आहार भोजन वितरण की मॉनिटरिंग करें: स्वाई

फरवरी माह में ग्रामीण क्षेत्र के 15142 तथा शहरी क्षेत्र के 3036 परिवारों ने खाद्यान्न नहीं लिया

उचित मूल्य की दुकानों के लिए निगरानी समितियां गठित करें

मप्र राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष आर के स्वाई ने जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए

पात्र हितग्राहियों को हर माह खाद्यान्न दें : स्वाई

नीमच। मप्र राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष राजकिशोर स्वाई एवं सदस्यों द्वारा सोमवार को नीमच के कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला अधिकारियों की बैठक में विभागीय समीक्षा की और अफसरों को आवश्यक निर्देश भी दिए।

खाद्य आयोग के अध्यक्ष राजकिशोर स्वाई ने निर्देश दिए कि सभी पात्र परिवारों और हितग्राहियों को नियमानुसार प्रति माह राशन दुकान से रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदान किया जाए। बैठक में सदस्यगण श्रीमती दुर्गा ठाकर श्रीमती स्नेहलता उपाध्याय, मोहनलाल अहिरवार एवं बीरसिंह चौहान तथा कलेक्टर अजय सिंह गंगवार जिला पंचायत सीईओ सुश्री भव्या मित्तल एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे।

मप्र राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष राजकिशोर स्वाई ने बैठक में निर्देश दिए कि मध्याह्न भोजन वितरण आंगनवाड़ी में पोषण आहार वितरण एवं राशन दुकानों से खाद्यान्न वितरण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में दर्ज कर उनका प्राथमिकता से निराकरण किया जाए। जिला व विकासखंड स्तरीय अधिकारी उक्त संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लें। श्री स्वाई ने निर्देश दिए कि जिन ग्राम पंचायतों में राशन दुकानें नहीं हैं, वहां समूह गठित कर उन्हें राशन दुकान अनुसार भोजन के लिए खाद्यान्न का अग्रिम आवंटन हेतु ऐसी व्यवस्था की जाए। मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष राजकिशोर स्वाई ने निर्देश दिए कि आंगनवाड़ी केंद्रों और शालाओं में मध्याह्न भोजन के नमूने लेकर जांच के लिए भिजवाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि अच्छी गुणवत्ता का भोजन बच्चों को प्रदान हो। उन्होंने जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की नियमित रूप से बैठक करने के निर्देश भी दिए। श्री स्वाई ने निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति जनजाति बहुल पंचायतों में अभियान चलाकर पात्रता पर्ची धारी व परिवारों का सत्यापन कराए यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इन वर्गों के परिवारों को नियमानुसार खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है।

राज्य खाद्य आयोग की आज जावद में जनसुनवाई

नीमच। मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष राजकिशोर स्वाई एवं आयोग के सदस्यगण 15 अक्टूबर 2019 को दोपहर 2 बजे से जनपद सभा भवन जावद में जनसुनवाई कर आम लोगों की समस्याओं से संबंधित

दर्ज हो एफआईआर

फर्जी आईडी बनाकर की जा रही मध्यान्ह भोजन में हेराफेरी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

मंदसौर. मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष राजकिशोर स्वाई के नगर आगमन पर कांग्रेस नेताओं ने उनसे मुलाकात की। आयोग अध्यक्ष स्वाई को ज्ञापन सौंपकर मध्यान्ह भोजन में फर्जी आईडी बनाकर हेराफेरी करने के आरोपी मदरसा कॉर्डिनेटर डा. शाहीद कुरैशी, जिला शिक्षा अधिकारी आरएल कारपेंटर, मदरसा बोर्ड प्रभारी अशोक पाटीदार एवं जिला पंचायत के अधिकारियों पर लगाए।

राज्य खाद्य आयोग को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग करते हुए।

को मामले की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि फर्जी आईडी लगाकर मंदसौर जिले के 296 मदरसों में मध्यान्ह भोजन के नाम से शासन को चूना लगाया जा रहा है। बैंकों में भी

26 को श्योपुर प्रवास पर आएंगे राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष व सदस्यगण

श्योपुर ब्यूरो

मप्र राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष राजकिशोर स्वाई,सदस्य किशोर खण्डेलवाल व श्रीमती स्नेहलता उपाध्याय आगामी 26 व 27 फरवरी को श्योपुर जिले के प्रवास पर रहेगे। आयोग के प्रशासकीय अधिकारी अनिल तिवारी एवं लिपिक कार्य के लिए एक स्टाफ भी दो दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के दौरान नागरिक आपूर्ति निगम के इश्यू सेंटर पोषण पुनर्वास केन्द्र, सेंट्रल किचन, आंगनबाड़ी केंद्र, उचित मूल्य की दुकान आदि का निरीक्षण किया जाएगा। कलेक्टर बसंत कुर्रे ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि मप्र राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के श्योपुर जिले के भ्रमण के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना

e-i-jkT; [kk| vk;kx dh leh{kk cBd

e-i-jkT; [kk| vk;kx dh cBd] lriMk Hkou] Hkkiky fnukd 13-08-2019

e-i-jkT; [kk| vk;kx dh cBd] lriMk Hkou] Hkkiky fnukd 13-12-2019

e-i-jkT; [kk| vk;kx }kjk fnukd 28-06-2019 dk nokl ftyk e[;ky; ij vk;kftr leh{kk cBd

e-i-jkT; [kk| vk;kx }kjk fnukd 19-08-2019 dk [kjxku ftyk e[;ky; ij vk;kftr leh{kk cBd

e-i-jkT; [kk| vk;kx }kjk fnukd 14-10-2019 dk uhep ftyk e[;ky;
ij vk;kftr leh{kk cBd

Jh xkjyky vfgjokj] lnL;] e-i-jkT; [kk| vk;kx }kjk ftyk
e[;ky; fuokMh ij vk;kftr leh{kk cBd fnukd 14-11-2019

e-iz-jkT; [kk| vk;kx }kjk fodkl [k.M ikgjh] ftyk & f'koiqjh esa fnukad 01-03-2019 dks vk;ksftr tulquokbZ dk;Øe

e-iz-jkT; [kk| vk;kx }kjk fodkl [k.M [kkyok] ftyk [k.Mok esa fnukad 19-07-2019 dks vk;ksftr tulquokbZ dk;Øe

e-i-jkT; [kk| vk;kx }kjk fodkl[k.M eYgkjx<] ftyk eanlkSj esa fnuakd 17-10-2019 dks vk;ksftr tulquokbZ dk;ZØe

vkxuokMh fujh{k.k

Jh xkSjyky vfgjokj] lnL;] e-i-jkT; [kk| vk;ksx }kjk vkxuokMh dsUnz jxkSyh ftyk & Nrjiqj dk fujh{k.k fnukad 06-06-2019

Jh vkj-d- Lokbz] v/;{k] e-i-jkT; [kk| vk;ksx }kjk vkxuokMh dsUnz mefj;k bZljk ftyk & fNanokMk dk fujh{k.k fnukad 27-11-2019

Jh fd'kksj [k.Msyoky] lnL;] e-i-jkT; [kk| vk;kx }kjk vkxuokM+h dsUnz fi lk t kM+h ft yk & cSrwy dk fujh{k.k fnukad 28-12-2019

mfpr eY; nqdkuksa dk fujh{k.k

Jh xkSjhyky vfgjokj] lnL;] e-iz-jkT; [kk| vk;ksx }kjk mfpr eY; nqdku] xzke iapk;r cujk] ftyk & Vhdex<+ dk fujh{k.k fnukad 13-09-2019

Jh vkj-d-Lokbz] v/;{k] e-iz-jkT; [kk| vk;ksx }kjk mfpr eY; nqdku mefj;k bZlqjk] ftyk & fNUnokM+k dk fujh{k.k fnukad 27-11-2019

Jh vkj-d-Lokbl] v/;{k] e-i-jkT; [kk| vk;kx }kjk mfpr eY; n|dku tulok Hk.Mkj] ftyk & cry dk fujh{k.k fnukd 28-12-2019

म.प्र.राज्य खाद्य आयोग द्वारा शासकीय माध्यमिक शाला जूनाझिरा जिला बड़वानी दिनांक 26.02.2020

NRC Hkze.k

e-i-jkT; [kk| vk;kx }kjk ,uvkjlh dUnz uhep dk fujh{k.k fnukad 15-10-2019

e-i-jkT; [kk| vk;kx }kjk ,uvkjlh dUnz flouh dk fujh{k.k fnukad 29-11-2019

b’;w lsUVj ¼[kk|ké inzk; dsUnz½

e-iz-jkT; [kk| vk;ksx }kjk [kk|ké inzk; dsUnz e-iz- LVsV os;j gkml dk fujh{k.k fnukad 26-02-2019 ftyk&cM+okuh

e-i-jkT; [kk| vk;kx }kjk [kk|ké ink; dUnz jhrk ?kbl o;j gkml dk
fujh{k.k fnukad 27-11-2019 ftyk & fNanokMk

e-i-jkT; [kk| vk;kx }kjk [kk|ké ink; dUnz dk fujh{k.k fnukad 28-
12-2019 ftyk& cirqy

Ldwy Hkze.k e/;kUg Hkkstu

v/;{k] e-iz-jkT; [kk| vk;ksx }kjk ikFkfed ,oa ek/;fed 'kkyk] cjcfM;k] ftyk uhep esa e/;kUg Hkkstu dk;Øe dk fujh{k.k fnukad 15-10-2019] ftyk & uhep

e/;kUg Hkkstu fuekZ.k d{k

'kk-ik-cky d ikB'kkyk xqMHkyh fodkl [k.M eYgkjx<+ esa e/;kUg Hkkstu dk;Øe esa lapkfyr Hkkstu d{k dk fujh{k.k fnukad 17-10-2019] ftyk & eanlkSj

isl okrkZ

Jh vkj-d-Lokbl] v/;{k] e-iz-jk-[kk- vk;ksx }kjk vk;ksftr i=dkjokrkZ ftyk eq[;ky;] [k.Mok fnukd 19-07-2019

Working to remove ineligible from BPL list: MP food panel

TIMES NEWS NETWORK

TOI

MPSFC chairman Rajkishore Swain at Niwali Anganwadi centre

Barwani: Efforts are being made to remove ineligible people from the below poverty line (BPL) list so as to maximize the benefit to the deprived, said Madhya Pradesh State Food Commission (MPSFC) chairman Rajkishore Swain at Niwali of Barwani on Wednesday.

Swain, who is on a two-day visit in the district along with members of the commission,

दैनिक

पद्मिनी टाइम्स

सच की झलक सबसे अलग

272 pdtimes.mds@gmail.com मंदसौर, दिनांक 19 अक्टूबर 2019, शनिवार पृष्ठ - 4 मूल्य 1/-

समर्पण **खाद्य आपूर्ति विभाग ने पेश की मानवता की मिसाल**

विक्षिप्त बालिका को दिलावाया उसके हक का राशन

बालिका को राशन देता सेल्समेन

पद्मिनी ■ मंदसौर

गुरुवार को मंदसौर प्रवास के दौरान मल्हारगढ़ में जनसुनवाई की थी। जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों के सामने एक अजीब मामला संज्ञान में आया। मामले के अनुसार ग्राम रीछा की एक विक्षिप्त बालिका जो कि मानसिक और शारिरीक रूप से अपंग है।

जनसुनवाई के दौरान खाद्य आयोग के अध्यक्ष राजकिशोर स्वाई, एसडीएम रोजानो पाटीदार जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी राजीव वर्मा व खाद्य निरीक्षक श्री नारायण के समक्ष यह मामला आया तो सभी अधिकारियों ने तत्काल इस मामले में संज्ञान लेते हुए। आयोग अध्यक्ष श्री स्वाई के निर्देशनुसार विक्षिप्त बालिका शंकर को शुक्रवार को उचित मूल्य की दुकान से उसके हक का राशन दिलवाया। जिसमें बालिका को गेहूं, चावल, शक्कर का वितरण किया गया। बालिका भी राशन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। खाद्य आपूर्ति अधिकारी श्री वर्मा ने बताया कि फ़िंगर प्रिंट मेच नहीं होने के

आयोग अध्यक्ष श्री स्वाई ने कहा था कि बालिका को मिलने वाले राशन का जल्द से जल्द निराकरण किया जाये। जिस पर भोपाल खाद्य निगम को मामला से अवगत कराकर उसके हिस्से का राशन शुक्रवार को उसे उपलब्ध करवाया गया। श्री वर्मा ने बताया कि बालिका शंकर के माता - पिता नहीं है वह अपनी दादीजी के साथ रहती है। उसके पास अंत्योदय योजना का कूपन तो था लेकिन मां की मृत्यु हो जाने के बाद उसके फ़िंगर प्रिंट मेच नहीं होने की वजह से उसका राशन बंद हो गया था जिसे विभाग द्वारा मामला के संज्ञान में आते तुरंत ही चालू करवाया है। इसके साथ ही जिला आपूर्ति अधिकारी श्री वर्मा ने मध्यान्ह भोजन बनाने वाले टेकेदार और आंगनवाड़ीयों को भी निर्देशित किया है कि वे बालिका शंकर को भोजन के लिए इंकार न करे और उसके भोजन की व्यवस्था करे।

ऐसे और भी मामले पता किए जा रहे है

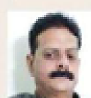

जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी श्री वर्मा ने बताया कि बालिका शंकर जैसे और भी मामले पता किए जा रहे है। हमारा लक्ष्य है कि जो भी जरूरतमंद हो उसे पर्याप्त राशन मिले फिर चाहे तकनीकी रूप से कोई समस्या आ रही हो तो उसका भी निराकरण किया जायेगा। श्री वर्मा ने बताया कि यह मामला भी हमारे संज्ञान में गुरुवार को आया और हम लोगों ने शुक्रवार को ही याने एक दिन में ही हितग्राही को राशन दिलवा दिया। श्री वर्मा ने बताया कि जिले के सभी खाद्य आपूर्ति अधिकरियों और निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे भी इस तरह के मामलों को गंभीरता से देखे और जिला

आयोग की जिला स्तरीय बैठकें एवं निरीक्षण

राज्य खाद्य आयोग ने निश्चय किया कि योजनाओं की समीक्षा एवं मूल्यांकन हेतु जिला स्तर पर बैठकें एवं कार्यक्रमों का निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। समीक्षा बैठक एवं निरीक्षण के पीछे आयोग के निम्न उद्देश्य थेः–

(अ) अधिकारियों तथा स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जानकारी देना एवं उन्हें इसके प्रति संवेदनशील बनाना।

(ब) कार्यक्रमों के संचालन के संबंध में जन प्रतिनिधियों का अब तक का अनुभव साझा करना तथा सुझाव प्राप्त करना,

(स) जिला प्रशासन के अधिकारी तथा निकायों के प्रतिनिधि, जिन्हें पात्र हितग्राही को चिन्हित करने, लाभ दिलाने, शिकायत का निराकरण करने एवं योजनाओं की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है उनके द्वारा कितनी सक्रियता से कार्य सम्पादन किया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना,

(द) धरातल पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, राशन विक्रेता एवं महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा दी जा रही सेवा की गुणवत्ता का आंकलन करना, तथा

(न) आमजन एवं हितग्राहियों की संतुष्टि, जो कि योजनाओं की सफलता को नापने की सही कसौटी हैं,की स्थिति ज्ञात करना ।

भ्रमण के पहले दिन जिले के माननीय सांसद, माननीय विधायक या उनके प्रतिनिधि, जिला पंचायत के अध्यक्ष, नगरीय निकायों के महापौर/अध्यक्ष, स्थानीय पार्षद, स्वयं सेवी संगठन के प्रतिनिधि एवं आम नागरिकों के साथ उनकी शिकायत एवं सुझाव प्राप्त करने के लिये बैठकें आयोजित की गई। जिले के कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं तीनों विभागों के जिला अधिकारियों तथा सहयोगी निगम मण्डल के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। भ्रमण के दूसरे दिन आयोग द्वारा जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया तथा क्षेत्र के हितग्राहियों के साथ चर्चा की गई एवं संस्थाओं का निरीक्षण किया गया। समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण, निरीक्षण प्रतिवेदन एवं आयोग द्वारा दिये गये सुझाव, विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विभाग प्रमुख एवं जिला अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे गये।

Ok"k 2019&20 e jkT; [kk| vk;kx }kjk
vk;kftr leh{kk cBd ,o fujh{k.k

वर्ष 2019–20 में (26 फरवरी, 2020 तक) राज्य खाद्य आयोग द्वारा प्रदेश के 26 जिलों का भ्रमण किया गया। आयोग द्वारा इस अवधि में जिन जिलों का भ्रमण किया गया, वे जिले निम्नानुसार हैः–

मण्डला, डिण्डोरी, विदिशा, गुना, श्योपुर, बालाघाट, शिवपुरी, देवास, बुरहानपुर, खण्डवा, छतरपुर, टीकमगढ़, खरगोन, दतिया, भिण्ड, नरसिंहपुर, राजगढ़, रायसेन, नीमच, मंदसौर, निवाड़ी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, बड़वानी एवं दमोह।

प्रत्येक जिले में दो दिवसीय निरीक्षण एवं समीक्षा बैठक आयोजित की गई। भ्रमण के प्रथम दिवस में दो चरणों में चर्चा एवं बैठक आयोजित की गई। प्रथम चरण में स्थानीय सांसद/विधायक अथवा उनके प्रतिनिधि, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के सरपंच, महिला सरपंच, शा. उ. मू. दुकान स्तरीय निगरानी समिति के अध्यक्ष नगरपालिका के अध्यक्ष, पार्षद, स्वयंसेवी संगठन के प्रतिनिधि, स्व सहायता समूह के प्रतिनिधि एवं हितग्राहियों के साथ बैठक आयोजित की गई एवं उनके सुझाव प्राप्त किए गए। द्वितीय चरण में कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के साथ–साथ खाद्य, महिला बाल विकास, ग्रामीण विकास विभाग, सहकारिता विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम, राज्य भण्डार गृह निगम के जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई। भ्रमण के दूसरे दिवस में उ.मू.दु., आंगनवाड़ी केन्द्र, मध्यान्ह भोजन, इश्यू सेन्टर/भण्डारगृह, पोषण पुनर्वास केन्द्र, सेन्ट्रल किचन का निरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त जिले के एक पिछड़े विकासखण्ड में जनसुनवाई शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर नागरिकों की समस्या सुनी गई एवं उनके सुझाव प्राप्त किए गए।

जिलों में पाई गई स्थिति एवं सुधारात्मक उपाय के बारे में आयोग के सुझाव एवं निर्देश को समावेश कर विस्तृत कार्यवाही विवरण संबंधि निम्नानुसार है :–

1. जिला – मण्डला

आयोग द्वारा दिनांक 5–6.2.2019 को मण्डला जिले का भ्रमण किया गया। दिनांक 5.2.19 को जिला मुख्यालय पर जनप्रतिनिधियों एवं सतर्कता समिति के सदस्यों के साथ चर्चा की गई। द्वितीय सत्र में कलेक्टर एवं विभागीय अधिकारियों के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई। दिनांक 6.2.19 को कार्यक्रमों का निरीक्षण कार्य किया गया एवं हितग्राहियों से चर्चा की गई। मोहगांव जनपद पंचायत में जनसुनवाई शिविर का भी आयोजन किया गया। योजनाओं की स्थिति निम्नानुसार पाई गईः–

¼v½ yf{kr lkoZtfud forj.k iz.kkyh%&

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि राशन कार्ड में पात्र व्यक्तियों के नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं। यह अधिकार कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया जाए। पात्र हितग्राहियों की पर्ची जनरेट नहीं हो पा रही है। राशन रखने के लिए अच्छा सरकारी भवन नहीं है। दुकान के लिए भवन/गोदाम बनाया जाये। विक्रेताओं का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। उमरिया ग्राम पंचायत के हितग्राहियों को राशन लेने हेतु लगभग दस किलोमीटर दूर उमरडीह गांव जाना पड़ता है। गांव के पास राशन वितरण की व्यवस्था की जाये।

समीक्षा में पाया गया कि जिले की ग्रामीण जनसंख्या का 85 प्रतिशत तथा शहरी जनसंख्या का 51 प्रतिशत को योजना का लाभ मिल रहा है। इस प्रकार से योजना से गरीब परिवारों को आच्छित करने की स्थिति अच्छी है। जिले की अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या 93 प्रतिशत योजना का लाभ ले रही है। यह भी प्रशंसनीय है। 8793 अन्त्योदय परिवारों को भी सस्ता अनाज प्राप्त हो रहा है। आधार सीडिंग को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। वर्तमान में 77 प्रतिशत हितग्राहियों की आधार सीडिंग हुई है। पिछले तीन साल में केवल 1538 अपात्र व्यक्तियों के नाम पोर्टल से हटाए गए हैं। जिले में 6200 से भी ज्यादा सत्यापित, किन्तु अलाभांवित परिवार हैं। अपात्र परिवारों को हटाने के बाद इन परिवारों के नाम जोड़े जाना है। जिला स्तरीय सतर्कता/ निगरानी समिति का गठन नहीं हुआ है। उचित मूल्य दुकान स्तर पर भी सतर्कता समितियों का पुर्नगठन नहीं हुआ है। दुकान में लगी 230 डी.एस.के. कंपनी की पी.ओ.एस. मशीनें पिछले तीन माह से खराब है, जिसके कारण राशन वितरण में बाधा आ रही है। अच्छी बात यह है कि अंगूठा घिस जाने पर हितग्राहियों को मण्डला जिले में रजिस्टर से सामग्री का प्रदाय किया जा रहा है। एडवांस लिफ्टिंग शतप्रतिशत हो रहा है। जिले में केवल 04 पंचायत को छोड़कर शेष पंचायतों में दुकान खोल दी गई है। विक्रेताओं की कमी होने के कारण 55 विक्रेताओं द्वारा दो या तीन दुकान संचालित किया जा रहा है। समीक्षा में यह भी सामने आया कि प्रति माह औसतन 2000 से अधिक परिवार किन्ही कारणों से राशन लेने नहीं आ रहे हैं।

vk;ksx }kjk fn, x, lq>ko ,oa funsZ'k

1. प्रत्येक राशन दुकान के लिए स्वतंत्र विक्रेता होना आवश्यक है। सहकारिता विभाग नियुक्ति पर लगाई गई रोक को हटाकर विक्रेताओं की नियुक्ति के लिए शीघ्र निर्देश जारी करे।

2. सभी पंचायतों में दुकान खोलने के लिए सराहनीय काम हुआ है। आदिवासी क्षेत्र में जिन 04 ग्राम पंचायतों में अभी तक दुकान नहीं खोली जा सकी हैं, उन पंचायतों में एक माह के भीतर नवीन राशन दुकान खोली जाये।

3 सम्पन्नता एवं फर्जी जानकारी के आधार पर सूची में जिन अपात्र हितग्राहियों का नाम शामिल हो गया है, उनकी जांच आगामी तीन माह में पूर्ण कर उन्हें सूची से हटाने की कार्यवाही की जावे।

4. मान. प्रभारी मंत्री जी से अध्यक्ष का नाम का अनुमोदन प्राप्त कर जिला एवं उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति का गठन एक माह के भीतर किया जाये।

5. उचित मूल्य दूकान स्तरीय निगरानी एवं सतर्कता समिति का पुर्नगठन एवं प्रशिक्षण 02 माह के भीतर किया जाये। सदस्यों के नाम एवं मोबाईल नम्बर राशन दुकान, प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनवाड़ी केन्द्र के बाहर लिखने की व्यवस्था की जाये। सतर्कता समिति को मासिक आवंटन की जानकारी एस.एम.एस. से देने की व्यवस्था नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा की जाए।

6. विक्रेता दुकान में उपलब्ध अनाज की बोरियों को छांटकर सांझा चूल्हा एवं मध्यान्ह भोजन के लिए अच्छी गुणवत्ता का अनाज उपलब्ध करायें। हितग्राहियों एवं स्व सहायता समूहों को तौलकर सामग्री देने के लिए उन्हें पाबंद किया जाये।

7. पिछले चार माहों से अनाज प्राप्त नहीं करने वाले दो हजार से अधिक परिवारों की जांच की जाए। अपात्र पाये जाने पर उनका नाम सूची से प्रथक किया जाये।

8. मजदूरी के लिए बाहर जाने वाले आदिवासी परिवार उसी माह राशन प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। उनकी हकदारी कम से कम आगामी माह तक जीवित रखी जाये और अगले माह उन्हें राशन दिया जाये।

9. हितग्राहियों को राशन के लिए उमरिया गांव से लगभग दस किलोमीटर दूरी पर उमरडीह गांव जाना पड़ता है। आपूर्ति अधिकारी को समझाईश दी गई कि नारायणपुर पंचायत में सुविधाजनक स्थान पर उचित मूल्य दुकान स्थानांतरित करने की कार्यवाही करें।

¼c½ i|jd iks"k.k vkgkj dk;Øe

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि उनके क्षेत्र में आंगनवाड़ी में कार्य ठीक ढंग से चल रहा है। भोजन में खीर तथा फल बच्चों को प्रदाय किये जाये।

समीक्षा में पाया गया कि जिले के प्रत्येक गांव में आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। कुछ गांव के मजरों में भी मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खोले गए हैं। इस प्रकार आदिवासी बाहुल्य जिले में महिला एवं बाल विकास परियोजना की पहुंच सभी गांवों तक है, जोकि अच्छी बात है। सभी 2304 आंगनवाड़ी केन्द्र में पीने के पानी की व्यवस्था है। लेकिन लगभग 1800 से अधिक आंगनवाड़ी केन्द्रों में बिजली

की व्यवस्था नहीं है। टेक होम राशन की वितरण की स्थिति अच्छी है। सभी आंगनवाड़ियों में नाश्ता और भोजन अलग–अलग समय पर दिया जा रहा है। जन सहयोग से सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में न्यूट्री कार्नर की स्थापना की गई है। जिले में 1000 बच्चे अति कुपोषित श्रेणी में दर्ज हैं। एन.आर. सी. में उपचार होने के बाद इनमें से मात्र 414 अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। शेष अतिकुपोषित बच्चों के ईलाज एवं उपचार के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन की स्थिति संतोषप्रद है। वर्ष 2018–19 में 8245 पात्र माताओं की पहचान कर ली गयी है और उनमें से 7758 माताओं का ऑनलाईन पंजीयन हो चुका है।

vk;ksx }kjk fn, x, funsZ'k ,oa lq>ko

1. प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना में दी जा रही राशि गर्भवती माता एवं गर्भस्थ शिशु के पोषण एवं स्वास्थ्य का स्तर सुधारने के उद्देश्य से दी जा रही है। इस राशि का सदुपयोग कर विभिन्न प्रकार की रेसिपी कैसे बनाई जा सकती है, उसके बारे में माताओं को परामर्श दिया जाना चाहिए। न्यूट्रिस्निस्ट/स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श कर एक से अधिक वैकल्पिक रेसिपी का विवरण तैयार किया जावे और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता के माध्यम से गर्भवती माताओं को प्रशिक्षित करने का कार्य किया जाये।

2. आंगनवाड़ी केन्द्र में किशोरी बालिका के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए बालिका का नाम, उम्र, शाला प्रवेशी या शाला त्यागी होना, वजन, ऊंचाई एवं पिछले स्वास्थ्य परीक्षण का विवरण आदि की जानकारी रखने के लिए रजिस्टर का संधारण किया जाए।

3. उपस्थिति एवं कुपोषण के मामले में पिछड़े आंगनवाड़ी केन्द्रों को चिन्हांकित कर उनमें सुधार के लिए विभागीय अधिकारी एवं स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों को प्रेरित किया जाये। सीडीपीओ एवं सुपर वाईजर्स को ऐसे आंगनवाड़ियों में सुधार लाने हेतु दो से लेकर चार आंगनवाड़ी केन्द्र तक की जवाबदारी सौंपी जाये।

4. आंगनवाड़ी केन्द्रों में सूखा एवं पौष्टिक नाश्ता देने की व्यवस्था की जाए।

5. विकास खण्ड घुघरी के ग्राम पंचायत लाठो की आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए चार किलोमीटर की दूरी से नाश्ता और भोजन लाने की शिकायत है। आयोग ने निर्देश दिया कि लाठो गांव में ही स्थानीय महिला स्व सहायता समूह से भोजन बनाने की व्यवस्था की जावे।

¼l½ e/;kUg Hkkstu ;kstuk

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि स्कूलों में मध्यान्ह भोजन समय पर नहीं पहुंचाया जा रहा है। रसोइयों द्वारा मीनू के अनुसार गुणवत्तायुक्त भोजन तैयार कराया जाना चाहिए। भोजन प्रदाय करने के पहले उसे चखा जाना चाहिए। कुछ जगह चावल में इल्ली मिलने की शिकायत आ रही है। मध्यान्ह भोजन के लिए सुपरफाईन चावल प्रदाय व्यवस्था पुनः लागू की जानी चाहिए। नारायणगंज (विकास खण्ड निवास) में कई स्व सहायता समूहों द्वारा मीनू अनुसार भोजन नहीं बनाया जा रहा

है। कुछ जगह पर बटरा की दाल देने की शिकायत है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। खाद्य सुरक्षा योजनाओं का सोशल आडिट किया जाना चाहिए। रसोइयां बहुत मेहनत करती हैं। उनका मानदेय और बढ़ाया जाना चाहिए।

समीक्षा में पाया गया कि मण्डला में कुल 2704 प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय हैं। इनमें दर्ज छात्रों की संख्या 123000 से अधिक हैं, जबकि लगभग 96000 छात्रों (78 प्रतिशत) नियमित रूप से स्कूल आ रहे हैं। 485 विद्यालय में किचन शेड नहीं हैं। शासन स्तर से दर्ज संख्या के लगभग 65 प्रतिशत उपस्थिति मानकर अनाज का आवंटन दिया जा रहा है। फिर भी कहीं पर कम अनाज मिलने की शिकायत नहीं है। पिछले चार माह में नारायणगंज विकासखण्ड में केवल एक विद्यालय में माह जनवरी, 2019 में लगातार तीन दिन तक मध्यान्ह भोजन देने की शिकायत मिली है, जिसकी जांच चल रही है। विगत एक वर्ष में अच्छी गुणवत्ता का भोजन नहीं देने तथा समय पर भोजन नहीं तैयार करने के कारण 1482 स्व सहायता समूहों में से आठ समूहों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। सप्ताह में तीन दिन प्राथमिक विद्यालयों में दूध प्रदाय करने की स्थिति संतोषजनक है। विद्यालयों में भोजन ग्रहण करने के लिए थाली, गिलास चम्मच तथा बैठने के लिए दरी/टाट–पट्टी उपलब्ध है। जिले की 2704 विद्यालयों में से केवल 650 विद्यालय में गैस सिलेण्डर उपलब्ध हैं। 485 परिसरों में किचन शेड नहीं हैं। सभी विद्यालयों में पीने के पानी की व्यवस्था है और भोजन के पूर्व हाथ धोने की व्यवस्था की गई है।

vk;kx }kjk fn, x, l|>ko ,o| fun|'k

1. 2054 शालाओं में मध्यान्ह भोजन लकड़ी या कन्डे से बन रही है, जो कि उचित नहीं है। जिला पंचायत में उपलब्ध ब्याज की राशि आदि से आगामी 02 माह के भीतर गैस सिलेण्डर एवं चूल्हा उपलब्ध कराई जाये।

2. लगभग 485 विद्यालय परिसर किचन शेड विहीन हैं। इन विद्यालयों में किचन शेड बनाने का प्रस्ताव शासन को एक माह के भीतर भेजा जावे।

3. नारायणगंज (विकास खण्ड निवास) क्षेत्र में मीनू के अनुसार भोजन ना बनाने के बारे में अनेक जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायत की गई हैं। तीन दिन तक मध्यान्ह भोजन नहीं देने के मामले की जांच कर जवाबदारी निर्धारित की जावे और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत त्रुटिकर्ता से खाद्य सुरक्षा भत्ते की वसूली की कार्यवाही की जावे।

4. जनपद पंचायत मवई में बटरा दाल देने की शिकायत की जांच की जाये एवं महिला स्व सहायता समूह को इसके बारे में उचित समझाईश दी जाए। बटरा दाल देना तत्काल बंद कर तुअर या मूंग की दाल देने की व्यवस्था की जावे। इस संबंध में आयोग को पालन प्रतिवेदन भेजा जाये।

2. जिला – डिण्डोरी

आयोग द्वारा दिनांक 7–8.2.2019 को डिण्डोरी जिले का भ्रमण किया गया। इस भ्रमण के दौरान आयोग ने दिनांक 7.2.19 को जिला मुख्यालय पर योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया। समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों से विभागीय स्तर पर किए जा रहे कार्य की जानकारी/ फीडबैक प्राप्त किया। दिनांक 8.2.19 को जिले में कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति का अवलोकन एवं निरीक्षण किया गया। शाहपुरा विकासखण्ड मुख्यालय पर जन सुनवाई शिविर आयोजित किया गया। जिले में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझाव का विवरण निम्नानुसार है :–

¼v½ yf{kr lkoZtfud forj.k iz.kkyh%&

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि पंचायत स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के बारे में कोई जानकारी उन्हें नहीं दी गई है। प्रत्येक दुकान के लिए अलग–अलग विक्रेता की नियुक्ति की जाए। छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को राशन पर्ची नहीं मिल रही है। माँ रेवा स्व सहायता समूह को मध्यान्ह भोजन/सांझा चूल्हा के लिए खाद्यान्न आवंटन समय पर प्राप्त नहीं हुआ है। बैगा चक में विक्रेता श्री बुद्धराम मरावी के द्वारा मनमानी की जा रही है, जिससे हितग्राही परेशान हैं। इसकी जांच कर विक्रेता के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

समीक्षा में पाया गया कि जिले के ग्रामीण जनसंख्या की 95 प्रतिशत एवं शहरी जनसंख्या की 55 प्रतिशत हितग्राहियों को सस्ते अनाज का लाभ प्राप्त हो रहा हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों का कवरेज भी 99 प्रतिशत है, जो बहुत अच्छी स्थिति को दर्शाता है। अन्त्योदय अन्न योजना का लाभ 4260 परिवार ले रहे है। जिले के 92 प्रतिशत परिवारों का आधार सीडिंग हो चुका है, जो कि अच्छी स्थिति दर्शाता है। 1073 अपात्र परिवारों को सूची से हटाया गया है। जिले की 47 ग्राम पंचायतों में राशन की दुकान नहीं है। इन पंचायतों के हितग्राहियों को राशन के लिए लंबी दूरी तय करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त 64 विक्रेता दो या तीन दुकानें संचालित कर रहे हैं। इसके कारण लगभग 150 दुकानें सप्ताह में छह दिन खुलने की स्थिति में नहीं है। जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन नहीं हुआ है। विकासखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति का गठन हुआ है, परन्तु बैठक नियमित नहीं हो रही है। उचित मूल्य स्तरीय सतर्कता समिति का पुर्नगठन सभी पंचायतों में पूर्ण रुप से नहीं हुआ है। जिले में अग्रिम उठाव की स्थिति संतोषप्रद है। शत प्रतिशत दुकानों में अग्रिम रूप से अनाज पहुंच रहा है। विगत 04 माहों के राशन वितरण की स्थिति को देखने से पाया गया कि हर माह औसतन 28 से 30 परिवार राशन लेने नहीं आ रहे हैं, जो एक सामान्य स्थिति है।

vk;ksx d }kjk fn, x, lq>ko ,oa funs'k

1. जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायत की गई कि बैगाचक में उचित मूल्य दुकान नियमित रूप से

नहीं खुल रही हैं। आपूर्ति अधिकारी सुनिश्चित करें कि बैगाचक में दुकान खुली रहे ताकि हितग्राही माह के किसी भी दिन राशन प्राप्त कर सकें। विक्रेता बुद्धराम मरावी के विरूद्ध की गई शिकायत की जांच की जाये और दोषी पाए जाने पर उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाए।

2. अपात्र व्यक्तियों की जांच कर उन्हें हटाने का कार्य एवं रिक्त स्थान पर पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने का कार्य अभियान के तौर पर किया जाये।

3. जिला स्तरीय/उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति का पुर्नगठन एक माह के भीतर किया जाये और दो माह के भीतर उनको प्रशिक्षित किया जाए। उ.मू.दु. स्तरीय सतर्कता समिति के सदस्यों के नाम एवं मोबाईल नम्बर उचित मूल्य दुकान, आंगनवाड़ी केन्द्र एवं शाला भवन की बाहरी दीवार पर लिखा जाए।

4. सहकारिता विभाग द्वारा शीघ्र ही रोक हटवाकर पारदर्शी तरीके से विक्रेताओं की नियुक्ति के लिए कार्यवाही की जावे।

¼c½ ijd iks"k.k vkgkj dk;Øe

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि आंगनवाड़ी में प्रदाय किये जा रहे खाद्यान्न की गुणवत्ता अच्छी नहीं रहती है। विभाग के अधिकारी/कर्मचारी पहुंचविहीन गांवों में निरीक्षण/जांच करने हेतु नहीं जाते हैं। आंगनवाड़ी और शालाओं में प्रदाय किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए।

समीक्षा में पाया गया कि जिले के सभी गांवों में आंगनवाड़ी या मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र स्थापित हैं। इस प्रकार से बाल विकास परियोजना की सेवा की पहुंच प्रत्येक गांव तक हैं, यह अच्छी बात है। 1913 आंगनवाड़ी में से 1800 से ज्यादा आंगनवाड़ी केन्द्रों में बिजली नहीं है। 650 से ज्यादा आंगनवाड़ी केन्द्रों में हैंडपम्प नहीं है। पास के हैंडपम्प से पानी भरकर लाना पड़ता है। 1830 आंगनवाड़ी केन्द्रों में नाश्ता और भोजन अलग–अलग समय पर दिया जा रहा है। कुछ आंगनवाड़ी में एक साथ नाश्ता और भोजन दिया जा रहा है, जिसे बन्द किया जाना चाहिए। जिले में शहपुरा, बजाग और करंजिया परियोजनाओं में सूखा नाश्ता देने की व्यवस्था की गई है, जोकि प्रशंसनीय है। आंगनवाड़ी में दर्ज अति कुपोषित बच्चों की संख्या 1335 से अधिक हैं। इनमें से लगभग 60 प्रतिशत अति कुपोषित बच्चों को एन.आर.सी में भर्ती कराया गया है। पांच प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्रों में बैठने के लिए दरी की व्यवस्था और भोजन के लिए थाली, गिलास एवं बर्तन की व्यवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 5464 गर्भवती माताओं का ऑनलाईन पंजीयन किया गया हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें से 5300 से अधिक माताओं को प्रथम किश्त एवं 3063 माताओं को द्वितीय किश्त की राशि प्राप्त हो चुकी है।

vk;kx d }kjk fn, x, fun'k ,o l>ko

1. कलेक्टर, डिण्डौरी प्राथमिकता के आधार पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से समन्वय कर 650 हैंडपम्पविहीन केन्द्रों में हैंडपम्प लगाने की कार्यवाही करें।

2. जिले की कुछ परियोजनाओं में सूखा एवं पौष्टिक नाश्ता देने का नवाचार किया गया है, यह एक सराहनीय कदम है। इस व्यवस्था को सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में लागू किया जाये।

3. चिन्हांकित अति कुपोषित बच्चों में से जिन बच्चों को अभी तक एन.आर.सी. में भर्ती नहीं कराया गया है, उन्हें विशेष अभियान चलाकर आगमी दो माह में पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती कराया जाए और उनकी ग्रोथ मानीटरिंग की जाए।

4. अति कुपोषित बच्चों को थर्ड मील के रूप में पौष्टिक पोषाहार देने की कार्यवाही की जावे।

5. आंगनवाड़ी केन्द्र धमनगांव में दिया जा रहा भोजन निम्न स्तर का है। घटिया किस्म का मसाला इस्तेमाल हो रहा है। रोटी भी कच्ची रहती है। भोजन बनाने का काम कर रहे पढ़ना–बढ़ना स्व सहायता समूह को भोजन के स्तर में सुधार करने की चेतावनी दी जाये। आंगनवाड़ी केन्द्र के पास का हैंड पम्प कई महीनों से खराब पड़ा है, उसे सुधरवाया जावे। आंगनवाड़ी केन्द्र में लगे वाटर फिल्टर के खराब कैंडिल को बदला जाये।

¼l½ e/;kUg Hkkstu dk;ZØe

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मध्यान्ह भोजन मीनू अनुसार प्रदाय नहीं किया जाता है। ग्राम हर्राटोला में भोजन की गुणवत्ता सही नहीं रहती है। प्राथमिक शाला, विनोदीगांव में मध्यान्ह भोजन के लिए छः माह से खाद्यान्न प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरी योजना से चावल लेकर स्व सहायता समूह भोजन बना रहे हैं।

समीक्षा में पाया गया कि डिण्डौरी जिले की 1835 प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालित हो रहा हैं। दर्ज छात्र संख्या 1,00,311 में से प्रतिदिन उपस्थित हो रहे लगभग 73,000 छात्र छात्राओं (72 प्रतिशत) को मध्यान्ह भोजन प्राप्त हो रहा है। 72 शाला परिसरों में किचन शेड नहीं है। मीनू अनुसार भोजन नहीं बनाना एवं समय पर भोजन उपलब्ध नहीं कराने आदि शिकायतों के कारण 21 स्व सहायता समूहों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। लेकिन अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने से प्रतीत होता है कि और सक्रियता से निरीक्षण करने की आवश्यकता है। माह नवम्बर एवं दिसम्बर, 2018 में क्रमशः एक एवं तीन विद्यालयों में माह में पांच दिन तक मध्यान्ह भोजन नहीं मिलने की शिकायत प्राप्त हुई है। इन प्रकरणों की जांच मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.) जिला पंचायत द्वारा की जाए एवं दोषी व्यक्तियों से खाद्य सुरक्षा भत्ता की वसूली की जावे। डिण्डौरी में मात्र 29 प्रतिशत विद्यालयों में गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराया गया है।

vk;kx }kjk fn, x, l|>ko ,o funs'k

1. जिले के मात्र 29 प्रतिशत किचन शेड में रसोई गैस के कनेक्शन है। शेष किचन में लकड़ी से भोजन बनाया जा रहा है, जो कि रसोइयों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। जिला पंचायत के ब्याज आदि से सभी किचन में गैस सिलेण्डर प्रदाय किये जाये।

2. ग्राम हर्राटोला में स्व सहायता समूह द्वारा खराब गुणवत्ता का मध्यान्ह भोजन देने की शिकायत, प्राथमिक शाला विनोदी गांव में समूह को पिछले छः माह से अनाज प्राप्त नहीं होने की शिकायत, मॉ रेवा स्व सहायता समूह को समय पर अनाज नहीं मिलने की शिकायत, की जांच की जावे एवं दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही कर आयोग को प्रतिवेदन भेजा जाए।

3. माह नवम्बर एवं दिसम्बर, 2018 में जिले के चार विद्यालयों में एक माह में पांच दिन तक मध्यान्ह भोजन नहीं मिला है। इन प्रकरणों की जांच की जाए और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत दोषी व्यक्ति/संस्था की पहचान कर खाद्य सुरक्षा भत्ता की वसूली की जाये।

4. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को भी जवाबदारी दी जाए।

5. प्रत्येक दो माह में एक बार विकासखण्ड स्तर पर स्व सहायता समूह के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की जाए और उनके साथ चर्चा कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए।

6. माध्यमिक विद्यालय धमनगांव एवं आंगनवाड़ी धमनगांव में पढ़ना–बढ़ना स्व सहायता समूह द्वारा अच्छी गुणवत्ता का भोजन नहीं दिया जा रहा है। भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा मसाला अच्छी गुणवत्ता का नहीं है। भोजन में नहीं के बराबर सब्जी का उपयोग किया जा रहा है। स्व सहायता समूह को अपने काम में सुधार लाने के लिए चेतावनी दी जाये और उसके कार्य में सुधार नहीं होने पर उक्त समूह के विरूद्ध कार्यवाही कर अन्य समूह को कार्य दिया जाये।

3. जिला – विदिशा

आयोग द्वारा दिनांक 14.2.2019 को विदिशा जिले के जनप्रतिनिधिओं के साथ चर्चा एवं अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। दिनांक 15.2.19 को विभिन्न कार्यक्रमों का निरीक्षण किया गया। जिले की स्थिति निम्नानुसार पाई गईः–

¼v½ yf{kr lkoZtfud forj.k iz.kkyh

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि भवन संनिर्माण कर्मकार मण्डल के श्रमिक की पात्रता पर्ची श्रमिक कार्ड की वैधता समाप्त होने पर बंद हो जाती है। नवीनीकरण के बाद उनकी पर्चियॅा नहीं आ रही है। कई परिवार पात्र पाए गए हैं, लेकिन उनकी पात्रता पर्चियॅा भी जारी नहीं हो रही हैं। अंगूठा निशानी मैच नहीं होने के कारण हितग्राही को माह की 21 तारीख के बाद बुलाया जाता है। बार–बार आने से उसकी मजदूरी का नुकसान होता है।

समीक्षा में पाया गया कि जनसंख्या का 74.37 प्रतिशत एवं परिवारों का 73.93 प्रतिशत योजना का लाभ ले रहे हैं। आधार सत्यापन का कार्य अपेक्षित गति से नहीं हो रहा है। पात्र परिवारों के 1085078 सदस्यों में से 862708 सदस्यों का आधार सत्यापन पूरा हुआ है। अभी भी 220370 सदस्यों का सत्यापन होना शेष है । नोडल अधिकारी एवं जिला शिकायत निवारण अधिकारी के कार्यालय में अब तक प्राप्त कुल 70 शिकायतों में से 36 शिकायतें निराकृत तथा 34 शिकायतें लंबित होना पाया। जिले में अभी भी ना तो जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन हुआ है और ना ही विकासखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति का गठन हुआ है। 524 उचित मूल्य दुकानों में से 478 उचित मूल्य दुकानों में पीओएस मशीन डीएसके कंपनी के नवीन माडल उपलब्ध है।

vk;ksx }kjk fn;s x;s funsZ'k@lq>ko

1. जिला आपूर्ति अधिकारी एवं जिला श्रम अधिकारी को भवन सन्निर्माण कर्मकार मण्डल के श्रमिक कार्ड के नवीनीकरण की समस्या समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिये गये।

2. अग्रिम उठाव की साप्ताहिक समीक्षा की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि सभी राशन दुकान में गेहूं, चावल एवं नमक एक साथ उपलब्ध हो, ताकि उपभोक्ताओं को एक बार में ही समस्त सामग्री उपलब्ध हो जाए और उसे बार–बार दुकान का चक्कर ना लगाना पड़े।

3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में विक्रेता द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं किया जाना, बीपीएल सूची में नाम जोड़ने व घटाने की समस्या होना, अन्त्योदय अन्न योजना में एक सदस्य का नाम घटने पर पीला कार्ड बंद हो जाना, पात्रता पर्ची जनरेट नहीं होना, नवीनीकरण तथा नये कार्ड नहीं मिलने आदि की समस्या तकनीकी कारणों से उत्पन्न हुई है। इस संबंध में खाद्य संचालक को प्रस्ताव भेजा जाए, ताकि एन.आई.सी. के साथ पहल कर इन समस्याओं का निराकरण किया जा सके।

4. माननीय प्रभारी मंत्रीजी से अध्यक्ष के नामांकन का अनुमोदन प्राप्त कर जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन एक माह में किया जाए। खण्ड स्तरीय समिति का गठन बिना विलम्ब के किया जाए और उनकी नियमित बैठकें आयोजित की जाए। सरपंच एवं पार्षद की अध्यक्षता में उचित मूल्य दुकान स्तरीय निगरानी समितियों का गठन तत्परता से किया जाये।

5. पारदर्शिता के लिए हितग्राहियों के नाम हिंदी फोण्ट में बड़े अक्षर में टाईप कर दुकान में प्रदर्शित किया जावे।

¼c½ ijd ik"k.k vkgkj dk;Øe

जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समूहों को दूर–दूर की दुकानों से मैप करने से उन्हें राशन लेने दूर जाना पड़ता है। मैपिंग व्यवस्था में सुधार करने की मांग की गई।

समीक्षा में पाया गया कि टीएचआर के लिए चिन्हित 91463 हितग्राहियों में से 76829 (लगभग 84 प्रतिशत) हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। पूरक पोषण आहार के अंतर्गत सुबह के नाश्ते में 76361 हितग्राहियों में से 52689 हितग्राही और दोपहर के भोजन के लिये 76361 हितग्राहियों में से 52689 हितग्राही (लगभग 68 प्रतिशत) को लाभान्वित किया जा रहा है। समीक्षा में पाया गया कि कुछ स्व सहायता समूहों को अनेक आंगनवाड़ी केन्द्रों में भोजन देने के आदेश दिए गए हैं। बीजासन स्व सहायता समूह द्वारा 11 आंगनवाड़ी केन्द्र, दीप्ति स्व सहायता समूह द्वारा 50 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं वर्णिता स्व सहायता समूह द्वारा 105 आंगनवाड़ी केन्द्रो में नाश्ता एवं भोजन प्रदाय किया जा रहा है। यह व्यवस्था उचित नहीं है। जिला प्रशासन को चाहिए कि यथा संभव गांव के या गांव के नजदीक के समूह को भोजन बनाने का कार्य दिया जाए, ताकि समय पर बच्चों को नाश्ता और गर्म भोजन मिले। 8 शिकायतें सीएम हेल्पलाईन के अंतर्गत प्राप्त हुई एवं उनका निराकरण किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अधिकांश आंगनवाड़ी केन्द्रों में भोजन ग्रहण के लिए पर्याप्त बर्तन हैं । केवल 261 आंगनवाडी केन्द्रों में बर्तनों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। आंगनवाड़ियों में कुल 162 अति कुपोषित बच्चे होना पाए गए हैं। इनमें से 109 कुपोषित बच्चों को एनआरसी में भर्ती कर उनका उपचार किया गया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत कुल 39895 हितग्राहियों का ऑनलाईन पंजीयन हुआ है। जिले की जनसंख्या के अनुपात में चिन्हित पात्र माताओं की संख्या उचित प्रतीत होती है।

नटेरन विकासखण्ड के आंगनवाड़ी केन्द्र इमलिया के निरीक्षण में बच्चों की कम उपस्थिति, रिकार्ड का व्यवस्थित नहीं होना पाया गया। बच्चों के लिए बनाया गया नाश्ता स्वादिष्ट एवं अच्छे स्तर का होना पाया गया।

vk;kx }kjk fn; x; fun'k@l>ko

1. आयोग द्वारा निर्देश दिये गये कि खाद्य, महिला एवं बाल विकास तथा ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी मिलकर स्व सहायता समूहों को दुकान आवंटन की मैपिंग का पुनः परीक्षण कर

लें। समूहों को नजदीक की दुकान से अनाज देने की व्यवस्था की जाए, ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो।

2. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देशित किया गया कि आंगनवाड़ी में नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था गांव के स्व सहायता समूह के माध्यम से करने की व्यवस्था करें।

3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की मंशा के अनुसार पूरक पोषण आहार से संबंधित शिकायतों का निराकरण करने के लिए नोडल अधिकारी एवं जिला शिकायत निवारण अधिकारी के कार्यालय में रजिस्टर का संधारण किया जाये और शिकायत निराकरण के प्रति गंभीरता बरती जाए।

4. भोजन ग्रहण के लिए आंगनवाड़ी में बर्तनों की पूर्ति की जाए।

5. आंगनवाड़ी केन्द्र इमलिया, विकास खण्ड नटेरन का निरीक्षण सुबह 10.30 बजे किया गया। निरीक्षण के समय आंगनवाड़ी में कोई बच्चे उपस्थित नहीं मिले, जबकि 03 से 06 वर्ष उम्र के 13 बालिका एवं 09 बालक आंगनवाड़ी में हितग्राही के रूप में दर्ज हैं। उपस्थिति पंजी में भी सही जानकारी नहीं भरी गई थी। आंगनवाड़ी का रिकार्ड कार्यकर्ता के घर में रखा गया था। जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं सी.डी.पी.ओ. को कहा गया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक कर व्यवस्था में सुधार करने के लिए पहल की जाए। कार्यकर्ता को निर्देशित किया गया कि वे रिकार्ड को व्यवस्थित तरीके से केन्द्र में रखें एवं पंचायत प्रतिनिधि और पालकों के साथ चर्चा आंगनवाड़ी में समय पर बच्चों को लाने के लिए प्रयास करें।

¼l½ e/;kUg Hkkstu dk;Øe

समीक्षा करने पर यह पाया गया कि जिले में प्राथमिक विद्यालय की संख्या 1917 है जिनमें से 95565 छात्र दर्ज है और औसतन् 62118 छात्र मध्यान्ह भोजन से लाभान्वित हो रहे हैं जिसका औसतन 65 प्रतिशत है। इसी प्रकार जिले में 802 माध्यमिक विद्यालय हैं और दर्ज छात्रों की संख्या 62035 है जिनमें औसतन् 41023 (66 प्रतिशत) छात्र/छात्रायें लाभान्वित हो रही हैं। इस प्रकार से जिले के समस्त 2719 स्कूलों में मध्यान्ह भोजन दिया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों ने भी माना कि सभी विद्यालयों में भोजन मिल रहा है। कहीं पर भोजन नहीं दिए जाने की शिकायत उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। 2223 स्कूलों में स्व सहायता समूहों के द्वारा मध्यान्ह भोजन दिया जा रहा है तथा शेष 496 शालाओं में शाला प्रबन्धन समिति के द्वारा मध्यान्ह भोजन दिया जा रहा है। 2719 विद्यालयों में से 2623 विद्यालयों में किचन शेड उपलब्ध है और इन 2623 किचन शेड में 2601 में गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराए गए हैं। fofn'kk ftys dh ;g lcls cM+h miyC/kh gSA जिले में 1930 वृद्ध, असहाय व्यक्तियों को मध्यान्ह भोजन से लाभान्वित किया गया है। जिले के सभी विद्यालयों में पीने के पानी, बर्तनों, हाथ धोने और शौचालय की व्यवस्था है, जो वास्तव में प्रशंसनीय है।

vk;kx }kjk fn;s x;s funsZ'k@lq>ko

1. आयोग द्वारा बैठक में निर्देश दिये गये कि किचन शेडों का भौतिक सत्यापन कराकर रिपेयर किये जाने वाले किचन शेडस् की पहचान की जावे तथा उनकी मरम्मत शीघ्र कराई जाए। जिन विद्यालय परिसरों में किचन शेड नहीं है, वहां पर किचन शेडस् के निर्माण का प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग को भेजकर स्वीकृति प्राप्त किया जावे। किचन शेडविहीन विद्यालयों में अतिरिक्त कमरे में भोजन बनाया जाए। किसी भी स्थिति में खुले मैदान में भोजन ना बनाया जाए।

2. विकासखण्ड स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति का गठन एक माह के भीतर किया जाये और उनकी बैठकें आयोजित की जाए, ताकि विकासखण्ड स्तर पर कार्यक्रम की सही निगरानी हो सके।

3. वर्तमान में मदर्स कमेटी द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है, जो प्रभावी नहीं है। अतः पंचायत/उ. मू.दु. स्तरीय सतर्कता निगरानी समिति का पुर्नगठन एवं प्रशिक्षण आयोजित किया जावे एवं उन्हें निरीक्षण के लिए क्रियाशील बनाया जाये।

4. लगभग 500 विद्यालयों में शाला प्रबंधन समिति द्वारा मध्यान्ह भोजन बनाया जा रहा है, यह उचित नहीं है। आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए यह व्यवस्था थोड़े दिनों तक चल सकती है, लेकिन इनके स्थान पर स्व सहायता समूह को कार्य आवंटन किया जाए, ताकि भोजन बनाने की स्थाई व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

4. जिला – गुना

आयोग के सदस्य सचिव द्वारा दिनांक 21–22.2.2019 को गुना जिले का भ्रमण किया गया। योजनाओं की समीक्षा, जनप्रतिनिधियों से चर्चा एवं फीडबैक लेने के अलावा कार्यक्रमों का निरीक्षण किया गया। हितग्राहियों से चर्चा की गई एवं उनकी शिकायत सुनी गई। जिले की स्थिति निम्नानुसार पाई गई :–

¼v½ yf{kr lkoZtfud forj.k iz.kkyh

हितग्राहियों को राशन मिल रहा है। लेकिन जो लोग छूट गए हैं, उनकी पर्चियां नहीं निकलने से उनमें असंतोष है। जन प्रतिनिधियों ने कहा कि धोखाधड़ी एवं गबन करने वाले कई विक्रेता आज भी काम कर रहे है। इनसे बकाया वसूली की राशि वसूल की जाना चाहिए।

समीक्षा में पाया गया कि जिले में अप्रैल 18 से जनवरी 19 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में कुल 43 शिकायतें प्राप्त हुई, इमें से 36 निराकृत और शेष 7 लंबित है। जिले में कुल 327 उचित मूल्य दुकानें है जिनमें डीएसके कम्पनी की मशीन लगी है। इसमें से 194 क्रियाशील हैं और 112 मशीनें दोषपूर्ण हैं जो काम नहीं कर रही हैं। इसके कारण वितरण में देरी हो रही है। बाद में हुए सर्वेक्षण में जिले में करीब 26000 हितग्राही पात्र पाए गए हैं। लेकिन शासन के द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा पार कर जाने के कारण इन हितग्राहियों का नाम जोड़ा जाना संभव नहीं हो पा रहा है। उचित मूल्य दुकान, शहरोक, गुना के निरीक्षण में दुकान पर स्टाक व भाव सूची व जानकारी का बोर्ड प्रदर्शित होना पाया गया। दुकान में उपलब्ध स्टाक रजिस्टर अपूर्ण पाया गया। पीओएस मशीन खराब थी। उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति की कि बैठक नहीं हो रही है। सतर्कता समिति के सदस्यों के नाम दुकान के बाहर प्रदर्शित नहीं पाये गए। तौल कांटा बंद पाया। 28.1.19 से दुकान में सामग्री वितरण की जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

vk;ksx }kjk fn;s x;s funsZ'k@lq>ko

1. आयोग द्वारा महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. गुना को निर्देशित किया गया कि उचित मूल्य दुकानों पर कार्यरत ऐसे विक्रेता जिनके ऊपर बकाया है, उसकी वसूली की जावे। जिन विक्रेताओं के विरूद्ध दोष सिद्ध हुआ है, उन्हें कार्य में दोबारा नहीं रखा जाए।
2. जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन करने हेतु शीघ्र कार्यवाही की जावे। जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन होने के पश्चात जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक दो माह में एक बार की जावे। उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति का पुर्नगठन किया जाए। दुकान स्तरीय एवं विकासखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जावे।
3. सतर्कता समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की बैठक बुलाकर उनके कर्तव्य एवं दायित्वों के बारे में प्रशिक्षित किया जावे तथा अध्यक्ष/सदस्यों के मोबाईल नंबर दुकान के बाहर प्रदर्शित किये जायें। प्रत्येक माह में प्राप्त हो रहे खाद्यान्न की जानकारी भी सतर्कता समिति के सदस्यों को दी जाये।

4. ऐसे पात्र परिवार जो राशन प्राप्त करने से वंचित है, उनके नाम पात्रता सूची में जोड़ने के लिए प्रमुख सचिव, खाद्य एवं संचालक, खाद्य को लिखा जाए।

5. उचित मूल्य दुकानों से प्रत्येक माह मध्यान्ह भोजन एवं आंगनवाड़ी के पोषण आहार के लिए जो खाद्यान्न दिया जाता है, वह बोरे को बिना तौले दिया जा रहा है। यह उचित नहीं है। इसके कारण स्व सहायता समूह को कम अनाज मिल रहा है। निर्देशित किया गया कि तौल कांटे में तौलकर सही वजन का अनाज समूह को प्रदाय किया जाये।

6. आयोग द्वारा निर्देशित किया गया कि नोडल अधिकारी एवं कलेक्टर कार्यालय में शिकायत पंजी का संधारण किया जाए। शिकायतें प्राप्त होने पर 30 दिवस के भीतर उनका निराकरण किया जावे।

7. आयोग ने कहा कि अपात्र व्यक्तियों की पहचान एवं जांच के लिए अभियान चलाया जाए। अपात्र परिवारों का नाम सूची से हटाकर पात्र व्यक्तियों का नाम जोड़ा जावे ताकि वास्तविक रूप से गरीब एवं निर्धन परिवार को खाद्यान्न प्राप्त हो सके ।

8. अनुविभागीय अधिकारी, आरोन एवं सहायक आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उचित मूल्य दुकान, शहरोक, गुना में पाई गई अनियमितता की जॉच कर वैधानिक कार्यवाही करें।

¼c½ ijd ik"k.k vkgkj dk;Øe

समीक्षा में पाया गया कि गुना जिले के कुल 1616 आंगनवाडी केन्द्रों में सें 1497 आंगनवाडी केन्द्रों में शौचालय की व्यवस्था है। शेष केन्द्रों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। जिले में कुल 25 शिकायतें सीएम हेल्पलाईन में प्राप्त हुई तथा सभी निराकृत होना पाया गया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 18637 हितग्राही दर्ज हैं।

आंगनवाड़ी शहरोक, गुना के निरीक्षण के समय आंगनवाड़ी में 6 माह से 3 वर्ष तक के 30 बालक एवं 30 बालिकाएं तथा 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के 30 बालक एवं 30 बालिकाएं, गर्भवती महिलाएं 16 व धात्री माताएं 27 दर्ज होना पाई गई। आंगनवाड़ी का 20 एवं 21 फरवरी 19 का हाजिरी रजिस्टर नहीं भरा होना पाया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अप्रशिक्षित होने के कारण जो बच्चे गर्म भोजन एव ंनाश्ता ले रहे हैं, उनके नाम के आगे उपस्थिति दर्शायी नहीं जा रही है। सुपरवाइजर के द्वारा भी कोई निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। स्थिति असंतोषजनक है। दर्ज बच्चों की तुलना में आंगनवाड़ी में 50 प्रतिशत से भी कम बच्चे उपस्थिति पाए गए । 63 किशोरी बालिकाओं का नाम लिखा होना पाया परन्तु उनका रजिस्टर नहीं बनाया गया था। पोषण आहार की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी।

vk;kx }kjk fn;s x;s funs'k@lq>ko

1. दी गई जानकारी के अनुसार दर्ज हितग्राहियों के विरूद्ध लाभांवित हितग्राहियों की संख्या अन्य जिलों की तुलना में आनुपातिक रूप से कम है। इसलिये समस्त सी.डी.पी.ओ. एवं सुपरवाईजर्स

को ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों तक टेक होम राशन तथा पात्रता अनुसार दोपहर का भोजन पहुंचाने के लिए निर्देशित किया जाए। परियोजनावार हर माह कवरेज की स्थिति की समीक्षा की जाए।

2. यदि कोई गर्भवती व धात्री माताएं टीएचआर लेने नहीं आती हैं तो कार्यकर्ता एवं सहायिका द्वारा टीएचआर उनके घर पर पहुंचाकर दिया जावे।

3. जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वहां शौचालय की व्यवस्था जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत की सहायता से की जाए।

4. जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में खाद्य सुरक्षा नियम के अंतर्गत विधिवत रजिस्टर का संधारण किया जाए और जिले में प्राप्त होने वाली शिकायतों का संबंधित रजिस्टर में पंजीकृत कर उन्हें एक माह के भीतर निराकरण किया जाएं।

4. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, आंगनवाडी केन्द्र शहरोक का पुनः निरीक्षण करें, समस्त रिकार्ड व्यवस्थित करायें और की गयी कार्यवाही का प्रतिवेदन आयोग को भिजवाएं।

¼l½ e/;kUg Hkktu dk;Øe

समीक्षा करने पर पाया गया कि जिले में प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या 2286 है। इनमें से केवल 650 विद्यालयों में ही गैस चूल्हा उपलब्ध हैं.तथा 1636 विद्यालयों में लकड़ी से भोजन बन रहा हैं। किचन शेड की स्थिति बेहतर है। 2286 विद्यालयों में से केवल 355 परिसरों में किचनशेड का निर्माण किया जाना शेष है। इन विद्यालयों में किचन शेड बनाने की कार्यवाही चालू है। 45 किचनशेड निमार्णाधीन है तथा 150 और किचनशेडों की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। क्वालिटी मानीटर एवं टॉस्क मैनेजर का पद रिक्त है, जिसके कारण नियमित निरीक्षण प्रभावित हो रहा है।

vk;kx }kjk fn; x; fun'k@lq>ko

1. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम पर सतत् निगरानी रखना तथा स्व–सहायता समूह के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने से ही भोजन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।

2. स्कूल के प्रधान अध्यापक एवं अन्य शिक्षकों को चाहिए कि नियमित रूप से वे भोजन को चखें एवं जो कमी पाई जाती है, उसे दूर करने के लिए स्व–सहायता समूह के साथ चर्चा कर गुणवत्ता में सुधार करावें। सुझाव के बाद भी लगातार खराब भोजन परोसने की स्थिति में स्व–सहायता समूह को कार्य से पृथक कर अन्य समूह को कार्य आबंटन करने की कार्यवाही की जाए।

3. जिला पंचायत में उपलब्ध ब्याज राशि आदि से शेष विद्यालयों में गैस सिलेण्डर एवं चूल्हा क्रय कर प्रदाय किया जा सकता है। लकड़ी एवं कण्डे के धुंए से रसोइयों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। सभी विद्यालयों में गैस सिलेण्डर एवं चूल्हा उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जिलों को आवंटन दिया जाए।

5. जिला-श्योपुरकलां

आयोग द्वारा दिनांक 26 एवं 27.2.2019 को श्योपुर जिले का भ्रमण किया गया। दिनांक 26.2.19 को जिला मुख्यालय पर जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जाकर योजनाओं के संबंध में जानकारी/फीडबैक प्राप्त किया गया। दिनांक 27.2.19 को विभिन्न कार्यक्रमों का निरीक्षण किया गया एवं हितग्राहियों के साथ चर्चा की गई। साथ ही, करहाल विकासखण्ड मुख्यालय पर जनसुनवाई शिविर का आयोजन भी किया गया। जिले में खाद्य सुरक्षा योजनाओं की स्थिति निम्नानुसार पाई गईः—

¼v½ yf{kr lkoltfud forj.k i.kkyh

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि जिनका नाम सूची में है, उन्हें अनाज मिल रहा है। अभी जो गेहूं बाहर से आया है, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। जिले की 31 ग्राम पंचायतों में राशन दुकान नहीं है, वहां दुकान खोली जाए। राशन कार्ड बनाने के लिए कैम्प लगाया जाना चाहिए। हर पंचायत में सतर्कता समिति का गठन हो और सरपंच को उसकी जानकारी दी जाये। जहां सर्वर नहीं मिलता है वहॉ रजिस्टर से अनाज वितरण किया जाए। कुछ स्व सहायता समूहों को समय पर अनाज नहीं मिल रहा है। ग्राम गडला के स्व सहायता समूह को समय पर खाद्यान्न प्रदाय नहीं किया गया है। संस्था द्वारा उधारी से खाद्यान्न लेकर मध्यान्ह भोजन बनाया गया है।

समीक्षा में पाया गया कि एस.सी./एस.टी. के हितग्राहियों का कवरेज 79 प्रतिशत है। एक सदस्यीय अन्त्योदय परिवार की संख्या केवल 3574 है। 9200 से अधिक अपात्र परिवारों को चिन्हित कर सूची से हटाया गया है। उनके स्थान पर 5916 छूटे हुए पात्र परिवारों को जोड़ा गया है। कराहल विकासखण्ड में सहरिया जनजाति के कुछ परिवार हैं, जिन्हें पहले सस्ता अनाज मिलता था, लेकिन बिना जांच के उनके कार्ड निरस्त कर दिये गये हैं। 225 ग्राम पंचायतों में से केवल 32 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राशन दुकान नहीं है। यह स्थिति अन्य जिलों की तुलना में बेहतर है। 227 दुकानों में डी.एस.के.कंपनी की पीओएस मशीन लगाई गई है, जो अक्सर खराब रहती हैं। यह अवश्य है कि मशीन खराब रहने पर रजिस्टर से हितग्राहियों को राशन वितरण किया जा रहा है और कोई सूचीबद्ध हितग्राही राशन से वंचित नहीं रहता है। जिला स्तरीय सतर्कता समिति एवं उ.मू.दु. स्तरीय सतर्कता समितियों का पुर्नगठन नहीं हुआ है। उ.मू.दु. स्तर पर पुरानी समिति काम कर रही है । 227 दुकानों में से केवल 142 दुकानों के बाहर पुराने समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम/मोबाईल नंबर लिखे गए हैं। एडवांस लिफ्टिंग के मामले में जिले में बहुत अच्छी कार्यवाही हो रही है। सभी दुकानों में शतप्रतिशत सामग्री एडवांस पहुंच रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिए नोडल अधिकारी और जिला शिकायत निवारण अधिकारी के कार्यालय में रजिस्टर संधारित नहीं है।

vk;kx dk }kjk fn, x, funs'k ,o lq>ko

1. डी.एस.के. कंपनी के लगभग 100 पी.ओ.एस. मशीन पिछले तीन माह से खराब/बन्द हैं, जिसके कारण राशन वितरण बाधित हो रहा है। आयोग अनुशंसा करता है कि डी.एस.के. कंपनी की पी.ओ.एस. मशीन को हटाकर उसकी जगह पर विजनटेक कंपनी की पी.ओ.एस. मशीन दी जाए, ताकि आम हितग्राहियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े।

2. जिन दुकानों में महिनों से पी.ओ.एस. मशीन खराब पड़ी हैं, उन दुकानों में माह की 21 तारीख तक प्रतीक्षा किए बिना रजिस्टर से राशन वितरण किया जाये। इस संबंध में सभी विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए जाये, ताकि हितग्राहियों को बार–बार दुकान का चक्कर ना लगाना पड़े।

3. इश्यू सेन्टर से राशन दुकान को अनाज भेजने के पूर्व अनाज के सेम्पल का एनालिसिस नहीं किया जा रहा है। केवल पंचनामा में हस्ताक्षर कर स्टेक का चयन किया जा रहा है। यह नहीं देखा जा रहा है कि स्टेक में जो अनाज है, उसकी क्वालिटी कैसी है। आयोग ने निर्देशित किया कि स्टेक से अनाज का सेम्पल लेकर उसका एनालिसिस किया जाये और एनालिसिस के परिणाम का पंचनामा बनाया जाए। सेम्पल एफ.ए.क्यू. स्तर का पाए जाने पर ही अग्रिम उठाव किया जाये।

4. जिला सतर्कता समिति का पुर्नगठन अगले दो माह के भीतर किया जाये। साथ ही पंचायत/उ.मू.दु. स्तरीय सतर्कता समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण जनपद पंचायत/नगरपालिका स्तर पर आयोजित किया जाये। पंचायत स्तरीय निगरानी समिति को हर माह एस.एम.एस. के जरिये अग्रिम उठाव की जानकारी दी जाये।

5. आयोग द्वारा निर्देशित किया गया कि कराहल एवं श्योपुर विकासखण्ड के सहरिया आदिवासी बाहुल्य गांवों को केन्द्र बनाकर आसपास के गांव के ऐसे सहरिया परिवार जिनके कार्डस् निरस्त होने की शिकायत है, उनकी पुनः जांच की जाये और पात्र आदिवासी परिवारों का नाम सूची में जोड़ा जाए।

6. कराहल एवं श्योपुर के आदिवासी परिवार वर्षों से खेत एवं आसपास के जिले के खदानों में मजदूरी करने के कारण उनमें से कई व्यक्तियों के अंगूठा–निशानी घिस गई हैं। ऐसे व्यक्तियों को रजिस्टर से खाद्यान्न का वितरण कराया जाये। इस संबंध में विक्रेताओं को पुनः स्पष्ट निर्देश दिया जाये।

7. ग्राम गडला में राशन दुकान होने के बाद भी स्व सहायता समूह को मध्यान्ह भोजन/सांझा चूल्हा के लिए अनाज नहीं मिलने की शिकायत स्व सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती निकोड़ी बाई द्वारा की गई है। शिकायत की जांच करायी जावे और समूह को अनाज उपलब्ध कराया जाये।

8. श्योपुर नगरपालिका के विशेषकर वार्ड क्र. 10 में एवं अन्य बड़े वार्डस् में भी हितग्राहियों की संख्या अधिक होने के कारण एक दुकान से राशन वितरण करने में कठिनाई जा रही है। अतः

वार्ड का मैपिंग कर हितग्राहियों के लिए दुकानों का निर्धारण कर लिया जाये।

9. कुछ दलालों द्वारा चोरी–छिपे सहरिया परिवारों के राशन कार्ड गिरवी रखकर राशन निकालने की छिटपुट घटना होने की शिकायत जनसुनवाई में प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन ऐसे असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही करें। साथ ही, समस्त विक्रेताओं को इस संबंध में सख्त हिदायत जारी करें। साथ ही, दुकान के बाहर ''राशन पर्ची/कार्ड गिरवी रखना अपराध है'' ऐसा लिखने की व्यवस्था करें।

¼c½ ijd iks"k.k vkgkj dk;Øe

जन प्रतिनिधियों ने बताया कि आंगनवाड़ी खुलती है और भोजन एवं नाश्ता प्रतिदिन मिलता है। वार्ड पार्षद ने बताया कि वार्ड क्र. 2 एवं वार्ड क्र. 5 के लिये जो आंगनवाड़ी स्वीकृत हुई है, वह संचालित नहीं हो पाई है। आंगनवाड़ी का भवन जर्जर हो गया है, उसकी मरम्मत करायी जावे।

समीक्षा में पाया गया कि सभी गांवों में आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र स्थापित है। सभी केन्द्रों में पीने के पानी की व्यवस्था है। 900 केन्द्रों में बिजली नहीं है। सभी आंगनवाड़ियों में कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पद भरे हुए हैं। आंगनवाड़ी में कुल 1,41,000 हितग्राही पंजीकृत हैं। तीन माह में औसतन 1250 हितग्राहियों को छोड़कर शेष सभी को पोषण आहार मिल रहा है। आंगनवाड़ी में उपस्थिति कम है। प्रायः दर्ज संख्या के 50 प्रतिशत बच्चे उपस्थित रहते हैं। टेक होम राशन वितरण की स्थिति संतोषप्रद है। 1226 केन्द्रों में भोजन एवं नाश्ता अलग–अलग समय पर दिया जा रहा है। सभी केन्द्रों में सूखा एवं पौष्टिक नाश्ता दिया जा रहा है, जो कि प्रशंसनीय है। अति कुपोषित बच्चों की संख्या 3100 से ज्यादा है। समीक्षा की तिथि तक आधे से कम बच्चों को एनआरसी में भर्ती कराया जाना पाया गया । शेष बच्चों को भर्ती करने के लिए मुहिम चलाई जाना चाहिए। 2500 अति कुपोषित बच्चों को थर्ड मील दिया जा रहा है। किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण अदि का विवरण संधारित करने के लिए रजिस्टर बना हुआ है। उदिता कार्नर स्थापित किया गया है। मातृ वंदना योजना की प्रगति संतोषजनक है । जिले में 9000 से ज्यादा माताओं को प्रथम किश्त, 7017 माताओं को द्वितीय किश्त एवं 2298 माताओं को तृतीय किश्त का वितरण किया गया है।

vk;kx }kjk fn, x, lq>ko ,oa funs'k

1. प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना में भौतिक उपलब्धी अच्छी है। लेकिन गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य सुधार के लिए पौष्टिक रेसिपी की सूची तैयार किए जाने की आवश्यकता है। न्यूट्रिनिस्ट/स्त्री एवं शिशु रोग विशेषज्ञ से परामर्श कर एक से अधिक वैकल्पिक रेसिपी का सचित्र पम्पलेट तैयार किया जाना चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता के माध्यम से माताओं तक उक्त पम्पलेट को पहुंचा कर पौष्टिक व्यंजन बनाने के लिए उन्हें परामर्श दिया जावे।

2. जिले में सूखा एवं पौष्टिक नाश्ता देने की अच्छी पहल की गई है। इसके कारण नाश्ता और भोजन के बीच पर्याप्त अन्तराल रहता है, जो कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। थर्ड मील के लिए भी पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में दोपहर के बचे हुए भोजन को थर्ड मील के रूप में दिया जा रहा है, जोकि कारगर नहीं है। प्रतिदिन थर्ड मील के लिए प्रति अति कुपोषित बच्चा कम से कम रु. 6.00 का प्रावधान करने की आवश्यकता है, ताकि रूचिकर एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा सके।

3. एनआरसी के निरीक्षण के समय माताओं ने शिकायत की कि फालोअप के लिए माताओं को मजदूरी की राशि नहीं मिल रही है। इसके कारण फालोअप की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। आयोग अनुशंसा करता है कि फालोअप के लिए मजदूरी एवं परिवहन की राशि पूर्ववत दी जाए।

4. ग्राम हर्राकला का आंगनवाड़ी केन्द्र सप्ताह में मात्र एक दो घण्टे के लिए खुलने की शिकायत सांसद प्रतिनिधि द्वारा की गई है। वहां की एन.आर.सी. की साफ–सफाई एवं बेड की स्थिति भी सही नहीं है। शिकायत की जांच जिला कार्यक्रम अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर करें एवं आवश्यक सुधार कर, आयोग को पालन प्रतिवेदन भेजें

5. एन.आर.सी. में भर्ती बच्चों में से 120 बच्चों की माताओं का बैंक खाता नहीं खुलने से उन्हें मजदूरी की राशि मिल नहीं पाई है। अतः उन सभी माताओं के बैंक खाते खोलकर मजदूरी की राशि जमा कराई जाए।

6. आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्र, गोरसी के निरीक्षण में पाया गया कि पानी के फिल्टर में कैंडिल पुरानी हो जाने से फिल्टर नहीं हो पा रहा है। नई कैंडिल लगाने हेतु निर्देशित किया गया।

7. गोरसी गांव में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की हितग्राही पुनिया आदिवासी को योजना की राशि प्राप्त नहीं हुई है। आयोग ने राशि जमा कराने के निर्देश दिए।

8. जनसुनवाई में श्री नरेश गुर्जर, गोवर्धा ने बताया कि आंगनवाड़ी केन्द्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ता एवं सहायिका 15 कि.मी. की दूरी से आना–जाना करती हैं, इस कारण समय पर नहीं आती है। आदिवासी बाहुल्य दूरस्थ क्षेत्र में शहर की महिलाओं की नियुक्ति होने से ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। आयोग ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को बताया कि स्थानीय महिलाओं को कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद पर रखा जाये। इस संबंध में यदि कोई अड़चन है, तो कमिश्नर, महिला बाल विकास से चर्चा कर उसका निराकरण किया जाये।

¼l½ e/;kUg Hkkstu ;kstuk

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि जिले में मध्यान्ह भोजन दिया जा रहा है। केवल ग्राम वनवाड़ा के कुछ विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन नियमित नहीं मिल रहा है।

समीक्षा में पाया गया कि जिले के विकासखण्डों में कुल 1148 विद्यालय हैं, इनमें से 109

विद्यालयों में किचन शेड नहीं है। 50 प्रतिशत से कम विद्यालयों में रसोई के लिए गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराया गया है। 864 विद्यालयों में थाली, गिलास एवं चम्मच उपलब्ध है। पंजीकृत 84700 छात्रों के विरूद्ध 59000 विद्यार्थियों (70 प्रतिशत) को नियमित रूप से भोजन मिल रहा हैं। भोजन बनाने का काम 970 समूहों द्वारा किया जा रहा है। लगभग दो सौ विद्यालयों में पीने के पानी के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है। लेकिन हाथ धोने के लिए साबुन, बाल्टी, मग और तौलिया की व्यवस्था है। प्राथमिक शाला में सप्ताह में तीन दिन दूध प्रदाय किया जा रहा है। सतर्कता समिति के गठन के बारे में स्थिति असंतोषप्रद है। नोडल अधिकारी एवं जिला शिकायत निवारण अधिकारी कार्यालय में शिकायत निवारण के लिए रजिस्टर का संधारण नहीं हुआ है।

vk;kx }kjk fn, x, l|>ko ,o funs'k

1. पंचायत/उ.मू.दु. स्तरीय एकीकृत सतर्कता समिति का पुर्नगठन अगले दो माह के भीतर किया जाये।
2. उ.मू.दु. में उपलब्ध खाद्यान्न में से सबसे अच्छा खाद्यान्न मध्यान्ह भोजन के लिए उपलब्ध कराया जाए।
3. वनवाड़ा गांव में शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई छोड़कर मध्यान्ह भोजन बनाना एवं स्व सहायता समूह द्वारा बच्चों से बर्तन साफ कराने की शिकायत की जांच कर सुधारात्मक कार्यवाही की जाए ।
4. अत्यन्त निर्धन एवं बेसहारा व्यक्तियों को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने के बारे में गांव में अधिक प्रचार–प्रसार कराया जाये ।

6. जिला – बालाघाट

आयोग द्वारा दिनांक 27–28.2.2019 को बालाघाट जिले का भ्रमण किया गया । इस भ्रमण के दौरान आयोग ने दिनांक 27.2.19 को जिला मुख्यालय पर योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया। समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों से विभागीय स्तर पर किए जा रहे कार्य की जानकारी/ फीडबैक प्राप्त किया। दिनांक 28.2.19 को जिले में कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति का अवलोकन करने के लिए आंगनवाड़ी केन्द्र, उ.मू.दु. एवं मध्यान्ह भोजन का निरीक्षण किया गया। योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति एवं आयोग द्वारा दिए गए निर्देश/ सुझाव का विवरण निम्नानुसार है :–

¼v½ yf{kr lkoZtfud forj.k iz.kkyh

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि बिरसा जनपद पंचायत क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान में सांझा चूल्हा एवं मध्यान्ह भोजन का खाद्यान्न समय पर नहीं पहुंचता है। पात्र व्यक्तियों को उनकी पात्रता पर्ची नहीं मिल रही है।

समीक्षा में पाया गया कि जिले में योजनांतर्गत 92 प्रतिशत परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। कवरेज की दृष्टि से निर्धारित सीमा से भी अधिक परिवारों को योजना का लाभ मिल रहा है। जिले में पात्र गृहस्थ परिवारों के 14,26,564 सदस्यों में से 11,93,580 सदस्यों की आधार सीडिंग हो चुकी है। 2,32,984 सदस्यों की आधार सीडिंग होना शेष है। अप्रैल, 2018 से जनवरी, 2019 तक मात्र 01 शिकायत प्राप्त एवं लंबित होना पाई गयी। जिले में कुल 613 उचित मूल्य दुकानें संचालित है, जिसमें 590 उचित मूल्य दुकानों में दुकान स्तरीय सतर्कता समिति गठित होना बताया गया है। लेकिन सरपंच एवं पार्षद जो समिति के अध्यक्ष हैं, उन्हें अपने कर्तव्य एवं अधिकार के बारे में प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। जिले में संचालित 613 उचित मूल्य दुकानों में से डी.एस.के. कंपनी की मशीन 272 दुकानों में लगी है। शेष 341 दुकानों में विजनटेक कंपनी की पी.ओ.एस. मशीन लगी है। विजन टेक कंपनी की मशीन अच्छी काम कर रही है। डी.एस.के. कंपनी की मशीन खराब रहती है। जिले में सर्वर डाउन होने की समस्या बनी रहती है। इसके कारण वितरण में विलम्ब होता है। लेकिन जनप्रतिनिधियों ने पुष्टि की, कि विलम्ब से सही, सभी हितग्राहियों को राशन मिल जाता है।

vk;ksx }kjk fn;s x;s funsZ'k ,oa lq>ko

1. पिछली जनगणना के आधार पर जिले के कुल परिवारों में से 92 प्रतिशत परिवारों को लाभ प्राप्त होना बताया गया है। इसके बाद भी बाद में जिन परिवारों को गरीबी रेखा का कार्ड जारी किया गया है, उन्हें राशन पर्ची नहीं मिलने की शिकायत है। इससे स्पष्ट है कि राशन सूची में अपात्र परिवार शामिल हैं। अपात्र परिवारों को जांच के बाद सूची से अलग कर देना चाहिए, ताकि पात्र परिवारों के नाम जोड़ने के लिए स्थान उपलब्ध हो जाए। जांच नहीं होने के कारण ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। आयोग ने निर्देशित किया कि अपात्र लोगों की पहचान कर उन्हें सूची से पृथक करने की कार्यवाही शीघ्र की जाये।

2. नोडल अधिकारी एवं जिला कलेक्टर के कार्यालय में शिकायत निराकरण के लिए पंजी का संधारण किया जाये। जनसुनवाई में एवं क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान शिकायत प्राप्त होने पर पंजी में दर्ज कर उन शिकायतों का निराकरण तत्काल किया जावे।

3. अपात्र परिवारों को सुनवाई का एक अवसर दिया जाकर समग्र पोर्टल से हटाया जावें, ताकि पात्र परिवारों के नाम जोड़े जा सकें।

¼c½ ijd ik"k.k vkgkj dk;Øe

जनप्रतिनिधियों द्वारा कहा गया कि आंगनवाड़ी नियमित रूप से खुल रही है। नाश्ता और भोजन मिल रहा है। केवल मीनू अनुसार भोजन नहीं देने की शिकायत है। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम का नियमित निरीक्षण नहीं होने की शिकायत भी जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई।

समीक्षा में पाया गया कि बालाघाट शहर में कुल 81 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से एक समूह द्वारा 55 आंगनवाड़ी केन्द्र तथा दूसरा समूह द्वारा 26 आंगनवाड़ी केन्द्रों को पोषण आहार प्रदाय किया जा रहा है। 35 आंगनवाड़ी केन्द्रों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। 2555 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 1641 आंगनवाड़ी केन्द्रों में ही शौचालयों की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अन्तर्गत पात्र गर्भवती माताओं का पंजीयन हो रहा है एवं उन्हें किश्त जारी की जा रही हैं। जिले की अधिकांश आंगनवाड़ी किराये के मकान में संचालित हो रही हैं, इनमें से कुछ मकान अत्यधिक जर्जर हालत में है। इन आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों की उपस्थिती कम दर्ज हो रही है। परसवाड़ा तहसील में 250 आंगनवाड़ी संचालित है, जिनमें 48 भवन किराये के है। बैहर तहसील में 277 आंगनवाड़ी केन्द्र है, जिसमें 87 केन्द्र निजी भवन में संचालित हो रहे हैं। जनपद पंचायत खैरलॉजी अंतर्गत 171 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा आंगनवाड़ी निजी भवन में लग रहे हैं। कटंगी विकासखंड अंतर्गत 202 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं, जिनमें से 150 भवन निर्मित हैं एवं 15 केन्द्र निजी भवन में संचालित हैं।

आंगनवाड़ी केन्द्र, जामिया नूरिया के निरीक्षण मे निर्देश दिये गये कि कार्यकर्ता प्रत्येक दिन बच्चों की उपस्थिती पंजी में दर्ज करें।

vk;kx }kjk fn;s x;s funs'k ,o l>ko

1. आयोग द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित नहीं है, वहा नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने एवं नवीन आंगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जाये।

2. ऐसी आंगनवाड़ी केन्द्रों में जहां पृथक से पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, वहा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग से समन्वय कर पीने के पानी की व्यवस्था कराई जावे।

3. आंगनवाड़ी केन्द्रों में विद्युत व्यवस्था हेतु विधायक निधि/जनप्रतिनिधियों के सहयोग से अथवा जिला पंचायत के पास संग्रहित अन्य निधि से प्रयास किया जावे।

4. जर्जर आंगनवाड़ी भवनों की मरम्मत करायी जावे।

5. पूरक पोषण हेतु दर्ज 68966 बच्चों के विरूद्ध 55000 बच्चों को लाभ मिल रहा है। टी.एच.आर. हेतु पंजीकृत 69332 हितग्राहियों में से 55400 को लाभ मिल रहा है। आयोग द्वारा निर्देशित किया गया कि कवरेज में वृद्धि की जाए।

¼l½ e/;kUg Hkkstu ;kstuk

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का नियमित निरीक्षण नहीं हो रहा है। समीक्षा में पाया गया कि जिले के कुल 2757 प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में मात्र 673 किचन शेड में गैस चूल्हे उपलब्ध हैं जबकि 2078 ऐसे किचनशेड हैं जहां गैस चूल्हे उपलब्ध नहीं है। जिले में अभी भी 69 विद्यालयों में किचनशेड की व्यवस्था नहीं है, जहां पर किचनशेड की व्यवस्था की जानी है।

शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शाला, पाथरशाही के निरीक्षण में छात्र एवं छात्राओं की उपस्थिति बहुत अच्छी पाई गई। जिले के ऐसे समस्त विद्यालय जहां पर छा़त्रों की उपस्थिति अच्छी रहती है, उन विद्यालयों की सूची बनाकर ग्रामीण विकास विभाग को भेजी जावे और वास्तविक रुप से उपस्थित छात्रों की संख्या के आधार पर खाद्यान्न एवं राशि की मांग की जावे। शासकीय प्राथ. शाला कंजई, वि.ख. लालबर्रा के निरीक्षण में पानी की सुविधा, शौचालय की व्यवस्था, किचन शेड व्यवस्था, बर्तन व्यवस्था उपलब्ध होना पाई गई। हाथ धोने की व्यवस्था नहीं थी। विद्यालय प्रमुख को हाथ धोने की व्यवस्था चालू करने के लिए समझाईश दी गई।

vk;ksx }kjk fn;s x;s funsZ'k ,oa lq>ko

1. आयोग द्वारा क्वालिटी मॉनीटर को निर्देशित किया गया कि निरीक्षण की संख्या बढ़ाई जाए और सभी विद्यालयों में स्वादिष्ट सुरूचिपूर्ण भोजन मिले, सुनिश्चित किया जावे।

2. मध्यान्ह भोजन का खाद्यान्न उ.मू.दुकानों पर समय–सीमा में पहुंच जाए, इस हेतु ग्रामीण विकास विभाग अग्रिम आवंटन का आदेश हर माह समय पर जारी करें।

3. किचनशेड की व्यवस्था जहां पर नहीं है, वहां किचनशेड निर्माण कराने की व्यवस्था की जावे।

4. खाद्य सुरक्षा नियम के अंतर्गत शिकायत निराकरण का विवरण रखने के लिए रजिस्टर का संधारण सी.ई.ओ. जिला पंचायत एवं कलेक्टर के कार्यालय में किया जाए और प्राप्त शिकायतों को दर्ज कर उनका निराकरण किया जावे।

7. जिला– शिवपुरी

आयोग द्वारा दिनांक 28.2.19 को जिला मुख्यालय पर जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। दिनांक 29.2.19 को कार्यक्रमों का निरीक्षण किया गया एवं हितग्राहियों से चर्चा की गई। उसी दिन दोपहर पश्चात् विकासखण्ड मुख्यालय पोहरी में जनसुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। योजनाओं की स्थिति निम्नानुसार पाई गईः–

¼v½ yf{kr lkoZtfud forj.k iz.kkyh

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि पात्र लोगों की पात्रता पर्ची जनरेट नहीं हो रही है। कई पंचायतों में दूर के गांव के व्यक्ति को विक्रेता नियुक्त किया गया है, ऐसी पंचायतों में गांव के व्यक्ति को विक्रेता बनाया जावे। ग्राम बड़ोखरा में पिछले तीन माह से अनाज वितरण में गड़बड़ी चल रही है। खाद्य अधिकारी दुकान का निरीक्षण नहीं करते हैं। शिवपुरी नगरपालिका के वार्ड क्र. 19, 20 एवं 21 में ऑफ लाईन से फर्जी लोगों को वितरण किया जा रहा है। ग्राम दिगवास में राशन कार्ड को गिरवी रखने की शिकायत है। सहरिया अनुसूचित जनजाति के कुछ परिवारों को अनाज नहीं मिल रहा है। राशन दुकान खोलने का समय तय नहीं है। वार्ड नं. 26 में हितग्राहियों को पूरा राशन प्राप्त नहीं हो रहा है।

समीक्षा में पाया गया कि जिले की ग्रामीण जनसंख्या का मात्र 63 प्रतिशत और शहरी जनसंख्या का केवल 65 प्रतिशत व्यक्तियों को योजना का लाभ मिल रहा है। एस.सी./एस.टी. परिवारों में से 93 प्रतिशत परिवारों को लाभांवित करने का तो दावा किया गया है लेकिन राशन से वंचित सहरिया परिवारों को देखते हुए इस आंकड़े का पुनः सत्यापन किया जाना आवश्यक है। पिछले तीन वर्ष से मात्र 2000 अपात्र परिवारों का नाम हटाया गया है और उनकी जगह पर 1800 पात्र परिवारों का नाम जोड़ा गया है। जिले में लगभग 7000 से ज्यादा सत्यापित एवं अलाभांवित परिवार राशन के लिए प्रतीक्षारत हैं। उ.मू.दु. स्तरीय सतर्कता समितियों का पुर्नगठन नहीं किया गया है। सरपंच एवं पार्षद जो समिति के अध्यक्ष हैं, उन्हें निगरानी समिति की जानकारी नहीं है। विकासखण्ड स्तरीय समिति का गठन हुआ है, परंतु बैठके नियमित नहीं हो रही है। द्वार प्रदाय योजना के अन्तर्गत सभी दुकानों में शतप्रतिशत अग्रिम उठाव हो गया है। पिछले चार माह के राशन वितरण की स्थिति की समीक्षा करने पर पाया गया कि प्रति माह औसतन 1100 परिवार राशन लेने नहीं आ रहे हैं। आपूर्ति अधिकारी द्वारा इन परिवारों की जांच कर, अपात्र परिवारों को हटाने के लिए कोई पहल नहीं की गई है। सहकारी समितियों द्वारा विक्रेताओं को पूरा मानदेय नहीं दिया जा रहा है।

vk;ksx }kjk fn, x, lq>ko ,oa funsZ'k

1. आयोग ने कहा कि मा. विधायक द्वारा बड़ोखरा, बड़ौदा आदि गांव में तीन महीने से खाद्यान्न बांटने में हो रही गड़बड़ी की शिकायत 15 दिन पूर्व प्राप्त होने के बाद भी अभी तक जांच

कर उसका निराकरण नहीं किया जाना आपूर्ति अधिकारी की लापरवाही दर्शाती है। आयोग ने कलेक्टर, शिवपुरी को उपरोक्त शिकायतों की जांच कर उनका निराकरण करने संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

2. त्रिस्तरीय निगरानी एवं सतर्कता समिति का गठन एवं बैठक की स्थिति अत्यन्त ही असंतोषजनक है। आयोग द्वारा निर्देशित किया गया कि उ.मू.दुकान स्तरीय सतर्कता समिति का पुर्नगठन करते हुए आगामी दो माहों के भीतर सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाये।

3. जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायत की गई है कि शिवपुरी जिले में सहरिया जनजाति के कई परिवारों के पास पूर्व से अन्त्योदय अन्न योजना का कार्ड था, लेकिन बाद की जांच में इन्हें राशन के लिए अयोग्य पाया गया। आयोग ने इसे गंभीरता से लिया और कलेक्टर, शिवपुरी एवं जिला आपूर्ति अधिकारी, शिवपुरी को निर्देशित किया कि ऐसे परिवारों की जांच की जाये एवं यदि पात्र पाए जाते हैं, तो उनका नाम हितग्राही सूची में जोड़ने का कार्य किया जाये। जिला कलेक्टर अपने स्तर से ऐसी व्यवस्था करे कि जांच पारदर्शी तरीके से तीन माह के भीतर सम्पन्न हो जाए।

4. अंगूठा निशानी घिस जाने पर रजिस्टर से खाद्यान्न वितरण करने का नियम शासन द्वारा प्रसारित किया गया है,: इस प्रावधान के बारे में सभी पंचायतों में प्रचार–प्रसार किया जावे और विक्रेताओं को इस संबंध में ताकीद किया जाए। उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कताा समिति के सदस्यों को इसके बारे में जानकारी दी जाये, ताकि खासकर मजदूर, जिनके अंगूठा निशानी मजदूरी करते समय घिस गए हैं, उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े।

5. आयोग ने कलेक्टर एवं जिला आपूर्ति अधिकारी, शिवपुरी को निर्देशित किया कि राशन कार्ड गिरवी नहीं रखने के संबंध में सभी पंचायतों में लोगों को जागरूक बनाया जाए। जहां कहीं ऐसी शिकायत प्राप्त होती हैं, उसकी तुरंत जांच कर दलाल के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए और उसे सजा दिलाने के लिए कार्यवाही की जाए।

6. शासन के निर्देशानुसार 200 कार्डस् से अधिक कार्डस् वाली दुकान के विक्रेताओं को प्रति माह रु. 8400/– का मानेदय दिया जाना चाहिए। शिवपुरी जिले में ऐसा नहीं हो रहा है। इस संबंध में कलेक्टर ध्यान दें। उनके द्वारा उप पंजीयक, सहकारिता एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के प्रबंधक के साथ बैठक आयोजित कर, शासन के निर्देश का पालन कराने के लिए कार्यवाही की जाए।

7. पिछले चार माहों में जो परिवार लगातार राशन लेने नहीं आ रहे हैं, उनकी जांच की जाए। जांच में यदि मृत्यु, पलायन या फर्जी आधार कार्ड वाला परिवार होना पाया जाता है, तो उस स्थिति में अपात्र परिवारों का नाम विलोपित किया जाये, ताकि रिक्त स्थान पर छूटे हुए पात्र परिवारों के नाम जोड़े जा सके।

¼c½ ijd iks"k.k vkgkj dk;Øe

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि आंगनवाड़ी केन्द्र में दूसरे गांव की कार्यकर्ता नियुक्त होने से वह

आंगनवाड़ी केन्द्र में समय पर नहीं पहुंच रही है। सहरिया एवं अन्य आदिवासी परिवारों के कुपोषित बच्चों को कुपोषण निवारण की राशि देने के बजाए उन्हें अनाज दिया जाए। ग्राम नावली, उमावली एवं सिरोज में आंगनवाड़ी अक्सर बन्द रहती है।

समीक्षा में पाया गया कि जिले के सभी गांवों में आंगनवाड़ी केन्द्र हैं। पीने के पानी की व्यवस्था है, परंतु केन्द्रों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। 225 आंगनवाड़ी केन्द्रों में बिजली की फिटिंग का कार्य चल रहा है। 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती/धात्री मातायें एवं किशोरी बालिकाओं को मिलाकर 261000 से ज्यादा हितग्राही पंजीबद्ध है। माह अक्टूबर 18 से लेकर जनवरी 2019 तक प्रतिमाह औसतन 28000 से ज्यादा हितग्राही पोषण आहार लेने नहीं आये हैं। गर्भवती /धात्री माताओं की संख्या लगभग 42000 है। इनमें से प्रतिमाह औसतन 4000 से ज्यादा माताओं को टेक होम राशन नहीं मिल पाया है। लाभ नहीं लेने वाले हितग्राहियों की संख्या अधिक हैं, जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। आंगनवाड़ी केन्द्रों में नाश्ता एवं भोजन अलग–अलग समय पर दिया जा रहा है। खराब गुणवत्ता का भोजन बनाने पर 345 समूहों में से केवल 28 स्व सहायता समूहों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। आंगनवाड़ी केन्द्रों में लगभग 4000 अति कुपोषित बच्चे चिन्हित किए गए है। इनमें से केवल 1400 बच्चों को एन.आर.सी. में भेजा गया है। अतिकुपोषित बच्चों को गोद लेने के लिए भी कोई ठोस पहल नहीं हुई है। केवल 15 अति कुपोषित बच्चों को गोद लिया गया है। 151 आंगनवाड़ी केन्द्रों में भोजन के लिए थाली, गिलास उपलब्ध नहीं है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की स्थिति अच्छी है। जिले में 18571 गर्भवती माताओं का ऑनलाईन पंजीयन किया गया है। योजना की राशि भी माताओं को प्राप्त हो रही है।

vk;ksx dk }kjk fn, x, funsZ'k ,oa lq>ko

1. शिवपुरी जिला कुपोषण की दृष्टि से संवेदनशील जिला है। विभिन्न योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन से ही कुपोषण निवारण संभव है। राशन दुकान का नियमित रूप से खुलना, शतप्रतिशत सहरिया आदिवासी परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाना, आंगनवाड़ी में पौष्टिक सूखा नाश्ते का प्रबंध करना, पूरक पोषण आहार और टेक होम राशन का कवरेज बढ़ाना, आंगनवाड़ी में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए पंचायत प्रतिनिधि एवं पालकों के साथ संवाद करना आदि कार्यों से ही कुपोषण निवारण अभियान परिणाममूलक और सार्थक बन सकता है। आयोग अनुशंसा करता है कि इस संबंध में जिले में कार्ययोजना बनाई जाए।

2. आंगनवाड़ी में उपस्थिति कम होने के कारण लगभग 40 से 50 प्रतिशत बच्चे पूरक पोषण आहार के सुरक्षा कवच के बाहर हैं। आंगनवाड़ी केन्द्र मचाकलां में 51 बच्चों के विरूद्ध केवल 09 बच्चे उपस्थित मिले। आंगनवाड़ी केन्द्र, कृष्णगंज में 73 बच्चों के विरूद्ध 45 हितग्राही मिले, जिसमें 03 से 06 वर्ष के केवल 30 बच्चे थे। शेष हितग्राही बच्चों के बड़े भाई–बहन थे, जो उन्हें लेकर आए थे। इसलिये बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करने की आवश्यकता है। सुझाव है कि हितग्राहियों की उपस्थिति, कुपोषण, एनेमिया, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर आदि सूचकांक पर जिन पंचायतों की स्थिति ज्यादा खराब है, उन

पंचायतों की आंगनवाड़ी केन्द्रों में सुधार लाने के लिए पंचायत प्रतिनिधि, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एन.जी.ओ. एवं पालकों के साथ नियमित चर्चा एवं बैठक आयोजित करने की व्यवस्था की जाए। अच्छा परिणाम देने वाली पंचायतों को पुरस्कृत भी किया जाए।

3. जनप्रतिनिधियों द्वारा पोहरी पंचायत के चकराना गांव में मातृ वंदना योजना की राशि नहीं मिलने की शिकायत की गई है। जनप्रतिनिधि से लाभ से वंचित हितग्राहियों के नाम की सूची प्राप्त की जाये और जांच कर पात्र हितग्राहियों को राशि उपलब्ध कराई जावे।

4. नावली एवं पुनावली गांव में स्व सहायता समूह द्वारा आंगनवाड़ी में लगातार कई दिनों तक भोजन उपलब्ध नहीं कराने की शिकायत मिली है। इसकी जांच की जाए और शिकायत सही पाई जाने पर स्व सहायता समूह को हटाकर अन्य किसी महिला स्व सहायता समूह को कार्य सौंपा जाए।

5. आंगनवाड़ी केन्द्र मचाकलां का भवन जर्जर है एवं बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। उक्त आंगनवाड़ी केन्द्र को अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाए।

¼l½ e/;kUg Hkkstu dk;Øe

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि स्व सहायता समूह समितियों का कई वर्षों से अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों का चुनाव नहीं हुआ है। ऐसी फर्जी समितियों की जांच कर उन्हें कार्य से हटाया जाये। कई विद्यालयों में भोजन की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। ग्राम नावली, पुनावली की प्राथमिक शाला में कुछ दिनों से भोजन नहीं मिला है। वहां पर स्व सहायता समूह लम्बे समय से भोजन तैयार कर रही है। उनके विरूद्ध जांच नहीं होने के कारण उक्त समूह मनमानी कर रहा है।

समीक्षा में पाया गया कि सभी विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम चालू है। जिले में 2,22,000 से अधिक छात्र पंजीकृत हैं। परंतु प्रतिदिन लगभग 1,35,000 छात्र (60 प्रतिशत) उपस्थित हो रहे हैं, जिन्हें मध्यान्ह भोजन दिया जा रहा हैं। उपस्थिति के मान से शासन से प्राप्त आवंटन पर्याप्त है। 2155 स्व सहायता समूह भोजन बनाने का कार्य कर रहे हैं। पिछले चार माह में अनियमितता के कारण केवल 05 समूहों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। निरीक्षण में और कसावट लाने की जरूरत है। 421 विद्यालयों में किचन शेड नहीं है। इनमें से 100 विद्यालय परिसर में नवीन शेड बनाए जा रहे है। इसी प्रकार मात्र 646 विद्यालयों में गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराए गए हैं। पीने के पानी की व्यवस्था सभी विद्यालयों में है। प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को तीन दिन दूध देने की योजना लागू है। प्रतिमाह औसतन 1400 निर्धन व्यक्ति मध्यान्ह भोजन का लाभ ले रहे हैं, जो अच्छी बात है। जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुश्रवण समिति का गठन हुआ है एवं बैठकें भी हो रही है। माह अक्टूबर, नवम्बर, दिसंबर 18 एवं जनवरी, 19 माह में क्रमशः 2,3,2 एवं 2 विद्यालयों में लगातार तीन दिन तक मध्यान्ह भोजन बन्द रहने की जानकारी दी गई है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा अभी तक इसकी जांच नहीं की गई है। नोडल अधिकारी एवं जिला शिकायत निवारण कार्यालय में मध्यान्ह भोजन से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु उचित व्यवस्था नहीं

की गई है, जिसे किया जाना नितांत आवश्यक है।

vk;kx }kjk fn, x, lq>ko ,oa funs'k

1. विभागीय जानकारी अनुसार अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 2018 एवं जनवरी, 2019 के महीनों में क्रमशः 2,3,2 एवं 2 विद्यालयों में लगातार तीन दिन तक मध्यान्ह भोजन बंद रहा है। इसके कारणों की जांच की जाये और दोषी संस्था या व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए खाद्य सुरक्षा भत्ता की वसूली कर छात्रों के खाते में जमा किया जाये।

2. नावली एवं पुनावली गांव में लगातार कई दिनों तक भोजन नहीं मिलना, स्व सहायता समूह द्वारा भोजन बनाने में मनमानी करना एवं खराब भोजन देने की शिकायत की गई है। शिकायत की जांच करने एवं संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

3. जिले के 2980 विद्यालयों में से केवल 646 विद्यालयों में गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराए गए है। यह स्थिति असंतोषजनक है। जिला पंचायत में उपलब्ध ब्याज की राशि आदि से शेष वि़द्यालयों में चरणबद्ध तरीके से रसोई गैस प्रदाय किया जाए।

4. आयोग ने निर्देशित किया कि जिला शिकायत निवारण अधिकारी एवं नोडल अधिकारी के कार्यालय में शिकायतों को दर्ज करने एवं उनके निराकरण की स्थिति का ब्यौरा रखने के लिए रजिस्टर का संधारण किया जाए।

5. कंडिका एक में दिए गए अपवाद को छोड़कर मध्यान्ह भोजन सभी विद्यालयों में मिल रहा है, लेकिन भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायत है। निरीक्षण में पाया गया कि परिच्छा अहिर गांव में भोजन की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, जबकि कृष्णगंज के विद्यालय में भोजन की गुणवत्ता अच्छी मिली। सुझाव है कि महिला स्व सहायता समूहों के प्रतिनिधियों की बैठक विकासखण्ड स्तर पर प्रत्येक दो माह में एक बार आयोजित की जाना चाहिए। बैठक में समूह के साथ चर्चा कर भोजन की गुणवत्ता, निरन्तरता तथा मीनू अनुसार भोजन नहीं बनने आदि के बारे में विभिन्न विद्यालयों से प्राप्त शिकायतों का निराकरण किया जा सकता है। इससे भोजन की गुणवत्ता में सुधार होगा।

8. जिला – छतरपुर

आयोग द्वारा दिनांक 5–6.6.2019 को छतरपुर जिले का भ्रमण किया गया। इस भ्रमण के दौरान आयोग ने दिनांक 5.6.2019 को जिला मुख्यालय पर जनप्रतिनिधियों से चर्चा एवं अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया। दिनांक 6.6.2019 को कार्यक्रमों का निरीक्षण किया गया। आयोग द्वारा निम्नानुसार सुझाव दिए गए :–

¼v½ yf{kr lkoZtfud forj.k iz.kkyh

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि नवीन पात्र परिवारों की पात्रता पर्ची जनरेट नहीं हो रही है। अपात्र परिवारों की जॉच की जाकर उन्हें सूची से हटाया जावे तथा नये पात्र परिवारों को जोड़ा जावे। पीओएस मशीन में अंगूठे का निशान नहीं लगने पर सामग्री का वितरण ऑफलाईन कराया जावे। सर्वर की समस्या भी रहती है। इसका निराकरण किया जाये। परिवार के मृत सदस्यों के नाम पोर्टल से हटाया जाना चाहिए तथा किसी अन्य सदस्य के नाम बीपीएल राशन कार्ड/पात्रता पर्ची जारी करना चाहिए। छतरपुर के नगरपालिका क्षेत्र में निगरानी समिति की बैठक हो रही है।

vk;ksx }kjk fn;s x, funsZ'k ,oa lq>ko

1. हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार सीडिंग का प्रतिशत कम है इसको बढाये जाने हेतु प्रयास किया जावे।
2. जहां पर सर्वर की समस्या रहती है और जिन लोगों का अंगूठा निशानी नहीं लग रही है, ऐसे प्रकरणों में रजिस्टर से राशन का वितरण किया जाये।
3. शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर सभी आवश्यक सूचनाओं तथा सांझा चूल्हा/मध्यान्ह भोजन के लिए अनाज प्राप्त कर रहे स्वःसहायता समूहों की जानकारी प्रदर्शित किया जाये। हितग्राहियों के नाम हिन्दी के बड़े फोण्ट में टाईप कर उसकी सूची लगाई जाए। सतर्कता समिति के सदस्यों के नाम फोन नम्बर और आपूर्ति अधिकारी एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों के दूरभाष भी दुकान में लिखा जाये, जिससे हितग्राही अपनी समस्या के निराकरण के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। समस्त सहा. आपूर्ति अधिकारी/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी से इस संबंध में प्रमाण पत्र लिया जावे।

¼c½ iwjd iks"k.k vkgkj dk;ZØe

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि आंगनवाड़ी में दिये जा रहे भोजन की गुणवत्ता ठीक है। आंगनवाड़ियों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के प्रयास विशेष रूप से किये जावें। शाासन निर्देशानुसार दूध का प्रदाय सुनिश्चित किया जावे।

vk;ksx }kjk fn;s x;s funsZ'k

1. ऐसे स्वःसहायता समूहों को हटाया जावे जो गुणवत्ता युक्त भोजन नहीं दे रहे हैं।

2. आंगनवाड़ी में उपस्थिति बढ़ाने के लिए पंचायत प्रतिनिधि और पालकों के साथ नियमित बैठक की जाए। अकेले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के प्रयास से उपस्थिति में वृद्धि नहीं हो सकती।

3. सूखा नाश्ता देना प्रारम्भ किया जावे एवं इसकी रेसिपी विशेषज्ञों से बनवाई जाकर प्रचार–प्रसार किया जावे।

4. अति कुपोषित बच्चों को जो थर्ड मील दिया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जावे। मध्यम कुपोषित बच्चों की देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जावे, जिससे कि ये बच्चे अति कुपोषित श्रेणी में नहीं आ जाए।

¼l½ e/;kUg Hkkstu ;kstuk

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मध्यान्ह भोजन के मीनू अनुसार प्रदाय किया जा रहा है। एम.डी. एम. में दिये जा रहे भोजन की गुणवत्ता ठीक है। भोजन में सलाद को शामिल किया जाना चाहिए। विभागीय अधिकारी क्षेत्र भ्रमण के समय मध्यान्ह भोजन के गुणवत्ता की जाँच भी निरंतर करते रहें।

vk;kx }kjk fn;s x;s funs'k ,oa lq>ko

1. खाद्यान्न आवंटन वास्तविक उपस्थिति के आधार पर किया जाना चाहिए।

2. प्रत्येक 2 माह में स्वःसहायता समूहों की समस्या सुलझाने हेतु विकासखण्ड स्तर पर बैठकें अवश्य करायी जावे।

3. जिला एवं विकासखण्ड स्तर की सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठकें नियमित नहीं हो रही हैं। यह अच्छी बात नहीं है। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि सर्तकता समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाए।

9. जिला देवास

आयोग द्वारा दिनांक 28–29.6.2019 को देवास जिले का भ्रमण कर जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा की गई एवं कार्यक्रमों का निरीक्षण किया गया। जिले की टोंकखुर्द जनपद पंचायत में जनसुनवाई शिविर का भी आयोजन किया गया। योजनाओं/कार्यक्रमों की स्थिति निम्नानुसार पाई गई :–

¼v½ yf{kr lkoZtfud forj.k iz.kkyh

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि राशन कभी–कभी देर से सही, लेकिन सभी को मिल जाता है। उनकी शिकायत है कि जिनके अंगूठा निशान पीओएस मशीन में नहीं लग रहे हैं, उनके लिये रजिस्टर से वितरण किया जाना चाहिए। उ.मू.दुकान से 8–10 किलोमीटर दूरी वाले गावों में खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था करायी जावे। कहीं–कहीं एक उ. मू. दुकान में 8–10 पंचायतें संलग्न है। कई क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या है। मानकर समाज के गरीब परिवारों एवं चारिया पंचायत के गांव समली खेड़ी, खमखेड़ी, झीकड़ी तथा पलासी बावड़ी में नाल समाज के गरीब लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें लाभ दिलाया जाए। पानकुँआ ग्राम उदयनगर की दुकान 5 माह से नियमित नहीं खुल रही है। सतर्कता समिति के सदस्यों के नाम उचित मूल्य दुकान में प्रदर्शित किये जावें।

समीक्षा में पाया गया कि ग्रामीण जनसंख्या का कवरेज 69 प्रतिशत और शहरी जनसंख्या का कवरेज केवल 61 प्रतिशत है। अ.जाति/अ.ज.जाति परिवारों में से 92 प्रतिशत परिवारों को योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। पात्र परिवारों के नाम जोड़ने का कार्य बन्द होने के कारण जिले के 592 पात्र किन्तु अलाभांवित परिवार का नाम जिला स्तर पर जोड़ा जाना संभव नहीं हो पा रहा है। जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति का गठन नहीं हुआ है। 536 उ.मू.दुकानों में से 422 उ.मू.दुकानों में दुकान स्तरीय सतर्कता समिति का गठन हुआ है, लेकिन सदस्यों का नाम एवं नम्बर को प्रदर्शित करने का कार्य पूरा नहीं हुआ है। द्वार प्रदाय योजना के अंतर्गत सभी दुकानों में शतप्रतिशत अग्रिम उठाव हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। ग्रामीण क्षेत्र में औसतन 9000 एवं शहरी क्षेत्र में औसतन 5000 परिवार 21 तारीख तक राशन लेने नहीं आये हैं, जिनकी जांच कराकर अपात्रों को सूची से हटाया जाना चाहिए। 55 पंचायतों में उचित मूल्य दुकान नहीं है। दूरस्थ पंचायतों में स्व सहायता समूह की कमी के कारण दुकान आवंटन के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने में कठिनाई जा रही है। जिले में 100 विक्रेता ऐसे हैं जिनके द्वारा दो या तीन दुकानों का संचालन किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप लगभग 200–250 उ.मू.दु. सप्ताह में 6 दिन नहीं खुल पा रही हैं।

vk;ksx }kjk fn, x, funsZ'k ,oa lq>ko

1. आयोग ने कहा कि दुकानविहीन पंचायत में नवीन दुकान के आवंटन के लिए आवेदन पत्र मंगाने की जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी दी जाए, ताकि समय पर स्व सहायता समूह से आवेदन पत्र प्राप्त हो सके।

2. आयोग ने कहा कि अपात्र व्यक्ति का नाम जांच कर हटाया जावे तथा पात्र व्यक्ति का नाम जोड़ा जावे। उ.मू.दु. स्तरीय सतर्कता समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम एवं मोबाईल नम्बर दुकानों के बाहर प्रदर्शित किये जावे एवं उन्हें उनके कर्तव्य एवं दायित्व के बारे में प्रशिक्षित किया जाये। सतर्कता समिति के सदस्यों को प्रत्येक माह नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा एसएमएस के जरिये अग्रिम उठाव की जानकारी दी जाये, ताकि दुकान का निरीक्षण प्रभावी ढंग से किया जा सके।

3. माननीय प्रभारी मंत्रीजी के अनुमोदन से जिला स्तरीय निगरानी समिति का गठन शीघ्र किया जाए। इसी प्रकार विकासखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जाकर, बैठक का आयोजन किया जाए।

4. उचित मूल्य दुकानों में हितग्राहियों का नाम हिन्दी फाण्ट में बड़े अक्षरों में लिखाकर प्रदर्शित कराया जावे, ताकि पारदर्शिता बनी रहे एवं अपात्र व्यक्तियों की पहचान हो सके।

5. अंगूठा घिस जाने के मामले में हितग्राही को रजिस्टर से राशन वितरण करने का स्पष्ट शासनादेश होने के बावजूद भी कई विक्रेताओं द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है। इसके कारण हितग्राहियों को बार–बार दुकान आना पड़ता है। इस संबंध में सभी विक्रेताओं को स्पष्ट हिदायत दी जाए।

6. इश्यू सेन्टर से उ.मू.दु. को सामग्री भेजने के पूर्व चयनित स्टेक में रखे अनाज के सेम्पल का एनालिसिस किया जाये और पंचनामा बनाया जाए। एफ.ए.क्यू. गुणवत्ता वाले खाद्यान्न का ही वितरण किया जावे।

7. मध्यान्ह भोजन के लिये अच्छी गुणवत्ता का अनाज समूहों को उपलब्ध कराया जावे।

8. ऐसे आश्रित गांव जो उ.मू.दु. से 8–10 किलोमीटर या अधिक दूरी पर है, उन गांवों के हितग्राहियों को राशन वितरण की व्यवस्था नजदीक की उ.मू.दुकान से कराया जावे।

9. जनपद अध्यक्ष, बागली की शिकायत कि उ.मू.दुकान 5 माह से नियमित नहीं खुल रही है कि जांच करायी जावे। दोषी विक्रेता के विरूद्ध कार्यवाही की जावे एवं आयोग को अवगत कराया जाए।

10. जिन दुकानविहीन पंचायतों में महिला स्व सहायता समूह की कमी के कारण दुकान आवंटन के लिए आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हो रहे हैं, उन पंचायतों के लिए एनआरएलएम की सहायता से उपयुक्त समूह की पहचान की जाए, तो दुकान का आवंटन सुगमता से हो सकता है।

11. इश्यू सेंटर के निरीक्षण में आयोग द्वारा जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिले में ऐसी व्यवस्था की जाए कि आपूर्ति अधिकारी द्वारा जिस अधिकारी को इश्यू सेन्टर के निरीक्षण के लिये अधिकृत किया गया है, वह भी एनालीसिस प्रक्रिया को देखें तथा पंचनामा में हस्ताक्षर करें।

¼c½ ijd ik"k.k vkgkj dk;Øe

समीक्षा मे पाया गया कि जिले में 10 गावों को छोड़कर सभी गांवों में आंगनवाड़ी केन्द्र हैं। पीने के पानी की व्यवस्था सभी आंगनवाड़ी में है। 763 आंगनवाड़ी केंन्द्र में विद्युत नहीं है। छः माह से लेकर छः वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती/धात्री माताओं को मिलाकर 1,91,000 से ज्यादा हितग्राही आंगनवाड़ी में पंजीकृत है। विभिन्न कारणों से औसतन 27000 हितग्राही पोषण आहार नहीं ले पाए है। इसी प्रकार पिछले चार माह में टेक होम राशन भी 6 से 8 हजार हितग्राहियों को नहीं मिल पाया है। किसी भी परियोजना में सूखा नाश्ता देने की व्यवस्था नहीं है। नाश्ते में नमकीन या मीठी थूली दी जा रही है। विभिन्न आंगनवाड़ी केन्द्रों में 3166 अति कुपोषित बच्चे चिन्हित किए गए है। इनमें से केवल 319 बच्चों को ही एनआरसी केन्द्र भेजा गया है। इस कार्य में गति लाने की नितांत आवश्यकता है। 67 आंगनवाड़ी केन्द्रों में भोजन के लिये थाली, 60 केन्द्रों पर गिलास एवं 120 केन्द्र पर चम्मच उपलब्ध नहीं है। 506 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर फर्श पर बिछाने के लिये दरी/टाट–पट्टी उपलब्ध नहीं है। जिले में 36793 पात्र गर्भवती माताओं का पंजीयन किया गया है। योजना के क्रियान्वयन की स्थिति संतोषजनक है।

vk;kx }kjk fn, x, fun'k ,o l>ko

1. आयोग ने सुझाव दिया कि अति कुपोषित बच्चों के अलावा मध्यम दर्जे के कुपोषित बच्चों के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि उपचार एवं परामर्श की कमी के कारण वे धीरे–धीरे अति कुपोषित श्रेणी में न चले जाए।

2. नाश्ते में मीठी या नमकीन थूली की बजाये सूखा पौष्टिक नाश्ता देने की व्यवस्था की जाए। इससे नाश्ता एवं भोजन के बीच सही अन्तराल रहेगा और कुपोषण निवारण के लिए ऐसी व्यवस्था कारगर होगी।

3. सेंट्रल किचन के निरीक्षण में पाया कि सेंन्ट्रल किचन में सीसीटीवी कैमरा तो लगा हुआ है लेकिन उसकी रिकार्डिंग तथा प्रदर्शन स्क्रीन खराब होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। कार्यक्रम अधिकारी को कहा गया कि आगामी 15 दिन के भीतर स्व सहायता समूह को निर्देशित कर, व्यवस्था में सुधार किया जावे। सी.सी.टी.वी. की रिकार्डिंग निरीक्षण के लिए कम से कम तीन माह तक सुरक्षित रखा जावे।

4. पोषण आहार संयत्र के निरीक्षण में प्रीमिक्स पैकेटस् का अवलोकन किया गया। आयोग ने कहा कि टीएचआर में तेल मिलाकर उसे हवाबंद पैकेट में रखने के कारण कई हितग्राहियों द्वारा इससे दुर्गंध आने की शिकायत की जाती है। कई हितग्राही प्रीमिक्स को गर्म पानी में भिगाकर तेल, मसाला निकाल देते है। शेष बचे अनाज से भोजन बनाते है। आयोग ने सुझाव दिया कि तेल मिलाने के बजाए उसे एक पाउच में पृथक से रख दिया जाये, ताकि उपयोग के समय आयल मिक्स कर टीएचआर का व्यंजन बनाया जा सके।

5. आंगनवाड़ी निरीक्षण में आयोग ने सुझाव दिया कि अति कुपोषित बच्चा जो अभी तक एनआरसी में भर्ती नहीं हो पाया है, उसे शीघ्र एनआरसी में भर्ती कराने के लिये कार्यवाही किया जावे।

6. आयोग द्वारा परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास को निर्देशित किया गया कि वे आवंटन अनुसार स्व सहायता समूह को सामग्री दिलाने की कार्यवाही करें। यदि आंगनवाड़ी व सांझा चूल्हा का आवंटन किन्हीं कारणों से समय पर नहीं आ पाता है तो दुकान में उपलब्ध अन्य योजनाओं का अनाज भोजन के लिए दिया जाए, ताकि कार्यक्रम प्रभावित नहीं हो।

7 .सभी गांवों में आंगनवाड़ी केन्द्र होने से ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों तक योजना का लाभ पहुंचाया जा सकता है। फिर भी पंजीकृत हितग्राही एवं पूरक पोषण आहार/टेक होम राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या में काफी अन्तर है। इसे दूर करने के लिए परियोजना स्तर पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

¼l½ e/;kUg Hkkstu dk;Øe

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मध्यान्ह भोजन में खाद्यान्न का आवंटन बढ़ाया जावे। उदयनगर, गूजरपुरा के कई गांव के विद्यालय हैं जहां गैस कनेक्शन नहीं मिले हैं।

समीक्षा में पाया गया कि जिले में 2075 प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में संचालित हैं। वास्तविक रूप से उपस्थित 76 हजार छात्र (लगभग 60 प्रतिशत) मध्यान्ह भोजन ग्रहण कर रहे हैं। 1503 स्व सहायता समूह भोजन बनाने के कार्य में लगे हैं। पिछले चार माह में अनियमितता आदि के कारण केवल पांच समूहों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। 165 विद्यालय परिसर में किचन शेड नहीं हैं। 1250 विद्यालयों में (60 प्रतिशत विद्यालय) भोजन बनाने के लिए गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को सप्ताह में तीन दिन दूध वितरण करने की योजना निरन्तर चल रही है। जिला स्तरीय समिति एवं विकासखण्ड स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति का गठन हुआ है एवं बैठक हो रही है, जोकि प्रशंसनीय है। फरवरी, 2019 से मई, 2019 के मध्य जिले के किसी भी विद्यालय से भोजन नहीं देने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यह एक अच्छी बात है।

vk;ksx }kjk fn, x, funs'k ,oa lq>ko %&

1. खाद्य विभाग द्वारा समस्त खाद्य सुरक्षा योजनाओं की निगरानी के लिए पंचायत स्तर पर एकीकृत निगरानी एवं सतर्कता समिति का गठन करने का परिपत्र जारी किया गया था। उक्त समिति मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का भी निरीक्षण करेगी। अतः जिले में पंचायत स्तरीय सतर्कता समिति का तुरंत पुर्नगठन किया जाए और उन्हें निगरानी की जवाबदारी सौंपी जाए, ताकि सेवा की गुणवत्ता में और अधिक सुधार आ सके।

2. जिले के शेष 40 प्रतिशत व़िद्यालयों में लकड़ी से भोजन बनाया जा रहा है। इन विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से रसोई गैस प्रदाय किया जाए।

3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के मंशा के अनुरूप नोडल अधिकारी एवं शिकायत निवारण अधिकारी के कार्यालय में शिकायत निराकरण की जानकारी रखने के लिए रजिस्टर का संधारण किया जाये।

4. आयोग का सुझाव है कि कम से कम प्रत्येक दो माह में एक बार विकासखण्ड स्तर पर स्व सहायता समूहों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की जाए और उनके साथ चर्चा कर भोजन की गुणवत्ता एवं मीनू अनुसार भोजन नहीं बनाये जाने संबंधी शिकायतों का निराकरण किया जाए।

5. शा. प्रा. एवं मा. शाला, रतनखेड़ी के निरीक्षण में आयोग ने निर्देश दिये कि उपस्थित बच्चों के मान से भोजन बनाया जावे ताकि विद्यार्थियों को भरपेट भोजन मिल सके। बच्चों को हरी चटनी प्रतिदिन दी जावे जिससे उन्हें प्रोटीन मिले। शाला में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था गांव में उपलब्ध जल स्त्रोत से पाईप लाईन बिछाकर की जावे।

10. जिला – बुरहानपुर

आयोग द्वारा दिनांक 16–17.7.2019 को बुरहानपुर जिले का भ्रमण किया गया। बोरसल में जनसुनवाई शिविर का आयोजन भी किया गया एवं हितग्राहियों को सुना गया। खाद्य सुरक्षा योजनाओं की स्थिति निम्नानुसार पाई गईः–

¼v½ yf{kr lkoZtfud forj.k iz.kkyh

सूचीबद्ध हितग्राहियों को राशन मिल रहा है। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि कुछ गांव में उ.मू. दुकान के विक्रेताओं का व्यवहार हितग्राहियों के प्रति अच्छा नहीं है। विक्रेताओं को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। पात्र व्यक्तियों के नये राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, जिसे बनाया जाना चाहिए।

समीक्षा में पाया गया कि जिले की जनसंख्या एवं एस.सी./एस.टी. परिवारों के कवरेज की स्थिति बहुत अच्छी है। केवल 7 ग्राम पंचायतों को छोड़कर शेष सभी पंचायतों में राशन दुकान है। 32 विक्रेता दो या तीन दुकान संचालित कर रहे हैं। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों द्वारा किए जा रहे निरीक्षण सारगर्भित नहीं है। इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। पंचायत स्तरीय निगरानी समितियों का पुर्नगठन एवं प्रशिक्षण नहीं हुआ है। पूर्व से गठित दुकान स्तरीय सतर्कता समिति सक्रिय नहीं है। गोदाम क्रमांक 1बी के निरीक्षण में रखरखाव सही नहीं पाया गया, मौके पर गेहूँ के नमूने के एनालिसिस में गुणवत्ता मानक स्तर की पायी गई। कमलेश्वरी वेयर हाउस, मोहम्मद पुरा के इश्यूसेंटर में चावल के नमूने के एनालिसिस में गुणवत्ता मानक स्तर की पायी गई। शासकीय उचित मूल्य दुकान ग्राम चौपारा के निरीक्षण में 200 आई.डी. 2 बार अंकित पायी एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा निरीक्षण पुस्तिका में कोई निरीक्षण टीप दर्ज करना नहीं पाया गया। आयोजित जनसुनवाई में उपभोक्ताओं द्वारा अगूंठे घिस जाने से राशन नहीं मिलने, दुकानों पर समय पर राशन नहीं पहूँचने आदि शिकायतें की, जिनके निराकरण हेतु उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये गये।

vk;kx }kjk fn;s x, funsZ'k ,oa lq>ko

1. प्रत्येक उ.मू.दुकान के लिये स्वतंत्र विक्रेता नियुक्त नहीं होने से लगभग 60 से 70 राशन दुकान सप्ताह में 6 दिन नहीं खुल पा रही हैं। विक्रेताओं की नियुक्ति पर लगी रोक शीघ्र हटाया जाए एवं प्रत्येक दुकान के लिए स्वतंत्र विक्रेता की नियुक्ति की जाए।

2. जिला स्तर पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी (कलेक्टर) कार्यालय में शिकायत करने की सुविधा का प्रचार–प्रसार कराया जावे।

3. जिला, विकासखण्ड एवं उ.मू.दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों का पुनर्गठन एक माह में करते हुए प्रशिक्षण एवं बैठकें आयोजित की जावें एवं आगामी 2 माह में इन्हें क्रियाशील बनाया जावे।

4. नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा एस.एम.एस. के माध्यम से मासिक आवंटन एवं प्रदाय की जानकारी उ.मू.दु. स्तरीय सतर्कता समिति के अध्यक्ष/सदस्यों को भेजी जावे।

5. शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर निम्न जानकारियां, यथा, खाद्यान्न प्राप्त करने वाले स्व सहायता समूहों के नाम, हितग्राहियों के नाम हिन्दी के बड़े फोण्ट में टाईप की गई सूची, सतर्कता समिति के सदस्यों के नाम, मोबाईल नम्बर, जिला आपूर्ति अधिकारी एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के दूरभाष नम्बर आदि प्रदर्शित किया जावे।

6. अंगूठा घिस जाने वाले प्रकरणों में, रजिस्टर से वितरण करने, मजदूरी के लिए बाहर गांव जाने वाले मजदूरों को अगले माह राशन वितरण करने एवं हितग्राहियों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए सभी विक्रेताओं को पुनः पाबंद किया जाए। शासन के स्पष्ट निर्देश के बाद भी पी.ओ.एस. मशीन खराब होने एवं अंगूठा घिस जाने वाले प्रकरणों में रजिस्टर से वितरण करने में हीला–हवाला करने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावे।

¼c½ ijd ik"k.k vkgkj dk;Øe

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि आंगनवाड़ी नियमित खुल रही है। लेकिन भोजन की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। कुछ गर्भवती माताओं को मातृ वंदना योजना की राशि समय पर नहीं मिल रही है। उस पर ध्यान दिया जाए।

सभी गांवों में आंगनवाड़ी एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र हैं, जोकि अच्छी बात है। पीने के पानी की व्यवस्था भी है। लेकिन 815 केन्द्रों में से 505 आंगनवाड़ी केन्द्रों में विद्युत व्यवस्था नहीं है। पोषण आहार वितरण सम्बन्धी आंकड़े में विसंगतियाँ पाई गयी। नाश्ता एवं दोपहर का भोजन मिल रहा है। अति कुपोषित बच्चों को थर्ड मील दिया जा रहा है। दोपहर के बचे हुए भोजन से ही दिया जा रहा है। आदर्श आंगनवाड़ी एवं बोरसल की आंगनवाड़ी के निरीक्षण में बच्चों की उपस्थिति 50 प्रतिशत तक होना पाई गई, जिसमें सुधार किया जाना आवश्यक है। जिले में अति कुपोषित बच्चों की संख्या 2800 से अधिक हैं। इनमें से केवल 146 बच्चों को एन.आर.सी. में भेजा गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं विभागीय अमले को शेष बच्चों को एन.आर.सी. में भर्ती करने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। फॉलोअप के समय पालक/माताओं को दी जाने वाली मजदूरी एवं परिवहन की राशि देना बंद कर देने के कारण फालोअप की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का संचालन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। 4123 गर्भवती माताओं का पंजीयन हुआ हैं एवं समय पर सहायता राशि मिल रही है।

vk;kx }kjk fn; x; fun'k ,o l>ko

1. ऐसे स्वःसहायता समूहों को हटाया जावे जो मीनू अनुसार गुणवत्तायुक्त भोजन नहीं दे रहे हैं।

2. कुपोषण दूर करने हेतु सही आंकड़ों का संकलन एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों का सतत् निरीक्षण किया जावे। इस ओर जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी को ध्यान देने की आवश्यकता है।

3. एन.आर.सी. में भर्ती अति कुपोषित बच्चों में सुधार का प्रतिशत कम है। अतः एन.आर.सी. से डिस्चार्ज होने के बाद सैम बच्चों की ट्रेकिंग की जाए।

4. आंगनवाड़ी में बच्चों की उपस्थिति में सुधार होने से अधिक से अधिक बच्चों को पोषण सुरक्षा उपलब्ध हो पाएगी। उपस्थिति बढ़ाने के लिए पंचायत प्रतिनिधि एवं पालकों के साथ संवाद स्थापित किया जावे।

5 .फॉलोअप के लिए माताओं को पूर्व में दी जा रही राशि एवं सुविधाएँ पूर्ववत् जारी रखी जावे।

6. मीठा एवं नमकीन थूली के बजाये नाश्ते में सूखा एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ देना देना प्रारम्भ किया जावे ।

7. केन्द्रीयकृत रसोई घर का निरीक्षण किया गया, व्यवस्थाएँ अच्छी पाई गयी। आयोग ने सब्जी एवं दाल की मात्रा बढ़ाये जाने व सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाये जाने के निर्देश दिये।

¼l½ e/;kUg Hkkstu ;kstuk

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मध्यान्ह भोजन योजना की गुणवत्ता में और सुधार किया जाये। समीक्षा में पाया गया कि जिले में किचन शेड की स्थिति अन्य जिलों से बेहतर है। केवल 23 परिसरों को छोड़कर शेष परिसरों में किचन शेड हैं। बच्चों के अनुपात में पर्याप्त रसोइया कार्यरत हैं। विद्यालयों में 73% विद्यार्थी उपस्थित हो रहे हैं, जिन्हें मध्यान्ह भोजन मिल रहा है। प्रायः सभी विद्यालयों में अनाज का पर्याप्त आवंटन प्राप्त हुआ है। कुछ विद्यालयों में उपस्थिति 80% तक होने से अनाज के आवंटन में वृद्धि करने की आवश्यकता है। किसी भी विद्यालय में मध्यान्ह भोजन बन्द होने की शिकायत नहीं है। जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन हुआ है, जोकि अच्छी बात है। बच्चों की रूचि अनुसार फ्लेवर्ड दूध का प्रदाय करने की स्थिति संतोष जनक है। शासकीय माध्यमिक शाला बोरसल के किचन का निरीक्षण किया, स्थिति ठीक पायी, सब्जी की मात्रा बढ़ाने हेतु निर्देशित किया।

vk;ksx }kjk fn;s x;s funs'k%&

1. 65 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति वाले विद्यालयों की सूची ग्रामीण विकास विभाग को भेजकर अधिक आवंटन प्राप्त किया जाए।

2. स्वःसहायता समूहों की समस्या सुलझाने एवं भोजन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विकासखण्ड स्तर पर उनके प्रतिनिधियों के साथ प्रत्येक 2 माह में बैठकें अवश्य करायी जावें।

3. अत्यन्त निर्धन एवं बेसहारा व्यक्तियों को मध्यान्ह भोजन का लाभ देने के बारे में जानकारी का संकलन नहीं किया जा रहा है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं टास्क मैनेजर को निर्देशित किया कि जानकारी संकलित करायें एवं उन्हें योजना का लाभ दिलायें।

11. जिला – खण्डवा

आयोग द्वारा दिनांक 18–19.7.2019 को खण्डवा जिले का दो दिवसीय भ्रमण किया जाकर कार्यक्रमों की समीक्षा एवं निरीक्षण किया गया। जनपद पंचायत खालवा में जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। जिले की स्थिति निम्नानुसार पाई गईः–

¼v½ yf{kr lkoZtfud forj.k iz.kkyh

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि राशन मिल रहा है। दुकानें भी खुल रहीं हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या के कारण परेशानी होती है। इसी प्रकार आधार कार्ड होने के बाद भी अंगूठा नहीं लगने से लोग परेशान हो रहे हैं। उन्हें बाद में राशन दिया जा रहा है। गांधवा में कुछ अपात्र लोग राशन की अफरा–तफरी कर रहे हैं, जिनके विरूद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। जांच कर अपात्र के नाम हटाया जाना चाहिए। पात्र लोगों की पर्ची जनरेट किया जाये।

समीक्षा करने पर पाया गया कि जिले में ग्रामीण जनसंख्या का 78 प्रतिशत एवं शहरी जनसंख्या का 57 प्रतिशत को लाभांवित किया जा रहा है। लेकिन अभी भी 1200 से ज्यादा पात्र परिवारों का नाम जोड़ा जाना शेष हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों के कवरेज 93 प्रतिशत से अधिक है, जो कि बहुत अच्छी स्थिति दर्शाते हैं। अन्त्योदय योजना में 33489 परिवारों को लाभांवित किया गया है। यह स्थिति भी अच्छी है। जिला, विकासखण्ड एवं उ.मू.दुकान स्तरीय निगरानी समिति का न तो गठन हुआ है और न ही कोई बैठक पिछले छः माह में हुई हैं। 115 विक्रेताओं के पास दो या दो से अधिक दुकान के संचालन का दायित्व हैं। चार माहों में शहरी क्षेत्र में कुल 11355 परिवार और ग्रामीण क्षेत्र में कुल 68415 परिवार राशन प्राप्त नहीं किए हैं। इश्यू सेंटर के निरीक्षण में आयोग ने चावल के स्टेक का फ्यूमिगेशन करने के निर्देश दिए। बिना फ्यूमिगेशन के गोदाम के स्टेक का चावल उ.मू.दु. में प्रदाय नहीं करने का निर्देश दिया गया।

vk;ksx }kjk fn, x, funsZ'k ,oa lq>ko

1. जिला, विकासखण्ड एवं उ.मू.दुकान स्तरीय सतर्कता समिति का पुर्नगठन करने के निर्देश दिये गये।

2. आयोग ने कहा कि जनपद पंचायत स्तर पर एवं नगरपालिका स्तर पर सतर्कता निगरानी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के प्रशिक्षण आयोजित कराया जावे, ताकि सतर्कता समिति के सदस्यों को उनके कर्त्तव्य एवं अधिकार के बारे में जानकारी मिल सके।

3. नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा उ.मू.दु. सतर्कता निगरानी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को एस.एम.एस. के जरिये मासिक आवंटन एवं उठाव की जानकारी भेजने की व्यवस्था की जावे।

4. सतर्कता समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम एवं मोबाईल नम्बर एवं दुकान से मध्यान्ह भोजन आदि के लिए अनाज प्राप्त करने वाले स्व सहायता समूहों के नाम दुकानों के बाहर प्रदर्शित किये जावें।

5. प्रत्येक उचित मूल्य दुकान के लिए स्वतंत्र विक्रेता की नियुक्ति करने के लिए नियुक्ति पर लगी रोक हटाई जाये।

6. पिछले चार माह में प्रतिमाह 3000 शहरी एवं 18000 ग्रामीण परिवार राशन नहीं ले रहे हैं, उन परिवारों की जांच की जाये और अपात्र पाये जाने पर हटाया जाये।

7. दूरस्थ क्षेत्रों में जहां सर्वर डाउन रहता है और नेटवर्क की समस्या रहती है, वहां पर रजिस्टर से सामग्री वितरण करने में जो विक्रेता हिला–हवाली कर रहे हैं, उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

8. गांधवा में अपात्र लोगों की शिकायत की जांच की जाकर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जावे और राज्य खाद्य आयोग को पालन प्रतिवेदन भेजा जाये।

¼c½ i|jd iks"k.k vkgkj dk;Øe

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि थर्ड मील को रूचिकर बनाया जाये। कुपोषित बच्चों को खाने के साथ अतिरिक्त डाईट में उबले अण्डे दिए जाए। स्थानीय उत्पादन से बनने वाले पौष्टिक खाद्य पदार्थ जैसे मूंगफल्ली एवं चने की चिक्की, केला, पपीता, दूध आदि देने की व्यवस्था किया जाना चाहिए। कई आंगनवाड़ी के भवन जर्जर हैं। सर्वे कर नये भवन बनाये जाये। कुछ गांव में स्व सहायता समूह घर से खाना बनाकर आंगनवाड़ी में ला रहे हैं। इस प्रथा को बंद किया जाये और किचन शेड में ही भोजन बनाया जाये।

समीक्षा में पाया गया कि जिले के सभी गांवों में आंगनवाड़ी केन्द्र हैं। आंगनवाड़ी में दर्ज हितग्राहियों की संख्या 1,50,000 से अधिक हैं। 1,40,000 हितग्राहियों को टेक होम राशन या गरम भोजन दिया जा रहा है, जो कि अच्छी स्थिति दर्शाती है। आंगनवाड़ी केन्द्र में बच्चों की उपस्थिति अधिकतम 50 प्रतिशत तक है। उपस्थिति बढ़ाने के लिए पिछले चार माह में पंचायत प्रतिनिधि एवं पालकों के साथ 266 बैठक/चौपाल आयोजित किया गया है, यह कार्यवाही प्रशंसनीय है। सभी आंगनवाड़ी केन्द्र में नाश्ता एवं भोजन अलग–अलग समय पर दिया जा रहा है, जो कि सराहनीय है। अति कुपोषित बच्चों की संख्या 2530 हैं। इनमें से 998 बच्चों को पिछले पांच माह में एन.आर.सी. में भर्ती किया गया था, जिसमें से 576 बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। सभी 09 एन.आर.सी. कार्यशील हैं, लेकिन चिन्ता की बात यह है कि खालवा समेत 07 एन.आर.सी. में डेडिकेटेड शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है। आंगनवाड़ी में दर्ज 20366 किशोरी बालिकाओं में से पिछले चार माहों में 5683 किशोरी बालिकाओं को पोषण आहार वितरित किया गया है। किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य जांच के संबंध में जिले में की जा रही कार्यवाही प्रशंसनीय है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 21167 पात्र गर्भवती माताओं का ऑनलाईन पंजीयन किया गया हैं। इन्हें समय पर किश्त प्राप्त हो रही है। जिले की लगभग 11 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्रों में भोजन के लिए आवश्यक संख्या में थाली, गिलास, चम्मच एवं बैठने के लिए दरी या टाटपट्टी उपलब्ध नहीं हैं।

आंगनवाड़ी केन्द्र खालवा, मघोड़ी के निरीक्षण में भोजन की गुणवत्ता अच्छी स्तर की पाई गई। कार्यकर्ता को समझाया गया कि बच्चों के सेहत दर्शाने वाला चार्ट बनाकर आंगनवाड़ी केन्द्र में लगाये, ताकि माताओं को उसके बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिल सके।

केन्द्रीय भोजन गृह के निरीक्षण में स्वच्छता के साथ भोजन बनाया जाना पाया गया। भोजन की गुणवत्ता अच्छे स्तर की थी। परिसर में सी.सी.टी.वी.केमरे लगाने एवं निरीक्षण पुस्तिका संधारित करने के निर्देश दिए गए।

vk;kx }kjk fn, x, l|>ko o funs'k

1. आंगनवाड़ी में पौष्टिक एवं सूखा नाश्ता देने का प्रबन्ध किया जावे। थर्ड मील के रुप में बचा हुआ भोजन देने के बजाए गर्म पौष्टिक खाद्य पदार्थ देने की व्यवस्था की जावे। प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना एवं अन्य प्रसूति सहायता योजना में प्राप्त राशि से गर्भवती माताओं को पौष्टिक आहार देने के लिए उपयुक्त प्रकार की रेसिपी के बारे में उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
2. बच्चों के नाम के सामने सामान्य, मध्यम दर्जे के कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों के लिये क्रमशः हरा, पीला एवं लाल रंग में स्माइली बनाकर आंगनवाड़ी में प्रदर्शित किया जावे, जिससे पालकों को उनके बच्चों के सेहत के बारे में आसानी से समझाया जा सके।
3. बच्चों को सूखा एवं पौष्टिक नाश्ता जैसे– लडडू, मूंगफल्ली की चिक्की, चना की चिक्की, फोर्टिफाईड मुरमुरा, ड्राई फ्रूटस आदि से बने खाद्य पदार्थ बदल–बदलकर दिये जाएं। न्यूट्रीनिस्टस एवं शिशु रोग विशेषज्ञों से चर्चा कर पौष्टिक एवं स्वादिष्ट सूखा नाश्ता की रेि. सपी बनाया जाए। अति कुपोषित बच्चों को थूली देने के बजाय उनके परिवार की आहार की आदत के अनुसार यथा स्थिति अण्डा या दूध फल आदि दिया जाये।
4. आयोग ने निर्देशित किया कि जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि जर्जर भवन से आंगनवाड़ी को पास के शाला या पंचायत भवन में स्थानांतरित किया जावे।

¼l½ e/;kUg Hkkstu dk;Øe

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मध्यान्ह भोजन का कार्य ठीक चल रहा है। कुछ गांव में स्व सहायता समूह घर से खाना बनाकर विद्यालय में ला रहे हैं। ऐसे समूहों को कार्य से हटाकर स्थानीय समूह को कार्य दिया जाना चाहिए। कुछ विद्यालयों में उपस्थिति ज्यादा होने से वहां का राशन आवंटन बढ़ाया जावे। कार्यरत रसोइयों का मानदेय बढ़ना चाहिए।

समीक्षा में पाया गया कि जिले की समस्त 1563 प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम चालू है। इनमें से केवल 108 विद्यालय परिसरों में किचन शेड की व्यवस्था नहीं है। अच्छी बात यह है कि जिले के समस्त विद्यालयों में कुकिंग गैस उपलब्ध कराया गया है। यह कार्य निश्चित रूप से सराहनीय है। विद्यालय में दर्ज कुल छात्र 149000 के विरूद्ध 123000 से अधिक

लगभग 80 प्रतिशत छात्रों को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रतिमाह औसतन 400 बेसहारा व्यक्तियों को मध्यान्ह भोजन दिया जा रहा है। रसोइयों का मानदेय नियमित रूप से प्राप्त नहीं हो रहा है। जिला, विकासखण्ड एवं पंचायत स्तरीय सतर्कता समितियों का गठन एवं बैठकें नहीं हो रही है, यह चिन्ताजनक है। सभी विद्यालयों में भोजन ग्रहण करने के लिए थाली, गिलास एवं चम्मच आदि उपलब्ध हैं। खण्डवा जिले की स्थिति अन्य जिलों की तुलना में बेहतर है। सभी विद्यालयों में हाथ धुलाने की व्यवस्था की गई है।

vk;kx }kjk fn, x, l|>ko o fun'k

1. आयोग ने सी.ई.ओ. जिला पंचायत को निर्देश दिया कि 65 प्रतिशत से ज्यादा उपस्थिति वाले विद्यालयों की सूची बनाकर और उनमें पिछले चार माह की उपस्थिति की वास्तविक संख्या दर्शाकर ग्रामीण विकास विभाग को अधिक आवंटन देने के लिए प्रस्ताव भेजा जाए।

3. आयोग का सुझाव है कि कम से कम हर दो माह में एक बार विकासखण्ड स्तर पर स्व सहायता समूहों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की जाए और उनके साथ चर्चा कर समस्याओं का निराकरण करने की व्यवस्था की जावे।

4. आगामी दो माह के भीतर पंचायत/उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति का गठन एवं प्रशिक्षण आयोजित किया जावे। प्रशिक्षण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम एवं मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के बारे में एक ही स्थान पर समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को जानकारी दी जाए।

12. जिला – खरगोन

आयोग द्वारा दिनांक 19–20.8.2019 को खरगोन जिले का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान दिनांक 19.08.19 को जिला मुख्यालय पर जन प्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। दिनांक 20.8.19 को कार्यक्रमों का निरीक्षण किया गया एवं हितग्राहियों से चर्चा की गई। झिरन्या विकासखण्ड में जन सुनवाई शिविर का आयोजन भी किया गया।

¼v½ yf{kr lkoZtfud forj.k iz.kkyh

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि लोगों को राशन मिल रहा है। राशन कार्ड में बच्चों के नाम जोड़ने पर संशोधित जानकारी प्रदर्शित नहीं हो रही है और कार्ड विलोपित हो रहे है। नवीन पात्र परिवारों की पात्रता पर्ची जनरेट नहीं हो रही है। पहाड़ी एवं जंगल क्षेत्र में सर्वर की समस्या है। अंगूठा घिस जाने पर सामग्री मिलने में विलम्ब हो रहा है।

समीक्षा में पाया गया कि जिले में योजना के कवरेज की स्थिति अच्छी है। ग्रामीण जनसंख्या का 82% शहरी जनसंख्या का 57% एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की 92% जनसंख्या योजना का लाभ ले रही है। 77% हितग्राहियों का आधार सीडिंग हुआ है। इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। विजनटेक कंपनी की पी.ओ.एस. मशीन अच्छी काम कर रही है। अग्रिम उठाव की स्थिति भी संतोषजनक है। जिले में सबसे अधिक चिन्ताजनक स्थिति दुकानों का नियमित नहीं खुलने की है। 594 ग्राम पंचायतों में से 154 पंचायतों में राशन दुकान नहीं है। इसके अलावा 196 विक्रेताओं के पास 2 से 3 दुकानों का प्रभार है। इस कारण से दुकानें सप्ताह में नियमित रूप से 6 दिन नहीं खुल पा रही है। जिला शिकायत निवारण अधिकारी एवं नोडल अधिकारी के कार्यालय में शिकायतों के निराकरण के लिए रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया हैं। इश्यू सेंटर से दिये जा रहे गेहूँ, चावल के नमूने का मौके पर एनालिसिस कराया गया, नमूना एफ.ए.क्यू. स्तर का पाया गया।

vk;ksx }kjk fn;s x;s funsZ'k

1. योजना शुरू होने के बाद अभी तक केवल 8167 अपात्र परिवारों को सूची से पृथक किया गया है। इस कार्यवाही को जारी रखा जाए और शिकायत मिलने पर एवं स्व प्रेरणा से अपात्र परिवारों को सूची से हटाकर उनके स्थान पर सत्यापित किन्तु अलाभान्वित परिवारों के नाम सूची में जोड़ा जाना चाहिए।

2. शासन के स्पष्ट निर्देश के बाद भी जिन लोगों के अंगूठा निशानी नहीं लग रही हैं, उन्हें रजिस्टर से राशन वितरण करने में विक्रेताओं द्वारा विलम्ब किया जा रहा है। आपूर्ति अधिकारी को इस ओर विशेष ध्यान देना होगा और ऐसे लापरवाह विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवाही करनी होगी, ताकि व्यवस्था में सुधार आ सके।

3. जिला स्तरीय निगरानी समिति का गठन प्रभारी मंत्रीजी के अनुमोदन से शीघ्र किया जाए। पिछले 6 माह में विकासखण्ड स्तरीय सतर्कता समितियों की बैठक नहीं हुई है। कलेक्टर स्वयं ध्यान देकर इन समितियों का गठन एवं नियमित बैठकें आयोजित करावें।

4. उ.मू.दु. स्तरीय निगरानी समिति का पुनर्गठन एवं प्रशिक्षण दो माह में किया जाए।

5. उ.मू.दुकानों पर हितग्राहियों की सूची, सतर्कता समिति के नाम, मोबाईल क्रमांक व नाम तथा दुकान से संलग्न स्व सहायता समूह का नाम हिन्दी अक्षर में बड़े फोण्ट में प्रदर्शित किया जावे।

6. 196 विक्रेताओं के पास 2–3 दुकान होने से लगभग 300 से अधिक दुकान 6 दिन नहीं खुल पा रही है। अतः सहकारिता विभाग शीघ्र ही नियुक्ति पर लगी रोक हटाकर विक्रेताओं की नियुक्ति के लिए आदेश जारी करें।

7. शासकीय उचित मूल्य दुकान बन्हेर (जामली) का भवन जीर्णशीर्ण है और सीलन के कारण रखा गया खाद्यान्न खराब हो रहा है। भवन की मरम्मत की जाये।

8. उचित मूल्य दुकान, धुधरिया खेड़ी के निरीक्षण में पाया कि लगभग 300 हितग्राही लगातार तीन माह से राशन लेने नहीं आ रहे है। इन परिवारों की जांच की जाए और फर्जी पाए जाने पर सूची से पृथक किया जाये।

¼c½ ijd iks"k.k vkgkj dk;Øe

जनप्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि कुछ आंगनवाड़ी भवन क्षतिग्रस्त एवं जर्जर हैं। मीनू अनुसार बच्चों को भोजन एवं नाश्ता दिया जाना चाहिए।

समीक्षा में पाया गया कि सूखा नाश्ता दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में नाश्ते में थूली एवं दोपहर के भोजन में मीनू के अनुसार रोटी, दाल, सब्जी परोसी जा रही है। जिले में 4931 बच्चे अति कुपोषित पाए गए हैं। इनमें से 327 बच्चों को एन.आर.सी. में भेजा जा चुका है। जिसमें से 189 बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। रिकवरी की स्थिति अच्छी नहीं है। एन.आर. सी. में नियमित शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है। 4931 में से 4030 अति कुपोषित बच्चों को थर्ड मील दिया गया है। 230 आंगनवाड़ियों में थाली, गिलास, चम्मच उपलब्ध नहीं है। बैठने के लिए दरी नहीं है। फॉलोअप हेतु दी जा रही राशि बन्द करना बताया। एनआरसी के निरीक्षण में पलंग पुराने एवं जंग लगे हुए पाए गये। पेंट करने के निर्देश दिये गए । बच्चों की माताओं को खाना वार्ड में दिया जा रहा है। माताओं को वार्ड से हटकर दूसरे स्थान पर खाना दिये जाने के निर्देश दिये गये। बाल शिक्षा केन्द्र जामली के पोषण आहार के निर्माण का निरीक्षण किया गया। एगमार्क मसाले का उपयोग करने के निर्देश दिये। आंगनवाड़ी केन्द्र क्रमांक 1 देबला के निरीक्षण में वॉटर फिल्टर का कैंडिल बदलने के निर्देश दिए गए। बाल संस्कार केन्द्र, आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्र–2 देबल में भोजन की गुणवत्ता एवं साफ–सफाई की व्यवस्था अच्छी पायी गयी।

vk;kx }kjk fn;s x;s funs'k ,o lq>ko

1. नाश्ता एवं भोजन एक साथ न दिया जाये।
2. सूखा नाश्ता देने की कार्यवाही विचाराधीन होना बताया गया है। इसे शीघ्र मूर्त रूप दिया जाए।
3. अति कुपोषित बच्चों के इलाज एवं उन्हें अतिरिक्त पोषण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ऐसे बच्चों को गोद लेने के लिए पहल की जाए।
4. आंगनवाड़ी केन्द्र में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाये जाने हेतु सीडीपीओ सुपरवाईज़र को जिम्मेदारी दी जावे।
5. माताओं को फॉलोअप हेतु दी जा रही सुविधा पुनः प्रारंभ की जावे।
6. मध्यम दर्जे के कुपोषित बच्चों पर ज्यादा ध्यान दिया जावे, जिससे वह अति कुपोषित श्रेणी में न आ पावें।
7. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कवरेज की स्थिति अच्छी है। माताओं के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए पौष्टिक आहार की रेसिपी बनाई जाकर सभी माताओं को इसकी जानकारी दी जावे।

¼l½ e/;kUg Hkkstu ;kstuk

किसी भी विद्यालय में मध्यान्ह भोजन नहीं मिलने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। किचन शेड की स्थिति बहुत अच्छी है। 3270 विद्यालयों में से केवल 143 परिसरों में किचन शेड नहीं है। 100 नवीन किचन शेड बनाने के लिए राशि भी स्वीकृत की गई है, जो अच्छी बात है। मीनू के अनुसार भोजन नहीं देने पर 24 स्व सहायता समूह के विरूद्ध कार्यवाही की जाना पाया गया। 327 विद्यालयों में 80 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के कारण आवंटन कम पड़ रहा है। शेष विद्यालयों में अनाज का पर्याप्त आवंटन प्राप्त हो रहा है। मात्र 650 विद्यालयों में गैस सिलेण्डर उपलब्ध है। शेष विद्यालयों में लकड़ी से भोजन बन रहा है। नोडल अधिकारी एवं जिला शिकायत निवारण अधिकारी के कार्यालय में शिकायतों की पंजी संधारित है। शासकीय प्राथमिक विद्यालय सरबर देवला के निरीक्षण में भोजन पूर्व हाथ धुलाने का प्रशिक्षण देने के लिए विद्यालय प्रमुख एवं स्व सहायता समूह को समझाईश दी गई। किचन में गैस उपलब्ध होने के बाद भी लकड़ी से भोजन बनाया जा रहा था। स्व सहायता समूह को ऐसा नहीं करने एवं भोजन गैस चूल्हे पर बनाने के निर्देश दिये गए। माध्यमिक विद्यालय, जामली, प्राथमिक विद्यालय, सरवर देवला एवं माध्यमिक विद्यालय, सांईखेड़ा में मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता अच्छी होना पाई गई।

vk;kx }kjk fn;s x;s funs'k

1. 65 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति वाले 327 विद्यालयों की सूची ग्रामीण विकास विभाग को भेजकर अधिक आवंटन प्राप्त किया जाये।

2. 3270 विद्यालयों में से 650 विद्यालयों में गैस सिलेण्डर है। शेष विद्यालयों के मेनेजमेंट कमेटी को राशि दी गई है, लेकिन अभी तक चूल्हा एवं सिलेण्डर क्रय नहीं किया गया है। कलेक्टर इस संबंध में ध्यान देवें और बैठक आयोजित कर एक माह के भीतर चूल्हा एवं सिलेण्डर क्रय कर, उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

3. पंचायत स्तरीय निगरानी समितियों के पुर्नगठन एवं उनको क्रियाशील बनाने पर ही मध्यान्ह भोजन का प्रभावी निरीक्षण संभव है। अतः निगरानी समिति का पुर्नगठन एवं प्रशिक्षण शीघ्र किया जावे।

4. वर्ष में 2 बार आंगनवाड़ी एवं विद्यालय में हाथ धुलाई कार्यक्रम आयोजित किया जावे। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाथ धुलाई के संबंध में तैयार किये गये पेम्पलेट का प्रदर्शन भी विद्यालय में किया जाए।

13. जिला – दतिया

आयोग द्वारा दिनांक 19–20.8.2019 को दतिया जिले का भ्रमण किया गया। इस भ्रमण के दौरान आयोग ने दिनांक 19.8.19 को जिला मुख्यालय पर योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया। समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों से विभागीय स्तर पर किए जा रहे कार्य की जानकारी/फीडबैक प्राप्त किया। दिनांक 20.8.19 को जिले में योजनाओं के मैदानी क्रियान्वयन की स्थिति का अवलोकन करने के लिए मैदानी भ्रमण कर निरीक्षण कार्य किया गया। इस दौरान योजनावार क्रियान्वयन की स्थिति एवं आयोग द्वारा दिए गए निर्देश/सुझाव का विवरण अग्र प्रकार है :–

¼v½ yf{kr lkoZtfud forj.k iz.kkyh

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में राशन वितरण की समस्या नहीं है। केवल अंगूठा निशानी नहीं लगने से परेशानी होती है। लेकिन दतिया नगरपालिका क्षेत्र में कुछ वार्ड में समस्या है। वार्ड क्रमांक 25 में उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है। यहां पर एक व्यक्ति द्वारा कई उपभोक्ता भण्डार बनाकर राशन वितरण किया जा रहा है। वार्ड क्र. 18 में बजरंग उपभोक्ता भण्डार द्वारा समय पर दुकान नहीं खोली जाती है। इसकी जांच की जाए। सेल्समेन द्वारा अधिक राशि लेने और मिट्टी का तेल नहीं देने की शिकायत है। ग्राम पंचायत हिडोरा में उचित मूल्य दुकान नियमित रूप से नहीं खुलती है। उचित मूल्य दुकान खाईखेडा का संचालन अनाधिकृत रूप से धीरपुरा से किया जाता है। साइखेड़ा में दुकान खोली जाए। भाण्डेर क्षेत्र में 02 माह से उचित मूल्य दुकानों को खाद्यान्न तथा अन्य सामग्री का आवंटन में लेटलतीफी हो रही है।

समीक्षा में पाया गया कि जिले की ग्रामीण जनसंख्या का 59 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र की जनसंख्या का 76 प्रतिशत योजना का लाभ ले रही है। ग्रामीण जनसंख्या के कवरेज में और वृद्धि की जाना चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का कवरेज लगभग 62 प्रतिशत है। इसमें वृद्धि करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। जिले में केवल 434 सत्यापित किन्तु अलाभान्वित परिवार होना बताया गया है। जिला स्तरीय निगरानी समिति का गठन हुआ है। दतिया, सेवढा एवं भाण्डेर विकासखण्ड में खण्ड स्तरीय सतर्कता समिति का गठन हुआ है। लेकिन वार्ड स्तर पर एवं पंचायत स्तर पर निगरानी समिति का पुर्नगठन नहीं हुआ है। 255 दुकान में से ग्रामीण क्षेत्र के 205 दुकानों में डी.एस.के. कंपनी की मशीन लगी हैं, जो खराब रहती है। 290 पंचायतों में से 85 पंचायतों में राशन दुकान नहीं है।

vk;ksx }kjk fn;s x;s funsZ'k ,oa lq>ko

1. दतिया शहर के वार्ड क्रमांक 25 एवं 18 में उचित मूल्य दुकान खुलने का निर्धारित दिन/समय दुकान पर प्रदर्शित कराया जावे। दुकान नियमित नहीं खुलने पर उपभोक्ता भण्डार के संचालक एवं विक्रेता के विरूद्ध कार्यवाही की जाए।

2. उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं द्वारा सामग्री प्रदाय के बाद पी.ओ.एस. मशीन से निकाली गई रसीद पर्ची उपभोक्ताओं को नहीं दी जा रही है। यह नियम विरूद्ध है। उपभोक्ताओं को पर्ची की रसीद देने हेतु सभी विक्रेताओं को निर्देश जारी किया जाये।

3. दुकान के बाहर बोर्ड/फ्लेक्स में अपात्र उपभोक्ताओं द्वारा राशन कार्ड समर्पित करने हेतु सूचना प्रदर्शित कराई जावे। अपात्रों को प्रदाय सामग्री के एवज में डेढ गुना राशि की वसूली करने का प्रावधान है। अतः इसके बारे में प्रचार–प्रसार किया जावे, ताकि सम्पन्न व्यक्ति जोकि नियम विरूद्ध गरीबी रेखा का कार्ड लिए हैं, उस कार्ड को वे समर्पित कर दें।

4. उचित मूल्य स्तरीय सतर्कता समिति का पुर्नगठन नहीं हुआ है। इस संबंध में खाद्य विभाग द्वारा फरवरी, 2018 में निर्देश जारी किए गए थे। अतः उक्त समिति का पुर्नगठन कर सदस्यों को प्रशिक्षण आगामी दो माह में आयोजित किया जाए। समिति के सदस्यों का नाम एवं मोबाईल नम्बर हिन्दी में लिखवाकर हितग्राही सूची का प्रदर्शन उ.मू. दुकानों पर किया जावे।

5. डी.एस.के. कंपनी की पी.ओ.एस. मशीन ठीक से काम नहीं करने पर, उनके स्थान पर विजनटेक कंपनी की मशीन लगाई जाए, ताकि राशन का वितरण सुचारू रूप से हो सके।

¼c½ iljd iks"k.k vkgkj dk;Øe

जनप्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि ग्राम देवगढ की कार्यकर्ता द्वारा लगभग 04 माह में सिर्फ एक दिन आंगनवाड़ी केन्द्र खोलती है। अतः मीनू अनुसार भोजन बच्चों को नहीं दिया जाता है। वार्ड क्रमांक 04 भाण्डेर में आंगनवाड़ी केन्द्रों पर मीनू अनुसार एवं उत्तम गुणवत्ता का भोजन बच्चों को उपलब्ध नहीं कराया जाता। वार्ड क्रमांक 04 भाण्डेर में आंगनवाड़ी केन्द्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का परिवार निवास करता है जिस कारण बच्चों की बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाती। पकोडिया के महादेव क्षेत्र की दो आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों को मीनू अनुसार भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता।

vk;ksx }kjk fn;s x;s funs'k ,oa lq>ko

1. ग्राम देवगढ़ में आंगनवाड़ी केन्द्र का नियमित नहीं खुलना, भाण्डेर के वार्ड क्र.4 एवं दतिया के वार्ड क्र. 25 में अच्छी गुणवत्ता का भोजन नहीं मिलने की जांच की जाए और शिकायतों का निराकरण कर आयोग को अवगत कराया जाए।

2. स्व सहायता समूह द्वारा कुछ आंगनवाड़ियों में काली पॉलीथिन में रखकर भोजन की सामग्री प्रदाय की जाती है। कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अपने स्तर से समीक्षा करते हुए इस प्रथा को तुरंत बन्द करें। प्लास्टिक पन्नी में भोजन रखना, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्टील या पीतल के बर्तन से भोजन वितरण कराने के निर्देश दिये गये।

3. अति कुपोषित बच्चों की संख्या 1054 हैं। इनमें से केवल 130 बच्चों को एन.आर.सी. में भर्ती किया गया है। यह उचित नहीं है। जिले में पांच एन.आर.सी. हैं। अतः अति कुपोषित बच्चों को शीघ्र ही एन.आर.सी. में भर्ती कर, उनका इलाज कराया जाये।

¼l½ e/;kUg Hkkstu ;kstuk

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि जनपद पंचायत भाण्डेर क्षेत्र के विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन की सामग्री सही समय पर वितरित की जाती है। स्व–सहायता समूह सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं।

पंचायत सेवढा क्षेत्र में एक ही स्व–सहायता समूह द्वारा 10–12 वर्ष से मध्यान्ह भोजन वितरण किया जा रहा है। यहां पर अच्छी गुणवत्ता का भोजन नहीं मिलता है। अतः अन्य व्यक्ति से समूह चलाये जाने हेतु मांग की गई।

vk;ksx }kjk fn;s x;s funsZ'k ,oa lq>ko

1. आयोग ने कहा कि योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को मीनू अनुसार गुणवत्ता भोजन देना है। किसी स्व सहायता समूह को बिना कारण के परेशान करना उचित नहीं है। इसलिये पंचायत सेवढ़ा में मध्यान्ह भोजन बनाने वाले स्व सहायता समूह की जांच की जावे। यदि इनके द्वारा अच्छी गुणवत्ता का भोजन नहीं बनाए जाना पाया जाता है, तो उक्त समूह को हटाकर किसी दूसरे समूह को कार्य आवंटन किया जाए।
2. जिले के 88 शाला परिसरों में किचन शेड नहीं है। जिला पंचायत द्वारा इन परिसरों में किचन शेड बनाया जाये।
3. अच्छी बात यह है कि जिले के 1204 विद्यालयों में से 1163 विद्यालयों में रसोई गैस उपलब्ध करा दी गई हैं। इन विद्यालयों में रिफिलिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

14. जिला – भिण्ड

आयोग द्वारा दिनांक 5–6.9.2019 को भिण्ड जिले का भ्रमण किया गया। जनप्रतिनिधियों से चर्चा, विभागीय गतिविधियों की समीक्षा, हितग्राहियों से चर्चा एवं कार्यक्रमों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान योजनावार क्रियान्वयन की स्थिति एवं आयोग द्वारा दिए गए निर्देश/सुझाव का विवरण अग्र प्रकार है :–

¼v½ yf{kr lkoZtfud forj.k iz.kkyh

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि गोहद में लगभग साढ़े छः हजार (6500) बीपीएल कार्डधारी हैं, लेकिन उनकी पर्ची नहीं निकल रही हैं। एक व्यक्ति के द्वारा कई भण्डार चलाने की शिकायत है। इसकी जांच कर एक व्यक्ति एक दुकान होना सुनिश्चित किया जाये।

समीक्षा में पाया कि पंचायत स्तरीय समितियों का पुर्नगठन नहीं हुआ है। जिले में 4100 परिवार सत्यापित एवं अलाभांवित हैं। अपात्र व्यक्तियों को हटाकर उन्हें लाभ दिया जा सकता है। अ.जा./अ.ज.जा. परिवार का कवरेज केवल 44 प्रतिशत है। हितग्राहियों का आधार सीडिंग केवल 65 प्रतिशत है। 46 पीओएस मशीन पिछले तीन माह से खराब हैं। इसके कारण तथा अंगूठा नहीं लगने के कारण रजिस्टर से 7262 हितग्राहियों को राशन वितरण किया गया। जिले की 73 ग्राम पंचायतों में दुकान नहीं हैं।

vk;ksx }kjk fn;s x, funsZ'k

1. अंगूठे का निशान घिस जाने पर एवं मशीन खराब होने पर माह की 21 तारीख के बाद रजिस्टर से वितरण करने के बजाये हितग्राहियों को तुरंत रजिस्टर से वितरण किया जाये, ताकि उन्हें बार–बार दुकान का चक्कर ना लगाना पड़े।

2. आगामी दो माह के भीतर जिला, विकासखण्ड एवं उ.मू.दु. स्तरीय सतर्कता समितियों का गठन किया जावे तथा अध्यक्ष, सदस्य एवं जनप्रतिनिधियों को उनके दायित्वों से अवगत कराया जावे। कलेक्टर इस संबंध में सक्रियता से कार्यवाही करें।

3. डीएसके कंपनी की मशीन के स्थान पर विजनटेक कंपनी की मशीन लगाई जाए।

4. अपात्र परिवारों की जांच कर उन्हें सूची से हटाया जाये, ताकि जो स्थान रिक्त होगा, उसके विरूद्ध छूटे हुए पात्र परिवारों के नाम शामिल कर उन्हें लाभ दिलाया जा सके।

5. एक व्यक्ति द्वारा अनेक उपभोक्ता भण्डार चलाने एवं राशन वितरण में मनमानी करने की शिकायत की प्रभावी जांच की जाए। उप पंजीयक, सहकारिता एवं जिला आपूर्ति अधिकारी इस शिकायत की जांच करें। यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रभावशाली व्यक्ति के दवाब एवं स्वार्थ के कारण गरीब हितग्राहियों को राशन लेने के लिए दुकान का चक्कर बार–बार ना लगाना पड़े।

¼c½ ijd iks"k.k vkgkj dk;Øe

समीक्षा में पाया गया कि 16 ग्रामों में आंगनवाडी केन्द्र नहीं है जिनका प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। विद्युत विहीन आंगनवाडी 1281 हैं। न्यूट्री कार्नर 1610 केन्द्रों पर संचालित है। जिले में केवल 450 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर नाश्ता वितरण हो रहा है, लेकिन 1600 केन्द्रों पर नियमित रूप से नाश्ता नहीं पहुंच रहा है। दोपहर का बचा हुआ भोजन ही दिया जा रहा है। आंगनवाड़ियों में उपस्थिति में सुधार से पोषण के स्तर में भी सुधार होगा। अतः उपस्थिति बढ़ायी जावे। सूखा नाश्ता देना प्रारम्भ किया जावे एवं इसकी रेसिपी विशेषज्ञों से बनवाई जाकर प्रचार–प्रसार किया जावे। अधिकांश आंगनवाडी केन्द्रों पर बच्चों के हाथ धुलाने के लिए तौलिया, मग्गे, साबुन की व्यवस्था नहीं है। ऐसी व्यवस्था केवल 872 केन्द्रों पर है। 70 केन्द्रों पर बर्तन नहीं है, जिसकी व्यवस्था की जावे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पात्र गर्भवती माताओं की संख्या 4292 है। जिले में बच्चों की जन्म दर को देखते हुए यह संख्या में और अधिक वृद्धि हो सकती है।

vk;kx }kjk fn;s x;s funs'k ,o l>ko

1. 1600 आंगनवाड़ियों में नियमित रूप से नाश्ता नहीं पहुंचना गंभीर बात है। इसकी जांच की जाये और जो व्यक्ति या संस्था दोषी पाई जाती है, उनसे खाद्य सुरक्षा भत्ता की वसूली की जाना चाहिए। इस अनियमितता के लिए संबंधित सी.डी.पी.ओ./सुपरवाईजर एवं संबंधित स्व सहायता समूह के विरूद्ध जांच कर कड़ी कार्यवाही की जाये।
2. वाटर फिल्टर में लगे टेराकोटा कैंडिल खराब हो गए हैं। इन्हें बदला जाये।
3. आंगनवाडी में जो पद खाली हैं उनकी समय सीमा में पूर्ति की जावे।
4. भोजन के पहले एवं बाद में बच्चों के हाथ धुलाने के लिए सभी केन्द्रों पर तौलिया, मग्गे की व्यवस्था की जावे।

¼l½ e/;kUg Hkkstu ;kstuk ds fy, vk;kx }kjk fn;s x;s l>ko

1. ग्रामों में जो निराश्रित व्यक्ति हैं उनको ग्रामों की शालाओं में मध्यान्ह भोजन दिया जावे तथा उसे रिकार्ड में लिया जावे। इसके बारे में ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार–प्रसार भी किया जाये।
2. जिले के अधिकांश विद्यालयों में लकड़ी से भोजन बनाया जा रहा है। सभी विद्यालयों में गैस सिलेण्डर एवं चूल्हा दिलाया जावे।
3. उ.मू.दु. स्तरीय निगरानी एवं सर्तकता समितियों का पुर्नगठन किया जाये। उनके द्वारा मैदानी स्तर पर प्रत्येक दिन मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता की जांच की जा सकती है। इससे भोजन की गुणवत्ता में सुधार आएगा।

15. जिला – टीकमगढ़

आयोग द्वारा दिनांक 12–13.9.2019 को टीकमगढ़ जिले का भ्रमण किया गया। इस भ्रमण के दौरान आयोग ने दिनांक 12.9.19 को जिला मुख्यालय पर योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया। समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों से विभागीय स्तर पर किए जा रहे कार्य की जानकारी/फीडबैक प्राप्त किया। दिनांक 13.9.19 को योजनाओं का निरीक्षण किया गया।

(अ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि पात्र व्यक्तियों के बीपीएल कार्ड बने हैं, परन्तु पात्रता पर्ची जनरेट नहीं हो रही है। कई क्षेत्रों में सर्वर की समस्या है। कुछ हितग्राहियों के अंगूठा निशानी पीओएस मशीन पर नहीं लगने के कारण वितरण में देरी हो रही है। अपात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड बने हुए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए।

आयोग द्वारा दिये गये निर्देश एवं सुझाव

1. आयोग ने जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्रता अनुसार सामग्री का वितरण कराया जावे। ऐसे व्यक्ति जिनका अंगूॅठा पीओएस मशीन पर नहीं आ रहा है, उन्हें रजिस्टर से वितरण किया जावे।

2. कछियाखेरा में जीर्णशीर्ण भवन से दुकान का संचालन हो रहा है, जहां पानी टपकने से सामग्री खराब होने की शिकायत है। अतः दुकान को सुरक्षित भवन/कमरे में स्थानांतरित किया जाये।

3. नगरपालिका टीकमगढ़ के वार्ड क्र. 27 में सर्वर की समस्या होने के कारण मजदूरों को बार–बार दुकान आना पड़ता है, जिसमें उनकी मजदूरी की नुकसानी होती है। अतः सर्वर डाउन रहने की स्थिति में रजिस्टर से वितरण किया जावे।

4. शासकीय उचित मूल्य दुकान, बनेरा की पीओएस मशीन खराब है। इसे शीघ्र बदला जाये।

(ब) पूरक पोषण आहार कार्यक्रम का निरीक्षण

1. आंगनवाड़ी केन्द्र करमासन हटा के निरीक्षण में आंगनवाड़ी में दर्ज 140 बच्चों में से 80 बच्चे उपस्थित पाये गये। बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रयास किये जाये। बच्चों को दिया जा रहा हलुआ चखा गया जिसका स्वाद सही पाया।

2. एन.आर.सी. बल्देवगढ़ का निरीक्षण किया गया। माताओं को नियमित भोजन मिल रहा है एवं बच्चों का उपचार हो रहा है। लेकिन एन.आर.सी. में स्थाई शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है। वहां पर शिशु रोग विशेषज्ञ की पदस्थापना की जाये।

¼l½ e/;kUg Hkkstu dk;Øe

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मध्यान्ह भोजन अंतर्गत प्राथमिक शाला में प्रदाय दूध की गुणवत्ता सही है। राजीव गांधी स्व सहायता समूह को मध्यान्ह भोजन बनाने हेतु गैस कनेक्शन प्राप्त नहीं हुआ है। पार्षद नगर परिषद जतारा ने मांग की कि पालक शिक्षक संघ के माध्यम से मध्यान्ह भोजन का वितरण किया जावे। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सभी विद्यालयों में भोजन मिलता है। परंतु मीनू अनुसार भोजन नहीं बनने की शिकायत ग्रामीण क्षेत्र में है।

समीक्षा में पाया गया कि जिले के 681 शालाओं में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है। शा. मा. शाला कैलपुरा के निरीक्षण समय दर्ज 239 छात्रों में से 62 छात्र उपस्थित पाये गये। शाला को श्री कृष्णा स्व सहायता समूह द्वारा मध्यान्ह भोजन प्रदाय किया जाना पाया गया। भोजन की गुणवत्ता अच्छी थी। छात्रों ने भी बताया कि भोजन नियमित मिल रहा है। शाला में निराश्रितों को भी भोजन दिया जाना पाया।

vk;kx }kjk fn;s x;s funs'k ,o l>ko

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत यह सुनिश्चित करें कि बच्चों को मीनू के अनुसार मध्यान्ह भोजन मिले। क्वालिटी मानीटर और टॉस्क मैनेजर को इस हेतु पाबंद किया जाये। स्व सहायता समूह के साथ विकासखण्ड स्तर पर बैठक भी की जाये और उन्हें मीनू का पालन करने एवं अच्छी गुणवत्ता का भोजन देने के लिए निर्देशित किया जाये।

2. अधिकांश विद्यालयों में गैस सिलेण्डर उपलब्ध नहीं है। जिला पंचायत की ब्याज की राशि से गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराया जाये।

3. बच्चों की उपस्थिती के अनुसार भोजन का निर्माण किया जावे, ताकि सभी बच्चों को भरपेट भोजन मिले। जिन विद्यालयों में 65 प्रतिशत से अधिक छात्र आ रहे हैं, उन विद्यालयों के लिए आवंटन बढ़ाने के लिए शासन को विद्यालयों की सूची एवं अधिक मांग का प्रस्ताव भेजा जाए।

16. जिला – नरसिंहपुर

आयोग द्वारा दिनांक 12–13.9.2019 को नरसिंहपुर जिले में खाद्य सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा एवं निरीक्षण किया गया। अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं हितग्राहियों के साथ चर्चा की गई।

¼v½ yf{kr lkoZtfud forj.k iz.kkyh

जनप्रतिनिधियों द्वारा कहा गया कि मजदूरों को बाहर जाने के कारण एक माह का राशन अगले माह में प्राप्त नहीं हो रहा है। इन्हें अगले माह राशन देने की व्यवस्था की जाए। ग्राम पंचायत खूर्सीपार की शासकीय उचित मूल्य दुकान ग्राम से अधिक दूरी होने से हितग्राहियों को कठिनाई जा रही है। डीएसके कंपनी की पीओएस मशीन खराब होने के कारण राशन वितरण रजिस्टर से कराया जाए। ग्राम जरजोला की शा.उ.मू. दुकान के एक विक्रेता के पास 3 दुकान होने के कारण माह में केवल 4–5 दिन ही खुल पाती है। दुकान का निरीक्षण पिछले एक वर्ष से नहीं किया गया है।

vk;ksx }kjk fn;s x, lq>ko%&

1. डीएसके कंपनी की मशीन काम नहीं कर रही है। शासन स्तर से इस कंपनी के बजाये विजनटेक कंपनी की मशीन लगाने के लिए विचार किया जाए।

2. ग्राम जरजोला के विक्रेता के पास तीन दुकानें होने से जरजोला की दुकान माह में मात्र 4–5 दिन ही खुलती है। यह उचित नहीं है। इससे हितग्राहियों को परेशानी जाती है। अतः सहकारी समिति को प्रत्येक दुकान हेतु पृथक विक्रेता/तुलावटी रखने के लिए निर्देशित किया जाये एवं उसका पालन कराया जाए।

3. निरीक्षण टीप अनिवार्य रूप से निरीक्षण रजिस्टर में दर्ज की जावे।

4. पात्र हितग्राहियों के नाम हिंदी में बड़े फाण्ट में सहजदृश्य स्थल पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिये।

5. उचित मूल्य दुकान स्तरीय निगरानी समिति शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में दो माह में गठित की जाए। समिति के सदस्यों को उनके कर्तव्य एवं अधिकार के बारे में प्रशिक्षित किया जाये।

¼c½ iwjd iks"k.k vkgkj dk;ZØe

जन प्रतिनिधियों ने बताया कि प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के अन्तर्गत सहायता राशि समय पर प्राप्त हो। आंगनवाड़ी में भोजन बनाने वाली रसोइया को केवल 500.00 रुपये प्रति माह मिल रहा है, उसे बढ़ाया जाए। गोटेगांव क्षेत्र में काम करने वाली स्व सहायता समूह की जानकारी सरपंच एवं जनपद पंचायत के सदस्यों को नहीं दी जा रही है, जो दी जाए। समीक्षा बैठक एवं निरीक्षण में पाया गया कि आंगनवाड़ी केन्द्र में विद्युत एवं पंखे की व्यवस्था नहीं है। आंगनवाड़ी के

नाश्ता में उपमा एवं न्यूट्रीकॉर्न दिया जाना पाया गया। ग्राम मगरधा की आंगनवाड़ी केन्द्र के निरीक्षण में नाश्ता, भोजन एवं टेक होम राशन देना पाया गया। शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, लेकिन रजिस्टर नहीं रखा गया है। रजिस्टर रखने के लिए कहा गया। भोजन की गुणवत्ता अच्छे स्तर का होना पाया गया। अति कुपोषित 2 बच्चों को एनआरसी में भर्ती कराया जाना पाया । आंगनवाड़ी भवन हेतु किराये की राशि कम होने के कारण अच्छा भवन नहीं मिल रहा है। ग्राम जरजोला के आंगनवाड़ी केन्द्र में दर्ज बच्चों में से 50 प्रतिशत बच्चे उपस्थित रहे। केन्द्र में उपस्थित अति कुपोषित बच्ची वंशिका पुत्री उमा शंकर लोधी को थर्ड मील मिल रहा है। बच्ची का वजन का चार्ट देखा गया, जो कार्यकर्ता द्वारा सही भरा गया था। आंगनवाड़ी स्कूल के अतिरिक्त कक्ष में संचालित की जा रही है, आंगनवाड़ी का स्वयं कोई भवन नहीं है।

vk;kx }kjk fn;s x;s funsZ'k

1. आंगनवाड़ी केन्द्र में प्रदाय किये जा रहे पोषण आहार के मापदण्ड, प्रत्येक दिन के लिए तैयार किया गया मीनू एवं गर्म भोजन एव ंनाश्ता के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों से पंचायत स्तरीय निगरानी समिति के सदस्यों को अवगत कराया जाए।
2. बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए पालकों एवं स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाए।
3. प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना की सहायता राशि तीन किश्तों में प्राप्त होती है। जनप्रतिनिधिओं एवं निगरानी समिति के सदस्यों को इसकी जानकारी दी जाए, ताकि सहायता राशि एक मुश्त प्राप्त नहीं होने जैसी शिकायत जो कि जानकारी के अभाव में किया जा रहा है, उसे दूर किया जा सके।
4. प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के लिए संस्थागत प्रसव के समय ही पात्र हितग्राहियों को चिन्हित कर उनका ऑनलाईन पंजीयन करने की व्यवस्था की जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा माताओं को योजना का लाभ मिल सके।
5. गोटेगांव क्षेत्र की आंगनवाड़ियों की संख्या एवं समूहों के नाम की जानकारी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
6. आंगनवाड़ी केन्द्र में पंचायत की सहायता से विद्युत एवं पंखे की व्यवस्था कराने के निर्देश दिये।
7. किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण के रजिस्टर सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में व्यवस्थित रखा जाए।

¼l½ e/;kUg Hkkstu ;kstuk

समीक्षा में पाया गया कि सभी विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना चालू है। किसी भी विद्यालय में भोजन नहीं मिलने की शिकायत नहीं है। लेंकिन भोजन की गुणवत्ता का निरीक्षण करने हेतु

पंचायत स्तरीय निगरानी समितियों का गठन नहीं किया गया है। ग्राम जरजोला के माध्यमिक शाला के किचन शेड का निरीक्षण किया गया। हरिओम स्व सहायता समूह द्वारा भोजन बनाया जा रहा है। किचन की छत खराब है। किचन को किसी अन्य अतिरिक्त कक्ष में स्थानांतरित किया जाए। निरीक्षण में मध्यान्ह भोजन में प्रयुक्त हो रहे मसालों की अच्छी गुणवत्ता का होना पाया गया। समूह द्वारा मीनू के अनुसार भोजन बनाया जा रहा है। भोजन की गुणवत्ता भी अच्छी है।

vk;kx }kjk fn;s x;s funs'k

1. मध्यान्ह भोजन का करीबी से निरीक्षण पंचायत स्तरीय निगरानी समिति द्वारा किया जा सकता है। इसलिये समिति का पुर्नगठन दो माह में किया जाये। इसके साथ प्रत्येक विद्यालय में भोजन के निरीक्षण हेतु शिक्षक रजिस्टर भी बनाया जाये, ताकि प्रतिदिन एक शिक्षक भोजन चखे एवं देखें कि सभी छात्रों को भोजन मिल रहा है।

2. ग्राम जरजोला के माध्यमिक शाला के किचन शेड की छत से पानी टपकता हुआ पाये जाने पर उसकी मरम्मत करने के निर्देश दिए गए एवं मरम्मत होने तक किसी अन्य अतिरिक्त कक्ष में भोजन बनाया जाये।

3. समस्त विद्यालयों में पैकेट बंद तेल एवं एगमार्क मसालों का इस्तेमाल करने के लिए निर्देश जारी किए जाए।

17. जिला – राजगढ़

आयोग द्वारा दिनांक 16–17.9.2019 को राजगढ़ जिले का भ्रमण किया गया। समीक्षा बैठक के साथ–साथ कार्यक्रमों का निरीक्षण एवं हितग्राहियों से चर्चा की गई।

¼v½ yf{kr lkoZtfud forj.k iz.kkyh

जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायत/सुझाव दिये गये कि उचित मूल्य दुकान समय पर खोली जाकर, प्राप्त सामग्री की जानकारी प्रदर्शित की जावे। पात्र परिवारों को शीघ्र पात्रता पर्ची दी जावे एवं अपात्रों के नाम काटे जावें। बी.पी.एल. श्रेणी के पात्र परिवार द्वारा दूसरे स्थान पर पलायन किये जाने पर नये ग्राम/जिले की बी.पी.एल. की सर्वे सूची में नाम जोड़ा जावे। बी.पी.एल. परिवार के मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार के सदस्यों को स्वतः परिवार का मुखिया बनाने हेतु सुझाव दिये गये। दुकान विहीन ग्राम पंचायत में नवीन उचित मूल्य दुकान खोलना सुनिश्चित किया जावे। सतर्कता समिति गठन होने की जानकारी सभी सरपंच एव पार्षदों को दी जावे। एक भी व्यक्ति भूखा न रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी दुकानों में राशन रखने की व्यवस्था की जाये।

vk;ksx }kjk fn;s x;s funsZ'k

1. जनसुनवाई में प्राप्त गंभीर शिकायतों को डी.जी.आर.ओ. रजिस्टर में दर्ज कर निराकरण किया जावे।

2. केरोसीन का भण्डारण उचित मूल्य की दुकान मे पृथक से किया जावे ताकि खाद्यान्न खराब न हो।

3. उचित मूल्य की दुकान विहीन ग्राम पंचायतों में नवीन दुकान खोलने हेतु सी.ई.ओ. जिला पंचायत की मदद ली जावे और एन.आर.एल.एम. कार्यक्रम आदि के अन्तर्गत गठित स्व सहायता समूह को दुकान के लिए आवेदन पत्र भरने के लिए प्रेरित किया जाये।

4. ऐसे परिवार जो तीन से चार माह तक राशन नहीं ले गए है, उनकी जांच कर यदि वे अपात्र या फर्जी पाए जाते हैं, तो उनका नाम सूची से हटाया जाये।

5. जिले में सेल्समेनों का ड्रेस कोड लागू किया जावे।

6. मध्यान्ह भोजन एवं सांझा चूल्हा प्राप्त करने वाले स्व सहायता समूह/संस्था के नाम उचित मूल्य की दुकानों पर लिखा जावे।

7. अपात्रों के नाम कम करने हेतु जन–जागरण कार्यक्रम आम जनता के मध्य चलाने हेतु निर्देशित किया गया।

8. उचित मूल्य दुकान पर प्राप्त सामग्री की जानकारी सतर्कता समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को एस.एम.एस. के द्वारा दी जाना सुनिश्चित किया जावे।

¼c½ iwjd iks"k.k vkgkj dk;Øe

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि 333 आंगनवाड़ियों में दरी उपलब्ध नहीं है। हाथ धुलाई हेतु आंगनवाड़ियों में साबुन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जावे। जिला राजगढ़ में 1602 आंगनवाड़ियों में विद्युत नहीं है। 76 नवीन आंगनवाड़ियों हेतु विभाग ने मांग की है। आंगनवाड़ी समय पर खुले एवं नाश्ता व भोजन मीनू अनुसार समय पर प्रदाय किया जावे। सांझा चूल्हा योजना के तहत प्रदाय की जाने वाली राशि प्रति माह प्रदाय की जावे।

vk;ksx dks fn;s x;s funsZ'k ,oa lq>ko

1. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की राशि 3 किश्तों में दी जाती है इसे एक या दो किश्तों में किया जाये।
2. आंगनवाड़ियों में बच्चों की रूचि अनुसार फ्लेवर्ड दूध दिया जाए। इलायची, स्ट्राबेरी फ्लेवर का पंसद नहीं किया जा रहा है। अतः इसे बन्द कर चाकलेट फ्लेवर का दूध की मांग की जाए।
3. जिन आंगनवाड़ियों में पंखे नहीं लगे हैं उनमें जन सहयोग से पंखे लगाने हेतु निर्देश दिये।
4. 114 आंगनवाड़ियों में थाली गिलास एवं चम्मच उपलब्ध नहीं है उक्त सामग्री उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये।
5. अतिकुपोषित एवं मध्यम कुपोषित बच्चों हेतु नवीन अभियान चलाकर कुपोषण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये।
6. आंगनवाड़ी में सूखा नाश्ता देने हेतु कार्ययोजना बनाई जावे।

¼l½ e/;kUg Hkkstu ;kstuk

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मध्यान्ह भोजन मीनू अनुसार दिया जावे। जिला राजगढ़ में 555 किचन शेड विहिन शालाओं में से 280 शालाओं हेतु राशि प्राप्त हुई है। शेष किचन शेड विहीन शालाओं के अतिरिक्त कक्ष में किचन बनाने हेतु स्थानीय प्रशासन के माध्यम से कार्यवाही की जावे।

vk;ksx }kjk fn;s x;s funsZ'k ,oa lq>ko

1. मीनू अनुसार मध्यान्ह भोजन बनाया जावे।
2. बार–बार चेतावनी देने के बाद भी मीनू अनुसार भोजन नहीं बनाने वाले स्व–सहायता समूहों को कार्य से पृथक करने की कार्यवाही की जाए।

3. प्रत्येक किचन शेड में लकड़ी की बजाये गैस सिलेण्डर द्वारा भोजन बनाया जाये। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिले की स्थिति की समीक्षा करें एवं जिन विद्यालयों में गैस सिलेण्डर उपलब्ध नहीं कराया गया है, वहां पर गैस सिलेण्डर एवं चूल्हा उपलब्ध कराने की कार्यवाही करें। जिला पंचायत की राशि से यह काम किया जा सकता है। यदि ब्याज राशि आदि उपलब्ध नहीं है, तो ग्रामीण विकास विभाग को प्रस्ताव भेजकर आवंटन प्राप्त किया जाये।

4. हाथ धोने की प्रक्रिया के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्मित किए गए सचित्र पेम्पलेटस् शालाओं में प्रदर्शित किया जावे।

5. शालाओं में हाथ धोने हेतु बच्चों के लिए साबुन रखी जावे।

18. जिला – रायसेन

आयोग द्वारा दिनांक 20–21.9.2019 को रायसेन जिले का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान दिनांक 20.9.19 को जिला मुख्यालय पर योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया। समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों से जानकारी/फीडबैक प्राप्त किया गया । दिनांक 21.9.19 को जिले में योजनाओं का निरीक्षण किया गया। हितग्राहियों से भी चर्चा की गई एवं उनकी समस्या सुनी गई। योजनाओं की स्थिति निम्नानुसार पाई गईः–

¼v½ yf{kr lkoltfud forj.k i.kkyh

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि अपात्रों की जांच कर पृथक करने की कार्यवाही की जावे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों के निरीक्षण पर्याप्त एवं गुणवत्ता युक्त नहीं है। शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर खाद्यान्न की गुणवत्ता का परीक्षण कर अनाज भेजा जाए। शहरी क्षेत्र में 04 दुकानें संचालित हो रही है, जबकि शहर में वार्डों की संख्या अधिक है जिससे एक वार्ड के व्यक्ति को अन्य वार्ड में राशन प्राप्त करने हेतु जाना पड़ता है। सतर्कता समिति के पुर्नगठन, प्रशिक्षण, बैठके नहीं हुई है।

आयोजित जनसुनवाई में उपभोक्ताओं द्वारा अगूंठे घिस जाने से राशन नहीं मिलने, दुकानों पर समय पर राशन नहीं पहुँचने आदि शिकायतें की, जिनके निराकरण हेतु उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये।

vk;kx }kjk fn; x, fun'k ,o l>ko

1. हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार सीडिंग का प्रतिशत कम है। बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन के लिए आधार नम्बर होना जरूरी है। अतः जिले में ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से शेष हितग्राहियों के आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण किये जाने हेतु प्रयास किया जावे।
2. रायसेन जिले में योजना को लेकर कोई शिकायत जिला शिकायत निवारण अधिकारी एवं नोडल अधिकारी के कार्यालय में दर्ज नहीं होना पाया गया। मुख्य मंत्री ऑनलाईन में प्राप्त शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है। निर्देशित किया गया कि दोनों कार्यालय में खाद्य सुरक्षा अधिनियम की मंशा के अनुरूप शिकायत निराकरण के विवरण रखने के लिए रजिस्टर का संधारण किया जाये। साथ ही जिला शिकायत निवारण अधिकारी के कार्यालय में शिकायत सुनने की सुविधा उपलब्ध होने के बारे में कलेक्टर कार्यालय में सूचना बोर्ड लगाया जाये।
3. जिला /विकासखण्ड एवं उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों का पुनर्गठन एक माह में करते हुए प्रशिक्षण एवं बैठक आयोजित की जावे।
4. नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा एस.एम.एस. के माध्यम से मासिक आवंटन प्रदाय की जानकारी सतर्कता समिति के अध्यक्ष/सदस्यों को भेजी जावे।
5. शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर सभी आवश्यक सूचनाओं तथा स्वःसहायता समूहों की

जानकारी हितग्राहियों की हिन्दी के बड़े फोण्ट में सूची, निगरानी समिति की जानकारी सम्बंधित अधिकारियों के दूरभाष क्रमांक के फ्लेक्स को लगवाया जावे।

(ब) पूरक पोषण आहार कार्यक्रम

जनप्रतिनिधियों ने चर्चा में कहा कि आंगनवाड़ी खुल रही है। भोजन भी मिल रहा है। नाश्ता के अलावा बच्चों को दोपहर का भोजन भी मिल रहा है। लेकिन आंगनवाड़ी में दिये जा रहे भोजन की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। सूखा नाश्ता देने की व्यवस्था नहीं है। आंगनवाड़ी में बच्चों की उपस्थिति बढाने के प्रयास विशेष रूप से किये जावे। शासन निर्देशानुसार सप्ताह में तीन दिन बच्चों को दूध का प्रदाय सुनिश्चित किया जावे। बच्चों की रूचि अनुसार फ्लेवर्ड दूध दिया जाये। एनआरसी में फालोअप में माताओं को मजदूरी की राशि नहीं मिल रही है, उसे दिया जाए।

आयोग द्वारा दिये गये निर्देश एवं सुझाव

1. ऐसे स्व सहायता समूहों को हटाया जावे जो मीनू अनुसार गुणवत्तायुक्त भोजन नहीं दे रहे हैं।
2. कुपोषण दूर करने हेतु सही आंकड़ो का संकलन एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों का सतत् निरीक्षण किया जावे। इस ओर जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी को ध्यान देने की आवश्यकता है।
3. आंगनवाड़ी में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए सीडीपीओ एवं सुपरवाईज़र्स को उत्तरदायित्व सौंपा जाये। पंचायत प्रतिनिधि, पालक एवं स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर बच्चों को आंगनवाड़ी में भेजने के लिए पहल किया जाये।
4. एनआरसी में अतिकुपोषित बच्चों के फॉलोअप के समय माताओं को मजदूरी एवं परिवहन की राशि नहीं मिल रही है। इससे फॉलोअप में कठिनाई आ रही है। सुविधायें पूर्ववत् जारी रखी जावे।
5. सूखा नाश्ता देना प्रारम्भ किया जावे एवं इसकी रेसिपी विशेषज्ञों से बनवाई जाकर प्रचार–प्रसार किया जावे।
6. केन्द्रीयकृत रसोई घर का निरीक्षण किया गया। व्यवस्थाएँ अच्छी पाई गयीं। आयोग ने सब्जी एवं दाल की मात्रा बढ़ाये जाने व सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाये जाने के निर्देश दिये।

(स) मध्यान्ह भोजन योजना

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मध्यान्ह भोजन की जांच हेतु क्लस्टर स्तर पर जाँच समितियां बनाई जावे। भोजन में सलाद को शामिल किया जाना चाहिए। विभागीय अधिकारी क्षेत्र भ्रमण के समय मध्यान्ह भोजन के गुणवत्ता की जाँच भी निरंतर करते रहें।

आयोग द्वारा दिये गये निर्देश एवं सुझाव

1. खाद्यान्न आवंटन वास्तविक उपस्थिति के आधार पर किया जाये।
2. कम से कम प्रत्येक 2 माह में स्वःसहायता समूहों की समस्या सुलझाने हेतु विकासखण्ड स्तर पर बैठकें की जावे।

19. जिला–नीमच

आयोग द्वारा दिनांक 14–15.10.2019 को नीमच जिले का भ्रमण कर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा एवं निरीक्षण किया गया। जनपद पंचायत सभागार जावद में जनसुनवाई शिविर भी आयोजित किया गया।

¼v½ yf{kr lkoZtfud forj.k iz.kkyh

जनप्रतिनिधियों की मुख्य शिकायत छूटे हुए पात्र परिवारों की राशन पर्ची नहीं निकलने से संबंधित है। समग्र आईडी पोर्टल पर यदि मुखिया की मृत्यु हो जाती है एवं नये मुखिया का नाम दर्ज किया जाता है, तब पूरा का पूरा कार्ड बंद हो जाता है। अंगूठा निशानी नहीं मिलने से कई लोग परेशान है। नामिनी बनाने के बारे में ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार–प्रसार कराया जाए। रेवली देवली पंचायत के 28 अपात्र लोगों के नाम राशन सूची से काटने के लिये तहसीलदार को लिखा गया है, उसमें से केवल 3 लोगों के नाम काटे गये हैं एवं शेष हितग्राही के राशन कार्ड चल रहे हैं। इसकी जांच कराई जाए।

समीक्षा में पाया गया कि जिले की ग्रामीण जनसंख्या का कवरेज 66 प्रतिशत और शहरी जनसंख्या का कवरेज 51 प्रतिशत है। अ.जाति/अ.ज.जाति परिवारों में से 85 प्रतिशत परिवारों को योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। कवरेज की दृष्टि से और अधिक जनसंख्या को लाभ दिया जा सकता है। जिले में 295 उ.मू.दुकानों में से 266 उ.मू.दुकानों में दुकान स्तरीय सतर्कता समिति का पुर्नगठन करने की जानकारी दी गई है। यह अच्छी स्थिति दर्शाती है, लेकिन प्रशिक्षण नहीं दिए जाने के कारण सरपंच एवं पार्षद जो कि समिति के अध्यक्ष है, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। विकास खण्ड स्तरीय समिति गठित है परन्तु बैठक नहीं हो रही है। अभी तक जिला स्तरीय समिति का गठन नहीं हुआ है। यह स्थिति संतोषप्रद नहीं है। जिले में पीओएस मशीन की स्थिति अच्छी है। द्वार प्रदाय योजना के अंतर्गत सभी दुकानों में शत–प्रतिशत अग्रिम उठाव हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। जिले में कुल 236 पंचायतें है। इनमें से केवल 10 पंचायतों में उचित मूल्य दुकान नहीं है। इसके अतिरिक्त जिले में 49 विक्रेता ऐसे हैं जिनके द्वारा दो या दो से अधिक दुकानों का संचालन किया जा रहा है। एन.आर.एल.एम. के अन्तर्गत गठित स्व सहायता समूह आदि को दुकान आवंटन के लिए प्रेरित किया जाए तो शेष दस पंचायतों में भी दुकानो का आवंटन हो जाएगा।

vk;ksx }kjk fn, x, funsZ'k ,oa lq>ko

1. आयोग की अनुशंसा है कि नेटवर्क न मिलने के मामले में समग्र आई.डी. का मिलान कर हितग्राहियों को राशन वितरण किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से नामिनी बनाने के लिए विक्रेताओं एवं सतर्कता समिति के सदस्यों को जानकारी दी जाना चाहिए।

2. आपूर्ति अधिकारी ने जानकारी दी है कि 4174 अपात्र/फर्जी/पलायन परिवारों की जानकारी

उनके पास है, लेकिन अभी तक इसकी जांच नहीं की गई है। आयोग ने निर्देशित किया कि एक माह के भीतर जांच करायी जावे तथा अपात्र पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अपात्र व्यक्तियों को हटाया जावे।

3. रेवली देवली सरपंच की शिकायत थी कि उनके द्वारा 28 अपात्रों के नाम काटने के लिये तहसीलदार को सूची भेजी गयी थी, परन्तु केवल 3 नाम ही काटे गये हैं। कलेक्टर द्वारा इसकी जांच करायी जावे और अपात्र लोगों के नाम हटाने के बारे में कार्यवाही की जाए।

4. जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन एवं बैठक नहीं हुई हैं। यह स्थिति असंतोषप्रद है। जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जावे।

5. उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम, मोबाईल नम्बर दुकानों के बाहर प्रदर्शित किये जावे।

6. आयोग की अनुशंसा है कि नवीन दुकानों के मामले में स्व सहायता समूह को कम से कम रु. 6000.00 देने की व्यवस्था की जाए, ताकि भवन का किराया, विक्रेता का पारिश्रमिक एवं अन्य व्यय की प्रतिपूर्ति हो सके।

7. एक प्रमुख शिकायत यह उभरकर आई है कि परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद नए मुखिया का नाम अद्यतन करने के समय तकनीकी कारणों से राशन कार्ड का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। एक वृद्ध पति की मृत्यु के बाद पिछले एक वर्ष से उसकी विधवा पत्नी की राशन पर्ची जारी होना बन्द हो गई है। इसी प्रकार एक मानसिक रूप से दिव्यांग बालिका के माता–पिता के निधन के बाद उसके परिवार की राशन पर्ची बन्द हो गई है। आपूर्ति अधिकारी, नीमच इन प्रकरणों की जांच कर उन्हें तत्काल राशन देने की व्यवस्था करेंगे।

8. आयोग की अनुशंसा है कि खाद्य विभाग को ऐसे मामलों में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कलेक्टर एवं जिला आपूर्ति अधिकारी को अधिकार का प्रत्यायोजन करना चाहिए।

9. राशन दुकान से कुछ आश्रित गांव की दूरी पांच किलोमीटर या उससे अधिक है। पोर्टेबिलिटी व्यवस्था के बारे में ज्यादा प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए, ताकि ऐसे दूरस्थ गांव के हितग्राहियों को लंबी दूरी तक जाना ना पड़े और पास की दुकान से उन्हें राशन मिल जाए।

10. आयोग ने सुझाव दिया कि आंगनवाड़ी एवं मध्यान्ह भोजन के लिए खाद्यान्न का अग्रिम आवंटन ई.पी.डी.एस. से संलग्न कर जारी किया जावे।

11. इश्यू सेंटर के निरीक्षण में आयोग द्वारा जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उचित मूल्य दुकान को चावल प्रदाय करने के पूर्व चयनित स्टेक से चावल का सेम्पल लेकर उसका एनालीसिस किया जावे तथा उसकी एनालीसिस रिपोर्ट का पंचनामा बनाया जावे। सेम्पल एफ.ए.क्यू. स्तर का पाए जाने पर ही उसे उचित मूल्य दुकान के लिए भेजा जाए।

12. उ.मू.दुकान भड़भड़िया के निरीक्षण में खाद एवं केरोसीन को गेहूँ एवं चावल से अलग रखने का निर्देश दिया गया। केरोसीन को दुकान से बाहर भण्डारण करने के निर्देश दिये गये ताकि आग लगने की संभावना से बचा जा सके।

13. श्रीमती चंदा बाई पत्नी स्व. कैलाश दास, ग्राम सरोदा तह. जावद जिला नीमच (आई डी क्रमांक 25248524, वार्ड क्रमांक 07 खाता क्रमांक 77) की राशन पर्ची उनके पति की मृत्यु के बाद मुखिया का नाम में संशोधन करने के समय से बन्द हो गयी। जिला आपूर्ति अधिकारी तुरंत इसकी जांच कराकर हितग्राही को राशन उपलब्ध करायें एवं आयोग को पालन प्रतिवेदन भेजें।

¼c½ iqjd iks"k.k vkgkj dk;Øe

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि आंगनवाड़ी में भोजन मिल रहा है। कई आंगनवाड़ी भवन का निर्माण कार्य अपूर्ण पड़ा हैं, उनको पूर्ण कराया जावे। ऐसी योजना बनायी जानी चाहिए जिससे जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, वे आंगनवाड़ी में ही शिक्षा प्राप्त करें। आंगनवाड़ी में बच्चों की उपस्थिति 25–30 प्रतिशत तक ही रहती है, उसमें सुधार कराया जावे। फर्जी स्व सहायता समूह की जांच होना चाहिए। रेवली–देवली पंचायत में 4 आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन सही नहीं है। इसकी जांच की जाए।

समीक्षा में पाया गया कि जिले में 102 गावों को छोड़कर शेष सभी गांव में आंगनवाड़ी केन्द्र हैं। पीने के पानी की व्यवस्था सभी आंगनवाड़ियों में है। छः माह से छः वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती/धात्री माताओं को मिलाकर 84900 से ज्यादा हितग्राही आंगनवाड़ी में पंजीकृत है। चार माह मे औसतन 6000 हितग्राहियों को छोड़कर शेष सभी को पोषण आहार मिल रहा है। 47400 गर्भवती/धात्री माताओं को टेक होम राशन मिलता है। जिले की सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में नाश्ता एवं भोजन अलग–अलग समय पर दिया जा रहा है। विभिन्न आंगनवाड़ी केन्द्रों में 1312 अति कुपोषित बच्चे चिन्हित किए गए है। इनमें से 587 बच्चों को एनआरसी केन्द्र भेजा गया है। थर्ड मील दिया जा रहा है। 93 आंगनवाड़ी केन्द्रो में भोजन के लिये थाली, गिलास एवं चम्मच उपलब्ध नहीं है। 279 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर फर्श पर बिछाने के लिये दरी/टाट–पट्टी उपलब्ध नहीं है। प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन की स्थिति अच्छी है। 12970 पात्र गर्भवती माताओं में से 12721 माताओं को पहली किश्त, 12216 माताओं को दूसरी किश्त, तृतीय किश्त की राशि 7669 माताओं को दी गई है। योजना के क्रियान्वयन की स्थिति संतोषजनक है।

vk;kx }kjk fn; x; l>ko ,o fun'k

1. जिले में 1300 से अधिक अति कुपोषित बच्चे एवं लगभग 10,000 मध्यम दर्जे के कुपोषित बच्चे पाए गए हैं। कुपोषण पर नियंत्रण पाने के लिए नाश्ते में परिवर्तन कर रूचिकर पौष्टिक सूखा नाश्ता, जैसे कि मूंगफली/चने की चिक्की, फोर्टिफाईड मुरमुरा, लड्डू आदि देने की व्यवस्था की जाना चाहिए।

2. फालोअप के लिए माताओं को पूर्व में दी जा रही सुविधायें जारी रखी जाए। मजदूरी एवं परिवहन की राशि नहीं दिए जाने से उसका प्रभाव फालोअप पर पड़ रहा है।

3. शासन स्तर से मध्यम दर्जे के कुपोषित बच्चों को भी पौष्टिक नाश्ता एवं थर्ड मील देने के बारे में विचार किया जाए, ताकि वे अति कुपोषित श्रेणी में परिवर्तित न हो जाए।

4. निजी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में गरीब परिवारों के 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे जा रहे हैं, उन्हें जन सहयोग से टिफिन कैरियर के माध्यम से पोषण आहार/नाश्ता देने के लिए पहल की जाये।

5. सरपंच, रेवली देवली द्वारा शिकायत की गई कि उनकी पंचायत की 5 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से मात्र ''वैशाली'' की आंगनवाड़ी चालू है। आयोग ने शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया। आंगनवाड़ी केन्द्र बन्द पाए जाने पर दोषी व्यक्ति से डेढ़ गुना राशि खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में वसूलने की कार्यवाही की जावे।

6. गिरदौडा पंचायत में समूह द्वारा गुणवत्ताहीन भोजन एव नाश्ता परोसने के बारे में सरपंच द्वारा की गई शिकायत की जांच की जाए। शिकायत सही पाये जाने पर स्व सहायता समूह को कार्य से पृथक कर अन्य स्व सहायता समूह को कार्य आवंटित किया जाए।

7. एनआरसी के निरीक्षण में आयोग द्वारा सीएमएचओ एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे फालोअप के संबंध में वास्तविक आंकड़ा का संधारण करने की व्यवस्था करें। अति कुपोषित बच्चों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ रेफरेल में कितने बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, उसकी जानकारी रखी जावे। बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होने तक उनकी ट्रेकिंग की जाना आवश्यक है।

¼l½ e/;kUg Hkkstu dk;Øe

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि कुछ किचनशेड की हालत बहुत खराब है, जिन्हें सुधरवाया जावे। अपूर्ण किचन शेड निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किये जाए।

समीक्षा में पाया गया कि जिले में 1245 प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। कुल छात्र संख्या के लगभग 62 प्रतिशत छात्र उपस्थित रहते हैं, जिन्हें नियमित रूप से मध्यान्ह भोजन दिया जा रहा हैं। 756 स्व सहायता समूह भोजन बनाने के कार्य में लगे हैं। छात्रों के संख्या के अनुपात में रसोइया उपलब्ध है। पिछले चार माह में अनियमितता आदि के कारण केवल एक समूह के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। विद्यालयों में किचन शेड उपलब्ध होने की स्थिति अच्छी है। केवल 46 विद्यालय परिसर में किचन शेड नहीं हैं। सभी विद्यालयों में भोजन बनाने के लिए गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है, जो कि प्रशंसनीय है। पीने के पानी की व्यवस्था सभी विद्यालयों में हैं। विभाग द्वारा 65 प्रतिशत छात्रों को उपस्थित मानकर अनाज एवं राशि का आवंटन किया जा रहा है। जिले में लगभग 288 ऐसे विद्यालय हैं, जहां पर 65 प्रतिशत से ज्यादा छात्र उपस्थित रहते हैं। ऐसे विद्यालय में आवंटन बढ़ाया जाए। प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को सप्ताह में तीन दिन दूध वितरण हो रहा । उ.मू.दु. स्तरीय निगरानी समितियों का पुर्नगठन नहीं होने के कारण मध्यान्ह भोजन का निरीक्षण मदर्स कमेटी द्वारा किया जा रहा है, जोकि प्रभावी नहीं है। गत चार माह में जिले के किसी भी विद्यालय से भोजन नहीं मिलने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यह निश्चित रूप से सराहनीय है।

vk;kx }kjk fn, x, l|>ko ,o fun'k

1. नीमच जिले में मध्यान्ह भोजन योजना का क्रियान्वयन अन्य जिलों की तुलना में बेहतर ढंग से संचालित हो रहा है।

2. उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति का शीघ्र पुर्नगठन कर उन्हें मध्यान्ह भोजन के निरीक्षण की जवाबदारी सौंपी जाए। आयोग ने सुझाव दिया कि कम से कम दो माह में एक बार विकास खण्ड स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में स्व सहायता समूह के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनके साथ चर्चा की जाए।

3. उचित मूल्य दुकान में उपलब्ध अनाज में से सबसे अच्छे अनाज देने की व्यवस्था की जाए।

4. नीमच विकासखण्ड के 105 विद्यालय, मनासा के 67 विद्यालय एवं जावद विकासखण्ड के 117 विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति 65 प्रतिशत से ज्यादा होने के कारण इन विद्यालयों में अनाज एवं ईंधन आदि के लिए अतिरिक्त आवंटन देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग को प्रस्ताव भेजा जाए।

5. शा. प्राथ. एवं माध्य. शाला भरभड़िया के निरीक्षण में स्व सहायता समूह को अक्टूबर माह का आवंटन प्राप्त नहीं होना पाया गया। आयोग ने सी.ई.ओ. जिला पंचायत को कहा कि समूह को अक्टूबर 2019 तक का अनाज शीघ्र उपलब्ध कराया जाए।

20. जिला मंदसौर

आयोग द्वारा दिनांक 16–17.10.2019 को मंदसौर जिले का भ्रमण किया गया। समीक्षा बैठक के अतिरिक्त जनप्रतिनिधियों से चर्चा एवं कार्यक्रमों का निरीक्षण किया गया। मल्हारगढ़ में जनसुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों की स्थिति निम्नानुसार पाई गईः–

¼v½ yf{kr lkoltfud forj.k i.kkyh

जनप्रतिनिधियों ने शिकायत/सुझाव दिया कि मंदसौर में पात्र व्यक्तियों की पात्रता पर्ची जनरेट नहीं हो रही है। पंचायत क्षेत्र में संचालित उचित मूल्य दुकान से यदि कोई गांव अधिक दूरी पर है, तो उसके लिये अलग से उचित मूल्य दुकान की व्यवस्था होनी चाहिए। शहर के प्रत्येक वार्ड में उचित मूल्य दुकान होनी चाहिए। पात्र गरीब लोगों के लिए राशन की मात्रा पांच किलोग्राम से अधिक की जाना चाहिए। सर्वर डाउन रहने तथा अंगूठा निशानी नहीं लगने के कारण समस्या आती है। दिव्यांग व्यक्ति जिसका गरीबी रेखा की सूची में नाम नहीं है, उन्हें भी राशन मिलना चाहिए। राशन कार्डधारी की मृत्यु होने के बाद उसकी पत्नी का नाम मुखिया की जगह पर लिखने की सुविधा जिला स्तर पर हो, ताकि विधवा पत्नियों को राशन मिल सके।

समीक्षा में पाया गया कि जिले की ग्रामीण जनसंख्या का कवरेज 68 प्रतिशत और शहरी जनसंख्या का कवरेज केवल 52 प्रतिशत है। कवरेज में और वृद्धि की जा सकती है। 17183 परिवारों को अन्त्योदय अन्न योजना का लाभ मिल रहा है, जोकि कुल परिवार का 5 प्रतिशत है। अ.जाति/अ.ज.जाति परिवारों में से 94 प्रतिशत परिवारों को योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है, जो कि प्रशंसनीय है। जिला स्तरीय सतर्कता समिति गठित नहीं हुई है, विकास खण्ड स्तरीय सतर्कता समिति गठित हुई है परन्तु बैठक नहीं हो रही है। 458 उ.मू.दुकानों में से 407 उ.मू.दुकानों में दुकान स्तरीय सतर्कता समिति ही गठित हैं, लेकिन उनका प्रशिक्षण नहीं होने के कारण क्रियाशील नहीं है। विजनटेक कंपनी की पीओएस मशीन अच्छा काम कर रही है। द्वार प्रदाय योजना के अंतर्गत सभी दुकानों में शतप्रतिशत अग्रिम उठाव हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। जिले में औसतन 14000 परिवार राशन लेने नहीं आ रहे है। इन परिवारों की जांच कराकर अपात्रों को सूची से हटाया जाना चाहिए। जिले में कुल 2440 पंचायतें है। 40 पंचायतों का छोड़कर शेष सभी में उचित मूल्य दुकान है, जो अच्छी स्थिति दर्शाती है। लेकिन जिले में 164 विक्रेताओं द्वारा दो–दो, तीन–तीन दुकान चलाने के कारण लगभग 300 दुकान सप्ताह में 6 दिन के बजाये दो–तीन दिन के लिए खुल रही है।

vk;kx }kjk fn, x, fun'k ,o l>ko

1. आयोग पुनः अनुशंसा करता है कि सूचीबद्ध पात्र परिवार में सदस्यों की मृत्यु, पलायन, विवाह एवं जन्म के मामलों में नाम एवं संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार जिला कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया जाए।

2. जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन प्रभारी मंत्रीजी के अनुमोदन से कराया जावे। विकासखण्ड स्तरीय निगरानी समितियों की बैठक आयोजित की जावे। आयोग ने नवीन

दुकानों में भी सतर्कता समितियां बनाई जाने, सदस्यों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कराने, समितियों को क्रियाशील करने के निर्देश दिया।

3. विक्रेताओं की नियुक्ति पर लगी रोक पर पुनर्विचार कर नियुक्ति के लिए यथोचित आदेश शीघ्र प्रसारित किया जाये।

4. औसतन प्रतिमाह 14500 परिवार राशन नहीं ले रहे हैं। इन परिवारों की जांच कर फर्जी परिवारों को पृथक किया जाए।

5. शासन द्वारा अपात्रों का भौतिक सत्यापन करने के लिए साफ्टवेयर बनाए जाने की जानकारी दी गई है। सर्वे कार्य के लिए निर्देश शीघ्र जारी किया जाए, जिससे कि प्रभावशाली अपात्र हितग्राहियों की पहचान और उन्हें सूची से पृथक करने का कार्य समय पर हो सके।

6. ग्राम पंचायत, गुजाला में हम्मालों को खाद्यान्न नहीं मिलना एवं तरूणोदय सहकारी समिति के सेल्समेन श्री रमेश नाग द्वारा हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी करने की शिकायत की जांच की जाकर, आयोग को पालन प्रतिवेदन भेजा जाए।

7. कुमारी शंकर, ग्राम रींछा के माता–पिता की मृत्यु रेल दुर्घटना में होने के बाद से परिवार का राशन कार्ड बन्द हो गया। बालिका मानसिक रूप से दिव्यांग है। माता–पिता की मृत्यु के बाद उसे राशन मिलना बन्द हो गया। आपूर्ति अधिकारी इस प्रकरण की तुरंत जांच करें एवं बालिका को राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर आयोग को पालन प्रतिवेदन भेजें।

¼c½ iwjd iks"k.k vkgkj dk;Øe

जनप्रतिनिधि ने कहा कि रुचिकर पूरक पोषण आहार स्थानीय सामग्री से बनाया जाना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को योजनाओं के निरीक्षण के अधिकार दिये जाना चाहिए। आंगनवाड़ी में विद्युत व्यवस्था होनी चाहिए। आंगनवाड़ी का किराया बढ़ाया जाए और उपलब्ध सरकारी जमीन पर आंगनवाड़ी भवन बनवाये जावें।

समीक्षा में पाया गया कि जिले में 88 गावों को छोड़कर शेष गांव में 1735 आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र हैं। पीने के पानी की व्यवस्था है। 1183 आंगनवाड़ी केन्द्र विद्युतविहीन हैं। 109 आंगनवाड़ी केद्र जर्जर भवन में लग रहे हैं, उन्हें सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने के निर्देश दिये गये। फिल्टर में लगे हुए टेरा कोटा के खराब कैण्डल को बदलने के निर्देश दिये गये। बच्चों, गर्भवती /धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को मिलाकर 138700 से ज्यादा हितग्राही पंजीकृत है। इनमें से 92 प्रतिशत हितग्राहियों को पोषण आहार मिल रहा है। गर्भवती/धात्री माताओं की संख्या लगभग 24333 है। औसतन 500 माताओं को छोड़कर शेष माताओं को टेक होम राशन मिल रहा है। जिले के 1580 आंगनवाड़ी केन्द्रों में नाश्ता एवं भोजन अलग–अलग समय पर दिया जा रहा है। 2120 अति कुपोषित बच्चे चिन्हित किए गए है। इनमें से अब तक 545 बच्चों को एनआरसी केन्द्रों में भेजा गया है। आंगनवाड़ी के बच्चों को उनकी रूचि के अनुसार ईलायची एवं चाकलेट फ्लेवर के पावडर से दूध बनाकर दिया जा रहा है। सभी 1735 आंगनवाड़ी केन्द्रो में भोजन के लिये थाली,

गिलास एवं चम्मच उपलब्ध है, जो बहुत अच्छी स्थिति दर्शाती है। दरी की व्यवस्था असंतोषजनक है। केवल 279 आंगनवाड़ी केन्द्रों में दरी/टाट–पट्टी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन की स्थिति संतोषजनक है।

vk;kx }kjk fn;s x;s funsZ'k ,oa lq>ko

1. आयोग ने कहा कि कुपोषण पर नियंत्रण पाने के लिए अति कुपोषित बच्चों को नाश्ते में उनकी रूचि के अनुसार अण्डा, दूध, केला या फल आदि दिया जाना चाहिए। नाश्ते में थूली देने की परिपाटी में परिवर्तन कर बच्चों को रूचिकर पौष्टिक सूखा नाश्ता, जैसे कि मूंगफल्ली/चने की चिक्की, फोर्टिफाईड मुरमुरा, लड्डू आदि देने की व्यवस्था की जाना चाहिए।

2. जिन वाटर फिल्टर के कैण्डल खराब हो गये हैं, उन्हें बदला जाये।

3. जिले के 39 ग्रामों में बांछड़ा समुदाय के परिवार निवासरत हैं। समुदाय की गर्भवती माताओं को प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ मिलने में कठिनाई आ रही है। योजना का लाभ पाने के लिए पति का आधार कार्ड की प्रति देना आवश्यक होता हैं, परन्तु सामाजिक कुप्रथा के चलते इन महिलाओं के पास पति का आधार नंबर उपलब्ध नहीं हो पाता है। अतः केवल माताओं के आधार कार्ड पर योजना का लाभ देने के लिए विशेष छूट दी जाए।

4. भानपुरा विकासखण्ड में 99 समूहों द्वारा बिना अनुबंध के पोषण आहार प्रदाय किए जाने की शिकायत की जांच कर आयोग को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाए।

5. एन.आर.सी. में भर्ती के मामले में पूर्व मापदण्ड को शिथिल किया गया है। आयोग ने मंदसौर एनआरसी के प्रभारी चिकित्सक एवं फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर को निर्देशित किया कि आंगनवाड़ी द्वारा भेजे गये अतिकुपोषित बच्चो को वापिस नहीं किया जावे एवं परिवर्तित मापदण्ड का पालन कर उन्हें भर्ती कराया जाए। बेड के पास या बेड के ऊपर माताओं को भोजन नहीं दिया जाये। कमरे के बाहर किसी सुविधाजनक स्थान पर माताओं के लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। लोहे के जंग लगे हुए पलंग को पेंट कराया जावे।

6. आंगनवाड़ी केन्द्र गुड़भेला के निरीक्षण में आयोग ने सुपरवाईजर एवं कार्यकर्ता को निर्देशित किया कि अति कुपोषित बच्चा को एन.आर.सी. में शीघ्र भर्ती करवायें। प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं, उन्हें टिफिन कैरियर से नाश्ता/भोजन पहुंचाने के लिए जनसहयोग लेने के लिए सुझाव दिया गया।

¼l½ e/;kUg Hkkstu

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोइयों का मानदेय मात्र रु. 2000.00 है, उसे बढ़ाया जाना चाहिए। मध्यान्ह भोजन में प्रदाय किये जा रहे नाश्ता एवं भोजन की गुणवत्ता में सुधार किया जावे। बीईओ श्री राकेश विश्वकर्मा ने लाकाखेड़ी स्कूल का भोजन राशि निकाल लिए जाने के कारण उस विद्यालय का मध्यान्ह भोजन प्रभावित हुआ है। इसकी जांच कराई जाए।

जिले में 1849 प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं जिनमें लगभग 65 प्रतिशत छात्र उपस्थित रहते हैं, जिन्हें मध्यान्ह भोजन मिल रहा हैं। समय पर एवं मीनू अनुसार भोजन नहीं देने के कारण पिछले चार माह में 10 समूहों के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलन में है। किचन शेड की स्थिति अच्छी है। 1849 विद्यालयों में से केवल 54 विद्यालय परिसर में किचन शेड नहीं हैं। ईंधन के लिए रसोई गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने की स्थिति भी अच्छी है। सभी विद्यालयों में गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। पीने के पानी की व्यवस्था सभी 1849 विद्यालयों में हैं। प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को सप्ताह में तीन दिन दूध वितरण करने की योजना निरन्तर चल रही है और सप्लाई में कोई बाधा नहीं है। प्रतिमाह औसतन 45 निर्धन एवं बेसहारा लोग मध्यान्ह भोजन का लाभ ले रहे हैं। जिला स्तरीय एवं विकासखण्ड स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन हुआ है लेकिन मात्र एक बैठक हुई है।

vk;kx }kjk fn, x, funs'k ,oa lq>ko

1. जनप्रतिनिधियों द्वारा भोजन की गुणवत्ता सही नहीं होने और कुछ गांव में किचन शेड के पास गंदगी एवं गोबर आदि का ढेर लगने के कारण दूषित वातावरण में भोजन बनाने की शिकायत की गई है, शिकायत की जांच कर निराकरण किया जावे।
2. जिले के अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को भी अपने दौरे के समय मध्यान्ह भोजन का निरीक्षण करने के लिए कलेक्टर द्वारा जवाबदारी दी जाए।
3. पंचायत एवं वार्ड स्तर पर उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति का पुर्नगठन एवं प्रशिक्षण शीघ्र आयोजित किए जाने की आवश्यकता है।
4. आयोग ने सुझाव दिया कि विकासखण्ड स्तर पर कम से कम दो माह में एक बार समूह के प्रतिनिधि को बुलाकर उनकी समस्या सुन ली जाये।
5. जिले के खाद्य एवं औषधि निरीक्षक के माध्यम से भोजन की गुणवत्ता की जांच समय–समय पर करायें।
6. प्राथमिक, माध्यमिक शाला गुड़भेला के निरीक्षण में आयोग द्वारा समझाईश दी गयी कि वे एगमार्क मसाले एवं पेक्ड तेल का उपयोग किया जाए। आयोग ने सी.ई.ओ. जिला पंचायत एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास को कहा कि वे जिले के सभी समूहों को एगमार्क मसाला एवं पेक्ड तेल इस्तेमाल करने के लिए निर्देशित किया जाए।

21. जिला – निवाड़ी

आयोग के मा. सदस्य द्वारा दिनांक 14 एवं 15.11..2019 को निवाड़ी जिले का भ्रमण किया गया। दिनांक 14.11.19 को जिला मुख्यालय पर योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। दिनांक 15.11.19 को ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण कर कार्यक्रमों का निरीक्षण किया गया। योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति एवं आयोग द्वारा दिए सुझाव निम्नानुसार है :–

¼v½ yf{kr lkoZtfud forj.k iz.kkyh

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि उपभोक्ताओं के आधार कार्ड लिंक न होने से आधार सत्यापन से खाद्यान्न प्राप्त करने में समस्या उत्पन्न होती है। अपात्र परिवारों को विलोपित किया जाकर नवीन पात्र परिवारों को जोड़ा जावे। सर्वर डाउन रहने, नेटवर्क नहीं मिलने एवं अंगूठा निशानी नहीं लगने की समस्याओं के कारण उपभोक्ताओं को बार–बार दुकान के चक्कर लगाना पड़ रहा है। सतर्कता समितियों का गठन, बैंठक एवं प्रशिक्षण नहीं होने से दुकानों का नियमित निरीक्षण एवं स्थानीय स्तर पर हितग्राहियों के शिकायत का निराकरण होने में विलम्ब हो रहा है। इश्यू सेंटर से दिये जा रहे गेहूँ, चावल, नमक एवं शक्कर के नमूने का मौके पर एनालिसिस कराया गया गुणवत्ता सही पाई गई, चावल की गुणवत्ता में सुधार हेतु निर्देशित किया गया।

vk;ksx }kjk fn;s x;s funsZ'k ,oa lq>ko

1. हितग्राहियों की जांच/सत्यापन कराकर अपात्रों को हटाकर पात्र हितग्राहियों को पर्ची जारी की जावे।
2. सर्वर एवं अंगूठे की समस्या आने पर राशन पंजी से वितरण किया जाये। तकनीकी समस्या के कारण हितग्राही को बार–बार राशन के लिए नहीं बुलाया जाये।
3. दूरस्थ गांव के वृद्ध, बीमार एवं दिव्यांग हितग्राही, जिन्हें राशन दुकान तक आने में कठिनाई जाती है, उनको नॉमिनी बनाकर, नॉमिनी के माध्यम से राशन देने के नियम के बारे में ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार–प्रसार किया जाये।
4. सतर्कता समितियों का शीघ्र पुर्नगठन एवं समितियों की नियमित बैठक आयोजित करना सुनिश्चित की जावे। समिति के सदस्यों को उनके कर्तव्य, अधिकारों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाये। प्रत्येक दुकान पर सदस्यों के नाम एवं मोबाईल नम्बर की सूची प्रदर्शित की जाये।
5. नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा समिति के सदस्यों को अनाज प्रदाय की जानकारी एसएमएस से दी जावे।
6. खाद्यान्न प्राप्त करने वाले स्व सहायता समूहों के नाम की जानकारी दुकान की दीवार पर प्रदर्शित की जावे। पात्र हितग्राहियों के नाम हिन्दी अक्षर में बड़े फोण्ट में दुकानों में प्रदर्शित किया जाये।

¼c½ ijd iks"k.k vkgkj dk;Øe

आंगनवाड़ी निरीक्षण के समय 30 से 40 प्रतिशत बच्चे उपस्थित होना पाया गया। गढ़ी में स्थित आंगनवाडी भवन में पंखा एवं एलईडी लाईट लगवाने हेतु सरपंच को सुझाव दिया गया। निरीक्षण दिनांक को समूह द्वारा आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए दोपहर के भोजन में आलू की सब्जी व रोटी बनाया जाना पाया गया। भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई। वनभूमि होने के कारण विभाग द्वारा अवरोध के कारण रसोई घर का निर्माण नहीं होना पाया गया। प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजनांतर्गत सभी हितग्राहियों की ऑनलाईन पंजीयन होना पाया गया। पात्रता अनुसार समस्त गर्भवती माताओं को लाभान्वित करने के प्रयास किये गये हैं।

vk;kx }kjk fn;s x;s funs'k ,o l>ko

1. नाश्ता एवं भोजन एक साथ न दिया जाये। स्व सहायता समूहों को इसके संबंध में सख्त निर्देश दिये जाये। चेतावनी एवं समझाईश के बाद भी जिन समूहों द्वारा नियम से हटकर नाश्ता एवं भोजन एक साथ देना पाया जाता है, उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाये। ऐसे समूहों को कार्य से पृथक कर अन्य समूहों को कार्यादेश दिया जाये।
2. बच्चों को थूली के बजाय पौष्टिक सूखा नाश्ता प्रदाय करने का प्रबंध किया जाये।
3. कुपोषण निवारण अधिक प्रभावी ढंग से किया जावे।
4. आयोग द्वारा निर्देश दिये गये कि पौष्टिक आहार बनाने की रेसिपी की सूची विशेषज्ञों से चर्चा कर बनाई जावे। सभी गर्भवती एवं धात्री माताओं को इसकी जानकारी दी जावे, ताकि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की राशि का सदुपयोग हो सके।

¼l½ e/;kUg Hkkstu ;kstuk

गढ़ी गांव में मध्यान्ह भोजन का निरीक्षण किया गया। भोजन वितरण के पूर्व शिक्षक द्वारा भोजन चखा जाता है, निरीक्षण दिनांक को समूह द्वारा बनाकर लाये गये आलू सब्जी व रोटी का अवलोकन किया, भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई। शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला बारहो बुजुर्ग का निरीक्षण किया गया। छात्रों से भोजन मिलने के बारे में पूछताछ की गई। विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें प्रतिदिन भोजन प्राप्त होता है। स्कूल में एमडीएम का सेम्पल दिन भर के लिए सुरक्षित रखा जाता है। रसोई में बन रहे भोजन को देखा गया एवं चखा गया। पाया गया कि समूह द्वारा मीनू के अनुसार भोजन नहीं बनाया जा रहा है। निरीक्षण के दिनांक को दोपहर के भोजन में आलू एवं छोले की सब्जी, मूंग दाल एवं रोटी दिया जाना तय था, जबकि समूह के द्वारा केवल आलू की सब्जी एवं रोटी बनाई गई थी। समूह द्वारा ठीक से कार्य नहीं किया जाना पाया गया। विद्यालय में दर्ज 130 छात्रों के विरूद्ध केवल 20 छात्र उपस्थित पाये गये बाकी सभी बच्चे पृथ्वीपुर के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना बताये गये।

vk;kx }kjk fn;s x;s funs'k ,o lq>ko

1. किचन शेड में रसोई गैस उपलब्ध कराई जाए। सिलेण्डर की नियमित रिफिलिंग के लिए जिला आपूर्ति अधिकारी के सहयोग से आवश्यक प्रबंध किया जावे।
2. विकास खण्ड स्तर पर 2 माह में एक बार स्व सहायता समूह के साथ बैठक की जाकर उनकी समस्याऐं सुलझाई जावे।
3. सतर्कता समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण शीघ्र कराया जाना आवश्यक है।
4. वर्ष में कम से कम 2 बार विद्यालयों में हाथ धुलाई कार्यक्रम आयोजित किया जावे एवं स्वच्छता की जानकारी दी जाए। प्रत्येक स्कूल में हाथ धोने के लिए तौलिया, बाल्टी एवं साबुन की व्यवस्था की जाए।

22. जिला – छिंदवाड़ा

आयोग द्वारा दिनांक 26–27.11.2019 को छिंदवाड़ा जिले का भ्रमण किया गया। कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करने के अतिरिक्त जनप्रतिनिधियों एवं हितग्राहियों से चर्चा की गई। आंगनवाड़ी, उ.मू.दुकान एवं विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का निरीक्षण किया गया। चौरई तहसील में जनसुनवाई शिविर का भी आयोजन किया गया। योजनाओं की स्थिति निम्नानुसार पाई गईः–

¼v½ yf{kr lkoZtfud forj.k iz.kkyh

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि जिनका नाम सूची में हैं, उन्हें राशन मिल रहा है। लेकिन अपात्र लोगों के नाम विलोपित कर, पात्र व्यक्तियों के नाम सूची में जोड़े जाएं। एस.सी./एस.टी. के कई परिवारों के नाम सूची से छूट गए हैं, उन्हें जोड़ा जाए। पांढुर्ना क्षेत्र के 15–20 ऐसे दूरस्थ गांव हैं, जो जंगल एवं पहाड़ी क्षेत्र में बसे हैं, वहां पर नेटवर्क की समस्या होने से लोगों को खाद्यान्न समय पर प्राप्त नहीं हो पाता है। जुन्नारदेव ब्लाक की राशन की दुकानों में चने का प्रदाय नहीं हो रहा है।

समीक्षा में पाया गया कि जिले की ग्रामीण जनसंख्या का कवरेज 75 प्रतिशत और शहरी जनसंख्या का कवरेज केवल 44 प्रतिशत है। 40791 परिवारों को अन्त्योदय अन्न योजना का लाभ दिया जा रहा है, जोकि जिले की कुल परिवारों की संख्या का 9.05 प्रतिशत है, जोकि साधनहीन परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में अच्छी स्थिति दर्शाती है। जिले में अ.जाति/अ.ज.जाति परिवारों में से 89 प्रतिशत परिवारों को योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक केवल 2339 अपात्र परिवारों को सूची से हटाया गया है। इस अवधि में केवल 1531 नये पात्र परिवारों के नाम जोड़े गये हैं। जिले में अभी भी सत्यापित किन्तु अलाभान्वित परिवारों की संख्या 6312 है। जिला स्तरीय सतर्कता समिति के अध्यक्ष का नामांकन होना शेष है, लेकिन कलेक्टर की अध्यक्षता में समीक्षा की जा रही है, जो अच्छी बात है। 11 विकास खण्डों में से 8 विकास खण्डों में खण्ड स्तरीय समिति का गठन हुआ है और वहां पर बैठकें हुई हैं। । जिले में पीओएस मशीन की स्थिति अच्छी है। द्वार प्रदाय योजना के अंतर्गत सभी दुकानों में शतप्रतिशत अग्रिम उठाव हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। 645 ग्राम पंचायतों में से 189 ग्राम पंचायत में (लगभग 30 प्रतिशत) उ.मू.दु. स्थापित नहीं है। दो से अधिक दुकान संचालित करने वाले विक्रेताओं की संख्या 106 हैं। कुल 485 उ.मू.दु. में से ऐसे विक्रेताओं के पास 260 दुकानों के संचालन का भार हैं। नोडल अधिकारी एवं जिला शिकायत निवारण अधिकारी के कार्यालय में मात्र एक शिकायत दर्ज हुई है। शिकायत निवारण के मामले में और अधिक गंभीरता बरतने की आवश्यकता है।

vk;ksx }kjk fn, x, funsZ'k ,oa lq>ko

1. सभी पंचायतों में उ.मू.दु. नहीं होने, एक विक्रेता के पास कई दुकानों का दायित्व होने, ग्रामीण एवं पहाड़ी क्षेत्र में सर्वर डाउन रहने एवं नामिनी बनाने के बारे में फिलहाल सभी को जानकारी नहीं होने आदि के कारणों के चलते हितग्राहियों को राशन लेने में अधिक समय

लग रहा है। ऐसे में अंतिम उपाय के रूप में रजिस्टर से सामग्री वितरण करने की प्रक्रिया को जारी रखा जावे, ताकि हितग्राही राशन से वंचित ना रहे और उसे बार–बार दुकान का चक्कर ना लगाना पड़े।

2. अपात्र परिवारों को सूची से पृथक करने के लिए पिछले तीन वर्षों में कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं। छिंदवाड़ा में 6300 से अधिक पात्र परिवार राशन के लिए प्रतीक्षारत हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छूटे हुए शेष पात्र परिवारों को लाभ दिया जाना है। यह तभी संभव हो पाएगा, जब अपात्रों को सूची से हटाया जाए । इसलिये अपात्रों की जांच कर उन्हें हटाने का कार्य कलेक्टर की अगुवाई में अगले दो माह में पूरा किया जाए।

3. परिवारों के सदस्यों की मृत्यु, पलायन, विवाह एवं जन्म आदि के मामलों में राशन कार्ड में नाम एवं संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार जिला कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया जाए।

4. जिला स्तरीय सतर्कता समिति के अध्यक्ष का मनोनयन नहीं होने के कारण कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति की बैठक आयोजित हो रही है, जोकि अच्छी बात है। फिर भी आयोग का सुझाव है कि माननीय प्रभारी मंत्रीजी का अनुमोदन प्राप्त कर विधिवत जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन आगामी एक माह के भीतर किया जावे।

5. आगामी दो माह के भीतर उ.मू.दुकान स्तरीय समितियों को शासन की मंशा के अनुरुप क्रियाशील बनाया जाए, ताकि आम उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण दुकान/आंगनवाड़ी/विद्यालय स्तर पर हो सके। उ.मू.दु. स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के सदस्यों के नाम एवं मोबाईल नम्बर क्रमशः उ.मू.दु., शाला भवन एवं आंगनवाड़ी भवन के बाहर लिखा जाये। समिति को हर माह एसएमएस के जरिये अग्रिम उठाव की जानकारी दी जाये, जिससे कि वे सक्षमता के साथ उ.मू.दुकान का निरीक्षण कर सकें।

6. नियुक्ति पर लगे प्रतिबंध को हटाकर प्रत्येक दुकान के लिए स्वतंत्र विक्रेता नियुक्त करने का उचित आदेश शीघ्र जारी किया जाये, ताकि सभी दुकानें सप्ताह में 6 दिन खुली रह सके।

7. 200 कार्ड तक की उ.मू. दुकान के विक्रेताओं का मानदेय रु. 2400.00 प्रतिमाह निर्धारित है। नवीन दुकान के लिए भवन का किराया, अनाज के लिए डिपाजिट, तुलावटी का पारिश्रमिक आदि की भरपाई रु.2400.00 से होना संभव नहीं है। ऐसी दुकानों के लिए महिला स्व सहायता समूहों को कम से कम रु. 6000.00 का मानदेय देने के लिए शासन स्तर से विचार किया जावे।

8. आयोग ने कहा कि पिछले 4 माह में प्रतिमाह औसतन 3500 परिवार राशन नहीं ले रहे हैं। इन परिवारों की जांच कर फर्जी एवं अपात्र परिवारों का नाम विलोपित किया जाये।

9. कुछ आश्रित गांव, पंचायत मुख्यालय की दुकान से 5 किलोमीटर या उससे भी अधिक दूरी पर स्थित है। ऐसे गांव में रहने वाले वृद्ध, दिव्यांग एवं साधनहीन हितग्राहियों को राशन लेने के

लिए कठिनाई होती है। शासन द्वारा इस समस्या के निराकरण के लिए पोर्टेबल राशन कार्ड की व्यवस्था किया गया है। इस योजना के बारे में निगरानी समिति के सदस्यों एवं विक्रेताओं को प्रशिक्षण के समय जानकारी दी जावे एवं हर पंचायत में इसका प्रचार–प्रसार किया जावे।

10. पारदर्शिता के लिए अनाज प्राप्त करने वाले स्व सहायता समूह का नाम भी उ.मू.दु. की दीवार पर लिखा जाना चाहिए। हितग्राहियों के नाम हिंदी में बड़े फोण्ट में दुकान के भीतर प्रदर्शित किया जाये।

11. आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया कि राशन दुकान में अनाज भेजने के पूर्व स्टेक में रखे गए अनाज के सेम्पल का एनालिसिस किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि वह एफ.ए.क्यू. स्तर का है। एनालिसिस रिपोर्ट का पंचनामा बनाकर उस पर आपूर्ति अधिकारी, नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी तथा गोदाम प्रभारी के हस्ताक्षर प्राप्त किए जाए।

¼c½ iqjd ik"k.k vkgkj dk;Øe

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मीनू के अनुसार भोजन बनाया जाए। बच्चों के लिए भोजन को रूचिकर बनाने के लिए मीनू में कुछ परिवर्तन कर बच्चों को सूखा एवं अच्छा नाश्ता दिया जाना चाहिए। जिले के छिंदवाड़ा विकासखण्ड से इसकी पहल की जाए और सूखा एवं पौष्टिक नाश्ता और भोजन के मामले में छिंदवाड़ा को मॉडल के रूप में विकसित किया जाए।

आंगनवाड़ी के कवरेज की स्थिति अच्छी है। 21 गांव को छोड़कर शेष सभी गांव में आंगनवाड़ी केन्द्र अथवा मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र है। 2134 आंगनवाड़ी केन्द्रों में मात्र 15 आंगनवाड़ी केन्द्र को छोड़कर शेष लगभग 2119 केन्द्रों में विद्युत व्यवस्था नहीं है। बिजली बिल के भुगतान का प्रावधान नहीं होने के कारण जिन कुछेक केन्द्रों में आंतरिक बिजली फिटिंग की गई है, उनमें भी बिजली प्रदाय नहीं की गई है। सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में पीने के पानी की व्यवस्था है। 48 आंगनवाड़ी भवन जर्जर हैं, जहां पर नवीन आंगनवाड़ी भवन बनाने की आवश्यकता है। बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं को मिलाकर 1,42,000 से अधिक हितग्राही पंजीकृत हैं। इसके विरूद्ध प्रतिमाह औसतन 1,17,000 हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार मिल रहा है। आंगनवाड़ी केन्द्रों में 3–6 वर्ष के बच्चों की उपस्थिति अन्य जिलों की तुलना में बेहतर है। औसतन 70 प्रतिशत बच्चे उपस्थित रहते हैं। टेक होम राशन वितरण की स्थिति भी अच्छी है। टेक होम राशन के लिए चिन्हित 82750 हितग्राहियों के विरूद्ध औसतन 82500 से ज्यादा हितग्राही नियमित रूप से टेक होम राशन प्राप्त कर रहे हैं। नाश्ता एवं भोजन अलग–अलग समय पर देने के मामले में और ध्यान देने की आवश्यकता है। 2134 केन्द्रों में से केवल 1700 केन्द्रों में (79 प्रतिशत) नाश्ता और भोजन अलग–अलग समय पर दिया जा रहा है। 159 समूहों के विरूद्ध एक साथ नाश्ता और भोजन देने के कारण कार्यवाही की गई, जो प्रभावी निरीक्षण होना दर्शाता है। 16687 बच्चे मध्यम श्रेणी एवं 1441 बच्चे अति कुपोषित श्रेणी में पाए गए है। अक्टूबर माह तक 1069 बच्चों को एन.आर.सी. में भर्ती कराया गया। इनमें से 1015 बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार परिलक्षित हुआ है, जोकि अच्छी स्थिति दर्शाती है। प्रत्येक

आंगनवाड़ी केन्द्र में दो–दो शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को टेक होम राशन देने की व्यवस्था की गई है। किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण रजिस्टर सभी आंगनवाड़ियों में संधारित किया गया है। शतप्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्रों में उदिता कार्नर स्थापित है, जोकि अच्छी स्थिति दर्शाती है।

आयोग द्वारा एनआरसी के किचन का निरीक्षण किया गया। लता सांवले कुक तथा सरिता सांकरे केअरटेकर का काम करती है। किचन में रखे फ्रीज में दूध के साथ स्पेशल फीड पावडर तथा फल रखे गए थे। प्रति बच्चे को 130 एम.एल. दूध दिया जाता है। किचन में आर.ओ. लगा हुआ था एवं परिवेश साफ–सुथरा था।

vk;kx }kjk fn;s x;s lq>ko

1. जिले में अति कुपोषित बच्चों की संख्या केवल 1500 है, लेकिन 16000 से अधिक बच्चे मध्यम दर्जे के कुपोषण से ग्रसित हैं । यदि मध्यम दर्जे के कुपोषित बच्चों के उपचार पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो वे भी अति कुपोषित की श्रेणी में आ जायेंगे। आयोग अनुशंसा करता है कि कुपोषण पर नियंत्रण पाने के लिए कुपोषित बच्चों को नाश्ते में अण्डा, दूध, केला या फल आदि दिया जाए। शेष सभी बच्चों के लिए नाश्ते में रूचिकर पौष्टिक सूखा नाश्ता, जैसे कि मूंगफली / चने की चिक्की, फोर्टिफाईड मुरमुरा, लड्डू आदि देने की व्यवस्था की जाए। अति कुपोषित एव मध्यम कुपोषित बच्चों के नाम के सामने क्रमशः लाल एवं पीले रंग की स्माईली बनाकर माताओं को बच्चों की सेहत के बारे में जानकारी एवं परामर्श दिया जाए।

2. आयोग का सुझाव है कि जिन गांवों में आंगनवाड़ी नहीं हैं, वहां पर नवीन आंगनवाड़ी खोलने का प्रस्ताव शासन को भेजा जावे। साथ ही पर्यवेक्षक एवं सी.डी.पी.ओ. का सही उपयोग कर एवं जनप्रतिनिधियों के साथ उचित समन्वय स्थापित कर बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाई जाए ।

3. अति कुपोषित बच्चों को जनप्रतिनिधि एवं शासकीय अधिकारियों के द्वारा गोद लेने के लिए प्रयास को गति दी जावे। जिला कलेक्टर इस दिशा में नेतृत्व प्रदान करें।

4. आयोग की अनुशंसा है कि फालोअप के लिए माताओं को मजदूरी एवं परिवहन की राशि देने की सुविधायें पूर्ववत जारी रखी जाये।

5. दोपहर का बचा हुआ भोजन के स्थान पर अति कुपोषित बच्चों को पौष्टिक नाश्ता / गर्म भोजन थर्ड मील के रुप में देने की व्यवस्था किया जाए। मापदण्ड में आंशिक वृद्धि कर उसे प्रति बच्चा रु. 4.00 के स्थान पर रु. 6.00 कर देने से अति कुपोषित बच्चों को पर्याप्त प्रोटिन एवं कैलोरीयुक्त पौष्टिक गर्म भोजन थर्ड मील के रूप में प्रदाय किया जा सकता है।

6. बिना समय गंवाये पंचायत स्तरीय निगरानी समिति का पुर्नगठन कर लिया जाए एवं सदस्यों का प्रशिक्षण आगामी दो सप्ताह के भीतर पूर्ण किया जाए। इन समितियों के द्वारा निरीक्षण किए जाने से भोजन की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद मिलेगी।

¼l½ e/;kUg Hkkstu dk;Øe

जन प्रतिनिधियों ने कहा कि मध्यान्ह भोजन का कार्य ठीक चल रहा है, भोजन अच्छा बन रहा है। मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता में और सुधार किये जाने की आवश्यकता है। प्रति विद्यार्थी को जो राशि दी जा रही है, उसमें सब्जी और पर्याप्त मात्रा में दाल देना संभव नहीं हो पा रहा है। समूहों को मांग के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो रहा है। यह समस्या अधिकांश क्षेत्रों में है। रसोईयों का मानदेय बढ़ाया जावे। शालाओं के रसोईयों को प्रतिमाह रुपये 2000.00 तथा आंगनवाड़ी का रुपये 500.00 प्राप्त होता है। इसकी जगह पर सभी रसोईयों को माह में रुपये 4000.00 दिया जाये।

समीक्षा में पाया गया कि जिले के समस्त 2905 प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालित हैं। विद्यालयों में 63–65 प्रतिशत विद्यार्थी उपस्थित रहते हैं, जिन्हें मध्यान्ह भोजन मिलता है। रसोईयों की संख्या पर्याप्त है। पिछले चार माह में अनियमितता आदि के कारण केवल 05 समूहों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। जिले में लगभग 190 ऐसे विद्यालय हैं, जहां पर 65 प्रतिशत से ज्यादा विद्यार्थी उपस्थित हो रहे हैं।

इन विद्यालयों के लिए आवंटन में अनुपातिक वृद्धि कर दी गई है, जिसके कारण भोजन देने में कोई कठिनाई नहीं है। किचन शेड की स्थिति अच्छी है। मात्र 25 विद्यालय परिसर में किचन शेड नहीं हैं। ईंधन के लिए रसोई गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने की स्थिति भी अच्छी है। 2905 विद्यालयों के लिए 2856 किचन शेड/अतिरिक्त कक्ष में भोजन बनाया जा रहा है। इन समस्त 2856 किचन में गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। रिफिलिंग भी नियमित रूप से की जा रही है। पीने के पानी की व्यवस्था सभी विद्यालयों में हैं।

प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को सप्ताह में तीन दिन दूध वितरण करने की योजना निरन्तर चल रही है और दूध पावडर की सप्लाई में कोई बाधा नहीं है। पिछले चार माह में कुल 1108 निर्धन एवं बेसहारा लोगों को मध्यान्ह भोजन का लाभ मिला हैं, जो अच्छी स्थिति दर्शाती है। जिला स्तरीय एवं विकासखण्ड स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन हुआ है। पिछले चार माह में जिला स्तरीय समिति की मात्र एक बैठक एव पांच विकासखण्ड स्तरीय समितियों की 16 बैठकें आयोजित की गई। यह स्थिति अच्छी है। लेकिन पंचायत स्तरीय निगरानी समितियों का पुर्नगठन नहीं हुआ है और ना ही सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

vk;kx }kjk fn, x, fun'k ,o l>ko

1. हर्रई जैसे विकासखण्ड में कुछ स्व सहायता समूहों द्वारा मीनू के अनुसार भोजन नहीं बनाने आदि शिकायत जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा की गई है। शिकायत की जांच सी.ई.ओ. जिला पंचायत द्वारा की जाए एवं दोषी पाए जाने पर अन्य समूह को नियमानुसार कार्य आवंटन किया जाए।

2. अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की सतत् निगरानी से ही भोजन की गुणवत्ता में सुधार आ

सकता है। योजना की देखरेख के लिए विभाग के पास नाममात्र का स्टॉफ है, इसलिये यह आवश्यक है कि अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को भी मध्यान्ह भोजन का निरीक्षण के लिए कलेक्टर द्वारा जवाबदारी दी जाए।

3. मध्यान्ह भोजन एवं सांझा चूल्हा के लिए उचित मूल्य दुकान में उपलब्ध अनाज में से सबसे अच्छे अनाज देने की व्यवस्था की जाए।

4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान का पालन करते हुए, जिले में शिकायत निवारण प्रक्रिया को व्यवस्थित करने एवं आम जनता से प्राप्त शिकायत का समाधानकारक निराकरण के लिए शिकायत निवारण तंत्र को गति प्रदान किया जाए।

23. जिला- सिवनी

आयोग द्वारा दिनांक 28–29.11.2019 को सिवनी जिले का भ्रमण किया गया। दिनांक 28.11.19 को जिला मुख्यालय पर योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया। समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों से विभागीय स्तर पर किए जा रहे कार्य की जानकारी/फीडबैक प्राप्त किया। दिनांक 29.11.19 को कार्यक्रमों का निरीक्षण किया गया। जिले की कुरई विकासखण्ड में जनसुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। स्थिति निम्नानुसार पाई गईः–

¼v½ yf{kr lkoltfud forj.k i.kkyh

जनप्रतिनिधियों की मुख्य शिकायत यह है कि पात्र व्यक्तियों की राशन पर्ची नहीं निकल रही है। कई अपात्र परिवार सूची में अपना नाम जुड़वाकर फायदा ले रहे हैं। उन्हें हटाने की कार्यवाही की जाना चाहिए। पहाड़ी एवं जंगल क्षेत्र में नेटवर्क नहीं रहता है। सर्वर अक्सर डाउन रहता है, इसलिये लोगों को कई बार दुकान में आना पड़ता है। एक विक्रेता के पास कई–कई दुकानों का जिम्मा होने के कारण ऐसी दुकान सप्ताह में छः दिन नहीं खुल रही है। हर पंचायत में राशन दुकान नहीं होने से हितग्राहियों को राशन लेने के लिए लम्बी दूरी तय करना पड़ रहा है।

समीक्षा में पाया गया कि जिले की ग्रामीण जनसंख्या का कवरेज 75 प्रतिशत और शहरी जनसंख्या का कवरेज केवल 44 प्रतिशत है। यह संख्या भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से कम होने के कारण छूटे हुए पात्र व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है। 40700 से भी अधिक परिवारों को अन्त्योदय अन्न योजना का लाभ दिया जा रहा है, जो जिले के कुल परिवारों का 12 प्रतिशत है। जिले में अ.जाति/अ.ज.जाति परिवारों में से 87 प्रतिशत परिवारों को योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक केवल 2339 अपात्र परिवारों को सूची से हटाया गया है, जो दर्शाता है कि अपात्रों को निकालने के लिए ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं। 6300 से ज्यादा सत्यापित गरीब परिवार राशन की सूची से बाहर है। जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति का गठन हाल ही में हुआ है। विकासखण्ड स्तरीय समितियों का गठन हुआ है और पिछले छः माह में आठ विकासखण्डों में चौदह बैठकें आयोजित हुई हैं। यह प्रशंसनीय है। उ.मू.दु. स्तरीय निगरानी एवं सतर्कता समिति के पुर्नगठन की स्थिति असंतोषजनक है। पी.ओ.एस. मशीन की स्थिति अच्छी है। द्वार प्रदाय योजना के अंतर्गत सभी दुकानों में शतप्रतिशत अग्रिम उठाव हो रहा है, जो कि प्रशंसनीय है। पिछले चार माह के दौरान प्रतिमाह औसतन 3000 से ज्यादा परिवार राशन लेने नहीं आ रहे है। 645 ग्राम पंचायतों में से 189 ग्राम पंचायत (लगभग 30 प्रतिशत) में उ.मू.दु. नहीं है। यह स्थिति अच्छी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के 456 दुकानों में से 260 दुकानों (57 प्रतिशत) का प्रभार केवल 106 विक्रेताओं के पास है। इस प्रकार से 57 प्रतिशत दुकान सप्ताह में निरन्तर छः दिन के बजाये दो या तीन दिन खुल रही हैं।

vk;kx }kjk fn, x, fun'k ,o l>ko

1. आयोग ने कहा कि सर्वर डाउन रहने की स्थिति में जब बायोमैट्रिक सत्यापन संभव नहीं हो पाता है, उस स्थिति में आधार/समग्र आई.डी. के आधार पर रजिस्टर से राशन वितरण किया

जाए। शासन के स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी ऐसा नहीं करने वाले कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवाही की जाए, ताकि राशन वितरण व्यवस्था में सुधार आ सके।

2. सिवनी में 6300 से अधिक पात्र परिवार राशन के लिए प्रतीक्षारत हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छूटे हुए शेष पात्र परिवारों को लाभ दिया जाना है। इसलिये अपात्रों की जांच कर उन्हें सूची से हटाने का कार्य कलेक्टर की नेतृत्व में अगले दो माह में पूरा किया जाए।

3. खाद्य विभाग के आदेश दिनांक 18 फरवरी, 2018 अनुसार पंचायत/वार्ड स्तरीय एकीकृत निगरानी एवं सतर्कता समितिओं का प्राथमिकता के आधार पर पुनर्गठित किया जाए। सतर्कता समिति के सदस्यों के लिए जनपद एवं नगरपालिका स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित कराया जाए।

4. सिवनी के ग्रामीण क्षेत्र में 456 उ.मू.दु. दुकान हैं। इनमें से 260 दुकानों का संचालन 106 विक्रेता कर रहे हैं। सहकारिता विभाग से अनुरोध है कि विक्रेताओं की नियुक्ति पर लगे प्रतिबंध को शिथिल कर नियुक्ति की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ किया जाये।

5. 200 कार्ड वाली नवीन दुकान के लिए भवन का किराया, अनाज के लिए डिपाजिट, तुलावटी का पारिश्रमिक आदि की भरपाई रु. 2400.00 से होना संभव नहीं है। ऐसी दुकानों को कम से कम रु. 6000.00 का मानदेय देने के लिए शासन स्तर से विचार किया जावे।

6. जिले में प्रतिमाह औसतन 3000 परिवार राशन लेने नहीं आ रहे हैं। इन परिवारों की जांच कर फर्जी एवं अपात्र परिवारों का नाम विलोपित किया जाये, ताकि पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़ने के लिए स्थान उपलब्ध हो सके।

7. कुछ आश्रित गांव, पंचायत मुख्यालय की दुकान से 5 किलोमीटर या उससे भी अधिक दूरी पर स्थित है। ऐसे गांव में रहने वाले वृद्ध, दिव्यांग एवं साधनहीन हितग्राहियों को राशन लेने के लिए कठिनाई जा रही है। ऐसे हितग्राहियों को राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी के बारे में निर्देश का उपयोग कर नजदीक की दुकानों से राशन वितरण किया जाए। नवीन प्रावधान का आदिवासी बाहुल्य पंचायतों में ज्यादा प्रचार–प्रसार किया जाए।

8. दुकानविहीन 189 पंचायतों में दुकान आवंटन के लिए 175 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अतः इनका परीक्षण कर नियमानुसार दुकानों का आवंटन किया जाए, ताकि अधिक से अधिक हितग्राहियों को पंचायत मुख्यालय पर राशन मिल सके।

9. कोहका मानेगांव में चार माह से राशन वितरण नहीं होने की गंभीर शिकायत सरपंच द्वारा की गई है। शिकायत की जांच कर ग्रामीणों को राशन दिलाया जाये। साथ ही, शिकायत सही पाए जाने पर राशन वितरण नहीं करने के लिए दोषी व्यक्ति से खाद्य सुरक्षा भत्ता की वसूली की जाए।

10. नागरिक आपूर्ति निगम में अनुबंधित अनाज परिवहन करने वाले वाहनों पर जी.पी.एस. लगाया जावे।

¼c½ iqjd iks"k.k vkgkj dk;Øe

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि आंगनवाड़ी भवन में पर्याप्त जगह नहीं होने से बच्चे ठीक से बैठ नहीं पा रहे हैं। भोजन की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। आदिवासी आश्रम शाला, कुरई में अनाज प्राप्त नहीं हो रहा है। सिवनी शहर के वार्ड क्र. 18 की आंगनवाड़ी का संचालन ठीक से नहीं हो रहा है। यहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कभी नहीं आती है। सहायिका के भरोसे आंगनवाड़ी चल रही है। शहर के कई वार्ड में आंगनवाड़ियों के स्वयं के भवन नहीं होने से वे किराये के मकान में चल रही है। अतः उनके लिए शासकीय भवन नजूल क्षेत्र में बनाए जाए। आंगनवाड़ी के रसोइयों को रु. 500/– पारिश्रमिक मिल रहा है, जिससे वे ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। पारिश्रमिक बढ़ाया जाए।

समीक्षा में पाया गया कि सिवनी जिले के केवल 21 गांव को छोड़कर शेष गांव में आंगनवाड़ी केन्द्र है। कुल आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या 2134 हैं। इनमें से 48 केन्द्रों के भवन जर्जर हो चुके हैं, जिन्हें अन्यत्र स्थानांतरित किया जा रहा है। सभी आंगनवाड़ी केन्द्र में पीने के पानी की व्यवस्था है। बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं को मिलाकर 1,42,390 हितग्राही पंजीबद्ध है। इसके विरूद्ध औसतन प्रतिमाह 1,17,000 हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार मिल रहा है। तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चे एवं धात्री एवं गर्भवती माताओं को मिलाकर 82750 हितग्राही हैं। इनमें से औसतन प्रति माह 80400 हितग्राहियों को टेक होम राशन मिल रहा है। केवल 17 आंगनवाड़ी केन्द्रों में जन सहयोग से न्यूट्री कार्नर बनाए गए हैं, जबकि 2134 केन्द्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा अपने वेतन से न्यूट्री कार्नर की स्थापना की गई है। लगभग 1725 केन्द्रों में नाश्ता और भोजन अलग–अलग समय पर दिया जा रहा है, जोकि अच्छी बात है। शेष 400 केन्द्रों में नाश्ता और भोजन एक साथ देने की शिकायत है। इस अनियमितता के लिए विभाग द्वारा 159 समूहों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। जिले में मध्यम श्रेणी के कुपोषित बच्चे 16600 से अधिक हैं। अति कुपोषित बच्चों की संख्या 1441 हैं। जिले में पांच एन.आर.सी. स्थापित है और निरीक्षण के दिनांक तक 1069 बच्चों को एन.आर. सी. में दाखिल किया गया है। उपचार के बाद लगभग 90 प्रतिशत बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होना पाया गया। यह स्थिति उत्साहवर्धक है। अति कुपोषित बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। अब तक मात्र 110 अति कुपोषित बच्चों को अधिकारी एवं वरिष्ठ नागरिकों द्वारा गोद लिया गया है। शाला त्यागी 49799 किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। उदिता कार्नर भी सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्थापित किया गया है। लगभग 94 प्रतिशत आंगनवाड़ी में भोजन के लिए थाली, गिलास एवं चम्मच आदि उपलब्ध है। सभी आंगनवाड़ियों में बैठने के लिए दरी की व्यवस्था है, जोकि सराहनीय है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बहुत अच्छे स्तर से क्रियांवित हो रहा है, अब तक 20788 पात्र गर्भवती माताओं का पंजीयन हो चुका है।

vk;kx }kjk fn;s x;s lq>ko

1. किराये की भवनों में बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता है। पार्षदों के सुझाव अनुसार रिक्त नजूल भूमि पर आंगनवाड़ी भवन बनाने की कार्य योजना बनाई जाए और शासन की स्वीकृति प्राप्त कर चरणबद्ध तरीके से भवन निर्माण किया जाए, जिससे कि बच्चों के बैठने के लिए उपयुक्त व्यवस्था हो सके।

2. सिवनी में अतिकुपोषित बच्चों की संख्या 1441 हैं। मध्यम दर्जे के कुपोषित बच्चों की संख्या लगभग 17000 है जो कि बहुत अधिक है। मध्यम दर्जे के कुपोषित बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं देने और उनका सही उपचार नहीं होने से वे धीरे–धीरे अति कुपोषित की श्रेणी में आ सकते हैं। वर्तमान में सभी बच्चों को एक समान प्रत्येक दिन नाश्ते में थूली और दोपहर का भोजन दिया जा रहा है। इस व्यवस्था में परिवर्तन कर मध्यम एवं अति कुपोषित श्रेणी के बच्चों को नाश्ते में अण्डा, दूध, केला या फल आदि दिया जाए। सभी बच्चों के लिए नाश्ते में रूचिकर पौष्टिक सूखा नाश्ता, जैसे कि मूंगफली/चने की चिक्की, फोर्टिफाईड मुरमुरा, लड्डू आदि देने की व्यवस्था की जाए।

3. कलेक्टर के प्रयास से जिला चिकित्सालय, सिवनी एवं एन.आर.सी. सिवनी में रोगी एवं कुपोषित बच्चों के उपचार के लिए जन सहयोग से उत्कृष्ट स्तर की सुविधा निर्मित की गई हैं। इसी प्रकार की पहल अति कुपोषित बच्चों को गोद लेने, आंगनवाड़ी में न्यूट्री कार्नर स्थापित करने एवं बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के मामले में भी करने की आवश्यकता है।

4. अति कुपाषित बच्चों के फालोअप के लिए माताओं को मजदूरी एवं परिवहन की राशि देने की सुविधायें पूर्ववत जारी रखी जाये।

5. दोपहर का बचा हुआ भोजन के स्थान पर अति कुपोषित बच्चों को पौष्टिक नाश्ता/गर्म भोजन थर्ड मील के रुप में देने की व्यवस्था किया जाए।

6. लगभग 114 नवीन आंगनवाड़ी केन्द्रों में भोजन के लिए आवश्यक मात्रा में थाली, गिलास एवं चम्मच आदि उपलब्ध नहीं है, इन सामग्रियों की पूर्ति विभागाध्यक्ष स्तर से यथा शीघ्र की जाए।

7. सिवनी नगरपालिका के वार्ड क्र.18 (तिलक वार्ड) में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का लगातार अनुपस्थित रहना एवं सहायिका के भरोसे आंगनवाड़ी चलाये जाने की शिकायत की जांच की जाए। शिकायत सही पाई जाने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ–साथ शहरी परियोजना के सी.डी.पी.ओ. एवं सुपरवाईजर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

8. गर्भवती माताओं के लिए जिले में उपलब्ध फल, सब्जी एवं अनाज, दाल आदि से पौष्टिक आहार बनाने के लिए रेसिपी की सूची बनाई जाए और उसके आधार पर गृह भेंट/मंगल दिवस के समय माताओं को आवश्यक परामर्श दिया जाए।

¼l½ e/;kUg Hkkstu dk;Øe

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि स्व सहायता समूहों की शिकायत हैं कि उनको समय पर तथा पूरा आवंटन नहीं मिलता। कई बार वे दूसरों से उधारी लेकर मध्यान्ह भोजन बना रहे हैं। ग्राम पंचायत कण्डीपार में बच्चों के लिए बनने वाला मध्यान्ह भोजन आंगनवाड़ी केन्द्र की कार्यकर्ता के घर बनता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। रसोईयों का पारिश्रमिक बढ़ाया जाये। मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रति विद्यार्थी के लिए शासन द्वारा दी जा रही राशि में वृद्धि की जाए।

जिले में 2905 प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में योजना चालू है। इनमें से केवल 25

विद्यालय परिसर में किचन शेड नहीं है। 1244 स्व सहायता समूह भोजन बनाने के काम में लगे हैं। पिछले चार माह में केवल 05 स्व सहायता के विरूद्ध अनियमितताओं के कारण कार्यवाही की गई है। विद्यालयों में दर्ज 134672 छात्रों में से औसतन 85000 (63 प्रतिशत) छात्र प्रतिमाह भोजन प्राप्त कर रहे हैं। सभी किचन शेड में गैस सिलेण्डर उपलब्ध है, जो कि सराहनीय है। 300 से अधिक विद्यालयों में हैण्डपम्प नहीं है। इन विद्यालयों में पंचायत की नलजल योजना या निजी जल स्त्रोत से पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। थाली, गिलास, चम्मच, हाथ धोने की व्यवस्था सभी विद्यालयों में की गई है। प्राथमिक विद्यालयों में सप्ताह में तीन दिन दूध वितरण किया जा रहा है। जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुश्रवण समितियों का गठन हुआ है एवं बैठकें आयोजित हो रही हैं। पंचायत स्तरीय निगरानी एवं सतर्कता समिति का पुर्नगठन नहीं हुआ है ।

vk;ksx }kjk fn, x, funsZ'k ,oa lq>ko

1. मध्यान्ह भोजन के निरीक्षण के लिए नाम मात्र का अमला स्वीकृत है। इसलिये कलेक्टर एवं सी.ई.ओ. जिला पंचायत को चाहिए कि समय–समय पर जिला अधिकारियों के माध्यम से आकस्मिक निरीक्षण कराया जाए। इससे भोजन की गुणवत्ता में अवश्य सुधार आएगा।

2. मदर्स कमेटी द्वारा किए जा रहे निरीक्षण प्रभावी नहीं है। प्रायः विद्यालयों में भोजन के निरीक्षण के लिए मातायें नहीं पहुंच रही है। यह कार्य पंचायत स्तरीय निगरानी एवं सतर्कता समिति के द्वारा प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। समिति में जनप्रतिनिधिओं के साथ–साथ अधिकारी एवं हितग्राही के शामिल होने से यह समिति निरीक्षण का काम बहुत अच्छे स्तर से कर सकती है। अतः उ.मू.दु. स्तरीय सतर्कता समितियों का पुर्नगठन एवं प्रशिक्षण दो माह के भीतर आयोजित किए जावे एवं उन्हें क्रियाशील बनाई जावे।

3. आयोग ने सुझाव दिया कि विकासखण्ड स्तर पर कम से कम दो माह में एक बार स्व सहायता समूह के प्रतिनिधि को बुलाकर उनकी समस्या सुन ली जाये एवं जहां–जहां से समूहों के विरूद्ध मीनू का पालन नहीं करना, खराब गुणवत्ता का भोजन बनाना एवं अन्य अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती हैं, उसके बारे में भी उनसे चर्चा कर समस्या का निराकरण किया जावे।

4. 8 विकास खण्ड वाले सिवनी में मध्यान्ह भोजन को लेकर नोडल अधिकारी एवं जिला शिकायत निवारण अधिकारी के पास मात्र दो–दो शिकायत प्राप्त होना आश्चर्यजनक है। आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की मंशा के अनुरूप शिकायत निवारण के लिए अधिक सजगता से कार्यवाही की जाए। सरपंच, पार्षद आदि जनप्रतिनिधि, पालक एवं स्व सहायता समूहों से योजना को लेकर जो शिकायतें प्राप्त होती रहती है, उसे जिला शिकायत निवारण अधिकारी (कलेक्टर)/नोडल अधिकारी के कार्यालय में दर्ज कर निराकरण किया जाये। दोनों कार्यालयों में शिकायतों का विवरण दर्ज करने के लिए रजिस्टर का संधारण किया जाए।

24. जिला – बैतूल

आयोग द्वारा दिनांक 27–28.12.2019 को बैतूल जिले में खाद्य सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा की गई एवं कार्यक्रमों का निरीक्षण किया गया। जनपद पंचायत सभागार शाहपुर में जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया एवं हितग्राहियों की समस्याएं सुनी गई। योजनाओं की स्थिति निम्नानुसार पाई गई :–

¼v½ yf{kr lkoltfud forj.k il.kkyh

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि उ.मू.दुकान से कई गांव 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर हैं जिससे लोगों को राशन लेने में बड़ी कठिनाई होती है। हर पंचायत में दुकान खोली जाना चाहिए। नेटवर्क की समस्या होने से लोगों को परेशानी है। ऐसी दुकानों में ऑफलाईन वितरण की व्यवस्था हो। अपात्र व्यक्तियों के नाम काटा जाना चाहिए। योजना का लाभ लोगों को मिलना चाहिए। एक–एक सेल्समैन के पास 2 से 3 दुकानें है। सतर्कता/निगरानी समिति की बैठकें नहीं हो रही है। वारंगवाड़ी, आमला क्षेत्र में महीने में केवल 1–2 दिन ही उ.मू.दुकान खुलती है। 200 राशन कार्ड से कम संलग्न कार्ड वाली उ.मू.दु. के संचालक को रु. 2400/– मानदेय प्रति माह मिलता है जिसे बढ़ाया जावे।

बैतूल के 556 ग्राम पंचायतों में से केवल 23 पंचायतों को छोड़कर शेष पंचायतों में उचित मूल्य दुकान खोली गई हैं, लेकिन अनेक दुकान हाल ही में खोली गई है। इन्हें पूरी तरह से सक्रिय किया जा रहा है। राशन वितरण में सबसे बड़ी बाधा विक्रताओं की कमी होना हैं। जिले में 206 विक्रेताओं के पास 439 दुकानों का प्रभार है। इस प्रकार से ये 439 दुकानें सप्ताह में छः दिन नहीं खुल पाती है। जिले की ग्रामीण जनसंख्या का कवरेज 87.95 प्रतिशत और शहरी जनसंख्या का कवरेज केवल 62.10 प्रतिशत है, जोकि अच्छी स्थिति दर्शाती है। जिले में अ.जाति/अ.ज.जाति परिवारों में से 86.21 प्रतिशत परिवारों को योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। एक सदस्यीय अन्त्योदय परिवार 4268 हैं। इनमें से 92 परिवारों के अन्य सदस्यों को पूर्व में प्राथमिकता श्रेणी के कार्ड जारी किए गए थे, जिसे जांच कर निरस्त किए गए हैं। योजना के प्रारंभ में हुई जांच पड़ताल में 4485 अपात्र परिवारों को हटाया गया था। जिले में अभी भी सत्यापित लेकिन अलाभान्वित 28154 परिवार राशन के लिये प्रतीक्षारत है। लेकिन अपात्र परिवारों को हटाने के लिए जांच नहीं होने से एवं नाम जोड़ने की प्रक्रिया बन्द होने से उनका नाम जोड़ा नहीं जा पा रहा है। जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन दिसम्बर 19 में हुआ है, लेकिन अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है। विकास खण्डों में सतर्कता समिति का गठन किया जाना बताया गया है, लेकिन पिछले 6 माह में 10 विकासखण्डों में केवल 10 बैठकें हुई हैं। यह स्थिति असंतोषजनक है। उ.मू.दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों का ना तो पुर्नगठन हुआ है और ना ही बैठकें हो रही है, जोकि चिन्ताजनक है। पिछले चार माह के राशन वितरण की स्थिति की समीक्षा करने पर पाया गया कि प्रतिमाह औसतन 8600 परिवार राशन लेने नहीं आ रहे है। इन परिवारों की जांच कर फर्जी परिवारों को हटाने का कार्य शीघ्रता से करने की आवश्यकता है।

vk;kx }kjk fn, x, funs'k ,oa lq>ko

1. आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया कि भविष्य में इश्यू सेंटर से उ.मू.दु. को अनाज भेजने के पूर्व उसके सैंपल का एनालीसिस किया जाये एवं एफ.ए.क्यू. का अनाज ही भेजा जाए।
2. गरिमा स्व सहायता समूह, नसीराबाद ने शिकायत की है कि समूह को आवंटित तीन गाँव के विद्यालयों के लिये अगस्त 2018 का गेहूँ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। विक्रेता का कहना है कि आवंटन नहीं मिला है, जबकि नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा दुकान को अनाज प्रदाय किया जाना बताया गया है। इसकी जांच मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत करें एवं दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए समूह को अनाज उपलब्ध कराया जाए।
3. उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति का पुर्नगठन एवं प्रशिक्षण आगामी दो माह के भीतर कराने के लिए कलेक्टर को निर्देशित किया गया। चर्चा में पाया गया कि विकासखण्ड स्तरीय समितियों की बैठकें नियमित नहीं हो रही हैं, जिसके कारण हितग्राहियों की समस्या का निराकरण सही समय पर नहीं हो पा रहा है। अतः इन समितियों की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए गए।
4. शासकीय अवकाश को छोड़कर दुकान नियमित रुप से खोली जावे। पोर्टेबिलिटी के बारे में हितग्राहियों को जानकारी दी जावे, ताकि जिन पंचायतों में अभी तक दुकान नहीं खोली गई है, वहां के हितग्राही अन्य दुकानों से अपनी सुविधा के अनुसार राशन प्राप्त कर सके।
5. प्रति माह औसतन 8600 परिवार राशन लेने नहीं आ रहे हैं। इन परिवारों की जांच कर फर्जी परिवारों को सूची से पृथक करने का काम किया जाए।
6. आदिवासी बाहुल्य पंचायतों में कई आश्रित गांव उचित मूल्य दुकान से अधिक दूरी पर है। उन गांवों के हितग्राहियों को नजदीक की उ.मू.दुकान से पोर्टेबिलिटी की योजना का उपयोग कर लाभ दिलाया जाए। इस संबंध में सभी सरपंच एवं पार्षदों को जानकारी दी जाए।
7. उ.मू.दु. स्तरीय सतर्कता समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को एसएमएस द्वारा आवंटन एवं उठाव की जानकारी आवश्यक रूप से प्रत्येक माह भेजी जाए।
8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हितग्राहियों के नाम की सूची हिंदी अक्षर में बड़े फोण्ट में टाईप कर दुकान के भीतर प्रदर्शित किया जावे।

¼c½ iqjd iks"k.k vkgkj dk;Øe

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि आंगनवाड़ी के रसोईया को कम मानदेय मिल रहा है, उसका मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। जिले में आंगनवाड़ी व्यवस्थित ढंग से चल रही है। आंगनवाड़ी जिस गांव में चल रही है, सतर्कता समिति का अध्यक्ष उसी गांव का होना चाहिए। घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में आंगनवाड़ी में कभी–कभी नाश्ता नहीं मिलता है।

समीक्षा में पाया गया कि जिले में 2347 आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र हैं। केवल 40 गांव में आंगनवाड़ी नहीं है। पीने के पानी की व्यवस्था सभी आंगनवाड़ियों में है। अधिकांश आंगनवाड़ी केन्द्रों में विद्युत नहीं है। लगभग तीन वर्ष पूर्व विभाग द्वारा स्वच्छ पानी के लिए केन्द्रों में वॉटर फिल्टर प्रदाय किया गया था। फिल्टर में लगे हुए टेरा कोटा के कैण्डल पुरानी होने के कारण खराब हो गए हैं, जिन्हें बदलने की आवश्यकता है। आंगनवाड़ी में बच्चों, गर्भवती/धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को मिलाकर 151404 से ज्यादा हितग्राही पंजीकृत है। गर्भवती /धात्री माताओं की संख्या लगभग 27018 है एवं औसतन 26500 माताओं को टेक होम राशन मिल रहा है। 2147 आंगनवाड़ी केन्द्रों में नाश्ता एवं भोजन अलग–अलग समय पर दिया जा रहा है। लगभग 200 आंगनवाड़ी केन्द्रों में नाश्ता एवं भोजन एक साथ देने की शिकायत है। इसके कारण 72 समूहों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है। 1657 अति कुपोषित बच्चे चिन्हित किए गए है। इनमें से 1175 बच्चों का एनआरसी में उपचार किया जा चुका है। बच्चों को उनकी रूचि के अनुसार ईलायची एवं चाकलेट फ्लेवर के पावडर से दूध बनाकर दिया जा रहा है। सभी 2347 आंगनवाड़ी केन्द्रो में भोजन के लिये थाली, गिलास एवं चम्मच उपलब्ध है, जो बहुत अच्छी स्थिति दर्शाती है। 1537 आंगनवाड़ी केन्द्रों में दरी/टाट–पट्टी उपलब्ध है। शेष केन्द्रों में पोषण आहार की खाली बोरियों को सिलाई कर बच्चों की बैठने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 11523 पात्र गर्भवती माताओं का पंजीयन किया गया है। जनसंख्या के अनुपात में यह संख्या अच्छी कवरेज की स्थिति दर्शाती है।

vk;kx }kjk fn;s x;s lq>ko

1. कुपोषण पर नियंत्रण पाने के लिए मध्यम दर्जे के कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों को मीठी एवं नमकीन थूली की बजाये उनकी रूचि के अनुसार नाश्ते में अण्डा, दूध, केला या फल आदि दिया जाए। शेष बच्चों के लिए न्यूट्रीनिस्ट एवं शिशु रोग विशेषज्ञों से चर्चा कर पौष्टिक एवं स्वादिष्ट सूखा नाश्ता देने की व्यवस्था की जाए।

2. आंगनवाड़ीविहीन 40 गांवों में आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाए, ताकि आदिवासी बाहुल्य जिले में ज्यादा से ज्यादा बच्चों एवं गर्भवती माताओं तक पूरक पोषण आहार सेवा का विस्तार हो सके।

3. बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए कारगर उपाय किये जाना चाहिए। उपस्थिति बढ़ने से अधिक से अधिक बच्चों को पोषण आहार की सुरक्षा मिलेगी। सुझाव है कि उपस्थिति, कुपोषण, माताओं में एनेमिया एवं मातृ एवं शिशु मृत्यु दर आदि सूचकांक पर जिन गांव/पंचायत की स्थिति ज्यादा खराब है, उन पंचायतों की पहचान कर वहां के आंगनवाड़ी एवं स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाने की संयुक्त जवाबदारी वरिष्ठ अधिकारी एवं स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों को सौंपी जाए। अच्छा परिणाम देने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

4. कतिपय जिलों में अति कुपोषित बच्चों के उपचार एवं उन्हें पौष्टिक पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिष्ठित नागरिक एवं अधिकारियों द्वारा बच्चों को गोद लिया गया है। इस

कारण से इन जिलों मे कुपोषण नियंत्रण में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। बैतूल जिले में लगभग 19000 बच्चे मध्यम दर्जे के कुपोषण से ग्रसित है। इसके अलावा लगभग 1657 बच्चे अति कुपोषित श्रेणी में है। आयोग का सुझाव है कि जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के सहयोग से ऐसे बच्चों को गोद लेने के लिए जिला कलेक्टर के स्तर से प्रभावी पहल की जाए।

5. आयोग की अनुशंसा है कि फालोअप के समय माताओं को मजदूरी एवं परिवहन की राशि देने की सुविधायें पूर्ववत जारी रखी जाये।

6. समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों में भोजन ग्रहण करने के लिए थाली, गिलास एवं चम्मच आदि उपलब्ध है। यह स्थिति संतोषजनक है। लगभग 800 से अधिक आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पोषण आहार की खाली बोरी को सिलाईकर बच्चों को बैठाया जा रहा है। यह स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे केन्द्रों पर दरी की व्यवस्था की जाए।

7. एनआरसी बैतूल के निरीक्षण में आयोग ने पाया कि माताओं द्वारा बच्चों के पलंग पर बैठकर भोजन किया जाता है, जिससे भोजन नीचे गिरने से संक्रमण फैलता है। माताओं के लिए अन्य कमरा/बरामदा आदि में भोजन देने की व्यवस्था करने को कहा गया। एन.आर.सी. के कक्ष में बिछाये गए लोहे के पलंग और लोहे के बाक्स की पेंटिंग कराने के निर्देश दिए। एनआरसी में भोजन, बेड शीट का प्रतिदिन बदला जाना एवं बच्चों के उपचार आदि मामले में अच्छी कार्यवाही की जा रही है।

¼l½ e/;kUg Hkkstu dk;ZØe

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मध्यान्ह भोजन के रसोईया का मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। मध्यान्ह भोजन योजना ठीक चल रही है। शाला में बच्चों की उपस्थिति के अनुसार खाद्यान्न का आवंटन कम मिल रहा है। इसमें सुधार किया जाए।

समीक्षा में पाया गया कि जिले के 2856 प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालित हैं एवं 167276 छात्र पंजीकृत हैं तथा 71 प्रतिशत छात्र प्रति माह मध्यान्ह भोजन ग्रहण कर रहे हैं। पिछले पांच माह में मीनू अनुसार भोजन नहीं देने आदि के कारण 09 समूहों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। नियमित रूप से निरीक्षण नहीं हो पा रहा है। लगभग 1800 से अधिक विद्यालयों में 65 प्रतिशत से ज्यादा विद्यार्थी उपस्थित रहते हैं। नई प्रक्रिया के चलते सभी विद्यालयों में पिछले माह की उपस्थिति के अनुसार अगले माह के लिए अनाज एवं राशि जारी की जा रही है। इसलिये अनाज की कमी नहीं है लेकिन भोजन की गुणवत्ता के बारे में जनप्रतिनिधि संतुष्ट नहीं है। जिला पंचायत के अमला द्वारा किए गए निरीक्षण में 68 विद्यालयों में मीनू अनुसार भोजन नहीं दिया जाना पाया गया। केवल 09 विद्यालय परिसरों को छोड़कर शेष सभी परिसरों में किचन शेड हैं। 2479 विद्यालयों में भोजन बनाने के लिए गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराया गया है। पीने के पानी की व्यवस्था भी सभी विद्यालयों में हैं। हाथ धोने का प्रशिक्षण भी दिया गया है, जोकि प्रशंसनीय है। प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को सप्ताह में तीन दिन दूध वितरण करने की योजना

निरन्तर चल रही है और दूध पावडर की सप्लाई में कोई बाधा नहीं है। प्रतिमाह औसतन 250 बेसहारा लोग मध्यान्ह भोजन योजना का लाभ ले रहे हैं। यह एक अच्छा प्रयास है।

vk;ksx }kjk fn, x, lq>ko ,oa funsZ'k %&

1. मातृशक्ति स्वसहायता समूह की शिकायत है कि संस्था के प्रभार के दोनों विद्यालयों में उप. स्थिति के मान से कम अनाज प्राप्त हो रहा है। आयोग द्वारा उपस्थिति के आधार पर अनाज उक्त समूह को अनाज दिलाए जाने के निर्देश दिये गये।

2. त्रिवेणी स्व सहायता समूह, सदर क्षेत्र बैतूल शहर को पिछले 5 माह से ईंधन, मसाला एवं तेल की राशि नहीं मिलने की शिकायत है। इसकी जांच करने और दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करने और समूह को राशि उपलब्ध कराने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को निर्देश दिये गये।

3. कलेक्टर, बैतूल को सुझाव दिया गया कि विभागीय अमले के साथ–साथ अन्य विभाग के अधिकारियों को अपने दौरे के समय मध्यान्ह भोजन का निरीक्षण करने के लिए प्रेरित किया जाये, ताकि भोजन की गुणवत्ता में सुधार आ सके।

4. पंचायत/उ.मू.दु. स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति का गठन एवं प्रशिक्षण न होना चिन्ताजनक है। आयोग ने निर्देशित किया कि आगामी दो माह में समिति का पुर्नगठन कर सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित कराया जाए, जिससे मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का नियमित निरीक्षण संभव हो सके।

5. आयोग ने सुझाव दिया कि कम से कम हर दो माह में विकासखण्ड स्तर पर समूहों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनसे भोजन की गुणवत्ता, मीनू अनुसार भोजन बनाया जाना एवं समय पर उन्हें आवंटन प्राप्त होने आदि के बारे में चर्चा की जाए।

6. जिले के सभी विकासखण्डों में से आठनेर एवं भैंसदेही विकासखण्डों में सबसे कम प्रतिशत विद्यार्थी योजना का लाभ ले रहे हैं। इन दोनों विकासखण्डों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने एवं भोजन को रूचिकर बनाने के लिए स्व सहायता समूह एवं निगरानी समिति के सदस्यों का सहयोग लिया जाए।

7. आयोग ने निर्देशित किया कि जिला आपूर्ति अधिकारी एवं गैस एजेंसियों के साथ समन्वय कर एक माह के भीतर सभी विद्यालयों में सिलेण्डर एवं चूल्हा उपलब्ध कराया जाए।

राज्य शासन को प्रेषित अनुशंसाऐं (वर्ष 2019–20)

1. म.प्र. राज्य खाद्य आयोग का गठन खाद्य विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 7–35–2013 उन्तीस–1, दिनांक 11.04.2017 के तहत किया गया है। गठन के दिनांक से खाद्य सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा एवं मूल्यांकन के लिए आयोग सतत् प्रयत्नशील रहा है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा संभाग, जिला एवं विकासखण्ड का नियमित दौरा किया जा रहा है। भ्रमण के समय निरीक्षण के साथ–साथ विभिन्न हितधारकों (स्टेक होल्डर्स) के साथ चर्चा एवं बैठकें आयोजित की जा रही है। बैठक एवं निरीक्षण के आधार पर कठिनाइयों को दूर करने तथा कार्यक्रमों को और बेहतर बनाने के लिए आयोग द्वारा समय–समय पर राज्य शासन को अपने सुझाव प्रेषित किये गये हैं।

2. वर्ष 2017–18 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, मध्यान्ह भोजन योजना एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में समेकित अनुशंसाएं राज्य शासन को पत्र क्र.130 दिनांक 16.2.18 द्वारा भेजी गई (परिशिष्ट 'क')। वर्ष 2018–19 में इन्हीं योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में कुछ और सुझाव/अनुशंसाएं अपने पत्र क्र. 72 दिनांक 30.1.19 के द्वारा राज्य शासन को प्रेषित किए गए हैं (परिशिष्ट 'ख')। उपरोक्त अनुशंसाएं शासन के समक्ष विचाराधीन है। अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही से अवगत कराने के लिए समय–समय पर खाद्य, महिला एवं बाल विकास तथा ग्रामीण विकास विभाग को स्मरण कराया गया है। दिनांक 14.5.19, दिनांक 15.5.19 एवं दिनांक 16.5.19 को इन विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिवों एवं विभागाध्यक्षों के साथ बैठक आयोजित कर अनुशंसाओं पर अग्रेतर कार्यवाही के लिए अनुरोध किया गया है।

3. वर्ष 2019–20 में पाया गया कि योजनाओं को लाभकारी एवं परिणाममूलक बनाने के लिए विभागों द्वारा कतिपय महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इन महत्वपूर्ण निर्णयों को निम्नानुसार समेकित किया जा सकता है:–

    1. वास्तविक हितग्राही की पहचान कर उसे अधिप्रमाणित आधार पर राशन देने के लिए सभी जिलों में ए.ई.पी.डी.एस. व्यवस्था लागू की गई है।

    2. कमजोर परिवारों को सस्ती दर पर प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए उचित मूल्य दुकान से दाल का विक्रय शुरू किया गया।

    3. प्रत्येक पंचायत में राशन दुकान खोलने के लिए निर्णय लिया गया है ।

    4. वृद्ध, अशक्त एवं अंगूठा घिस जाने वाले हितग्राहियों को अपने नजदीकी व्यक्ति को ना. मिनी नियुक्त कर उनके माध्यम से राशन प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।

    5. योजना लागू होने के बाद पहली बार घर–घर सर्वे कर अपात्र परिवारों की पहचान करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

6. डी.एस.के. कंपनी की मशीन को बदलकर सभी राशन दुकानों में विजनटेक कंपनी की मशीन की स्थापना की गई है, जिसके कारण राशन वितरण का कार्य सुगम हुआ है।

7. मध्यान्ह भोजन बनाने के लिए अधिकांश विद्यालयों के किचन शेड में गैस सिलेण्डर उपलब्ध करा दिए गए हैं। शेष विद्यालयों में गैस सिलेण्डर एवं चूल्हा क्रय करने के लिए राशि निर्गमित की गई है।

8. मध्यान्ह भोजन एवं पूरक पोषण आहार के लिए विभागाध्यक्षों द्वारा अनाज का अग्रिम आवंटन जारी किया जा रहा है, जिसके कारण स्व सहायता समूहों को समय पर अनाज प्राप्त हो रहा है।

9. पिछले माह की वास्तविक उपस्थिति के आधार पर अगले माह के लिए आवंटन जारी होने से कम अनाज मिलने की शिकायत बहुत हद तक दूर हुई है।

10. मुख्यमंत्री मदद योजना के माध्यम से आदिवासी परिवारों को जन्म,मृत्यु जैसे अवसरों पर सामाजिक संस्कारों के निर्वहन हेतु अनाज प्रदाय कर लाभांवित किया जा रहा है।

चालू वित्तीय वर्ष में आयोग द्वारा 26 जिलों एवं विकासखण्डों का भ्रमण कर खाद्य सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा एवं निरीक्षण किया गया। समस्याओं को रेखांकित कर विस्तृत कार्यवाही विवरण यथा समय जिला प्रशासन एवं शासन को भेज दिए गए हैं। आयोग ने पाया कि जहां एक ओर कण्डिका–3 में उल्लिखित निर्णयों के कारण सेवा प्रदाय मजबूत हुई है, वहीं दूसरी ओर सभी सुझावों पर कार्यवाही नहीं होने से कई समस्याएं अभी भी यथावत है। पुनरावृत्ति की कीमत पर परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' में शामिल महत्वपूर्ण बिन्दु तथा निरीक्षण के समय पाए गए नवीन बिन्दुओं को शामिल कर निम्नानुसार समेकित अनुशंसाएं राज्य शासन के विचारार्थ प्रस्तुत की जा रही हैं:–

¼v½ yf{kr lkoZtfud forj.k iz.kkyh%&

1. निर्धन परिवारों के लिए पूर्व से प्रचलित खाद्य सुरक्षा योजनाएं शासन की कल्याणकारी दृष्टिकोण पर आधारित थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रवर्तन के पीछे का उद्देश्य इस दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए पोषण सुरक्षा को अधिकार मूलक बनाना है। सस्ते दाम पर अनाज, महिलाओं, बच्चों और विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य रक्षा के लिए सहायता राशि आदि अब हितग्राही के अधिकार में शामिल हो गये हैं। अधिकार से वंचित किए जाने पर सक्षम फोरम में शिकायत करना, निर्णय से असंतुष्ट होने पर अपील करना, शिकायत सही पाए जाने पर दोषी व्यक्ति से खाद्य सुरक्षा भत्ता (जुर्माना) की वसूली करना आदि विधिक प्रावधान अधिनियम की विशेषताएं हैं, जो नागरिकों के हितरक्षा के लिए स्थापित किए गए हैं। अधिनियम के सही क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि हितग्राही, निगरानी समिति के सदस्य, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारियों को इन प्रावधानों के बारे में उचित प्रशिक्षण दिया जाये। भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा प्रशिक्षण के लिए उचित वित्तीय प्रावधान नहीं किये जाने के कारण इस महत्वपूर्ण गतिविधि का संचालन

नहीं हो पा रहा है। फलस्वरूप आज भी खाद्य सुरक्षा योजनाओं को लेकर स्टेक होल्डर्स के दृष्टिकोण में अपेक्षित परिवर्तन नहीं हो पाया है। यही कारण है कि जिला शिकायत निवारण अधिकारी के पास बहुत कम शिकायत दर्ज हुई हैं। भ्रमण के समय यद्यपि आयोग को शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, लेकिन अभी तक किसी हितग्राही द्वारा जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आयोग को अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। कमोवेश यही स्थिति खाद्य सुरक्षा भत्ता की वसूली के संबंध में भी है। इसके कारण कानून में की गई व्यवस्था अपेक्षा के अनुसार अपने आपको ढालने में अधिकारियों एवं निगरानी समिति को अधिक समय लग रहा है।

vk;kx vu'klk djrk g fd vf/kfu;e d iko/kuk d ckj e dkuuh f'k{kk ¼Legal Education½ ,o ipkj&ilkj d fy, mfpr foRrh; iko/kku foHkkxh; ctV e fd;k tk;A

2. योजना को लेकर जनप्रतिनिधि एवं आम हितग्राही की प्रमुख शिकायत छूटे हुए पात्र परिवारों की राशन पर्ची नहीं मिलने को लेकर है। आयोग भी मानता है कि योजना से संबंधित प्रमुख शिकायत यही है। राज्य में कहीं पर भी सूचीबद्ध हितग्राहियों को राशन नहीं मिलने जैसी स्थिति नहीं है। कुछ स्थानों पर नेटवर्क एवं सर्वर की समस्या के कारण भले ही राशन वितरण में किंचित देरी हो रही हो, लेकिन कहीं से भी यह शिकायत नहीं है कि सूची में शामिल व्यक्ति को राशन प्राप्त नहीं हो रहा है। इसी प्रकार तौल एवं कीमत को लेकर भी नहीं के बराबर शिकायत है। योजना को लेकर एक मात्र शिकायत/ असंतोष छूटे हुए पात्र परिवारों के खाद्य सुरक्षा को लेकर है। सूची में कई अपात्र परिवार शामिल हो जाने के कारण निर्धारित सीमा से अधिक जनसंख्या योजना का लाभ ले रही है। दूसरी ओर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कई परिवार, पात्र होने के बाद भी लाभ से वंचित हैं जिसके कारण उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। सम्पन्न परिवारों की जांच कर उन्हें सूची से हटाने का कार्य किसी भी जिले में नहीं हुआ है। कुछ माह पूर्व खाद्य विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर डोर टू डोर सर्वेक्षण कर अपात्र परिवारों की पहचान के लिए निर्देश जारी किये गये थे। ये निर्देश वास्तव में प्रशंसनीय और लंबे समय से अपेक्षित थे। सर्वे का कार्य माह दिसम्बर 2019 तक पूरा किया जाना था, लेकिन कतिपय कारणों के चलते अभी तक उक्त कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पायी है। इस कार्य में जितना अधिक विलंब होगा, छूटे हुए पात्र परिवारों को लाभ लेने के लिए उतना अधिक समय प्रतीक्षा करनी होगी।

vk;kx dk l>ko g fd ,d fo'k"k efge pykdj lo{k.k dk dk;l nk ekg e ijk fd;k tk;] rkfd vik= ifjokjk dk iFkd dj NV g, ik= ifjokjk dk ykHk miyC/k djk;k tk ldA

3. खाद्य सुरक्षा योजनाओं के सतत् पर्यवेक्षण के लिए जिला, विकासखण्ड एवं उचित मूल्य स्तरीय निगरानी एवं सतर्कता समितियों का महत्वपूर्ण योगदान है। इस वर्ष जिन 26 जिलों का भ्रमण किया गया, उनमें से भ्रमण दिनांक को 16 जिलों में जिला स्तरीय समिति एवं 10 जिलों में विकास खण्ड स्तरीय निगरानी समिति का गठन नहीं होना पाया गया। आयोग द्वारा की गई

समीक्षा के बाद जिला स्तरीय समितियों का गठन प्रारंभ कर दिया गया है। विकासखण्ड स्तरीय समितियों का गठन एवं बैठक भी प्रारंभ कर दी गई है। लेकिन उ.मू.दु. स्तरीय समिति के पुर्नगठन की स्थिति सबसे असंतोषप्रद है। सरपंच एवं पार्षद की अध्यक्षता में गठित यह समिति गांव एवं वार्ड स्तर पर हितग्राहियों के प्रत्यक्ष संपर्क में रहती है । रोजमर्रा की गतिविधियों से संबंधित शिकायतों के निराकरण करने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। दुकान का नियमित खुलना, राशन वितरण, मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता, आंगनवाड़ी में नाश्ता और भोजन का प्रदाय आदि का धरातल पर निगरानी पंचायत/वार्ड स्तरीय सतर्कता समिति ही कर सकती है। आयोग की अनुशंसा पर सभी खाद्य विभाग द्वारा एकीकृत सतर्कता समिति के गठन का आदेश दिनांक 15.02.2018 एवं 07.06.2018 को जारी किये गये थे। आयोग ने पाया कि विलंब से सही, जिला एवं खण्ड स्तर पर समितियों का गठन एवं बैठकें अब प्रारम्भ कर दी गई है। किन्तु पंचायत/वार्ड/उ.मू.दु. स्तरीय सतर्कता समितियों का पुर्नगठन एवं प्रशिक्षण अभी तक नहीं हो पाया है।

vk;ksx dk lq>ko gS fd foHkkx Lrj ls ftyokj fLFkfr dh leh{kk dh tk, vkSj m-e-n-q- Lrjh; lrdZrk lfefr dk iqu%xBu ,oa iz'k{k.k nks ekg ds Hkhrj iw.kZ fd;k tkdj bu lfefr;ksa dks fØ;k'khy cuk;k tk;sA

4. उचित मूल्य दुकानों में स्वतंत्र विक्रेता नहीं होना राशन वितरण के लिए बाधक बना हुआ है। एक विक्रेता के पास दो से तीन दुकान का दायित्व होने के कारण ऐसी दुकानें सप्ताह में छह दिन नहीं खुलती है। उदाहरण स्वरूप देवास, मंदसौर, बैतूल, सिवनी, खण्डवा, छिंदवाड़ा, खरगोन एवं बालाघाट जिलों में विक्रेताओं की कमी के कारण लगभग 40–50 प्रतिशत दुकानें छह दिन नहीं खुल पा रही हैं। हितग्राहियों को इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ रहा है। बार–बार दुकान का चक्कर लगाने से उनकी मजदूरी की नुकसानी हो रही है। आयोग के अनुरोध पर विक्रेताओं की संविदा नियुक्ति के लिए भर्ती नियम जारी किये गये थे। नियुक्ति के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र भी आमंत्रित किये गये थे लेकिन किन्हीं कारण से नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी गई।

vk;ksx dk lq>ko gS fd lgdkfjrk foHkkx }kjk fu;qfDRk ij yxkbZ xbZ jksd gVkdj foØsrkvksa dh fu;qfDRk ;Fkk 'kh?kz ikjEHk dh tkoA

5. प्रत्येक पंचायत में राशन दुकान खोलने के शासन निर्णय से निश्चित रूप से ग्रामीण हितग्राहियों को सुलभता से राशन प्राप्त होगा। प्रत्येक जिले में इस दिशा में कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है, जोकि प्रशंसनीय है। दुकानविहीन पंचायतों में शीघ्रता से दुकान खोलने के लिए निम्न दो बिन्दुओं पर ध्यान देना आवश्यक हैं:

   1. वर्तमान में दुकान आवंटन के लिए आवेदन पत्र केवल निर्धारित टाईम स्लाट्स में प्राप्त किये जा रहे हैं। दूरस्थ क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में महिला स्व सहायता समूह/महिला सहकारी समितियां गठित नहीं है। इस कारण से अपेक्षित मात्रा में आवेदन प्राप्त होने में

कठिनाई आ रही है। कुछ जिलों में देखने को मिला कि जब तक किसी समूह को आवेदन पत्र भरने के लिए तैयार कर लिया जाता है, तब तक टाईम स्लॉट समाप्त हो जाता है।

vk;kx dk l>ko g fd vkonu i= ikIr dju d fy, fun'k e ifjoru dj le;&lhek dk c/kuk dk lekIr fd;k tkuk pkfg,A ndku vkoVu gk tku rd vkonu i= ikIr fd;s tk ldr g] rkfd uoxfBr efgyk lfefr@leg vklkuh l vkonu tek dj ldA

2. एक बाधा यह भी है कि 200 कार्ड से कम कार्ड वाली दुकानों के लिए प्रति माह केवल रूपये 2400/– मानदेय देने का प्रावधान है। मात्र रूपये 2400/– की राशि से दुकान का किराया, अनाज के लिए अग्रिम भुगतान एवं विक्रेता का मानदेय आदि की भरपाई किया जाना कठिन है। ग्रामीण एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में नवगठित महिला समूह वैसे भी आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। ऐसे में महिला समूह दुकान आवंटन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।

vk;kx dh vu'kalk g fd ekun; dh jkf'k c<kdj ifr ndku ifr ekg de l de #- 6000@& fd;k tk,A

6. शहरी जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जबकि नवीन उचित मूल्य दुकान का खोलना एवं युक्तियुक्तकरण का कार्य बन्द है। कई शहरों में एक से अधिक वार्ड के लिए एक राशन दुकान है। बड़े शहरों में एक किसी वार्ड में रहने वाले हितग्राहियों की संख्या के अनुपात में दुकानों की संख्या कम है। फलस्वरूप अनाज के लिए लम्बी कतार लगाना पड़ रहा है । दुकानों के लिए optimum कार्ड संख्या निर्धारित कर प्रत्येक वार्ड में एक या एक से अधिक दुकान खोलने की आवश्यकता है। कतिपय सहकारी भण्डार द्वारा दुकान आवंटन के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त करने के कारण पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से नवीन दुकान खोलना संभव नहीं हो पा रहा है।

vk;kx dk l>ko g fd [kk| foHkkx d Lrj l ofj"B vf/kdkjh dk iHkkjh vf/kdkjh fu;Dr dj] LV gVku d fy, ek- mPp U;k;ky; e vkonu i= nkf[ky fd;k tkuk pkfg,A LV gVu d ckn uohu ndkuk dh LFkkiuk ,o ;fDr;Drdj.k dk dk;l vkx c<k;k tkuk pkfg,] rkfd 'kgjh fgrxkfg;k dk vklkuh l jk'ku fey ldA

7. शिवपुरी एवं श्योपुर जिलों के सहरिया जनजाति के कई परिवारों का राशन कार्ड बिना जांच के निरस्त किये जाने की शिकायत है। इन परिवारों के पास पूर्व में अन्त्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड था एवं उन्हें नियमित राशन प्राप्त हो रहा था। शिकायत है कि ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के दौरान बिना किसी ठोस आधार के उनके कार्ड निरस्त कर दिये गये हैं।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के मामले में प्रदेश शासन द्वारा

इनकम टैक्स देने वाले परिवार एवं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शासकीय सेवकों को छोड़कर शेष सभी परिवारों को सस्ता अनाज प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया गया है। निर्धन आदिवासी परिवार खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।

vk;kx dk l>ko g fd bu ftyk e lgfj;k vkfnoklh ckgY; xko e fo'k"k dEi yxkdj f'kdk;rk dh iu% tkp dh tk,A tk vkfnoklh ifjokj ik= ik, tkr g] mudk uke nkckjk fgrxkgh lph e 'kkfey fd;k tk,A

8. गरीब परिवारों के लिए दालें ही प्रोटीन का प्रमुख एवं सबसे सस्ता स्त्रोत है। कुपोषण दूर करने में भी यह बहुत हद तक सहायक होती है। गेहूं एवं चावल जैसे अनाज के माध्यम से कार्बोहाईड्रेड की सुरक्षा प्राप्त होती है, जबकि पोषण सुरक्षा के लिए प्रोटीनयुक्त खाद्यान्न का सेवन भी आवश्यक है। आयोग ने इस संबंध में पूर्व में भी राज्य शासन को अपनी अनुशंसा भेजी थी। शासन द्वारा फरवरी, 2019 से रु. 27/– प्रति किलोग्राम की दर पर चने की दाल का वितरण किया जा रहा था, जिसके कारण अनेक पात्र परिवारों को आसानी से दाल उपलब्ध हुई। लेकिन आठ माह के बाद दिसम्बर, 2019 से उचित मूल्य दुकानों में दाल प्रदाय किया जाना बन्द हो जाने से यह कार्यक्रम प्रभावित हुआ है।

vk;kx dk l>ko g fd nky dk ink; fujrj tkjh j[kk tk,A

9. राशन कार्ड में नाम जोड़ने एवं हटाने का कार्य जिला स्तर पर नहीं हो पा रहा है। एन.आई.सी. के माध्यम से संचालित केन्द्रीयकृत व्यवस्था एवं तकनीकी जटिलता के कारण परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने एवं घटाने के समय हितग्राहियों को बिना कारण के राशन से वंचित होना पड़ रहा है। आयोग ने भ्रमण के दौरान पाया कि कई अन्त्योदय/बी.पी.एल. परिवार के मुखिया (पति) की मृत्यु के बाद जब कार्ड में पत्नी/अन्य आश्रितों के नाम मुखिया के रूप में दर्ज करने का प्रयास किया गया, तब राशन कार्ड अपने आप बन्द हो गया और राशन पर्ची जनरेट नहीं हुई। अन्य एक मामले में माता–पिता की दुर्घटना में मृत्यु के बाद पुत्री के नाम पर राशन पर्ची जनरेट नहीं हो पाई। इन मामलों में हितग्राहियों को कई महीनों तक राशन से वंचित रहना पड़ा। जन्म एवं शादी के कारण परिवार में आए नए सदस्यों के नाम पर भी राशन पर्ची जारी नहीं हो पा रही है।

आयोग ने पाया कि कलेक्टर एवं जिला आपूर्ति अधिकारी की पूरी संवेदना होने के बाद भी वे ऐसे प्रकरणों में हितग्राहियों की स्थाई सहायता नहीं कर पा रहे हैं। वे केवल संशोधन का प्रस्ताव बनाकर खाद्य संचालनालय को भेज सकते हैं। संचालनालय स्तर से ही एन.आई.सी. के साथ पहल कर संशोधन किया जा सकता है। यह स्थिति अवांछनीय है।

यह भी विचारणीय है कि यदि जिला प्रशासन के संज्ञान में यह बात लाई जाती है कि किसी अत्यन्त निर्धन परिवार का नाम सूची में शामिल नहीं है और उसके भोजन पाने का कोई अन्य जरिया नहीं है, उस स्थिति में भी कलेक्टर और आपूर्ति अधिकारी परिवार का नाम सूची में

शामिल नहीं कर सकते हैं। ज़ायज़ प्रकरणों में भी कलेक्टर/आपूर्ति अधिकारी के स्तर पर सूची में नाम जोड़ना संभव नहीं हो पा रहा है।

vr% vk;kx iu% viuh io vu'klk dk nkgjkuk pkgrk g fd tUe] eR;] fookg ,o iyk;u vkfn dh fLFkfr e jk'ku dkM e uke tkMu vkj gVku dk vf/kdkj ftyk dyDVl dk iR;k;kftr fd;k tk,A

vk;kx ;g Hkh vu'klk djrk g fd vkdfLed ifjfLFkfr e fu/ku ,o t:jren ifjokj tk i'kklu ,o LFkkuh; fudk; d }kjk fd, x, foLr`r lo{k.k d ckn Hkh fdUgh dkj.kk l lPkhc) ugh gk ik, g] mudh lgk;rk d fy, iR;d ftyk e dN ek=k e vukt fjto j[ku dh 0;oLFkk dh tk, rFkk bld fuoru d fy, ftyk dyDVl@ftyk vkifr fu;=d@ vf/kdkjh dk ikf/kdr fd;k tk;A

10. हकदारी मूलक कानून होने के कारण हितग्राही का अधिकार एवं अधिकार का हनन के लिये दण्ड का प्रावधान, दोनों, अधिसूचित किया जाना चाहिए। वर्तमान में अधिकार के बारे में विस्तृत नियम एवं निर्देश प्रसारित किये गये हैं। लेकिन खाद्य सुरक्षा के उल्लंघन के लिये जुर्माना वसूली की प्रक्रिया अधिसूचित नहीं हो पायी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत पोषण सुरक्षा नहीं देने के लिये दोषी संस्था या व्यक्ति से खाद्य सुरक्षा भत्ते की वसूली करने का प्रावधान है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 33 एवं 34 के तहत जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश की अवहेलना के मामले में शासकीय सेवक से जुर्माना वसूल करने का प्रावधान है।

vk;kx dh vu'klk g fd bu nkuk iko/kkuk d fØ;kUo;u d fy; 'kklu Lrj l fu;e ,o ifØ;k dk fu/kkj.k 'kh?kkfr'kh?k fd;k tk,A

¼c½ ijd ik"k.k vkgkj%&

1. कुपोषण दूर करने के लिए नाश्ता एवं दोपहर के भोजन में गुणात्मक सुधार किया जाने का सुझाव है। कई वर्षों से नाश्ते में नमकीन थुली या मीठी थुली दी जा रही है। इसके अतिरिक्त आयोग ने भ्रमण में पाया कि ग्रामीण क्षेत्र में कुछ समूहों द्वारा नाश्ता और दोपहर का भोजन एक साथ दिया जा रहा है। इस व्यवस्था में यथा शीघ्र परिवर्तन किया जाना चाहिए।

vk;kx dk l>ko g fd uedhu@ehBh Fkyh dh txg :fpdj ikf"Vd uk'rk] tl fd exQYyh@pu dh fpDdh] QkfVQkbM ejejk] jktxhjk d yMM vkfn] nh tk,A ,l ikf"Vd uk'r nk lIrkg rd vkxuokMh e ljf{kr j[kk tk ldrk gA l[k uk'r l cPpk dk tgk ,d vkj Ik;kIr ek=k e ikVhu ,o dyksjh feyxh] ogh nljh vkj uk'rk vkj Hkkstu d chp nk l rhu ?k.V dk vUrjky jgxk

tk Hkkstu xg.k djs fy, mi;kxh lkfcr gksxkA ik"k.kfon ,oa f'k'kq jksx fo'ks"kKksa ls ppkZ dj LFkkuh; Lrj ij miyC/k vukt vkfn ls ikSf"Vd ,oa Lokfn"V lq[kk uk'rk dh jsflih cuk;h tk ldrh gSA

2. विभागीय जानकारी के अनुसार प्रदेश में कम वजन एवं अति कुपोषित बच्चों की संख्या लगभग 1,12,000 है, जबकि मध्यम दर्जे के कुपोषित बच्चों की संख्या करीबन 10,50,000 है। मध्यम दर्जे के कुपोषित बच्चों के उपचार पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि कालांतर में ये भी अति कुपोषित की श्रेणी में ना आ जाए। पालकों को इस संबंध में उचित परामर्श देना जितना जरूरी है, उतना जरूरी यह भी है कि कुपोषित बच्चों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता में हम सुधार करें और उसकी पौष्टिकता बढ़ाए। विभागीय जानकारी के अनुसार आंगनवाड़ी में दर्ज कुल 67,75,000 बच्चों में से केवल 16 प्रतिशत बच्चे मध्यम कुपोषित एवं लगभग 2 प्रतिशत बच्चे अति कुपोषित श्रेणी में दर्ज हैं। उक्त जानकारी को बिना किसी आलोचना के मान लिया जाए, तो मध्यम एवं अति कुपोषित बच्चों की संख्या अपेक्षाकृत रूप से कम है, जिनके स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए बेहतर उपाय किये जा सकते है। संख्या कम होने से, इस पर ज्यादा वित्तीय भार वहन नहीं करना पड़ेगा।

vk;ksx dk lq>ko gS fd e/;e ,oa vfr dqikSf"kr cPpksa dk vPNh xq.koRrk dk ikSf"Vd vkgkj] tSls n/k] dsyk] eksle Qy ,oa vU; o`dfYid ikSf"Vd vkgkj fn;k tk,A vfr dqikSf"kr cPpksa ds lkFk&lkFk e/;entsZ ds dqikSf"kr cPpksa dks Hkh FkMZ ehy inku; fd;k tk,] ftlds nh?kZdkfyd ykHk feysxk ,oa e/;e ntsZ ds T;knk ls T;knk cPps dqiks"k.k ls eqDr gksaxsA uk'rk ,oa Hkkstu esa lqjtuk iRrh dk ikmMj bLrseky djus ds fy, foHkkx Lrj ls iz;kl fd;k x;k gSA blds dk;kZUo;u dks vkSj vf/kd xaHkhjrk ls fy;k tk,A dqiks"k.k nj djus ds fy, ;g ,d lLrk ,oa lqyHk mik; gSA

3. अति कुपोषित बच्चों के लिये थर्ड मील देने का प्रावधान है। वर्तमान में दोपहर का बचा हुआ भोजन थर्ड मील के रूप में दिया जा रहा है। थर्ड मील अमूमन दोपहर तीन बजे से लेकर चार बजे के बीच दिया जाता है। यह विचारणीय है कि थर्ड मील परोसे जाने तक ठण्डा हो जाता है। इसके अलावा भोजन में मुख्यतः कार्बोहाईड्रेड के तत्व रहते है। कुपोषण से लड़ने के लिए ऐसा भोजन कारगर साबित नहीं हो पा रहा है।

lq>ko gS fd FkMZ ehy esa Hkh ikSf"Vd lq[kk [kk| inkFkZ ;k ikSf"Vd xeZ Hkkstu cukdj fn;k tk;sA Lo lgk;rk lewgksa ds ek/;e ls Hkkstu cuk;k tk ldrk gSA vfrdqikSf"kr cPpksa dh la[;k 0&05 o"kZ rd ds mez ds dqy cPpksa dh la[;k dk nks izfr'kr ls vf/kd ugha gSA blfy;s FkMZ ehy dh xq.koRrk esa lq/kkj djus ls vf/kd foRrh; Hkkj ugha vk,xkA

4. अधिनियम की धारा 4 एवं 5 के तहत गर्भवती स्त्रियों, स्तनपान कराने वाली माताओं एवं बच्चों

को आंगनवाड़ियों के माध्यम से पोषाहार सहायता प्रदाय करने की बात कही गई है। बच्चों के मामले में आंगनवाड़ी में नाश्ता एवं गर्म भोजन प्राप्त करने के लिए आयु का बंधन रखा गया है। अनुसूची 2 के अनुसार 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को केवल टेकहोम राशन की पात्रता है। इन्हें नाश्ता एवं गर्म भोजन देने का प्रावधान नहीं है। केवल 3 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को सुबह का नाश्ता और गर्म पका हुआ भोजन देने का उल्लेख है। वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर यह माना गया है कि जन्म के बाद के एक हजार दिवस (लगभग तीन वर्ष) बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार से जब तक बच्चे को गर्म भोजन और नाश्ता की हकदारी बनती है, तब तक शारीरिक विकास का क्रिटिकल पीरियड लगभग समाप्ति की ओर होता है। अतः गर्म भोजन प्राप्त करने के लिए रखी गयी आयु के बंधन पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो आंगनवाड़ी के आसपास रहते हैं और पालकों के साथ आंगनवाड़ी में आ सकते हैं, उन्हें टेकहोम राशन के बजाये नाश्ता एवं गर्म भोजन दिया जा सकता है। जो बच्चे, कम आयु एवं अधिक दूरी के कारण आंगनवाड़ी में नहीं आ सकते हैं, उन्हें ही टेकहोम राशन दिया जाए। आंगनवाड़ी में आने से बच्चों को नाश्ता के साथ–साथ दोपहर का भोजन मिलेगा। उनमें से जो कमजोर एवं कुपोषित बच्चे होंगे, उन्हें थर्ड मील भी मिलेगा। साथ ही, आंगनवाड़ी के अन्य बच्चों के साथ बैठने से पारस्परिक प्रभाव एवं खेलकूद आदि गतिविधियों से उनका मानसिक विकास भी होगा।

5. टेकहोम राशन में बच्चों एवं माताओं को सप्ताह में पांच दिन के लिए प्रीमिक्स खाद्य पदार्थ के पैकेटस् प्रदाय किए जा रहे हैं। पांच दिन के आहार में गेहूं,सोया बर्फी, (प्रीमिक्स), आटा बेसन लड्डू (प्रीमिक्स), हलुआ (प्रीमिक्स), बाल आहार (प्रीमिक्स) एवं खिचड़ी (प्रीमिक्स) शामिल हैं। प्रत्येक प्रीमिक्स व्यंजन में 10–15 प्रतिशत तक तेल रहता है। इनमें से खिचड़ी और सोया बर्फी के लिए यथास्थिति, अनाज, दाल या आटा में नमक/शक्कर एवं मसाले के अतिरिक्त रिफाईण्ड वेजिटेबल आईल को अच्छे से मिलाकर प्रीमिक्स तैयार किया जाता है और उसे एयरटाईट पैकेट में बंदकर प्रदाय किया जाता है। पैकेट का उपयोग तीन माह तक किया जा सकता है। तेल का मिश्रण होने के कारण एवं अधिक समय तक बन्द रहने के कारण पैकेट के खोलने पर दुर्गन्ध आने लगती है, जिसे हितग्राही खाने के लिए पसंद नहीं करते हैं। कुछ हितग्राहियों द्वारा पहले प्रीमिक्स को गर्म पानी में भिगोकर मसाला एवं तेल जैसे उपयोगी तत्वों को निकाल दिया जाता है। शेष बचे अनाज से खिचड़ी आदि बनाई जाती है। इस प्रकार से तेल और मसाले में किया गया व्यय बेकार हो जाता है।

vk;kx u iol e Hkh l|>ko fn;k Fkk fd ry dk feDl dju d ctk; ml ,d NkV ikmp e j[kdj ihfeDl d idV e j[k fn;k tk;A bl l ihfeDl f[kpMh ,o cQh vkfn [kku ;kX; ,o :fpdj gk tk;xA

6. अति कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्र में चार बार फॉलोअप के लिए लाना होता है। पूर्व में फॉलोअप के लिए माताओं को सहायता राशि दी जा रही थी। इससे उनके श्रम की हानि एवं परिवहन की प्रतिपूर्ति हो जाती थी और वे बच्चों को एन.आर.सी. में बार–बार लाने में रूचि ले रही थी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा कार्यकर्ताओं को तो अभी भी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, लेकिन पिछले एक वर्ष से माताओं को फालोअप के लिए आर्थिक सहायता देना बंद कर दी गयी है। फलस्वरूप फॉलोअप में कमी आई है। गरीब परिवार की माताएं फालोअप में अपेक्षित रूचि नहीं ले रही है । बच्चों को एन.आर.सी. में भेजने के लिए माताओं को प्रेरित करना भी अधिक कठिन हो गया है।

vk;kx vu'klk djrk g fd etnjh ,o ifjogu jkf'k ioor ekrkvk dk nh tk;A

7 .खाद्य सुरक्षा अधिनियम का एक उद्देश्य सभी पात्र स्त्रियों एवं बच्चों को निःशुल्क पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इस दिशा में दो स्तर पर कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। पहला, आंगनवाड़ी विहीन गांव में मिनी आंगनवाड़ी अथवा आंगनवाड़ी खोली जाये। बाल विकास परियोजनाओं के सार्वभौमीकरण के मामले में प्रदेश में बहुत अच्छा काम हुआ है, फिर भी प्रदेश के कुछ गांव एवं मजरा–टोले आंगनवाड़ीविहीन हैं। वर्तमान में विभाग द्वारा पास के गांव की आंगनवाड़ी से ऐसे गांव में टेक होम राशन दिया जा रहा है लेकिन आंगनवाड़ी विहीन गांव के 03 से 06 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को गर्म भोजन देना संभव नहीं हो पा रहा है। इन गांव की किशोरी बालिकाओं की देखभाल भी भलीभांति नहीं हो पा रही है।

vk;kx dk l>ko g fd T;knk l T;knk cPpk ,o ekrkvk dk doj dju d fy, vkxuokMhfoghu xkok ,o etjk&Vkyk e feuh vkxuokMh dUnz [kkyk tk,A

हितग्राहियों के optimum कवरेज के रास्ते में दूसरी बड़ी बाधक आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों की कम उपस्थिति है। 03–06 वर्ष के दर्ज बच्चों में से औसतन 60 प्रतिशत बच्चे आंगनवाड़ी में आ रहे हैं। 40 प्रतिशत बच्चे विभिन्न कारणों से आंगनवाड़ी में नहीं पहुंच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जगह–जगह अंग्रेजी माध्यम के प्रायवेट स्कूल खुल जाने से आंगनवाड़ी में बच्चों की उपस्थिति पर विपरीत असर पड़ा है। पालकों एवं स्थानीय स्वायत्त संस्था के प्रतिनिधियों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने से भी उपस्थिति प्रभावित हो रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं द्वारा ईमानदारी से प्रयास किया जा रहा है। लेकिन पंचायत प्रतिनिधि, पालक एवं स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग के बिना बच्चों की उपस्थिति में आशानुरूप वृद्धि होना संभव नहीं है।

vk;kx dk l>ko g fd mifLFkfr] dik"k.k] ,ufe;k] ekr` ,o f'k'k eR; nj vkfn lonu'khy lpdkd ij ftu ipk;rk dh fLFkfr T;knk [kjkc g] mu ipk;rk dh igpku dh tk; A bu ipk;rk dh vkxuokfM;k e mifLFkfr ,o LokLF; lpdkdk e l/kkj yku d fy, vf/kdkjh ,o LFkkuh; fudk; d ifrfuf/k;k dk ikRlkfgr fd;k tk,A iR;d ftyk e cMh l[;k e if'kf{kr vkxuokMh

i;ksa{kdksa dk veyk eSnku gSA lh/kh Hkrh ls vk, Ik;ksa{kd xTk,V vFkok ikLV xzstq,V gksdj mPp f'kf{kr gksrs gSA ftyk Lrj ij i;ksa{kd] lh-Mh-ih-vks- ,oa fudk; ifrfuf/k;ksa ds leUo; ls vkaxuokM+h esa mifLFkfr c<+kus ds fy, dk;Z ;kstuk cukbZ tkuh pkfg,A vPNk ifj.kke nsus okyh ipk;rksa ,oa vf/kdkfj;ksa dks iqjLdr Hkh fd;k tkuk pkfg,A vkaxuokfM+;ksa esa mifLFkfr c<+us ls T;knk ls T;knk cPpksa dks iks"k.k lqj{kk ls vkPNkfnr fd;k tkuk lEHko gksxkA

vkaxuokfM+;ksa esa Iys Ldwy xfrfof/k;ksa ds lkFk v{kj Kku iznk; fd;k tkrk gSA vr% ;fn rRlac/kh ikB~;Øe.k i= ik;ejh Ldwy esa iwoZ'k ds fy, cPpksa dks iznk; djus dh 0;oLFkk dh tkrh gS] rks dUnz esa vkus okys cPpksa dh la[;k ij bldk ldkjkRed izHkko iM+ ldrk gSA

8. विद्युतीकरण नहीं होने से ग्रीष्मकाल एवं उमस के मौसम में आंगनवाड़ी केन्द्र, बैठने एवं अन्य गतिविधियों के लिए बच्चों के अनुकूल नहीं रह जाता है।

vk;ksx dk lq>ko gS fd izns'k ds lHkh vkaxuokfM+;ksa esa fo|qrhdj.k djk;k tk, rFkk fctyh fcy ds Hkqxrku ds fy, 'kklu Lrj ls dsUnzh;d`r 0;oLFkk ¼xzkeh.k {ks= esa uyty ;kstuk ds n;dks ds Hkqxrku dh 0;oLFkk ds vuq:i½ dh tk,A

9. आंगनवाड़ी केन्द्र की स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, बैठने के लिए दरी एवं भोजन के लिए बर्तन आदि पोषण आहार कार्यक्रम का परिपूरक है एवं उसके अभिन्न अंग है। इन घटकों से पूरक पोषण आहार कार्यक्रम को अधिक मजबूती मिलती है। आयोग ने पाया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा स्वच्छता के लिए बच्चों को हाथ धुलाने का प्रशिक्षण दिया गया है। कुछ जिलों में कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी निधि से न्यूट्री कार्नर की स्थापना भी की गई है। यह कार्य वास्तविक रूप से प्रशंसनीय है। लेकिन आंगनवाड़ी में दरी/टाट–पट्टी का प्रदाय शासन स्तर से होना चाहिए। कई जिलों में पिछले आठ वर्षों से दरी का प्रदाय नहीं हुआ है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा पोषण आहार की खाली बोरियों को सिलाईकर बच्चों को बैठाया जा रहा है। यह स्थिति स्वच्छता बनाए रखने के लिए अनुकूल नहीं है। कई आंगनवाड़ियों में जो वॉटर फिल्टर प्रदाय किए गए थे, उनमें लगे टेराकोटा कैंडिल खराब हो रहे हैं, जिसे बदला जाना चाहिए। कई आंगनवाड़ियों में विद्युतीकरण नहीं होने से ग्रीष्मकाल में एवं उमस भरे मौसम में बच्चों को परेशानी होती है। इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

10. नवीन आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण, पुराने भवनों की मरम्मत, साजसज्जा, विद्युतीकरण, बच्चों के लिए खिलौने और आंगनवाड़ी को बच्चों के लिए आक्रषक बनाने के लिए समय–समय पर धनराशि की आवश्यकता होती है। माननीय सांसद एवं विधायकों के साथ हुई चर्चा में यह बात सामने आयी है कि कई बार चाहते हुए भी नियम में प्रावधान नहीं होने के कारण, वे आंगनवाड़ी के लिए क्षेत्रीय विकास निधि से स्वीकृति नहीं दे सकते।

vk;kx dk l|>ko g fd ;fn lkln {k=h; fodkl ;ktuk ,o fo/kk;d {k=h; fodkl ;ktuk d mica/kk e l'kk/ku dj ,sl dk;k d fy, 0;; dju dk mica/k tksM+ fn;k tkrk g] rk og fuf'pr :Ik l vkxuokMh d fodkl e lgk;d fl) gkxkA

¼l½- i/kkue=h ekr` onuk ;ktuk%&

1. आयोग अनुशंसा करता है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के हितग्राहियों को संस्थागत प्रसव की प्रक्रिया के दौरान ही चिन्हांकित कर पंजीयन के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मैदानी अमले को जवाबदेह बनाया जाये।

2. प्रदेश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों का चयन, ऑनलाईन पंजीयन एवं समय पर किश्तों में सहायता राशि का वितरण का कार्य संतोषप्रद रूप से किया जा रहा है। चूंकि इस योजना के हितग्राही सभी गरीब परिवार तक फैले हुए हैं और चूंकि यह योजना सीधे तौर पर गरीब महिलाओं की सशक्तिकरण से संबंधित है। अतः राशि के सदुपयोग के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है। कुछ परिवार में परिवार के मुखिया द्वारा महिला के खाते में प्राप्त राशि के दुरूपयोग किए जाने की शिकायत है।

   ;ktuk dk vkj vf/kd cgrj ,o ifj.kkeeyd cuku d fy, fuEu fcUnvk ij dk;okgh dju dk l|>ko fn;k tk jgk g%&

   igyk] ;ktuk dh leh{kk f=Lrjh; iapk;rh jkt lLFkkvk dh cBdk e dju dh 0;oLFkk gkA

   nljk] 'kklu }kjk egRoi.k vol jk ij vkgr fo'k"k xke lHkk dh cBd e ;ktuk dh ppk dk 'kkfey fd;k tk,A

   rhljk] LFkkuh; Lrj ij feyu okys vukt] Qy ,o lCth vkfn l ikf"Vd 0;tu dh jflih dh lph r;kj dh tk,A L=h jkx fo'k"kK ,o ik"k.kfon l ppk dj lph cukbZ tk ldrh gA exy fnol vkfn d le; jflihl dk in'ku fd;k tk ldrk gA jflihl d lfp= iEiyV cuk; tk ldr gA xg HkV d le; iEiyV d tfj; ekrkvk dk mfpr ijke'k fn;k tk ldrk gA

3. सागर एवं छिंदवाड़ा जिलों में पूर्व में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना लागू की गई थी। उक्त योजना के अन्तर्गत मिलने वाली सहायता राशि कई हितग्राहियों को प्राप्त नहीं हो पाई है। छिंदवाड़ा जिले के 30047 एवं सागर जिले के 18964 हितग्राहियों को क्रमशः तेरह करोड़ इकतालीस लाख रूपये एवं चार करोड़ इकत्तर लाख पांच सौ रूपये की सहायता राशि दिया जाना शेष हैं। राशि का भुगतान नहीं होने से इन जिलों से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जो कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में बाधक बन रही है।

vk;kx dk l|>ko g| fd nkuk| ftyk| d| iLrko Lohdfr g|r| yfcr g|] ftl| 'kh?k Lohd`r dj fgrxkfg;k dk jkf'k dk forj.k dju dh vu|'kalk dh tkrh g|A

4. मंदसौर जिले के 39 ग्रामों में बांछड़ा समुदाय के परिवार निवासरत हैं। समुदाय के गर्भवती माताओं को प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ मिलने में कठिनाई आ रही है। योजना का लाभ पाने के लिए पति का आधार कार्ड की प्रति देना आवश्यक होता हैं, परन्तु सामाजिक कुप्रथा के चलते इन महिलाओं के पास पति का आधार नंबर उपलब्ध नहीं हो पाता है।

vr% vk;kx vu|'kLkk djrk g| fd doy ekrkvk d| vk/kkj dkM ij ;kstuk dk ykHk nu| d| fy, fo'k"k NV nh tk,A

¼n½ e/;kUg Hkkstu

1. यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि सांझा चूल्हा एवं मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की सफलता में रसोइयों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। उनके कर्तव्यों में अनेकों कार्य शामिल हैंः– अनाज को बीनकर साफ करना, छात्रों की संख्या के अनुसार रोटियां बनाना, मीनू अनुसार भोजन तैयार करना, समय पर भोजन परोसना, हाथ धुलाने की व्यवस्था करना, पेयजल उपलब्ध कराना, जूठे बर्तनों को साफ करना आदि। जहां पर गैस सिलेण्डर नहीं होते हैं, वहां पर प्रतिदिन लकड़ी या कण्डे के धुंए का बिना परवाह किए उन्हें काम करना पड़ता है। सांझा चूल्हा में तो प्रतिदिन औसतन 200 से ज्यादा रोटियां बनाना पड़ती है। भले ही लोगों के मन में यह धारणा बनी है कि रसोइया मात्र कुछ घण्टे तक ही काम करती हैं, वास्तविकता यह है कि इन्हें प्रतिदिन लगभग चार से पांच घण्टे तक काम करना पड़ता है। कड़ी मेहनत के बाद भी रसोइया को पूर्व में मात्र एक हजार रूपये का पारिश्रमिक मिलता था। लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व शासन द्वारा इसे बढ़ाकर प्रति माह दो हजार रूपये कर दिया गया। मंहगाई के चलते एवं रसोइयों की मेहनत एवं धुंआ के कारण उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए यह पारिश्रमिक की राशि कम प्रतीत होती है। सभी जिलों के जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर में पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए आग्रह किया है।

vk;kx dh vu|'kalk g| fd jlkb;k dk ikfjJfed de l| de pkj gtkj :Ik;| ifr ekg fd;k tkuk pkfg,A

2. प्रत्येक जिले में विद्यालयों के ऐसे बड़े परिसर हैं, जहां पर कई प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय होते हैं। साथ ही पास में आंगनवाड़ी केन्द्र भी होते हैं। ऐसे परिसरों में थोक में भोजन तैयार करने के लिए माह में पांच–छः से भी अधिक गैस सिलेण्डर की आवश्यकता होती है। महिला स्व सहायता समूहों की शिकायत है कि उन्हें व्यावसायिक दर पर गैस सिलेण्डर खरीदना पड़ता है, जिसके कारण समूहों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। इसकी प्रतिपूर्ति शासन द्वारा नहीं की जाती है।

vk;kx dh vu|'kalk g| fd fo|ky;k ,o| vkxuokfM;k e| Fkkd e| Hkkstu cuku| d| fy, ?kj|y| mi;kx d| fy, fu/kkfjr fj;k;rh nj ij xl fly|.Mj miyC/k djk;k tk,A

3. कुछ जिलों में उचित मूल्य दुकानों से अनाज लेने के लिए स्व सहायता समूहों की सही मैपिंग नहीं की गयी है। ग्राम पंचायतों में राशन दुकान होने के बाद भी त्रुटिवश उन गांव के स्व सहायता समूहों को अन्य पंचायतों की दुकान के साथ सम्बद्ध कर दिया गया है। इसके कारण समूहों को अनावश्यक रूप से परेशानी एवं परिवहन पर अधिक व्यय करना पड़ रहा हैं।

vk;kx dk l|>ko g| fd iR;d fty| e| leh{kk dh tkdj =|fVi|.k| e|fi|x dk l|/kkjk tk,A

4 .मध्यान्ह भोजन बनाने वाले स्व सहायता समूहों की शिकायत मुख्यतः समय पर आवंटन एवं अनाज नहीं मिलना, रसोइयों का मानदेय प्राप्त नहीं होना एवं अनाज की गुणवत्ता सही नहीं होना जैसी समस्याओं से संबंधित रहती हैं। इसी प्रकार से अधिकारी एवं पालकों की चिन्ता भोजन की गुणवत्ता, निरन्तरता एवं प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा फर्जी सहायता समूह बनाने जैसी समस्याओं को लेकर रहती हैं। भोजन बनाने का कार्यादेश देने के बाद अधिकारी और स्व सहायता समूहों के बीच शायद ही कोई संवाद होता हो। केवल शिकायत प्राप्त होने पर समूह की जांच की जाती है। गांव में बनाए जा रहे भोजन संबंधी शिकायत जिला स्तर पर प्रकट होते–होते बहुत समय लग जाता है।

vk;kx dk l|>ko g| fd de l| de gj nk| ekg e| ,d ckj fodkl[k.M Lrj ij VkLd e|u|tj@Dokfy Vh ekuhVj ,o| lh-b|-vk- tuin i|pk;r }kjk l|;|Dr :Ik l| Lo lgk;rk le|gk| d| i|frfuf/k;k| d| lkFk cBd vk;kftr dh tk,A cBd e| le|gk| d| lkFk ppk| dj LFkkuh; leL;kvk| dk 'kh?kzrk l| fujkdj.k fd;k tk ldrk g|A

¼gLrk-½
¼jktfd'kkj Lokb½
v/;{k

¼gLrk-½
¼xkj|yky vfgjokj½
lnL;

¼gLrk-½
¼Jherh Lu|gyrk mik/;k;½
lnL;

¼gLrk-½
¼Jherh n|xk| Mkoj½
lnL;

¼gLrk-½
¼fd'kkj [k.M|yoky½
lnL;

¼gLrk-½
¼ohj fl|g pk|gku½
lnL;

राज्य शासन को की गयी महत्वपूर्ण अनुशंसाएं

¼v½ lkoZtfud forj.k iz.kkyh

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के परिवार, महिला, बच्चे एवं अन्य निर्धन एवं समाज के हाशिये पर खड़े परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी अधिनियम है। पहली बार निर्धन परिवारों की खाद्य सुरक्षा को महज एक कल्याणकारी कार्यक्रम के रूप में देखने के बजाय ऐसे परिवारों को गरिमा के साथ जीने के लिए खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है।

अधिनियम की धारा 3, 9 एवं 10 के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना के हितग्राही एवं अन्य प्राथमिकता श्रेणी के हितग्राहियों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अन्त्योदय अन्न योजना के तहत एक से छः सदस्यीय परिवार को माह में प्रति परिवार 35 किलोग्राम तथा अन्य प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को प्रति सदस्य प्रति माह 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है। कानून लागू होने से तीन वर्ष तक रियायती दर पर दिया जाने वाला चावल, गेहूं एवं मोटा अनाज की प्रति किलोग्राम कीमत क्रमशः तीन रूपये, दो रूपये तथा एक रूपये से ज्यादा नहीं करने के लिए पाबंद किया गया है। राज्य शासन योजना का लाभ शहरी क्षेत्र में 50 प्रतिशत जनसंख्या एवं ग्रामीण क्षेत्र में 75 प्रतिशत जनसंख्या तक विस्तारित कर सकता है। अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की सूची सार्वजनिक करने तथा धारा 12 के अन्तर्गत राशन दुकान तक सामग्री पहुंचाकर देने तथा उचित मूल्य दुकान के संचालन में लोक संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं और महिलाओं को प्राथमिकता देने के लिए राज्य शासन से अपेक्षा की गई है।

समीक्षा में पाया जाता है कि अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य में आवश्यक नियम एवं निर्देश के साथ–साथ प्रशिक्षित मानव संसाधन एवं संस्थागत व्यवस्था का एक मजबूत ढांचे का निर्माण किया गया है। राज्य शासन द्वारा म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 जारी किया गया है, जिसके अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना के परिवार के अतिरिक्त अन्य 23 प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को चिन्हित किया गया है। प्राथमिकता श्रेणी के परिवार में बी.पी.एल. परिवार एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार से लेकर वनाधिकार पट्टेधारी, बीड़ी श्रमिक, सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त हितग्राही, कुली, वाहन चालक, बहुविकलांग/मंदबुद्धि, खेतिहर मजदूर, शहरी क्षेत्र के रिक्शा चालक, हाथठेला चालक, घरेलू कामकाजी महिला, भवन तथा संनिर्माण में पंजीकृत श्रमिक से लेकर नैसर्गिक आपदाग्रस्त परिवारों तक विस्तृत एवं सर्वग्राही सूची बनाई गई है। रियायती दर के अनाज के लिए अधिनियम की अनुसूची एक में

दिए गए मापदण्ड से आगे जाकर राज्य शासन द्वारा चावल, गेहूं, मोटा अनाज एवं नमक की दर मात्र रु. 01/— प्रति किलोग्राम रखी गई है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 3(2) में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जनसंख्या के अनुशंसित ऊपरी—सीमा से आगे निकलकर प्रदेश की कुल जनसंख्या के 75 प्रतिशत से भी ज्यादा को लाभ दिया जा रहा है। अधिनियम की धारा 14 की अपेक्षा के अनुसार राज्य में आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की गई है। जिला कलेक्टर को जिला शिकायत निवारण अधिकारी घोषित किया गया है एवं संबंधित जिला अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया हैं। आम उपभोक्ताओं की शिकायत के निराकरण हेतु सी.एम. हेल्प लाईन जैसी विश्वसनीय एवं भरोसेमंद ऑनलाईन व्यवस्था लागू की गई है, जहां प्राप्त शिकायतों का निराकरण की स्थिति की समीक्षा मा. मुख्यमंत्रीजी से लेकर जिला अधिकारी तक हर स्तर पर नियमित रूप से करने की व्यवस्था है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे गरीब हितग्राहियों से जुड़े हुए संवेदनशील कार्यक्रम बिना भेदभाव एवं पक्षपात के पारदर्शी तरीके से संचालित हो, इस उद्देश्य से वितरण व्यवस्था निजी हाथ में सौंपने के बजाये प्राथमिक सेवा सहकारी संस्थाओं को सौंपा गया है। प्रदेश की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 22400 से अधिक राशन दुकानें किसान एवं नागरिकों को लेकर बनाई गई सेवा सहकारी संस्था एवं भण्डार संचालित कर रहे हैं। पूर्व से संचालित लीड संस्था की व्यवस्था को बदला जाकर अधिनियम की धारा 12 की अपेक्षा अनुसार प्रत्येक उचित मूल्य दुकान के द्वार तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए नागरिक आपूर्ति निगम को दायित्व सौंपा गया है। अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए की गई पहल निःसंदेह शासन एवं प्रशासनिक तंत्र का योजना के क्रियान्वयन के प्रति सजगता और प्रतिबद्धता दर्शाता है।

संभागीय समीक्षा बैठकों एवं मैदानी निरीक्षण में पाया जाता है कि योजना के क्रियान्वयन में जहां उल्लेखनीय सुधार हुआ है, वहीं दूसरी ओर व्यवस्थित एवं परेशानीरहित कार्य संचालन के लिए और अधिक सुधार की आवश्यकता है।

1- ik=rk iphl %&

1.1 प्रदेश के सभी जिलों में अभी भी अनेक पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित है। जांच करने पर पाया जाता है कि कई अपात्र परिवारों का नाम प्रारंभ से सूची में शामिल हो जाने के कारण जनसंख्या के कवरेज के लिए निर्धारित ऊपरी सीमा को प्राप्त कर लिया गया, जबकि कुछ पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित रह गए। छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को उनके हकदारी उपलब्ध कराने के लिए अपात्र व्यक्तियों के नाम सूची से पृथक किया जाना आवश्यक है। इस दिशा में ठोस पहल करने की आवश्यकता महसूस होती है।

आयोग अनुशंसा करता है कि सभी जिलों में तीन माह के भीतर हितग्राही सूची की जांच का कार्य पूरा कर लिया जाये। बोगस आधार एवं मिसमैच आधार कार्डधारी के अलावा अनुचित रूप से लाभ प्राप्त कर रहे सम्पन्न परिवार को भी जांच के दायरे में लाया जाए। अपात्र परिवारों को सुनवाई का एक अवसर देते हुए उनका नाम सकारण सूची से हटाया जाना चाहिए।

1.2 सम्पन्न व्यक्तियों को स्वेच्छा से राशन कार्ड समर्पित करने के लिए जन–जागरण अभियान चलाया जाना उचित होगा। कार्ड समर्पण करने वाले व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करने से इसका अच्छा प्रभाव दूसरे परिवारों पर भी पड़ेगा। साथ ही सम्पन्न होने के बाद भी गरीब व्यक्तियों का हक का राशन हड़पने वाले गंभीर प्रकरणों में राशन की कीमत ब्याज सहित वसूली करने की कार्यवाही की जा सकती है, जिससे इस प्रकार की मनोवृत्ति पर अंकुश लगेगी।

1.3 वर्तमान में लागू केन्द्रीयकृत व्यवस्था में परिवर्तन कर अपात्र परिवारों को हटाने एवं पात्र परिवारों के नाम जोड़ने का अधिकार जिला कलेक्टर्स को प्रत्योजित किया जाना चाहिए, ताकि शीघ्रता से कार्य का निष्पादन किया जा सके।

1.4 हितग्राहियों की एक शिकायत यह भी है कि बी.पी.एल एवं प्राथमिकता श्रेणी के सत्यापन हेतु उन्हें नगर निगम, तहसील, एस.डी.एम. कार्यालय के साथ–साथ विभागों के कार्यालयों से बार–बार संपर्क करना पड़ता है। आयोग का सुझाव है कि कलेक्टर कार्यालय में अपर कलेक्टर/सी.ई.ओ. जिला पंचायत की देखरेख में इस समस्या के निराकरण हेतु सिंगल–विण्डो प्रणाली चालू की जाए। सिंगल विण्डो सेल में संबंधित अधिकारी सप्ताह में कम से कम एक निर्दिष्ट दिन उपस्थित रहकर आपसी समन्वय से पात्रता निर्धारण का कार्य सम्पन्न कर सकते हैं। यह कार्यवाही शीघ्र शुरू की जाना चाहिए, ताकि समय सीमा में अपात्रों की छंटाई और पात्रों के नाम जोड़ने का काम पूरा हो सके।

1.5 किसी भी आबादी में जन्म, मृत्यु, विवाह एवं स्थाई रूप से अन्यत्र पलायन/विस्थापन आदि के कारण राशन कार्ड में नामों का संशोधन एक स्वाभाविक एवं निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। लम्बे समय से राशन नहीं लेने वाले परिवार की जांच कर फर्जी व्यक्तियों का नाम सूची से हटाने की कार्यवाही किया जाना भी चाहिए। विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण के कारण हो रहे विस्थापन, वार्ड के परिसीमन तथा नई शहरी आवास परियोजनाओं में आवास मिलने के कारण एक वार्ड से दूसरे वार्ड में विस्थापन होता है। ऐसे मामलों में राशन कार्ड को निकटस्थ राशन दुकान में संलग्न करने की आवश्यकता रहती हैं। इन प्रकरणों में जांच कर, यथास्थिति, नाम जोड़ने, हटाने तथा कार्ड को दुकान के साथ संलग्न करने का अधिकार भी कलेक्टर/जिला आपूर्ति नियंत्रक को प्रत्यायोजित किया जाना आवश्यक है। कलेक्टर के अनुमोदन से आपूर्ति नियंत्रक ऐसे आवश्यक संशोधन जिला स्तर पर कर सकते हैं, जिससे हितग्राहियों की शिकायत का तुरन्त निपटारा हो सकता है।

2-ih-vk-, l-e'khu

बायोमैट्रिक एवं आधार नम्बर के सत्यापन के लिए मध्य प्रदेश के 24 जिलों में विजनटेक कंपनी के और 27 जिलों की डी.एस.के. कंपनी की पी.ओ.एस. मशीन लगाई गई हैं। हालांकि वर्तमान में केवल शहरी क्षेत्रों में ही पीओएस मशीन से बायोमैट्रिक सत्यापन के बाद राशन वितरण हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में आधार नम्बर के सत्यापन के लिए पीओएस मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि

राशन वितरण रजिस्टर में आधार नम्बर दर्ज कर किया जा रहा है। समीक्षा एवं निरीक्षण में पाया गया कि डीएसके कंपनी की मशीन प्रायः ठीक से काम नहीं कर रही है। कंपनी के साथ हुए अनुबंध के अनुसार खराब मशीन को 48 घण्टे के भीतर बदल दिया जाना चाहिए। लेकिन किसी भी जिले में डीएसके कंपनी द्वारा इस शर्त का पालन नहीं किया गया है। प्रदेश के कई जिलों में डीएसके कंपनी की मशीन ठीक से काम नहीं कर रही हैं। ऐसी उचित मूल्य दुकानों से माह की 25 तारीख के बाद राशन देने के निर्देश है। फलस्वरूप पात्र होने एवं आधार कार्ड होने के बावजूद भी कई परिवारों को मशीन खराबी के चलते राशन लेने के लिए माह के अंतिम सप्ताह तक प्रतीक्षा करना पड़ रहा है।

इस आदेश से कई हितग्राही व्यथित हैं। शासन का मूल उद्देश्य पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। पीओएस मशीन का उपयोग वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने और लक्षित समूह की पहचान के लिए किया जा रहा है। वह मूल उद्देश्य की जगह नहीं ले सकता है। सही समय पर पात्र हितग्राही को राशन उपलब्ध कराना हमारा मुख्य उद्देश्य है और पीओएस मशीन को क्रियाशील बनाए रखना गौण है। इसलिये पीओएस मशीन का खराब हो जाने के कारण हितग्राही को लाभ देने का कार्य माह के अंतिम सप्ताह तक स्थगित नहीं किया जा सकता। अतः आदेश पर पुनर्विचार किया जाकर मशीन बदले जाने तक रजिस्टर से वितरण कराने के आदेश जारी किया जाना उचित होगा।

3- fuxjkuh lfefr%&

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 29 में अपेक्षा की गई है कि राशन वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने, निगरानी करने तथा अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन, चार स्तर पर, यानी की उचित मूल्य दुकान, विकासखण्ड, जिला एवं राज्य स्तर पर निगरानी समितियों का गठन करेगा। राज्य शासन ने इसका पालन करते हुए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के अन्तर्गत ऐसी निगरानी समितियों के गठन के लिए आदेश प्रसारित किया है और पाबंद किया है कि समितियों की बैठक कम से कम तीन माह में एक बार आयोजित की जाए।

उचित मूल्य दुकान स्तरीय निगरानी समिति की भूमिका महत्वपूर्ण है। राशन दुकानों का नियमित पर्यवेक्षण के अलावा, योजना के प्रावधानों के उल्लंघन तथा विक्रेता एवं अधिकारियों के द्वारा की गई अनियमितता की जानकारी जिला शिकायत निवारण अधिकारी को देने का दायित्व भी उन्हें सौंपा गया है। ये समितियां गठित तो हैं, लेकिन अधिकांश जिलों में क्रियाशील नहीं हैं।

3.1 आयोग अनुशंसा करता है कि सभी जिलों में उचित मूल्य दुकान स्तरीय निगरानी समितियों के गठन की समीक्षा कर जिन जगहों पर समिति का गठन नहीं हुआ है, वहां समिति का गठन एक माह में किया जाए। उ.मू.दु.स्तरीय निगरानी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में जानकारी देने के लिए अल्प अवधि का प्रशिक्षण शिविर

आयोजित किया जाना चाहिए। जिला आपूर्ति अधिकारी को इस निमित्त पाबंद किया जाये, ताकि हर जिले में निगरानी समिति धरातल पर वास्तविक रूप से क्रियाशील हो सके।

3.2 प्रशिक्षण शिविरों में राशन विक्रेताओं को भी शामिल किया जा सकता है। उपभोक्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार करना, पी.ओ.एस. मशीन एवं इलेक्ट्रोनिक तौल कांटा का इस्तेमाल करना, अंगूठा घिस जाने के प्रकरणों में रजिस्टर से राशन वितरण करने, उपभोक्ता को बिल की प्रति देना, दुकानों में सामग्री का रखरखाव सफाई आदि विषयों पर विक्रेताओं को प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

3.3 आम उपभोक्ता की जानकारी के लिए दुकान के बाहरी दीवाल पर निगरानी समिति के सदस्यों के नाम और उनके मोबाईल नम्बर लिख दिया जाना चाहिए। निगरानी समिति को एस.एम.एस. के जरिये हर माह आवंटन की जानकारी भेजने की व्यवस्था की जाए। उचित मूल्य दुकान स्तरीय निगरानी समिति की बैठक की कार्यवाही विवरण ऑन लाईन उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जाए।

4- }kj&iznk; ;kstuk%&

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत ऐसी अपेक्षा की गई है कि राज्य शासन राशन दुकान तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए प्रयास करेगा । मध्य प्रदेश राज्य में इस दिशा में ''द्वार–प्रदाय'' योजना के अन्तर्गत बहुत अच्छा स्तर का सुधार किया गया है। पूर्व में प्रचलित लीड संस्था की व्यवस्था को समाप्त किया गया है। अब राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा राशन का अग्रिम उठाव कर दुकानों में सामग्री पहुंचाई जा रही है। समीक्षा में पाया गया कि प्रदेश के जबलपुर, रीवा एवं मुरैना जैसे कुछ संभागों को छोड़कर शेष सभी संभागों में द्वार–प्रदाय योजना के तहत खाद्यान्न परिवहन का कार्यक्रम माह दिसम्बर, 2017 से संतोषप्रद रूप से चल रहा है। नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा प्रायः दुकान के आवंटन के अनुसार गेहूं, चावल एवं नमक एक साथ परिवहन कर पहुंचाया जा रहा है। मध्यान्ह भोजन एवं सांझा चूल्हा कार्यक्रम के लिए अनाज भी राशन सामग्री के साथ उपलब्ध कराई जा रही है, जो कि सराहनीय है। केरोसीन का प्रदाय पृथक से किया जा रहा है। जबलपुर, भोपाल और उज्जैन संभाग में जनप्रतिनिधियों द्वारा पिछले दिनों कुछ राशन दुकानों में खराब गुणवत्ता का खाद्यान्न मिलने के बारे में आयोग का ध्यान आकर्षित किया गया था, लेकिन समीक्षा में पाया गया कि ऐसे प्रकरण छिटपुट पाए गए थे, जिसे दूर करने के लिए निगम स्तर से आवश्यक सतर्कता एवं सावधानी बरती गई है। मौजूदा व्यवस्था के अन्तर्गत गोदाम से खाद्यान्न उठाने के पहले अनाज की गुणवत्ता का परीक्षण एवं प्रमाणीकरण पांच सदस्यीय अधिकारियों के दल द्वारा करने की व्यवस्था लागू की गई है। परिवहन व्यवस्था एवं खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आयोग निम्नानुसार अनुशंसा करता है:–

4.1 जबलपुर एवं रीवा जैसे संभाग में कतिपय स्वार्थी एवं प्रभावशाली परिवहनकर्ताओं द्वारा कई वर्षों से आपसी सांठगांठ से अनियमितता करने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही करने पर उनके द्वारा अपने रिश्तेदारों के नाम पर दूसरी कंपनी बनाकर परिवहन का

ठेका लेने का प्रयास किया जाता है। ऐसी कंपनियों को ब्लेक लिस्ट करने के साथ–साथ मूल कंपनी में पंजीकृत वाहनों को अन्य कंपनी में परिवहन के लिए अयोग्य ठहराने की कार्यवाही की जाना चाहिए, ताकि व्यवस्था में सुधार आ सके।

4.2 मालवाहक वाहनों में जी.पी.एस. सिस्टम लगाया जाना चाहिए, जिससे कि वाहन का गन्तव्य स्थल पर पहुंचने की मानिटरिंग की जा सके। यह व्यवस्था लागू होने से शासकीय गोदाम एवं राशन दुकान के बीच खाद्यान्न का चोरी होना, रास्ते में मिलावट होना या समान डायवर्ट होने जैसी घटनाओं पर बहुत हद तक अंकुश लग सकेगा।

4.3 प्रत्येक राशन दुकान में अनाज का सैम्पल रखने के लिए नागरिक आपूर्ति निगम को व्यवस्था करना चाहिए।

5- ,d foØsrk&vusd nqdku dh leL;k %&

उचित मूल्य दुकान के सही संचालन के लिए एक विक्रेता के पास एक ही उचित मूल्य दुकान का दायित्व रहना चाहिए। विशेष परिस्थिति जैसे दुकान के निलंबन या विक्रेता का निष्कासन या उसे दण्डित करने जैसे विशेष परिस्थिति में विक्रेता को पास की दुकान का अतिरिक्त प्रभार अस्थाई रूप से सौंपा जा सकता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 में भी ऐसा ही प्रावधान है। आयोग द्वारा समीक्षा में पाया गया कि कई जिलों में विक्रेताओं के पास दो या तीन से अधिक दुकान का दायित्व हैं। संभागवार स्थिति निम्नानुसार हैः–

संभाग (1)	दो दुकान (2)	तीन दुकान (3)	तीन से अधिक दुकान (4)
भोपाल	365	76	32
सागर	354	56	09
रीवा	495	127	15
शहडोल	183	75	17
जबलपुर	846	425	98
होशंगाबाद	178	80	10
ग्वालियर	273	35	08
मुरैना	64	12	02
उज्जैन	362	50	01
इंदौर	642	122	22
योग	3762	1058	214

रीवा जिले के कुछ स्थानों पर ''उद्धत'' विक्रेता को नियुक्त करने की शिकायत है। ''उद्धत'' विक्रेता समिति से कोई मानदेय प्राप्त नहीं करता। बिना मानदेय के विक्रेता किस ईमानदारी के साथ राशन वितरण करता होगा, यह विचारणीय है!

सहकारी समिति को 200 या 200 से अधिक कार्ड वाली दुकान के लिए केवल खाद्यान्न पर रूपये 8400/– कमीशन देने का प्रावधान है। 200 कार्ड से कम राशन कार्ड वाली दुकानों के लिए रु. 2400/– प्रति दुकान कमीशन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त खाली बारदानों की बिक्री से राशि प्राप्त होती है। केरोसीन की बिक्री पर भी समिति को कमीशन मिलता है। कहने का उद्देश्य यह है कि समिति को पर्याप्त कमीशन प्राप्त होता है, जिससे मानदेय की पूर्ति आसानी से की जा सकती है। समिति को अपने संसाधन से व्यय करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक दुकान के लिए एक स्वतंत्र विक्रेता की नियुक्ति होनी चाहिए।

आदर्श भर्ती नियम में समिति की लाभ–हानि की स्थिति को भर्ती के लिए आधार मानने के कारण भी पद पूर्ति में बाधा आ रही है। आयुक्त, सहकारिता ने बताया है कि समितियों के लिए संविदा नियुक्ति के नियम विचाराधीन है और उसे शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

आयोग अनुशंसा करता है कि विक्रेताओं की नियुक्ति के लिए संविदा भर्ती नियम शीघ्र लागू किया जाए।

6-r duhdh lg;kx%&

6-1 loj &

वर्तमान में खाद्य विभाग द्वारा एन.आई.सी. के सर्वर के माध्यम से जानकारी का भण्डारण एवं संप्रेषण किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में केवल शहरी क्षेत्र में ही पी.ओ.एस. मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद सामग्री वितरित की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में पी.ओ.एस. मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाना अनिवार्य नहीं किया गया है। इसके बावजूद भी देखने को मिला कि जिलों में सर्वर डाउन रहने के कारण वितरण प्रक्रिया कहीं–कहीं बाधित हो रही है। बायोमेट्रिक सत्यापन का विस्तार ग्रामीण क्षेत्र में होने के बाद सर्वर ब्रेकडाउन की घटनाएं बढ़ सकती हैं। आयोग अनुशंसा करता है कि खाद्य विभाग इस पर विचार करे और इस वृहद कार्यक्रम के लिए समर्पित सर्वर किराए पर लेने या स्वतंत्र सर्वर स्थापित करने की व्यवस्था की जाए।

6-2 jk'ku dkM e l'kk/ku ,o ocl kbV e ifof"V dju d vf/kdkj dk ftyk Lrj ij iR;k;ktu &

केन्द्रीयकृत व्यवस्था के कारण जिला स्तर पर राशन कार्ड में संशोधन आदि कार्य नहीं हो पा रहा है। कलेक्टर्स से हुई चर्चा से स्पष्ट होता है कि आधार सीडिंग, मिसमैच एवं फर्जी आधार कार्ड का

सत्यापन आदि मामलों में जानकारी अपलोड करने के बाद भी NFSA वेबसाइट में अद्यतन स्थिति का प्रकटीकरण होने में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है। पोर्टल पर बोगस आधार नंबरों में किए गए संशोधन के पश्चात् शेष बोगस आधार नंबरों की जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। कलेक्टर्स ने शिकायत की है कि मिसमैच आधार वाले नंबरों में संशोधन करने का विकल्प तथा समग्र पोर्टल पर नवीन पात्रता पर्ची निकालने में कठिनाई जा रही है और पूर्व में जारी पात्रता पर्ची भी प्रदर्शित नहीं हो रही है। जांच के बाद अपात्र परिवारों को हटाने के लिए जानकारी अपलोड की जा रही है, लेकिन वेबसाइट में अपात्र परिवारों की सूची लगातार अद्यतन न होने के कारण आगे कार्यवाही करने में कठिनाई जा रही है।

राशन वितरण में बड़े पैमाने पर शासन की धनराशि अनुदान के रूप में शामिल है। निचले स्तर पर नाम जोड़ने/घटाने जैसी संवेदनशील कार्यवाही में भेदभाव बरते जाने की आशंका को भी नकारा नहीं जा सकता है। इन कारणों से बिना नियंत्रण और संतुलन के अधिकार का प्रत्यायोजन करने में दिक्कत आ सकती है। आयोग का मत है कि चूंकि पात्र हितग्राहियों की मैपिंग लगभग अंतिम स्तर पर पहुंच चुकी है और लाभांवित होने वाले हितग्राहियों की संख्या के लिए ऊपरी सीमा निर्धारित की जा चुकी है। अतः प्रत्येक जिले के लिए पात्र परिवारों की ऊपरी सीमा निर्धारित कर उसे उल्लंघन नहीं करने की शर्त पर संशोधन का अधिकार जिला कलेक्टर को प्रत्यायोजन किया जाना चाहिए। कार्यक्रम के लिए बनाए गए साफ्टवेयर में तद्नुसार परिवर्तन किया जाना वांछनीय है।

6-3 ,l-,e-,l- d }kjk tkudkjh dk lEizs"k.k–

अपात्र परिवारों को अपात्रता के कारण सहित उनका नाम हटाए जाने की जानकारी एस.एम.एस. के जरिए देने के लिए आवश्यक प्रबंध किया जाना चाहिए। नवीन पात्र हितग्राहियों को भी पात्रता पर्ची जारी होने की सूचना एस.एम.एस. के जरिये भेजने की व्यवस्था किया जाना चाहिए। उ.मू.दु. स्तरीय निगरानी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हर माह आवंटन की जानकारी एस.एम.एस. से देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाना चाहिए, ताकि निगरानी सार्थक हो सके।

7-1 d'f"k ,o vkfFkd :Ik l detkj ftyk e NV g, ik= ifjokjk dk uke tkMu e ikFkfedrk nuk%

समीक्षा में यह पाया गया कि अनुसूचित जनजाति बाहुल एवं आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत कमजोर जिले जैसे– श्योपुरकलां, भिण्ड, मण्डला, डिण्डौरी, सीधी आदि में जिले अपेक्षाकृत रूप से कम जनसंख्या लाभ प्राप्त कर रही हैं। संभवतया शुरूवाती दौर में नाम जोड़ने के मामले में स्थानीय जनता, अधिकारी एवं निकायों के पदाधिकारियों के अग्र–सक्रिय नहीं होने का यह नतीजा है, जबकि इन जिलों की गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न की आवश्यकता सबसे अधिक है।

आयोग अनुशंसा करता है कि इन जिलों के लिए पात्र परिवारों/जनसंख्या की ऊपरी सीमा निर्धारित करते हुए शेष बचे पात्र व्यक्तियों के नाम प्राथमिकता के आधार पर जोड़ने की अनुमति दी जाना चाहिए।

8-ikjnf'kZrk ,oa tokcnsgh&&

8-1 गांव की तुलना में शहरी क्षेत्र की राशन दुकान के संबंध में ज्यादा शिकायतें हैं। प्रभावशाली लोगों द्वारा दुकान संचालन में हस्तक्षेप किया जाना, दुकान नियमित रूप से नहीं खोलना, मिलावट किया जाना, निर्धारित मात्रा में सामग्री नहीं दिया जाना, अंगूठा नहीं लगने का बहाना बताकर सामग्री ना देना और हितग्राहियों से अच्छा व्यवहार नहीं किये जाने की शिकायत कुछ नगरीय क्षेत्रों से मिली है। नगरीय क्षेत्र का एरिया सीमित होने एवं वहां विद्युत प्रदाय निरंतर बनी रहने के कारण डिजिटल मानिटरिंग के जरिये व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है।

अतः आयोग की अनुशंसा है कि जिला मुख्यालय के नगरनिगम/नगरपालिका से प्रारंभ करते हुए चरणबद्ध तरीके से सभी नगरीय क्षेत्रों की राशन दुकानों में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाया जाना चाहिए, जिससे दुकानों की रियल टाईम मानीटरिंग की जा सकती है।

8.2 राशन वितरण माह के 21 तारीख तक पूरा करने के निर्देश पर पुनर्विचार होना आवश्यक प्रतीत होता है। नए निर्देश के परिप्रेक्ष्य में जनवरी, 2018 में खाद्यान्न उठाव एवं वितरण की स्थिति का जायजा लिया गया। पाया जाता है कि आयुक्त, खाद्य द्वारा जनवरी माह के लिए परिवार वार पात्रता की जानकारी 13 दिसम्बर, 2017 को कम्प्यूटर पर अपलोड की गई। 2 जनवरी, 18 तक प्रदेश के 1287 दुकानों की पी.ओ.एस. मशीन में जानकारी डाउनलोड नहीं हो पाई। डाउनलोड के लिए दोबारा 12/1/2018 से 15/1/2018 तक समय सीमा निर्धारित की गई। इस अवधि में भी 06 दुकानों में जानकारी डाउनलोड नहीं हो पाई। एम.आई.एस. में की गई प्रविष्टि अनुसार 18 जनवरी तक 60 प्रतिशत हितग्राहियों को राशन वितरण किया गया। 18 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के मध्य, अर्थात् कि चार दिवस में शेष 40 प्रतिशत हितग्राहियों को राशन वितरण किया जाना है। इससे हितग्राहियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जोकि उचित नहीं है।

आयोग का सुझाव है कि 21 तारीख तक राशन वितरण करने के नियम पर पुनर्विचार कर उसे निरस्त किया जाना उचित होगा।

8-3 जनसाधारण की जानकारी के लिए दुकान खोलने का समय, कार्य दिवस, सामग्रियों की दर सूची, शिकायत करने के लिए टोल–फ्री नम्बर, स्टॉक आदि दुकान के बाहर प्रदर्शित करने के लिए स्पष्ट निर्देश है। कई दुकानों में जानकारी मिट गई है या अस्पष्ट एवं अपठनीय हो चुकी है। इन जानकारियों को पुनः स्पष्ट रूप से दुकान की बाहरी दीवाल पर लिखने के लिए सहकारी समिति के प्रबंधन को निर्देश देना चाहिए।

8-4 बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया के कारण हितग्राहियों की सूची वस्तुतः पी.ओ.एस. मशीन के अन्दर चली गई है। इसके कारण सम्पन्न एवं अपात्र व्यक्ति का नाम आम हितग्राही को सहज में दृष्टिगोचर नहीं होता है। सुझाव है कि हितग्राहियों के नाम हिन्दी लिपि में टाईप एवं लेमिनेट कर उसे दुकान के अन्दर प्रदर्शित किया जाए, जिससे सूची में शामिल सभी नाम सार्वजनिक हो सके और अपात्र व्यक्ति की पहचान हो सके।

8-5 विक्रेता के पास राशन कार्ड जमा नहीं करने के बारे में भी दुकान की बाहरी दीवाल पर हिदायत लिखा जाए।

8-6 निगरानी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम एवं मोबाईल नम्बर एवं जिला आपूर्ति नियंत्रक/सहायक एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के नाम एवं मोबाईल नम्बर दुकान की बाहरी दीवाल पर लिखा जाए।

8-7 मध्यान्ह भोजन एवं सांझा–चूल्हा के लिए अनाज प्राप्त करने वाले महिला स्व सहायता समूह का नाम भी दुकान में प्रदर्शित किया जाए।

8-8 खाद्य अमले द्वारा किए जा रहे निरीक्षण बहुधा अधूरी (ामजबील) रहती है और कार्यक्रम के महत्वपूर्ण पहलुओं, जैसे– निगरानी समिति की बैठक, हितग्राहियों की शिकायत एवं उनकी संतुष्टि, अग्रिम उठाव, दुकान का नियमित खोलना, स्टॉक सत्यापन में पाई गई स्थिति का समावेश नहीं किया जाता है।

आयोग का सुझाव है कि निरीक्षण के लिए विभाग महत्वपूर्ण घटकों को शामिल कर एक चैकलिस्ट प्रसारित करें, जिससे सार्थक निरीक्षण हो सके। निरीक्षण टीप निरीक्षण पंजी में आवश्यक रूप से दर्ज की जाए तथा पिछले निरीक्षण में पाई गई अनियमितता एवं दिए गए निर्देश के पालन के संबंध में क्या कार्यवाही हुई है, उसकी जानकारी भी टीप में शामिल की जाए। निरीक्षण रिपोर्ट पर पालन प्रतिवेदन की समीक्षा की व्यवस्था भी जिला स्तर पर की जाए।

8-9 विक्रेताओं के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया जाना उचित होगा। ग्वालियर जिले में विक्रेताओं को ड्रेस दी गई है एवं दुकान की साफ सफाई की उत्तम व्यवस्था की गई है। इस प्रकार की कार्यवाही सभी जिलों में होना चाहिए।

9- ekbxzsV Jfedksa ds fy, jk'ku dh 0;oLFkk&

फसल कटाई, बुवाई, निंदाई एवं अवर्षा की स्थिति में रोजगार की तलाश में प्रदेश के कतिपय जिलों से लोग कृषि सम्पन्न जिलों में पलायन (माईग्रेट) कर जाते हैं। ऐसे माईग्रेट श्रमिकों को उसी जिले के नजदीक की राशन दुकान से खाद्यान्न देने की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। जिला कलेक्टर्स से जानकारी प्राप्त कर ऐसे गांव एवं परिवारों को चिन्हित किया जा सकता है। चिन्हित

परिवारों को आधार नम्बर के साथ पहचान पत्र बनाकर दी जा सकती है। आयुक्त, खाद्य द्वारा माईग्रेटेड जिले के आवंटन में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकती हैं, जिससे कि श्रमिक परिवार को राशन आसानी से मिल सके।

10-xkeh.k ,o 'kgjh {k=k e nqdkuk dk iujkoVu ,o ;fDr;Drdj.k&

10-1 शहरी क्षेत्र में वार्ड के परिसीमन के कारण एवं शहरी आवास योजना के विकास के कारण एक वार्ड में निवास करने वाले व्यक्ति का राशन कार्ड दूसरे वार्ड के दुकान में या निवास स्थान से पांच से सात किलोमीटर की दूरी पर स्थित मूल राशन दुकान में सम्बद्ध हैं। ऐसी स्थिति में कई हितग्राहियों को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला स्तर पर दुकानों का युक्तियुक्तकरण एवं राशन कार्ड का दुकानों में संलग्नीकरण की समीक्षा कर इस प्रकार की विसंगति को दूर किया जाये।

10-2 वर्तमान में कई जिलों में दुकानों में संलग्न कार्ड संख्या में बहुत अधिक अन्तर है। कई दुकानों में 60 से 70 कार्डधारी हैं, जबकि कुछ दुकानों में दो हजार से अधिक कार्डधारी पंजीबद्ध हैं। आवश्यक है कि स्थिति की समीक्षा कर वार्ड्स एवं पंचायतों की सीमा को ध्यान में रखते हुए दुकानवार राशन कार्ड का युक्तियुक्तकरण किया जाए।

10-3 शहरी क्षेत्रों में 800 की आबादी पर एक उचित मूल्य दुकान खोलने का प्रावधान है। शहरी आबादी में वृद्धि हो जाने के कारण दुकानों की संख्या में वृद्धि किया जाना आवश्यक हो गया है। शहरी क्षेत्रों की दुकानों का पुनरावंटन पर माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन के कारण ऐसा करना संभव नहीं होने की बात खाद्य विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। आयोग का सुझाव है कि माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए आवेदन पत्र दाखिल कर स्थगन खाली करने के लिए प्रार्थना की जाए। स्थगन खाली होने के बाद नवीन दुकानों का आवंटन महिला सहकारी समितियों को करने की कार्यवाही की जाए।

10-4 नवीन नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में एक स्वतंत्र राशन दुकान स्थापित होना है। ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानों का पुनरावंटन पर लगी न्यायालयीन रोक भी समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में प्रदेश के 22800 पंचायतों में से 5253 पंचायतों में राशन दुकान नहीं है। ऐसी पंचायतों में व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए महिला सहकारी समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों को नवीन दुकानों का आवंटन तीन माह के भीतर किया जाना चाहिए।

11-lkekftd vd{k.k%&

खाद्य सुरक्षा जैसी संवेदनशील, महत्वपूर्ण एवं अधिकार आधारित कार्यक्रम में रियायती दर पर अनाज, गर्म भोजन एवं प्रीमिक्स भोजन प्रदाय करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के पेटे एक बड़ी धनराशि व्यय की जा रही है, जिसके सदुपयोग का प्रमाणीकरण होना आवश्यक है। कार्यक्रम में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उच्च मानक के तकनीक का प्रयोग

किया जा रहा है, जिनकी क्रियाशीलता का आडिट आवश्यक है। पात्रता निर्धारण में राज्य शासन के अतिरिक्त स्थानीय निकायों एवं जिला प्रशासन की अहम भूमिका है, जिनकी निष्पक्षता एवं भेदभावरहित दृष्टिकोण कार्यक्रम के लिए क्रीटिकल है। इसी प्रकार से खाद्य विभाग के अलावा सहकारिता, राजस्व, पंचायत ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, नागरिक आपूर्ति निगम,भण्डार गृह निगम एवं प्राथमिकता श्रेणी निर्धारण करने वाले मूल विभागों के समन्वय से ही सा.वि.प्र. कार्यक्रम का संचालन संभव है। इन सभी घटकों से ऊपर उठकर हितग्राही की संतुष्टि योजना की सफलता को परखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कसौटी है, जिसके बारे में जानकारी हासिल किया जाना चाहिए। इन जटिलताओं को देखते हुए आवश्यक है कि योजना के हर पहलू के बारे में प्रशिक्षित एवं दक्ष एजेंसियों/स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण कराया जाए।

¼c½ iwjd iks"k.k vkgkj dk;Øe

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का प्रवर्तन के उद्देश्यों एवं कारणों में स्त्रियों तथा बालकों का पोषण सुनिश्चित कर देश के मानव संसाधन की गुणवत्ता को बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। खाद्य सुरक्षा समस्या के समाधान के लिए पूर्व में प्रचलित कल्याणकारी दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन कर अधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें गर्भवती एवं धात्री माताओं के साथ–साथ 6 माह से 6 वर्ष की उम्र तक के सामान्य बच्चे एवं कुपोषण से ग्रसित बच्चों को निःशुल्क भोजन प्राप्त करने का विधिक अधिकार प्रदाय किया गया है।

अधिनियम की धारा 4 (क), 5 (एक) एवं 6 के अन्तर्गत बच्चे एवं महिलाओं के लिए निम्नानुसार पोषण मानक निर्धारित किया गया हैं:–

Ø-	iwoxZ	Hkkstu dk izdkj	dSyksjh ¼fd-dSyksjh esa½	izksVhu ¼xzke esa½
1	2	3	4	5
1	6 माह से 3 वर्ष के बालक	टेक होम राशन	500	12–15
2	3 से 6 वर्ष के बालक	आंगनवाड़ी केन्द्र पर नाश्ता और गर्म भोजन	500	12–15
3	6 माह से 6 वर्ष के कुपोषित बालक	टेक होम राशन (थर्ड मील के साथ)	800	18–20
4	गर्भवती एवं धात्री मातायें	टेक होम राशन	600	20–25

महिला एवं बच्चों की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य की देखभाल, किशोरी बालिकाओं का पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए सहायता तथा एकल महिलाओं को पर्याप्त पेंशन उपलब्ध कराने के लिए भी जोर दिया गया है।

प्रदेश में उपरोक्त विधिक प्रावधान को ध्यान में रखते हुए महिला एवं बच्चों के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रदेश के सभी 313 विकासखण्ड एवं शहरी क्षेत्रों में कुल मिलाकर 453 बाल विकास परियोजनायें संचालित की जा रही हैं। प्रदेश में 84465 आंगनवाड़ी एवं 12670 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से बच्चों एवं गर्भवती/धात्री माताओं के टीकाकरण, स्वास्थ्य देखभाल के साथ–साथ नाश्ता, गर्म भोजन एवं टेक होम राशन का वितरण किया जा रहा है। 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने हेतु सप्ताह में 3 दिवस सुगंधित दुग्ध का वितरण भी आंगनवाड़ी केन्द्रों से किया जा रहा है। शासन के निरंतर प्रयास करने का नतीजा यह रहा है कि जहां पूर्व में वर्ष 2005–06 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (छथ्भ्.3) के अनुसार प्रदेश में 60 प्रतिशत कम वजन के कुपोषित बच्चे एवं 12.6 प्रतिशत गंभीर कुपोषित बच्चे पाए गए थे, वहीं वर्ष 2015–16 में प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (छथ्भ्.4) में 42.8 प्रतिशत कुपोषित बच्चे एवं 9.2 प्रतिशत गंभीर कुपोषित बच्चे पाए गए हैं। इस प्रकार से सामान्य से कम वजन वाले बच्चों एवं गंभीर कुपोषित बच्चों के मामले में उल्लेखनीय सुधार होना पाया जाता है। पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में वर्ष 2005–06 में पाई गई मृत्यु दर प्रति हजार 93 से घटकर वर्ष 2015–16 के सर्वेक्षण में 65 दर्ज हुई है। इसी प्रकार का सुधार प्रजनन के समय मातृ मृत्यु दर में भी परिलक्षित हुई है।

आयोग द्वारा किए गए निरीक्षण एवं समीक्षा में पाया गया कि एकीकृत बाल विकास परियोजना का सर्वव्यापीकरण हुआ है। किसी भी जिले में आंगनवाड़ी केन्द्र समय पर नहीं खोलना या टेक होम राशन या गर्म भोजन नहीं मिलने की स्थिति नहीं पाई गई। होशंगाबाद, उज्जैन, शहडोल एवं इंदौर जैसे जिलों में अटल बाल पालक योजना एवं अन्य नवाचारों के माध्यम से उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। आयोग यह पाता है कि कुछ जिलों में पंचायत एवं स्थानीय समुदाय की सहभागिता की कमी एवं पालकों की सक्रियता की कमी एवं पर्याप्त पर्यवेक्षण की कमी के कारण योजना के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इन कमियों को दूर करने और कार्यक्रम को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से निम्न अनुशंसायें की जाती हैः–

1 doj:t dh leL;k%&

निरीक्षण में पाया गया कि आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत 3–6 वर्ष के बच्चों में से औसतन 50 प्रतिशत ही केन्द्र में आ रहे हैं, जो कि चिन्ताजनक है। इस छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए अनुकूल परिवेश तैयार करने एवं लोगों को प्रेरित करने में पंचायत प्रतिनिधियों की सक्रियता दिखाई नहीं देती है। बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा के लिए अन्यथा चिन्तित रहने वाले पालक भी कई ग्रामों में कार्यक्रम के प्रति उदासीन रहते है। रही–सही कसर जगह–जगह पर संचालित निजी विद्यालयों ने पूरा कर लिया है। प्रायवेट स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा की लालच में पालक पांच साल से कम उम्र के बच्चों को आंगनवाड़ी की बजाये निजी स्कूल में भेज रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य की देखभाल तो दूर की बात है, बच्चों को भोजन तक की व्यवस्था नहीं होती है। ऐसी स्थिति में बहुधा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, केन्द्र में आए बच्चों को मात्र पोषण आहार वितरण करने तक अपने आपको सीमित रखती है। महिला बाल विकास विभाग के अधीन युवा एवं उच्च शिक्षित महिला पर्यवेक्षकों

का एक मजबूत केडर उपलब्ध है। पर्यवेक्षक, आंगवाड़ी कार्यकर्ता के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से पालक एवं स्थानीय समुदाय के साथ संवाद कर सकते हैं।

1.1 पंचायतों की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। महिला एवं बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करने की योजना बनाई जाना चाहिए। प्रमुख घटकों जैसे– गर्भवती माताओं का टीकाकरण, एनेमिया नियंत्रण, इन्स्टीच्यूशनल डेलीवरी, बाल मृत्यु दर, स्वच्छता, किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य जांच, कुपोषण, साफ पेयजल आदि को शामिल कर सौ अंक की स्केल पर हर माह पंचायतों का श्रेणीकरण किया जाना चाहिए और वर्ष के अन्त में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाली पंचायतों को राज्य एवं जिला स्तर पर सम्मानित एवं पुरस्कृत करने से उनकी सक्रियता बढ़ सकती है।

1.2 निजी विद्यालय के खुलने के समय आंगनवाड़ी के समय के बाद निर्धारित करने या कम से कम आंगनवाड़ी खुलने के दो घण्टे के बाद रखने के लिए यदि निर्देश जारी किया जाता है, तो बच्चों को नाश्ता मिल सकता है। ऐसे बच्चों को दोपहर का भोजन देने के लिए टिफिन कैरियर की व्यवस्था स्थानीय सहायता से की जा सकती है। कुल मिलाकर प्रयास यह होना चाहिए कि निजी विद्यालय में जा रहे छः से कम उम्र के बच्चों को भोजन एवं नाश्ता मिल जाये, ताकि हितग्राहियों का कवरेज यथार्थ रूप से बढ़े और कुपोषण पर अंकुश लग सके।

2- Vsd gkse jk'ku%&

2.1 केन्द्रीयकृत व्यवस्था को समाप्त कर स्थानीय स्तर पर महिला स्व सहायता के माध्यम से टेक होम राशन प्रदाय करने के लिए प्रदेश शासन द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। लेकिन नवीन व्यवस्था के लिए नियम एवं निर्देश को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण अभी भी पुरानी व्यवस्था प्रचलन में है। आयोग का सुझाव है कि नई व्यवस्था के लिए नियम को आगामी तीन माह के भीतर अंतिम रूप दे दिया जाए, ताकि स्थानीय महिला समूह के माध्यम से व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके।

2.2 वर्तमान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा परियोजना मुख्यालय से टेक होम राशन का परिवहन केन्द्र तक किया जा रहा है, जोकि उचित नहीं है। राशन सामग्री के परिवहन की भांति, द्वार–प्रदाय योजना के तहत आंगनवाड़ी केन्द्र तक टेक होम राशन पहुंचाकर देने के लिए नई नीति में शर्त शामिल किया जाना उचित होगा ।

2.3 गर्म भोजन एवं नाश्ता के सैम्पल को लम्बे समय तक सुरक्षित रखना या अन्य किसी प्रदेश की प्रयोगशाला में भेजकर परीक्षण कराना संभव नहीं है। सुझाव है कि आंगनवाड़ी केन्द्र में सांझा चूल्हा/स्व सहायता समूह द्वारा दिए जा रहे गर्म भोजन, टेक होम राशन एवं मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए संभाग स्तर पर, चरणबद्ध तरीके से खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना किया जाना चाहिए, ताकि खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के साथ–साथ खाद्य सुरक्षा अधिनियम में निर्धारित पोषण मानक का परीक्षण एवं सत्यापन किया जा सके।

3-[kk| lqj{kk dk fy, nky dh mi;kfxrk %&

कुपोषण का मुकाबला केवल गेहूं एवं चावल जैसे कार्बोहाईड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों से नहीं की जा सकती। प्रदेश में विभिन्न प्रकार की दाल जातीय फसलों का प्रचूर मात्रा में उत्पादन होता है। दाल से गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को सस्ते दर पर प्रोटिन उपलब्ध हो सकता है, जो कुपोषण दूर करने के लिए असरकारक हो सकती है। सुझाव है कि गेहूं एवं चावल के अतिरिक्त उचित मूल्य दुकानों से रियायती दर पर दाल वितरण करने की योजना बनाई जाना उचित होगा।

4-lq[kk ,oa ikf"Vd uk'rk %&

आंगनवाड़ी में नाश्ता और भोजन नियमित दिया जा रहा है, लेकिन कई जिलों में भोजन एवं नाश्ता अरूचिकर होने की शिकायत आयोग को मिली है। नाश्ता और भोजन के संबंध में दो प्रकार की शिकायतें हैं। पहला, यह कि कुछ आंगनवाड़ी केन्द्रों में नाश्ता और भोजन एक साथ प्रदाय किया जा रहा है। बच्चे दोनों एक साथ नहीं खा सकते। फलस्वरूप एक भोजन खाया जाता है और दूसरा नष्ट हो जाता है। दूसरा, यह कि जहां पर नाश्ता व भोजन पृथक–पृथक दिया जाता है, उनमें से अधिकांश जगह पर नाश्ता एवं भोजन में एक समान खिचड़ी या चावल दाल रहती है। एक प्रकार के खाद्य पदार्थ को दिन में दो बार बच्चे रूचि के साथ नहीं खा सकते हैं।

4.1 नाश्ता एवं भोजन को हर हाल में अलग–अलग समय पर देने की व्यवस्था की जाये। सुझाव है कि आंगनवाड़ी केन्द्र में पौष्टिक, सूखा एवं रूचिकर नाश्ता देने की व्यवस्था की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि नाश्ता कम से कम एक सप्ताह तक बिना खराब हुए रखा जा सकता है। ऐसा होने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नाश्ते के मामले में स्वतंत्र रहेगी और बच्चे केन्द्र में आते ही बिना सप्लाई का इंतजार किए उन्हें नाश्ता खिला सकती हैं। इस प्रकार से बच्चों को नाश्ते के बाद दोपहर के भोजन के लिए भी काफी अन्तराल मिल जाएगा।

जिन जिलों में मौसमी फल जैसे केला, संतरा, पपीता आदि का उत्पादन होता है, उन जिलों में ऐसे फल भी स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्र में दिया जा सकता है।

4.2 सेन्ट्रलाईज्ड किचन से नाश्ता और भोजन एक साथ सप्लाई होने की शिकायत हैं। नाश्ता एवं भोजन की अलग–अलग व्यवस्था लागू होने तक सेन्ट्रलाईज्ड किचन का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाना चाहिए। किचन में लगे सी.सी.टी.वी. फुटेज का परीक्षण परियोजना अधिकारी एवं जिला महिला बाल विकास अधिकारी को स्वयं करना चाहिए और देखना चाहिए कि नाश्ता और भोजन एक साथ निकल रहा है या अलग–अलग समय में ।

5-xHkkZoLFkk d egRoi.kZ efguk e ikf"Vd Hkkstu %&

गर्भवती एवं धात्री माताओं एवं तीन से कम उम्र के बच्चों के लिए मुख्यतः प्रीमिक्स सामग्री दी जा रही है, जिससे आटा, बेसन लड्डू, बाल आहार, हलुआ और खिचड़ी आदि बनाई जाती है।

प्रीमिक्स में आटा, दाल, घी/तेल, नमक, हल्दी, शक्कर/गुड़ आदि को इकट्ठा मिला देने के कारण बंद पैकेट से कुछ दिनों के बाद तेज गंध निकलने की शिकायत मिलती है। इसके कारण वह रूचिकर नहीं रह जाता है।

आयोग का इस संबंध में दो सुझाव है। पहला सुझाव है कि प्रीमिक्स में शामिल प्रत्येक सामग्री को अलग–अलग पाउच में रखा जाए और ऐसे पाउच्स को एक बड़े पैकेट में पैक कर दिया जाए। घर में बड़े पैक को खोलकर अलग–अलग सामग्री के इस्तेमाल से व्यंजन तैयार किया जा सकता है, जोकि रूचिकर होगा और गंध आने की समस्या भी दूर हो जाएगी। यह भी देखने को मिला कि गर्भावस्था के सभी महिनों में एक प्रकार की पोषण आहार देने की व्यवस्था है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। टेक होम राशन के अलावा मातृत्व कल्याण योजना के अन्तर्गत भी गर्भवती माताओं के सुपोषण के लिए सहायता देने का प्रावधान है। दोनों योजनाओं के अन्तर्गत दी जा रही राशि एवं पोषण आहार का सदुपयोग होना चाहिए। सुझाव है कि गर्भावस्था के महत्वपूर्ण महिनों में माता एवं गर्भस्थ शिशु के पोषण के लिए उपयुक्त रेसिपी विकसित किया जाए । रेसिपी के प्रचार–प्रसार के लिए सचित्र निर्देशिका/पाम्पलेटस् तैयार किया जा सकता है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता एवं सुपरवाईजर को इस संबंध में प्रशिक्षित किया जा सकता है।

6-fd'kksjh ckfydkvksa dh ns[kHkkYk%&

यह स्वयसिद्ध सत्य है कि आज की किशोरी बालिका कल की माता है। इसलिये किशोरी बालिका के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण एवं प्रजनन संबंधी ज्ञान जितना मजबूत होगा, गर्भवती माताओं एवं नवजातों में पाई जाने वाली बीमारियां, जैसे अनेमिया, कुपोषण, प्रसव समय माता की मृत्यु, बाल मृत्यु एवं कम वजन के बच्चों के पैदा होना आदि में उतनी अधिक सुधार देखने को मिलेगा। राज्य में किशोरी शक्ति एवं सबला योजना के पोषकीय एवं गैर पोषकीय घटकों के माध्यम से किशोरी बालिकाओं की देखभाल के उपाए किए जा रहे हैं।

आयोग का सुझाव है कि योजना को और मजबूत किया जाए। किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य जांच, उपचार एवं पोषण में ठोस निवेश किए बिना प्रगति प्राप्त नहीं की जा सकती है।

किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की मानिटरिंग के लिए प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में अनिवार्यतः एक रजिस्टर का संधारण किया जाए, जिसमें किशोरी बालिकाओं के नाम, पालक का नाम, उम्र, शैक्षणिक स्थिति, स्वास्थ्य संबंधी महत्पूर्ण घटकों की स्थिति,स्वास्थ्य जांच के दिवस एवं उपचार आदि का विवरण संधारित किया जाए। वर्ष में कम से कम चार बार किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य का परीक्षण चिकित्सकों के दल द्वारा करने की व्यवस्था की जाए।

7-'kgjh {ks= esa vkaxuokM+h dsUnzksa dk ;fDr;Dr dj.k%&

शहरी क्षेत्र में कई ऐसे स्थानों पर आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हो रहे हैं, जहां कि आज सम्पन्न व्यक्तियों के लिए आलीशान कालोनियां बन गई है। ऐसे कालोनी के बच्चे आंगनवाड़ी केन्द्र में नहीं

आते हैं और ना ही उनका परिवार बच्चों के पोषण, टीकाकरण, अनौपचारिक शिक्षा आदि के लिए आंगनवाड़ी केन्द्र को आदर्श स्थान मानते हैं। ऐसे केन्द्रों को शहर की तंग एवं गरीब बस्तियों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। रिलोकेशन करने का अधिकार जिला कलेक्टर को प्रत्यायोजन किया जा सकता है। पूर्व में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को नवीन स्थान पर काम करने के विकल्प देने के लिए नियम में संशोधन किया जा सकता है।

8-xHkhj dikf"kr cPpk dk mipkj ,o ic/ku%&

वर्तमान में चिकित्सकीय जटिलता वाले गंभीर कुपोषित बच्चों (SAM- Severe Acute Malnutrition) का पोषण प्रबंधन स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित पोषण पुनर्वास केन्द्रों (एन.आर.सी.)में किया जाता है, जहां पर चिकित्सकों की देखरेख से उनका इलाज होता है। लेकिन गैर चिकित्सकीय जटिलता वाले बच्चों का उपचार एवं पोषण प्रबंधन के लिए कोई स्थाई, दृष्यमान, सामुदायिक पोषण प्रबंधन की व्यवस्था नहीं है। ऐसे बच्चों का प्रबंधन केवल रेडी टू ईट थैराप्यूटिक फूड के माध्यम से किया जाता है। गैर चिकित्सकीय SAM बच्चों के कुपोषण के पीछे भी उनके खराब स्वास्थ्य एक प्रमुख कारण होता है। ऐसे बच्चों को भी चिकित्सक एवं पोषण विशेषज्ञों की सलाह मिलनी चाहिए, ताकि उनकी स्थिति में सुधार आ सके।

आयोग का सुझाव है कि जहां पर एन.आर.सी. में बेड खाली रहते हैं, उन जगहों पर गैर चिकित्सकीय SAM बच्चों को भर्ती किया जाना चाहिए। जहां पर एन.आर.सी. के बेड खाली नहीं रहते हैं, वहां पर आंगनवाड़ी के समूह बनाकर ऐसे शिशुओं का परीक्षण नियमित अन्तराल में शिशु विशेषज्ञों से कराने की व्यवस्था होनी चाहिए।

9-n/k ink; ;k tuk%&

बच्चों के स्वास्थ्यवर्धन के लिए राज्य शासन द्वारा अपने संसाधन से 15 जुलाई, 2015 से आंगनवाड़ी में प्रति बच्चा 100 मि.ली. के मान से सप्ताह के तीन दिन (सोमवार, बुधवार व शुक्रवार) सुगंधित मीठा दूध का प्रदाय किया जा रहा है। यह कार्यक्रम निश्चित रूप से सराहनीय है और कुपोषण निवारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आयोग ने पाया कि मांग संकलित करने से लेकर दुग्ध प्रदाय करने तक प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है, जिसके कारण अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। कई आंगनवाड़ी केन्द्र में 15 दिन से लेकर एक माह तक दुग्ध पावडर पहुंच नहीं पाया है। चर्चा में पाया गया कि परियोजना स्तर पर हर माह मांग इकट्ठा की जाती है। परियोजना से जिला पंचायत को जानकारी भेजी जाती है। जिले से जानकारी ग्रामीण विकास विभाग के मध्यान्ह भोजन प्रकोष्ठ को भेजी जाती है, जहां से म.प्र. दुग्ध संघ को प्रदाय आदेश दिया जाता है।

आयोग का सुझाव है कि मध्यान्ह भोजन के लिए किए जा रहे ऑनलाईन आवंटन की भांति पिछले माह की उपस्थिति के आधार पर दूध पाउडर की मात्रा की गणना की जाए और परियोजना स्तर से सीधे ग्रामीण विकास विभाग एवं दुग्ध संघ को ऑनलाईन मांग भेजने की व्यवस्था लागू की जाए।

10-vkxuokMh dUn e lfo/kk%&

आंगनवाड़ी केन्द्र में बच्चों के बैठने के लिए दरी अच्छी हालत में उपलब्ध नहीं मिली। कुछ केन्द्रों में पोषण आहार की बोरियों को सिलकर बैठने की व्यवस्था किया जाना पाया गया। पिछले पांच वर्ष से दरी का प्रदाय नहीं हुआ है। जिन केन्द्रों में पानी का फिल्टर प्रदाय किया गया है, उनमें से अधिकांश फिल्टर के कैंडिल पुराने हो चुके हैं, जिसे बदला जाना चाहिए। बच्चों के भोजन के लिए दिए गए चम्मच, गिलास और प्लेट खराब हो जाने से या गुम जाने से कम हो गए हैं, जिसकी भरपाई की जाना चाहिए। कई आंगनवाड़ी केन्द्र के भवन पुराने होने के कारण जर्जर हो चुके हैं। कुछ केन्द्रों के फर्श क्षतिग्रस्त है।

आयोग का सुझाव है कि प्राथमिकता के आधार पर आंगनवाड़ी केन्द्रों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था की जाए। आंगनवाड़ी केन्द्र के सामान की सूची (इन्वेंट्री) बनाई जाए और आवश्यकता के अनुसार खराब हुई सामग्री की भरपाई की व्यवस्था की जाए। क्षेत्र के माननीय सांसद एवं माननीय विधायकों के विकास निधि से भी केन्द्र में फर्नीचर, बैठने के लिए दरी, बिजली एवं अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की जा सकती है।

पुराने एवं क्षतिग्रस्त भवनों के सुधार एवं मरम्मत का कार्य जनपद पंचायतों द्वारा समय सीमा में करने के लिए शासन आदेश जारी किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

11-ekrRo dY;k.k ;kstuk ¼i/kkuea=h ekr` onuk ;kstuk½ %&

पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अन्तर्गत टेक होम राशन का लाभ हेतु प्रदेश के 1470000 गर्भवती एवं धात्री माताओं का पंजीयन किया गया, जबकि प्रधान मंत्री मातृवंदन कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर 2017 तक प्रदेश में केवल 67183 गर्भवती माताओं का ऑनलाईन पंजीयन हुआ है। इस बात का निश्चय नहीं हो पाया है कि मातृत्व कल्याण योजना का संचालन महिला बाल विकास विभाग करेगी या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। संभवतः इसी कारण से गर्भवती माताओं के ऑनलाईन पंजीयन का कार्य में गति नहीं आ सकी है।

आयोग अनुशंसा करता है कि कार्यक्रम के संचालन के बारे में शीघ्र निर्णय लिया जाए एवं आगामी तीन माह के भीतर ऑनलाईन पंजीयन का कार्य पूर्ण कर सहायता राशि का वितरण हितग्राहियों के खाते में किया जाए।

¼l½ e/;kUg Hkkstu dk;Øe%&

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों के पोषण सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। कक्षा आठ तक के या छह वर्ष से चौदह वर्ष आयु समूह के छात्र/छात्राएं जो कि शासकीय विद्यालय, स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालय या शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत हैं, को विद्यालय अवकाश को छोड़कर शेष प्रत्येक दिन एक बार निःशुल्क

दोपहर का भोजन प्रदाय किया जाना है। निम्न प्राथमिक कक्षा एवं उच्च प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए मध्यान्ह भोजन में क्रमशः 450 कि. कैलोरी और 12 ग्रा. प्रोटिन तथा 700 कि.कैलोरी एवं 20 ग्रा. प्रोटिन होनी चाहिए।

विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन देने के पीछे उद्देश्य यह है कि पोषण सुरक्षा के साथ–साथ बच्चों की पढ़ाई में मन लगेगा, विद्यालय त्यागने की स्थिति में कमी आएगी और गरीब परिवारों द्वारा बच्चों को श्रम में लगाने के प्रयास पर अंकुश लगेगा। विद्यालयीन शिक्षा यदि मजबूत होगी तो वह देश की सभी विकासोन्मुखी कार्यक्रम के लिए डनसजपचसलपदह मििबज(गुणा प्रभाव) का काम करेगी। कार्यक्रम के महत्व को देखते हुए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नियम जारी किया गया है कि यदि स्कूल में लगातार तीन दिन अथवा एक माह में पांच दिन तक मध्यान्ह भोजन उपलब्ध नहीं करने की स्थिति में राज्य शासन द्वारा जिम्मेदारी तय करते हुए त्रुटिकर्ता से खाद्य सुरक्षा भत्ता की वसूली की जा सकेगी।

आयोग ने पाया कि प्रदेश के 83786 प्राथमिक शाला एवं 32043 माध्यमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालित हो रहा हैं। भोजन बनाने की जिम्मेदारी स्थानीय महिला स्व सहायता समूहों को दी गई है, जो सांझा चूल्हा के माध्यम से विद्यालयों एवं आंगनवाड़ियों में दोपहर का गर्म भोजन प्रदाय कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र में सेन्ट्रलाईज्ड किचन के माध्यम से मध्यान्ह भोजन दिया जा रहा है। खाद्यान्न का आवटन ऑनलाईन किया जा रहा है। शिक्षा पोर्टल पर दर्ज छात्र संख्या के 65 प्रतिशत के मान से आवंटन उपलब्ध किया जा रहा है। खाद्यान्न का आवंटन राशन दुकान की पी.ओ.एस. मशीन से जारी किया जाकर महिला स्व सहायता समूहों को जारी की गई आई.डी. का उपयोग कर उक्त आवंटन को प्राप्त करने की व्यवस्था की गयी है। निरीक्षण में पाया गया कि सभी विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन दी जा रही है। कतिपय स्थानों को छोड़कर मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता भी संतोषप्रद है। कार्यक्रम को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से निम्नानुसार अनुशंसा की जाती हैं:–

1. कई शालाओं में खुले मैदान या जर्जर/खण्डहर मकानों में भोजन बनाया जा रहा है। प्रदेश के 7442 प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला किचन शेड विहीन है। इनमें से कुछ शालायें एक परिसर में स्थित हो सकती हैं, जहॉ पर एक से अधिक विद्यालयों के लिये एक किचन शेड पर्याप्त होगा, लेकिन शेष शालाओं के लिये नवीन किचन शेड का निर्माण अगामी दो वर्ष के भीतर किया जाना चाहिये। स्थानीय प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिये कि नवीन किचन शेड का निर्माण हो जाने तक शाला भवन के किसी अतिरिक्त कक्ष/अनुपयोगी कक्ष में भोजन बनाने की व्यवस्था की जाये, लेकिन किसी भी स्थिति में खुले में या अस्वस्थकर परिवेश में भोजन बनाया नहीं जाए।

2. महिला स्व सहायता समूहों को दी गई आईडी के आधार पर पीओएस मशीन को एक्सेस करने पर कहीं–कहीं आवंटित मात्रा से कम मात्रा प्राप्त होना एवं आवंटित अनाज गेहूं या चावल है,

उसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं होने की शिकायत मिली है। कार्यक्रम के साफ्टवेयर में फाईन ट्यूनिंग कर दिक्कतों को दूर किया जाना चाहिये।

3. कार्यक्रम पर निगरानी रखने के लिये राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं विकासखण्ड स्तरीय दिशादर्शी एवं अनुश्रवण समिति के अतिरिक्त शाला स्तर पर मदर रोस्टर द्वारा निरीक्षण की व्यवस्था की गई है। समीक्षा में पाया गया कि प्रदेश के हर जिला/विकासखण्ड में अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है, लेकिन आवश्यक संख्या में बैठक आयोजित नहीं हो रही है। विकासखण्ड स्तरीय समिति की बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जिसमें खाद्यान्न का आवंटन, रसोइयों की स्थिति, विद्यालय का खुला रहने से लेकर स्व सहायता समूहों को कार्य आवंटन जैसे मामले पर चर्चा हो सके और समस्याओं का निराकरण तत्परता से किया जा सके।

   अतः जिला स्तरीय एवं विकासखण्ड स्तरीय समितियों को क्रियाशील बनाया जाए।

4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम द्वारा भाासित सभी योजनाओं के अंतिम छोर पर निरीक्षण के लिये तीनों विभागों की अलग–अलग निगरानी समिति के स्थान पर पंचायत प्रतिनिधि, शासकीय अधिकारी, स्वयं सेवी संगठन एवं हितग्राहियों को लेकर एक सशक्त समिति का गठन किया जाना चाहिए, ताकि प्रभावी निरीक्षण सुनिश्चित हो सके।

5. सभी शालाओं में प्रधान अध्यापक को मध्यान्ह भोजन को चखने एवं स्वच्छ वातावरण में भोजन बनना सुनिश्चित करने के लिये अध्यापकों का रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिये जाने चाहिये।

6. भोजन ग्रहण करने के पहले एवं बाद में हाथ धुलाने की स्थाई व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। हाथ धोकर भोजन करना स्वास्थ्य रक्षा का अभिन्न अंग है। प्रत्येक विद्यालय एवं आंगनवाड़ी में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा प्रकाशित हाथ धोने का सचित्र पाम्पलेट्स का प्रदर्शन किया जाना चाहिये। शिक्षक एवं छात्रों को इसके बारे में प्रशिक्षित भी किया जाना चाहिये। प्रत्येक स्कूल में साबुन, बाल्टी एवं तौलिया की व्यवस्था होनी चाहिये।

7. मध्यान्ह भोजन के काम में लगी हुई महिला रसोइयों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। प्रदेश के लगभग 36 हजार विद्यालयों में गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि लगभग 80 हजार से ज्यादा विद्यालयों में लकड़ी से भोजन तैयार किया जा रहा है। गैस सिलेण्डर की रिफिलिंग की अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण जहां पर गैस कनेक्शन दिया गया है, वहां भी एक बार गैस जल जाने (खत्म होने)के बाद लकड़ी से भोजन तैयार करना पड़ता है। रसोइयों के स्वास्थ्य के लिए लकड़ी का धुंआ अत्यन्त हानिकारक है। फिर भी दिनभर की मेहनत के लिए उन्हें माह में केवल एक हजार रुपये का पारिश्रमिक दिया जा रहा है, जो कि अत्यन्त ही कम है।

   आयोग की अनुशंसा है कि रसोइयों का मासिक पारिश्रमिक कम से कम तीन हजार रुपये किया जाए।

8. गैस की रिफिलिंग, खाने बनाने के बर्तन, चम्मच, गिलास, टाटपट्टी, हाथ धोने के लिए साबुन, तौलिया आदि आवश्यक सामग्रियों के इन्वेंट्री बनाए जाए, ताकि ऑनलाईन मानिटरिंग किया जा सके एवं कमी की पूर्ति शीघ्रता से किया जाना संभव हो सके।

9. निराश्रित, वृद्ध एवं बेसहारा व्यक्तियों को मध्यान्ह भोजन देने की व्यवस्था है। निरीक्षण में यह पाया गया कि स्थानीय समुदाय एवं स्व सहायता समूह इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। इस संबंध में शिक्षक, स्व सहायता समूह एवं मदर्स कमेटी को सेंसिटाईज किया जाना चाहिए, ताकि ऐसे बेसहारा लोगों को पोषण सुरक्षा मिल सके।

शासन को भेजी गई प्रमुख अनुशंसायें

आयोग द्वारा पिछले वर्ष किए गए निरीक्षण एवं संभागीय समीक्षा बैठकों में पाई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए शासन को कुछ सुझाव पत्र क्र. 130/खाद्य आयोग/2018 दिनांक 16.2.2018 द्वारा भेजा गया था, जो कि शासन के पास विचाराधीन है। किए गए सुझावों पर कार्यवाही के लिए स्मरण पत्र क्र. 1046/खाद्य आयोग/2018, दिनांक 13.11.2018 द्वारा पुनः शासन से अनुरोध किया गया था।

2. आयोग द्वारा भेजी गई अनुशंसाओं में से शासन द्वारा कुछ बिन्दुओं पर निम्नानुसार कार्यवाही भी की गई हैः–

(i) द्वार प्रदाय योजना के अन्तर्गत सभी जिलों में उचित मूल्य दुकान तक राशन सामग्री का शतप्रतिशत अग्रिम उठाव एवं भण्डारण सुनिश्चित किया गया है।

(ii) दुकानविहीन ग्राम पंचायतों में नवीन दुकान खोलने के लिए प्रक्रिया का निर्धारण कर निर्देश जारी किए गए हैं।

(iii) सहकारिता विभाग द्वारा विक्रेताओं की नियुक्ति के लिए भर्ती नियम बना लिया गया है एवं चयन के लिए विज्ञापन भी जारी किया गया है।

(iv) अंगूठा घिस जाने के मामले में रजिस्टर में समग्र/आधार नम्बर का उल्लेख कर राशन वितरण करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

(v) खाद्य सुरक्षा से संबंधित सभी कार्यक्रमों का पंचायत एवं वार्ड स्तर पर निगरानी हेतु एकीकृत सतर्कता समिति गठन करने के लिए निर्देश एवं परिपत्र जारी किए गए हैं।

(vi) मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोइयों का पारिश्रमिक प्रति माह एक हजार रुपये से बढ़ाकर प्रतिमाह दो हजार रुपये कर दिया गया है।

(vii) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय प्रतिमाह रु. 5000 से बढ़ाकर प्रति रु. 10000 किया गया है। इसी प्रकार सहायिका का मानेदय प्रतिमाह रु. 2500 से बढ़ाकर प्रतिमाह रु. 5000 किया गया है।

(viii) प्राथमिक विद्यालय के छात्र–छात्राओं तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों द्वारा स्ट्राबरी, पाईनएपल एवं रोज फ्लेवर का दूध पाउडर पसंद नहीं किया जाता था। म.प्र. राज्य दुग्ध संघ द्वारा उक्त फ्लेवर का पाउडर का प्रदाय बंद कर केवल चाकलेट एवं इलायची फ्लेवर का दूध पाउडर प्रदाय किया जा रहा है, जिसे बच्चे सेवन कर रहे हैं।

3. वर्ष 2018–19 में आयोग द्वारा और बारिकी से योजनाओं के क्रियान्वयन का अध्ययन करने के उद्देश्य से जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं हितग्राहियों के साथ चर्चा एवं समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिले के पिछड़ एवं दूरस्थ विकासखण्डों में जन सुनवाई शिविर का भी आयोजन किया गया। योजनाओं का निरीक्षण करते समय योजनाओं के महत्वपूर्ण घटकों, जैसे पोषण पुनर्वास केन्द्र, केन्द्रीयकृत किचन, नागरिक आपूर्ति निगम का इश्यू सेन्टर, खाद्यान्न भण्डारण की व्यवस्था आदि का विशेष रूप से निरीक्षा किया गया। पिछले वर्ष जिन प्रमुख समस्याओं के निवारण के लिए सुझाव दिए गए थे, उनमें से कुछ समस्यायें इस वर्ष भी कमोवेश सभी जिलों में देखने को मिली। जिला एवं विकासखण्ड के भ्रमण के बाद प्रत्येक जिले में पाई गई समस्याओं के निराकरण के लिए शासन एवं जिला प्रशासन को विस्तृत कार्यवाही विवरण मय सुझावों के तत्समय भेज दिया गया था। कार्य सुविधा की दृष्टि से यहां पर उन सुझावों को योजनावार समेकित रूप से शासन को प्रस्तुत किया जा रहा है।

¼v½ yf{kr lkoZtfud forj.k iz.kkyh

1. राशन कार्ड की सूची से अपात्र व्यक्तियों के नाम पृथक कर बचे हुए शेष पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़ने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। जांच में पाए गए अपात्र व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उनके नाम पृथक किया जा सकता है। इस मामले में प्रचलित केन्द्रीयकृत व्यवस्था में परिवर्तन कर अपात्र परिवारों को हटाने एवं पात्र परिवारों का नाम जोड़ने का अधिकार कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया जाना चाहिए, ताकि कार्य शीघ्र पूर्ण हो सके।

2. बोगस आधार नंबर एवं मिसमैच वाले आधार नम्बर की सूची का सत्यापन अभी तक नहीं हो पाया है। सूची का सत्यापन अधिकतम तीन माह के भीतर किया जाना चाहिए।

   आधार नम्बर बोगस पाए जाने पर सूची से नाम पृथक कर उनके स्थान पर पात्र हितग्राही/परिवार का नाम जोड़ा जाना चाहिए।

3. प्रत्येक जिले में ऐसे कुछ हितग्राही है, जो लगातार पिछले 4–6 माह से राशन लेने नहीं ले रहे हैं। इनकी भी जांच होना चाहिए और यदि बोगस आधार नम्बर या पलायन आदि होना सिद्ध होता है, तो उनके नाम सूची से हटाकर, रिक्त होने वाले स्थान पर प्रतीक्षारत पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़ा जाना चाहिए।

4. जन्म, मृत्यु, पलायन एवं विवाह आदि की स्थिति में राशन कार्ड में नाम जोड़ना या पृथक करना का अधिकार जिला कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से वार्ड का परिसीमन, शहरी आवास परियोजना में मकान आवंटन होने के कारण वार्ड में परिवर्तन, विभिन्न परियोजनाओं के कारण विस्थापन आदि स्थिति में राशन कार्ड को निकटस्थ उचित मूल्य दुकान में संलग्न करने का अधिकार जिला आपूर्ति नियंत्रक को प्रत्यायोजित किया जाना आवश्यक है।

5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल समस्त योजनाओं की प्रभावी निगरानी के लिए पंचायत एवं वार्ड स्तर पर एकीकृत सतर्कता समिति का गठन के लिए शासन द्वारा क्रमशः परिपत्र क्रमांक एफ 7–21/2017/29–1, दिनांक 15.2.18 एवं एफ 7–21/2017/29–1, दि. 7 जून, 2018 को निर्देश जारी किये गये है। कई जिलों में समिति का गठन अभी तक नहीं हो पाया है और जहां समिति का गठन का आदेश जारी भी हुआ है, वहां समिति क्रियाशील नहीं है। समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को जनपद पंचायत/नगरपालिका स्तर पर उनके कर्तव्य एवं दायित्व के बारे में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाना चाहिए, ताकि सतर्कता समिति के सदस्य योजनाओं की बारिकिओं को समझ सके और लक्षित समूहों के हितरक्षा के लिए सक्षमता से कार्यवाही कर सके।

6. सतर्कता समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हर माह राशन आवंटन की जानकारी एस.एम.एस. के जरिए देने की व्यवस्था नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जाए, ताकि सतर्कता समिति आवंटन एवं वितरण की समीक्षा कर सके।

7. पारदर्शिता बनाए रखने एवं अपात्र व्यक्तियों की पहचान के लिए हितग्राहियों की सूची को हिन्दी फोण्ट में टाईप कर उ.मू.दु. के भीतर प्रदर्शित किये जाने का सुझाव है।

8. आम हितग्राही की जानकारी के लिए उ.मू.दु. के बाहर सतर्कता समिति के सदस्यों के नाम एवं मोबाईल नम्बर लिखा जाना उचित होगा, जिससे कि राशन संबंधी समस्या के निराकरण के लिए उपभोक्ता सतर्कता समिति से संपक्र कर सकता है।

9. आदिवासी बाहुल्य जिलों से आयोग को यह सुझाव प्राप्त हुआ है कि अक्सर गरीब लोग मजदूरी के लिए पास वाले जिलों में कुछ दिनों के लिए चले जाते हैं। ऐसे मजदूर यदि माह की 21 तारीख तक राशन दुकान पर नहीं आते हैं, तो उनके राशन का कोटा समाप्त कर दिया जाता है। लोगों की मांग थी कि ऐसे लोगों का कोटा समाप्त ना किया जाए और उन्हें अगले माह में राशन देने के निर्देश दिए जाए। आयोग इस मांग को उचित पाता है और अनुशंसा करता है कि मजदूरी पर बाहर गांव जाने वाले व्यक्तियों का राशन का कोटा कम से कम दो माह तक जीवित रखा जाए।

10. डी.एस.के. कंपनी द्वारा प्रदेश के 28 जिलों में पी.ओ.एस.मशीन उपलब्ध कराई गई है। इस कंपनी की मशीनें अक्सर खराब रहती है, जिसके कारण अनेक हितग्राहियों को माह की 21 तारीख तक राशन के लिए अपेक्षा करना पड़ता है । अतः इस कंपनी के साथ किए गए अनुबंध पर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है। साथ ही खराब मशीन को समय सीमा में नहीं बदलने की स्थिति में हितग्राहियों को 48 घण्टे के बाद रजिस्टर से राशन वितरण कराने की व्यवस्था किया जाना चाहिए।

11. आदिवासी बाहुल्य जिलों एवं वनाच्छादित एवं पहाड़ी क्षेत्र में कुछ ग्राम की उचित मूल्य दुकान से दूरी पांच किलोमीटर से भी अधिक हैं। इन क्षेत्रों में बस, टैक्सी आदि सार्वजनिक आवागमन की सुविधा अन्य स्थानों की तुलना में अपेक्षाकृत रूप से कम है। ऐसे गांव में रहने

वाले वृद्ध, निःशक्त, एकल महिला परिवार एवं साधनहीन हितग्राहियों को राशन प्राप्त करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यद्यपि ऐसी पंचायतों की संख्या कम है, फिर भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे गांवों में ही सप्ताह में एक दिन राशन वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था किया जाना चाहिए।

12. शासन द्वारा प्रयोग के तौर पर जिलों की ग्रामीण क्षेत्रों की कुछेक उ.मू.दु. में बॉयोमैट्रिक व्यवस्था लागू की गई है। आयोग ने पाया कि नेटवर्क कनेक्शन की समस्या के कारण इनमें से कुछ स्थान पर पी.ओ.एस. मशीन काम नहीं करती है जिसके कारण बॉयोमैट्रिक सत्यापन और राशन वितरण में दिक्कत आ रही है। सुझाव है कि कलेक्टर से परामर्श कर जिले की जिन ग्राम पंचायतों में नेटवर्क मिलता है, उन ग्राम पंचायतों की दुकानों में इस व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए।

13. सीधी, सिंगरौली, रीवा, उज्जैन एवं दमोह जैसे कई जिलों में विक्रेताओं को शासन द्वारा निर्धारित मात्रा से कम राशि का मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। इसका दुष्परिणाम दुकान संचालन पर पड़ रहा है। कम मानदेय के कारण दुकान स्तर पर विक्रेता द्वारा कई प्रकार की अनियमितता करने की शिकायत भी प्राप्त हो रही है। सहकारिता विभाग को इस समस्या का रिव्यू कर शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिलाने के लिए शीघ्रता से कार्यवाही करना चाहिए।

14. मिलावट रोकने एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इश्यू सेन्टर से उ.मू.दु. को खाद्यान्न भे. जने के पूर्व अनाज के सेम्पल का परीक्षण कर पंचनामा बनाने का निर्देश है। यह कार्य, खाद्य अधिकारी के प्रतिनिधि, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रतिनिधि एवं गोदाम प्रभारी की उपस्थिति में एवं उनके हस्ताक्षर से होना चाहिए। आयोग ने पाया कि इश्यू पूर्व अनाज के सेम्पल का एनालिसिस नहीं किया जा रहा है। भण्डार गृह निगम के रजिस्टर, जिसमें उपरोक्त तीनों अधिकारी हस्ताक्षर करते हैं, उसमें केवल स्टेक क्रमांक (जिससे कि माह में अनाज इश्यू हो रहा है) और गोडाउन में उपलब्ध स्कंध का उल्लेख रहता है। सेम्पल का एनालिसिस नहीं होता है। इश्यू के समय तीनों अधिकारी भी एक साथ उपस्थित नहीं रहते हैं। इस व्यवस्था में परिवर्तन किया जाना चाहिए और सेम्पल एनालिसिस अनिवार्य किया जाना चाहिए। भण्डार गृह निगम के रजिस्टर के प्रारूप में आवश्यक संशोधन कर एनालिसिस का परिणाम उल्लेख करने की व्यवस्था किया जाना चाहिए।

15. राज्य में कृषि उपज के भण्डारण के लिए उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन यह सुविधा समान रूप से सभी जिलों एवं विकासखण्डों में उपलब्ध नहीं है। रीवा, शहडोल, मुरैना एवं ग्वालियर जैसे संभागों के कतिपय विकासखण्डों में भण्डारण की सुविधा का विस्तार करने की आवश्यकता है। इस संबंध में विकासखण्डवार स्थिति का आंकलन कर राज्य भण्डार गृह निगम को गोदाम निर्माण की कार्यवाही करना चाहिए, ताकि दूरस्थ विकासखण्डों में अग्रिम भण्डारण की व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके।

16. जिन पुराने गोडाउन के फर्श एवं दीवाल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और जहां सीलन के कारण अनाज खराब होने का डर है, ऐसे गोडाउन में बोरी रखने के लिए प्लास्टिक की पन्नी बिछाई जा रही है। यह व्यवस्था अनाज की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे गोडाउन में अनाज की बोरी रखने के लिए लकड़ी, प्लास्टिक या लोहे के क्रेट प्रदाय किया जाना उचित होगा।

ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश गोडाउन की पहुंच मार्ग एवं आंतरिक सड़कें कच्ची एवं जर्जर हालत में है। वर्षा के समय भारी वाहन से अनाज का परिवहन में अत्यधिक कठिनाई आती है। अतः गोडाउन के अधोसंरचना में आवश्यक सुधार किया जाना चाहिए।

गोडाउन में मिलावट एवं चोरी आदि घटनाओं को रोकने के लिए सी.सी.टी.वी. लगाए जाए। इसी प्रकार प्रत्येक गोडाउन में अग्निशमन यंत्र भी लगाए जाए।

17. प्रत्येक ग्राम पंचायत में शासकीय उचित मूल्य दुकान खोलने के लिए शासन द्वारा आदेश प्रसारित किए गए हैं। दुकान आवंटन में महिला संस्था एवं महिला स्व सहायता समूहों को प्राथमिकता देने का उल्लेख है। आयोग ने पाया कि आदिवासी बाहुल्य एवं पिछड़े जिलों, जैसे सिंगरौली, धार, अनूपपुर, बैतूल आदि के कई विकासखण्डों में विज्ञापन के बाद भी महिला संस्था/ स्व सहायता समूहों से आवेदन प्राप्त नहीं हो रहे हैं। परिस्थितिवश स्थानीय सहकारी समितियों को एक से अधिक दुकानों के संचालन का दायित्व दिया जा रहा है। सहकारी समितियों द्वारा आवर्ती व्यय बचाने के लिए एक विक्रेता से अनेक दुकानों का संचालन करवाया जा रहा है। फलस्वरूप ऐसे स्थानों पर दुकान सप्ताह में छः दिन नहीं खुल पा रही हैं, जिसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है।

आयोग की अनुशंसा है कि ऐसे स्थानों पर महिला स्व सहायता समूहों एवं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित समूहों को वित्तीय सहायता एवं दुकान चलाने के लिए आवश्यक अधोसंरचना उपलब्ध कराई जाए। साथ ही उचित मूल्य दुकान के संचालन के लिए उनका कौशल विकास किया जाए।

18. खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 8 के अन्तर्गत हितग्राहियों को खाद्यान्न या भोजन की हकदार मात्रा नहीं मिलने की दशा में भारत सरकार द्वारा जारी नियम के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है। पूरक पोषण आहार, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं मध्यान्ह भोजन के मामले में भारत सरकार द्वारा क्रमशः दि. 20 फरवरी, 2017, दि. 21 जनवरी, 2015 तथा दि. 30 सितम्बर, 2015 को नियम जारी किए गए हैं। आयोग का सुझाव है कि इन नियमों के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन से अपेक्षित नियम एवं प्रक्रिया का निर्धारण शीघ्र कर दिया जाए, ताकि त्रुटिकर्ता व्यक्ति/संस्था से खाद्य सुरक्षा भत्ता की वसूली हो सके।

19. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 33 एवं धारा 34 के अन्तर्गत जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के पालन बिना युक्तियुक्त कारण के नहीं करने के मामले में दोषी लोक सेवक से रुपये पांच हजार से अनधिक का जुर्माना वसूल किया जा सकता है। इसके लिए राज्य शासन से नियम एवं प्रक्रिया का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है।

20. म.प्र. राज्य खाद्य आयोग द्वारा समय–समय पर विभाग एवं जिलों को भेजे गए सुझाव एवं निर्देश पर अनुवृत्ति कार्यवाही का प्रतिवेदन भेजने के लिए खाद्य विभाग, महिला, बाल विकास विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के स्तर पर एक–एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल आफिसर नियुक्त किया जाना चाहिए।

¼c½ ijd ik"k.k vkgkj dk;Øe%&

1. आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों की कम उपस्थिति इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधक है। आयोग ने पाया कि प्रायः आंगनवाड़ी में 3–6 साल के बच्चों की उपस्थिति दर्ज संख्या के 30–50 प्रतिशत तक रहती है। पंचायत एवं स्थानीय समुदाय के सहयोग के अभाव, गांव में खुले अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के आकर्षण एवं कुछ स्थानों पर गांव/वार्ड से दूर आंगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण आदि के कारण बच्चों की उपस्थिति प्रभावित हो रही है। निजी स्कूल में दाखिला ले रहे गरीब परिवार के बच्चों को जहां एक ओर नाश्ता, भोजन एवं दूध नहीं मिल पाता है, वहीं दूसरी ओर उनके स्वास्थ्य की देखभाल भी ठीक से नहीं हो पाती है।

   आयोग का सुझाव है स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला एवं बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायतों को पुरस्कृत करने की योजना बनाई जाना चाहिए। आंगनवाड़ी में बच्चे एवं माताओं की उपस्थिति, गर्भवती माताओं एवं बच्चों का टीकाकरण, बाल मृत्यु दर कम करना, कुपोषण निवारण, किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य की जांच, एनेमिया नियंत्रण, स्वच्छ पेयजल आदि घटकों पर पंचायतों की उपलब्धि का आंकलन किया जाना चाहिए और हर वर्ष ज्यादा अंक प्राप्त करने वाली पंचायतों को राज्य एवं जिला स्तर पर पुरस्कृत करना चाहिए। इससे स्थानीय निकाओं की सक्रियता एवं भागीदारी में वृद्धि होगी।

   महिला बाल विकास विभाग के अमला के प्रशिक्षण में भी यथोचित परिवर्तन किया जाना चाहिए। पंचायत प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संगठन एवं पालकों के साथ संवाद स्थापित कर आंगनवाड़ी की सेवा को किस प्रकार से सुदृढ़ किया जा सकता है, उसके बारे में अमला को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

   गांव के निजी विद्यालयों में जा रहे गरीब परिवार के बच्चों को नाश्ता और भोजन देने के लिए स्थानीय सहयोग से टिफिन कैरियर की व्यवस्था की जा सकती है।

2. कम पढ़े–लिखे पालकों को उनके बच्चों की पोषण स्तर के बारे में जानकारी देने एवं उन्हें सजग करने के लिए बच्चों के नाम के आगे सुपोषण के लिए हरा, मध्यम स्तर के कुपोषण के लिए पीला और अति कुपोषित बच्चों के लिए लाल रंग से स्माईली बनाकर प्रदर्शित किया जा सकता है।

3. बच्चों के वजन सही–सही रिकार्ड करने के लिए सल्टर स्केल एवं इलेक्ट्रानिक मशीन उपलब्ध कराई गई है। भ्रमण के समय पाया गया कि कुछ आंगनवाड़ी केन्द्रों में वजन मशीन खराब

पड़ी है।

आयोग का सुझाव है कि वर्ष में एक बार वजन मशीन का अच्छी हालत में होने का सत्यापन और आडिट परियोजना स्तर से किया जाए, ताकि वजन मशीन सही हालत में उपलब्ध रहे।

4. बच्चों के वजन को सही तरीके से रिकार्ड करना और हर माह वजन में हो रही वृद्धि या कमी को ग्रोथ चार्ट पर सटीक रूप से अंकित करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूर्व से कम पढ़ी–लिखी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पदस्थ हैं, वहां पर यह कार्य सही ढंग से निष्पादित नहीं हो पा रहा है। आयोग का सुझाव है कि ऐसे कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को चिन्हित कर उन्हें ग्रोथ चार्ट तैयार करने के लिए पुनः प्रशिक्षित किया जाए।

5. आयोग के ध्यान में यह बात भी आई है कि आंगनवाड़ियों में पिछले लगभग पांच वर्षों से बच्चों के बैठने के लिए दरी प्रदाय नहीं की गई है। जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों की फर्श क्षतिग्रस्त हुई हैं, उन केन्द्रों पर बिना दरी के बैठना बच्चों के स्वास्थ्य के कदापि उचित नहीं है। हमारा सुझाव है कि प्राथमिकता के आधार पर आंगनवाड़ी केन्द्रों में दरी प्रदाय की जाए। साथ ही जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों में भोजन लेने के लिए थाली, गिलास एवं चम्मच की कमी है, उसकी भी पूर्ति की जाए।

6. यद्यपि आंगनवाड़ी में बच्चों को नाश्ता, भोजन एवं थर्ड मील नहीं मिलने बाबत कोई गंभीर शिकायत आयोग को प्राप्त नहीं हुई हैय फिर भी यह पाया गया कि लगभग पचास प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्रों में नाश्ता और भोजन एक साथ दिया जा रहा है। इसके कारण बच्चों को जो पौष्टिक तत्व दिन के अलग–अलग समय पर कुछ अन्तराल के बाद मिलना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है।

आयोग का सुझाव है कि नाश्ता एवं भोजन के व्यंजन को पृथक किया जाए। केन्द्र पर सूखा एवं पौष्टिक नाश्ता देने की व्यवस्था अनिवार्य किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सूखा नाश्ता कम से कम एक सप्ताह तक बिना खराब हुए रखा जा सकता है। ऐसी व्यवस्था हो जाने से बच्चे केन्द्र में पहुंचते ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बिना किसी सप्लाई का इंतजार किए उन्हें नाश्ता खिला सकती है। इस प्रकार से बच्चों को नाश्ते के बाद दोपहर के भोजन के बीच काफी अन्तराल मिल जाएगा । यह उपाय कुपोषण निवारण के लिए उपयुक्त भी होगा।

आज की स्थिति में दोपहर को दिया जा रहा भोजन में से कुछ भोजन बचाकर उसे अति कुपोषित बच्चों को थर्ड मील के रूप में दिया जा रहा है। एक व्यंजन को दिन में दो–दो बार खाने में बच्चे रूचि नहीं लेते हैं। इसलिये थर्ड मील में भी पृथक व्यंजन देने के बारे में विचार किया जाना चाहिए जो कि रूचिकर और स्वास्थ्यवर्धक हो।

7. गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए प्री–मिक्स सामग्री को टेक होम राशन दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, म.प्र. भवन संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एवं असंगठित संबल योजना आदि के माध्यम से भी गर्भवती माताओं की देखभाल एवं पौष्टिक आहार के लिए सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

आयोग का सुझाव है कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त राशि, टेक होम राशन तथा गांव में सुलभता से मिलने वाले अनाज आदि के उपयोग से गर्भवती माता एवं शिशु के पोषण के लिए उपयुक्त रेसिपी विकसित की जाए। महिला बाल विकास विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्र में उपलब्ध अनाज आदि को ध्यान में रखते हुए पोषणविदों से परामर्श कर विभिन्न प्रकार के रेसिपी की सूची तैयार की जा सकती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाईजर एवं आशा कार्यकर्ता, गृह भेंट एवं अन्य कार्यक्रम के दौरान रेसिपी के प्रचार–प्रसार गर्भवती एवं धात्री माताओं के बीच कर सकते हैं।

8. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए ''दाल'' का सेवन, प्रोटीन प्राप्त करने का सबसे सस्ता माध्यम होता है। केवल गेहूं एवं चावल जैसे कार्बोहाईड्रेड जैसे खाद्य पदार्थ से कुपोषण से निज़ात नहीं पाया जा सकता है। आयोग का सुझाव है कि खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से सस्ती दर पर दाल का प्रदाय भी उचित मूल्य दुकान से किया जाए। शासन द्वारा वर्तमान में केवल श्योपुर जिले के कराहल एवं खण्डवा जिले के खालवा ब्लाक के अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए दस रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक किलोग्राम प्रति हितग्राही के मान से दाल वितरण करने का प्रबंध किए गए है।

सुझाव है कि दाल का वितरण सभी अनुसूचित जाति बहुल विकासखण्डों के हितग्राहियों को किये जाने की व्यवस्था किया जाना चाहिए।

9. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की अनुसूची III में खाद्य सुरक्षा को अग्रसर करने के लिए किए जाने वाले विभिन्न उपबंधों में किशोरी बालिकाओं का पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में उपयुक्त सहायता देने का उल्लेख है। आयोग ने अपने भ्रमण में पाया कि यद्यपि किशोरी शक्ति एवं सबला योजना के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है, फिर भी किशोरी बालिकाओं को पोषण आहार प्रदाय करने की योजना सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में लागू नहीं है। इस मामले में और सजगता बरतने की आवश्यकता है।

हमारा सुझाव है कि आंगनवाड़ी केन्द्रों में किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की मानिटरिंग के लिए एक रजिस्टर का संधारण किया जाए। रजिस्टर में बालिका का नाम, पालक का नाम, उम्र, शैक्षणिक स्थिति, स्वास्थ्य जांच की तिथि, हीमोग्लोबिन का स्तर, अन्य बीमारी एवं पोषण आहार प्राप्त करने की स्थिति का विवरण समाहित किया जाए। वर्ष में किए गए स्वास्थ्य परीक्षण का विवरण रजिस्टर में दर्ज करने की व्यवस्था की जाए। जरूरतमंद किशोरी बालिकाओं को सभी आंगनवाड़ी केन्द्र पर पोषण आहार देने की प्रबंध किया जाना उचित होगा।

¼l½ e/;kUg Hkkstu dk;Øe %&

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मामले में किसी एक माह के लिए अनाज के अग्रिम उठाव पिछले माह की 25 तारीख तक हो जाता है, लेकिन सांझा चूल्हा एवं मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का आवंटन संबंधित विभागों द्वारा विलम्ब से जारी होने के कारण इन योजनाओं के लिए खाद्यान्न का अग्रिम उठाव समय पर संभव नहीं हो पाता है। फलस्वरूप स्व सहायता समूहों को कई बार दो–तीन माह के लिए इकट्ठा खाद्यान्न प्राप्त होता है।

   अतः खाद्य, महिला बाल विकास एवं ग्रामीण विकास विभाग को यथा संभव एक साथ अग्रिम आवंटन जारी करना चाहिए, ताकि नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा सभी योजनाओं के लिए अग्रिम उठाव समय पर किया जाना संभव हो सके।

2. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का स्वरूप वृहद है। यह कार्यक्रम समस्त शासकीय शालायें एवं शासन से अनुदान प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में संचालित हैं। प्रारंभ से ही कार्यक्रम की निगरानी के लिए जिला स्तर पर नाम मात्र का अमला (जिसमें एक जिला समन्वयक, एक गुणवत्ता निरीक्षक एवं एक कम्प्यूटर आपरेटर) स्वीकृत हुआ था। आयोग ने भ्रमण के समय पाया कि कमोवेश सभी जिले, खासकर नवगठित जिलों में उक्त न्यूनतम स्टॉफ भी उपलब्ध नहीं है। सीधी जैसे जिले में तो कोई भी अमला पदस्थ नहीं है।

   पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को इस संबंध में रिव्यू कर रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही शीघ्र करना चाहिए, जिससे कि योजना का क्रियान्वयन पर जिला स्तर पर प्रभावी निगरानी की जा सके।

3. प्रदेश के लगभग 7400 से भी ज्यादा प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में किचन शेड नहीं हैं। इनमें से कई प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला एक परिसर में स्थित होने से एक किचन शेड से दो शालाओं के लिए भोजन बनाया जा सकता है। आयोग का सुझाव है कि ग्रामीण विकास विभाग, प्राथमिकता के आधार पर किचन शेड का निर्माण करने की व्यवस्था करें, ताकि खुले में या अस्वस्थ्यकर परिवेश में भोजन बनाया नहीं जाए।

4. महिला रसोइयों को मध्यान्ह भोजन बनाने के लिए पूर्व में प्रति माह मात्र एक हजार रुपये का मानदेय दिया जाता था। हाल ही में शासन द्वारा उक्त मानदेय में वृद्धि कर प्रतिमाह दो हजार रुपये देने का निर्णय लिया है, जोकि स्वागत योग्य है। दिन भर की मेहनत के लिए यह पारिश्रमिक भी कम है। रसोइयों द्वारा पानी भरना से लेकर, लकड़ी के चूल्हे से भोजन तैयार करना, गेहूं पिसवाना आदि काम किया जाता है। आयोग का सुझाव है कि महिला रसोइयों की मेहनत को देखते हुए उनके पारिश्रमिक को कम से कम तीन हजार रुपये करने पर विचार किया जाए।

5. प्रदेश के लगभग 75000 से अधिक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में भोजन बनाने के लिए रसोई गैस उपलब्ध नहीं है। इन विद्यालयों में पारंपरिक तरीके से लकड़ी और कण्डे से

भोजन बनाया जा रहा है, जोकि रसोइयों एवं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अतः चरणबद्ध तरीके से आगामी दो वर्ष के भीतर रसोई गैस उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना बनाई जाए। जिन विद्यालयों में रसोई गैस दी गई है, वहां पर रि–फिलिंग की विश्वसनीय व्यवस्था की जाए, ताकि रि–फिलिंग नहीं हो पाने के कारण लकड़ी में भोजन बनाने की स्थिति उत्पन्न ना हो।

6. मध्यान्ह भोजन योजना सभी विद्यालयों में विस्तारित है और अनेक महिला स्व सहायता समूह भोजन बनाने का काम कर रही हैं। योजना के निरीक्षण के लिए नाम मात्र का स्टॉफ उपलब्ध होने के कारण मीनू अनुसार अच्छी गुणवत्ता का भोजन नहीं बनने की शिकायत प्रायः सभी जिलों से प्राप्त हो रही है। आयोग का सुझाव है कि जहां एक ओर स्वीकृत स्टॉफ की पद. स्थापना शीघ्रता से की जानी चाहिए, वहीं दूसरी ओर स्वसहायता समूह के प्रतिनिधियों के साथ प्रत्येक माह विकासखण्ड स्तर पर समीक्षा बैठक आयोजित करने की व्यवस्था की जाए। बैठकों में समूहों की तात्कालिक समस्या के निराकरण के साथ–साथ गुणवत्तायुक्त और मीनू के अनुसार भोजन बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है। जिन विद्यालयों में अच्छी गुणवत्ता का भोजन नहीं मिलने की शिकायत है, उन प्रकरणों में समय रहते सुधारात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

7. कार्पोरेट सोशल रेस्पान्सिबिलिटी के अन्तर्गत प्राप्त संसाधन का एक हिस्सा का व्यय किचन शेड का निर्माण, आदिवासी बाहुल्य विकासखण्डों में अति कुपोषित बच्चों एवं माताओं के उपचार एवं विद्यालयों में रसोई गैस उपलब्ध कराने जैसे कार्यों के लिए सुरक्षित रखा जाए।

gLrk@&
¼vkj-d-Lokb½
v/;{k

gLrk@&
¼xkjyky vfgjokj½
lnL;

gLrk@&
¼Jherh Lugyrk mik/;k;½
lnL;

gLrk@&
¼Jherh nqxk Mkoj½
lnL;

gLrk@&
¼ohj flg pkSgku½
lnL;

gLrk@&
¼fd'kkj [k.Myoky½
lnL;

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 20 के अन्तर्गत राज्य खाद्य आयोग के समक्ष विचाराधीन प्रकरण

l- dz-	izdj.k dz-	laf{kIr fooj.k	fjekdZ
01	01/2020 नीमच	मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग द्वारा दिनांक 15.10.19 को नीमच जिले की समीक्षा बैठक एवं मैदानी भ्रमण तथा विकास खण्ड जावद, जिला नीमच में आयोजित जनसुनवाई शिविर में Jherh pUnkckbZ iRuh LoxhZ; Jh dSyk'k nkl] xzke ljknk] rg- tkon] ftyk uhep& vkbZMh dzekad 25248524] okMZ dzekad 07 [kkrk dzekad 77& us dgk fd mudk chih,y dkMZ cuk gSA iwoZ esa ifr&iRuh nksuksa dks gj ekg jk'ku izkIr gksrk FkkA mudh ifr dh e`R;q ,d o"kZ iwoZ gks x;h FkhA ifr dh e`R;q ds ckn tc Jherh pUnkckbZ us dkMZ esa eqf[k;k dk uke lq/kkjdj viuk uke fy[kuk pkgk rks mldk dkMZ gh cUn gks x;kA bl dkj.k ls fiNys ,d o"kZ ls bl jk'ku dkMZ ij mUgsa [kk|kUu ugha fey jgk gSA mlds NksVs&NksVs cPps gSA dbZ ckj vkosnu nsus ds ckn Hkh dksbZ fujkdj.k ugha gqvk gSA	(1) श्रीमती चंदा बाई को उसकी हकदारी दिलाकर पालन प्रतिवेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु जिला आपूर्ति अधिकारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।
02	02/2020 अलीराजपुर	मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के द्वारा आयोजित संभाग स्तरीय एवं जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में अलीराजपुर जिले में 53 विद्यालयों में पिछले दो वर्षों में माह में पांच दिन या लगातार तीन दिन तक मध्यान्ह भोजन नहीं मिलने की जानकारी प्रकाश में आई थी। आयोग के निर्देश पर सी.ई.ओ. जिला पंचायत, अलीरा. जपुर द्वारा अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर कहा गया कि उनके द्वारा दोशी संस्था/व्यक्ति से रू. 1,62,354.00 (रू. एक लाख बासठ हजार तीन सौ चौवन मात्र) का खाद्य सुरक्षा भत्ता वसूली कर लिया गया है और उक्त राशि हितग्राहियों के खाते में जमा करने की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है।	(2) हितग्राहियों के नाम, खाता क्रमांक, खाद्य सुरक्षा भत्ता की मात्रा एवं जमा होने की तिथि का विवरण प्रस्तुत करने के लिए सी.ई.ओ. जिला पंचायत अलीराजपुर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया ।

l- d-	i:dj.k d-	lf{kIr fooj.k	fjekdZ
03	03 / 2020 शिवपुरी	जिला शिवपुरी की समीक्षा बैठक में यह शिकायत प्राप्त हुई कि cMk[kjk xkao e fiNy rhu ekg l vukt ugh cV jgk gA fodrk yxkrkj xMcMh dj jgk g] yfdu mldk fo#) fyf[kr ,o ekf[kd f'kdk;r djus ij Hkh vkt rd [kk| vf/kdkjh }kjk dkbZ dk;Zokgh ugh dh tk jgh gA	(3) प्रकरण की जांच कर जांच प्रतिवेदन के साथ–साथ प्रभावित हितग्राहियों को पिछले तीन माह का राशन उपलब्ध कराते हुए दोषी व्यक्ति / संस्था से खाद्य सुरक्षा भत्ता की वसूली कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने अन्यथा उनके विरूद्ध अग्रेत्तर विधिक कार्यवाही संस्थित करने हेतु जिला आपूर्ति अधिकारी, शिवपुरी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।
04	04 / 2020 सतना	''साझा मंच'' संगठन द्वारा राज्य खाद्य आयोग के ध्यान में यह शिकायत लाई गई कि सतना जिले के मझगवां ब्लाक में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की पात्र 49 महिलाओं को उनकी हकदारी नहीं दिलाई गई है। पात्र 49 महिलाओं के आवेदन, आधार कार्ड नंबर और बैंक खाता का विवरण भी उपलब्ध कराया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, सतना को प्रकरण की जांच कर हितग्राहियों को उनकी हकदारी दिलाने के लिए निर्देश भेजे गए थे, लेकिन पालन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ।	(4) पालन प्रतिवेदन 4 अप्रैल, 2020 तक आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अन्यथा उनके विरूद्ध अग्रेत्तर विधिक कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, सतना को अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।
05	05 / 2020 बैतूल	जिला बैतूल की समीक्षा बैठक में यह तथ्य जानकारी में आया था कि xfjek Lo lgk;rk lewg] ulhjkckn] Cykd fppksyh }kjk Ldwy dks 150 cPpksa dks fy;s Hkkstu cuk;k tkrk gSA mDr lLFkk dk mfpr eY;kadu ulhjkckn ls xzke ulhjkckn] ckjckMh o nf/k;k dks fo|ky;ksa dks e/;kUg Hkkstu dks fy, vxLr] 2018 dks xsgw vHkh rd izkIr ugh gqvk gSA ukxfjd vkiwfrZ fuxe }kjk xsgw ink; fd;k x;k g] tcfd fodzsrk }kjk lLFkk dks xsgw miyC/k ugh djk;k tk jgk gSA	(5) प्रकरण की जांच कर संस्था को बकाया अनाज उपलब्ध कराते हुए दोषी व्यक्ति / विक्रेता के विरूद्ध कार्यवाही कर पालन प्रतिवेदन 9 अप्रैल, 2020 तक आयोग को प्रस्तुत करने हेतु आपूर्ति अधिकारी, बैतूल को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

l- dz-	izdj.k dz-	laf{kIr fooj.k	fjekdZ
06	06 / 2020 मण्डला	मण्डला जिले में जनसुनवाई शिविर में Jh fd'kksj vxzoky] eksgxkao us f'kdk;r dh fd jk'ku lwph ls 54 lEiUu yksxksa dk uke] ftlesa fd mudk Lo;a dk uke 'kkfey gS] dkVus gsrq lwph rRdkyhu rglhynkj dks nh xbZ Fkh] ysfdu M<+s lky ds ckn Hkh uke ugha gVk;k x;kA blh izdkj 68 ,sls O;fDr tks fd e`r gks pqds gSa] muds uke Hkh lwph ls gVkus ds fy, rglhynkj dk;kZy; esa yafcr gSA bu e`r@vik= yksxksa dk uke lwph ls gVk;k tk,A izdj.k dh tkap dj ,d ekg ds Hkhrj ikyu izfrosnu izLrqr djus gsrq dk;Zokgh fooj.k esa dysDVj dks funsZf'kr fd;k x;k FkkA ikyu izfrosnu esa uk;c rglhynkj] eksgxkao }kjk 93 vik= O;fDr;ksa dk uke gVkus dh tkudkjh izLrqr dh xbZA	(6) हटाए गए अपात्र व्यक्तियों का नाम एवं विवरण दि. 16 अप्रैल, 2020 तक प्रस्तुत करने हेतु आपूर्ति अधिकारी, मण्डला एवं नायब तहसीलदार, मोहगांव, जिला मण्डला को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।
07	07 / 2020 बड़वानी	lqyxkao iapk;r esa e/;kUg Hkkstu ,oa vkaxuokM+h esa Hkkstu dk dk;Z xaHkhj vfu;ferrk gksus dh f'kdk;r gSA fiNys rhu o"kZ ls lqyxkao {ks= dh vkaxuokfM+;ksa vkSj fo|ky;ksa esa fu;fer #i ls uk'rk ,oa Hkkstu ugha fey jgk gSA nSfud HkkLdj lekpkj i= esa bl lacU/k esa lekpkj izdkf'kr gqvk FkkA o"kZ 2016 ls vkaxuokM+h dsUnz esa lk>k pwYgk ds ek/;e ls Hkkstu forj.k ugha fd;k tk jgk gSA bldh f'kdk;r gksus ij iqjkuh Lo lgk;rk lewg dks cUn dj 01 tuojh] 2020 dks eka ueZnk Lo lgk;rk lewg dks Hkkstu cukus dk dk;Z lkSaik x;kA eka ueZnk Lo lgk;rk lewg }kjk Hkh vHkh rd ek= rhu ckj Hkkstu fn;k x;k gSA f'kdk;r ds ckn Hkh Lo lgk;rk lewg ds fo#) dksbZ dk;Zokgh ugha dh x;hA cPpksa dks fu;fer #i ls Hkkstu ugha fey jgk gSA	(7) प्रकरण की जांच कर दोषी व्यक्ति / संस्था से उपरोक्त अवधि के लिए खाद्य सुरक्षा भत्ता वसूल कर हितग्राहियों के खाते में जमा कराने एवं परियोजना अधिकारी के द्वारा पिछले तीन वर्षों से अनियमितता के संबंध में कार्यवाही नहीं करने के लिए उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही कर आयोग को प्रतिवेदन 17 अप्रैल, 2020 तक प्रस्तुत करने हेतु सी.ई.ओ. जिला पंचायत एवं कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला बड़वानी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।